


ग्रामीण विकास समीक्षा

जनवरी - दिसंबर 2024



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत

www.nirdpr.org.in

ग्रामीण विकास पत्रिका मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, राजेंद्रनगर, हैदराबाद द्वारा प्रकाशित की जाती है। पत्रिका का उद्देश्य ग्रामीण विकास में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह सामाजिक विज्ञान और ग्रामीण विकास के बीच संबंधों को उजागर करने और जहाँ भी आवश्यक हो उन्हें बनाने और मजबूत करने का प्रयास करती है। यह शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और ग्रामीण विकास के कार्यान्वयनकर्ताओं को अपने शोध अवलोकन साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार योगदानकर्ताओं के हैं, और एनआईआरडीपीआर उनके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानता है।

विचार करने वाले शोधपत्र किसी विशिष्ट ग्रामीण विकास समस्या को हल करने वाले मूल शोध पर आधारित होने चाहिए, जिसमें ठोस कार्यप्रणाली के साथ अनुभवजन्य विश्लेषण शामिल हो और नीति एवं कार्यक्रम निर्णय-क्षमता के परिणामों के लाभ को दर्शाया गया हो। सरल वर्णनात्मक शोधपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि समीक्षक ऐसी अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करते हैं तो लेखकों से मूल डेटा और विश्लेषण के कोड प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

लेख प्रस्तुत करने और नए समावेशन के लिए, <http://nirdprojms.nirdpr.in> पर जाएँ

लेख प्रस्तुत करने, स्थिति की जानकारी आदि से संबंधित प्रश्न cdc.nird@gov.in पर भेजे जा सकते हैं

सदस्यता से संबंधित प्रश्न jrd.nird@gov.in पर भेजे जा सकते हैं

संपादकीय बोर्ड:

डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस

महानिदेशक

अध्यक्ष, संपादकीय बोर्ड

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

श्री शशि भूषण, आईसीएएस

उप महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

डॉ. ज्योतिस सत्यपालन

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, विकास प्रलेखन एवं

संचार केंद्र, एनआईआरडीपीआर

डॉ. अमरेश दुबे

प्रोफेसर, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र,
सामाजिक विज्ञान स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

डॉ. उषा रमन

प्रोफेसर, संचार विभाग,

हैदराबाद विश्वविद्यालय

डॉ. चन्द्र शेखर राव नुथालापति

प्रोफेसर, प्रोफेसर आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ममगौन

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग

दून विश्वविद्यालय, उत्तराखंड

डॉ. पी.शिव राम

प्रोफेसर, (सेवानिवृत्त) एनआईआरडीपीआर

डॉ. सुरजीत विक्रमन

एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष,

कृषि अध्ययन केंद्र, एनआईआरडीपीआर

डॉ. पार्थ प्रतिम साहू

एसोसिएट प्रोफेसर

उद्यमिता विकास और वित्तीय समावेशन केंद्र

एनआईआरडीपीआर

डॉ. आर. रमेश

एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष

ग्रामीण आधारभूत संरचना केंद्र, एनआईआरडीपीआर

सलाहकार संपादकीय बोर्ड

डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस

महानिदेशक

अध्यक्ष, संपादकीय बोर्ड

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

श्री शशि भूषण, आईसीएएस

उप महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

डॉ. ज्योतिस सत्यपालन

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, विकास प्रलेखन एवं

संचार केंद्र, एनआईआरडीपीआर

डॉ. आकांक्षा शुक्ला

एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर

डॉ. सतीश कुमार

इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान संकाय

प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण, भूगोल,

पुरातत्व स्कूल पुरापरिस्थितिकी शोधकर्ता, सीनेटर जॉर्ज जे,

मिशेल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी एंड जस्टिस,

क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट, यूके

डॉ. सुरेश बाबू

प्रोफेसर, आईएफपीआरआई, वाशिंगटन

डॉ. बाबु एन.एस. दासरी

प्रशिक्षक, अर्थशास्त्र विभाग,

रूतगर्स विश्वविद्यालय, उत्तराखंड

डॉ. तारा नायर

प्रोफेसर, गुजरात विकास

अनुसंधान संस्थान

डॉ. के.पी.सी. राव

प्रधान वैज्ञानिक (सेवानिवृत्त)

इक्रिसैट, हैदराबाद

डॉ. सुजीत कुमार मिश्रा

प्रोफेसर, सामाजिक विकास परिषद,

हैदराबाद

डॉ. विघ्नेश्वर स्वामी

प्रोफेसर, आईबीएस - हैदराबाद

सहायक संपादक : कृष्ण राज के.एस.

भारत	व्यक्तिगत (वार्षिक)	Rs. 220 + 160 (पंजीकृत डाक शुल्क)
	एजेंसी (वार्षिक)	Rs. 660 + 160 (पंजीकृत डाक शुल्क)
	संस्थाएँ (वार्षिक)	Rs. 825 + 160 (पंजीकृत डाक शुल्क)
	संस्थागत सदस्यता (वार्षिक)	Rs. 1650
	आजीवन सदस्यता	Rs. 5500
	विदेशी व्यक्ति (वार्षिक)	US \$ 120

ग्रामीण विकास पत्रिका को स्कोपस, ईबीएससीओ, भारतीय उद्धरण सूचकांक, जे-गेट, इंडेक्स कोपरनिकस इंटरनेशनल और रिसर्च गेट में अनुक्रमित किया गया है।

ग्रामीण विकास समीक्षा

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
शोध प्रपत्र		
1	आपदा प्रबंधन में पंचायती राज संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करना: केरल के अलाप्पुझा जिले में बाढ़-प्रवण क्षेत्रों का एक अध्ययन <i>के. श्रीजा और के. गिरीसन</i>	1
2	भारत में आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा उपयोग पैटर्न, प्राथमिकताएँ और निर्धारक: एक संस्थागत मामला अध्ययन <i>जीना टी. श्रीनिवासन, पी. आर. रमेश और के. महेश</i>	11
3	लोकतंत्र की पहेलियाँ: चुनाव और दक्षिण बिहार पंचायत में प्रभुत्व का पुनरुत्पादन <i>शशि भूषण सिंह</i>	27
4	झारखंड में पेसा के लिए स्थानीय-स्वशासन अधिनियम के अनुपालन का आकलन: इसकी स्थापना के ढाई दशक बाद एक नीति समीक्षा <i>दीप्ति परिधि किंडो और प्रदीप कुमार भौमिक</i>	40
5	एक उच्च संसाधन वाली ग्राम पंचायत में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और 0-36 महीने की आयु के बच्चों में पोषण संबंधी व्यवहार। <i>वाणीश्री जोसेफ और एन. वी. माधुरी</i>	60
6	केरल के मध्यभूमि और उच्चभूमि क्षेत्र में पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित जलागम परियोजनाओं का प्रभाव - एक तुलनात्मक अध्ययन <i>बाबू मैथ्यू, वेणु प्रसाद एच. डी., चैत्रा जी. बी. और चिदानंद पाटिल</i>	71
7	स्थानीय शासन और सतत विकास लक्ष्य: भारत में स्थानीय विकास दृष्टिकोण। <i>अजय शर्मा चिन्नादुरई और पी. शक्तिवेल</i>	84
8	प्रवासन के प्रकार में जेंडर की भूमिका और महिला सशक्तिकरण पर इसका प्रभाव <i>प्रदीप कुमार मेहता और सुस्मिता गुरु</i>	95
9	महाराष्ट्र के मंचर में राजनीतिक भागीदारी और सामुदायिक लामबंदी में एसएचजी की भूमिका: एक बहुआयामी दृष्टिकोण शुचि बेनारा मिश्रा, दक्षिता श्रीनिवासन, ईशान घोष, माही बंब, <i>महिमा मेनन, प्रिया जोसेफ और बोइरी गायत्री वर्मा</i>	110
10	ग्रामीण महिला कर्मचारियों का नौकरी-परिवार संतुलन: बेंगलोर ग्रामीण जिले से एक अंतर्दृष्टि अध्ययन <i>के. त्रिवेणी कुमारी</i>	126
पुस्तक समीक्षा		
11	जियाओशान झांग, झोउ ली और अन्य द्वारा चीन की ग्रामीण विकास सड़क। <i>वेंकटमल्लु थाडबोइना</i>	143
12	चिकनकारी: मैनफ्रेडी पाओला द्वारा एक लखनवी परंपरा <i>माधुरी सिंह</i>	148

आपदा प्रबंधन में पंचायती राज संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करना: केरल के अलाप्पुझा जिले में बाढ़-प्रवण क्षेत्रों का एक अध्ययन

के. श्रीजा और के. गिरीसन

सार

यह शोध पत्र भारत में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) द्वारा की जाने वाली आपदा प्रबंधन गतिविधियों पर केंद्रित है, जिसमें स्थानीय स्तर पर आपदा की तैयारियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भारत की संवेदनशीलता को देखते हुए, यह पत्र आपदा प्रबंधन में सक्रिय दृष्टिकोण और नागरिक-केंद्रित तथा भागीदारीपूर्ण रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह केरल के अलाप्पुझा जिले में चार अत्यधिक संवेदनशील और आपदा-प्रवण ग्राम पंचायतों में किए गए गहन फील्डवर्क पर आधारित है। अध्ययन पीआरआई को सशक्त बनाने के महत्व को दोहराता है, क्योंकि वे आपदा-पूर्व चरण में शामिल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएँ हैं, और यह आपदा प्रबंधन में पीआरआई की क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देता है, जिसमें आपदा की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह पत्र आपदा प्रबंधन में सहायकता के सिद्धांत के अनुप्रयोग की खोज करता है, जो ग्राम पंचायतों (जीपी), ब्लॉक पंचायतों (बीपी) और जिला पंचायतों (डीपी) को जिम्मेदारियों का मानचित्रण करके कार्यों के प्रतिनिधिमंडल पर ध्यान केंद्रित करता है।

कीवर्ड: पंचायती राज संस्थाएं, ग्राम पंचायत, आपदा प्रबंधन, आपदा तैयारी, बाढ़, आपदा प्रबंधन समिति, आपदा प्रबंधन योजना।

*पीएचडी स्कॉलर एवं **एसोसिएट प्रोफेसर, स्थानीय शासन विभाग, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी), युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीपेरंबदूर; ई-मेल: adv.sreejak@gmail.com, gireesan.decentralisation@gmail.com

परिचय

आपदा एक अप्रत्याशित घटना है जो समाज के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय कामकाज को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करती है (नोगीरा, 2016)। आपदाओं को मोटे तौर पर उनके कारण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव निर्मित। अधिकांश आपदाओं को प्राकृतिक घटना के रूप में माना जाता है। विश्व आपदा रिपोर्ट (2020) के अनुसार, जलवायु और मौसम संबंधी आपदाओं की औसत संख्या में प्रति दशक लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले दशक में, बाढ़, तूफान और गर्म लहरों जैसी चरम मौसम और जलवायु संबंधी घटनाओं ने 83 प्रतिशत आपदाओं का कारण बना है। इन आपदाओं के परिणामस्वरूप लगभग 4,10,000 लोगों की जान चली गई और 1.7 बिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। 1998 और 2017 के बीच, प्राकृतिक आपदाओं ने लगभग 1.3 मिलियन लोगों की जान ले ली, और अन्य 4.4 बिलियन लोग घायल और विस्थापित हुए या उन्हें सहायता की आवश्यकता थी। अंतर्राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस के अनुसार, बाढ़, तूफान, सूखा, गर्म हवा और अन्य चरम मौसम की स्थिति जैसी जलवायु संबंधी आपदाएँ कुल मौतों का 91 प्रतिशत कारण बनीं, जबकि भूकंप और सुनामी जैसी भूभौतिकीय घटनाएँ अधिकांश मौतों के लिए जिम्मेदार थीं (आईएफआरसी, 2020)।

हाल के वर्षों में आपदाएं एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन गई हैं, शहरीकरण, जनसंख्या विस्फोट और पर्यावरणीय गिरावट के कारण जान और संपत्ति के मामले में नुकसान बढ़ रहा है। आपदा और विकास के बीच संबंध निर्विवाद है, क्योंकि आपदाएं वर्षों और दशकों की कड़ी मेहनत से किए गए विकास को मिटा सकती हैं (यूएनडीपी, 2017)। भारत, दुनिया का सातवां सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के नाते, अपनी विविध स्थलाकृति के कारण बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, सुनामी और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, 2016)। पिछले तीन दशकों में, भारत ने कई आपदाओं का सामना किया है, जिसमें ओडिशा सुपर साइक्लोन (1999), गुजरात भूकंप (2001), सुनामी (2004), उत्तराखंड बाढ़ (2013), चेन्नई बाढ़ (2015), चक्रवात ओखी, केरल बाढ़ (2018), चक्रवात गज (2018), चक्रवात फानी (2019) और केरल बाढ़ (2019) शामिल हैं। इसके अलावा, 2020 की कोविड-19 महामारी ने भारत को बड़े पैमाने

पर प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक संक्रमण और कई मौतें हुई हैं। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, आपदा के बाद की प्रतिक्रियात्मक सहायता से आपदा-पूर्व चरण में सक्रिय योजना और तैयारी गतिविधियों, व्यक्तिगत सहायता से सामुदायिक सेवाओं की बहाली और राहत से पुनर्वास तक में बदलाव की आवश्यकता है।

अध्ययन का औचित्य

73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद, राज्य सरकार की शक्तियों को पीआरआई में विकेंद्रीकृत कर दिया गया, जो लोकतंत्र की बुनियादी इकाइयाँ थीं। किसी भी विनाशकारी स्थिति के सभी चरणों में, पीआरआई आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें जीवन बचाना और समुदाय का पुनर्निर्माण करना शामिल है। भारत अपनी विविध भौगोलिक विशेषताओं के कारण विभिन्न प्रकार की आपदाओं से ग्रस्त है, और आपदा की तैयारी राज्य दर राज्य और जिले दर जिले अलग-अलग होती है। चूंकि पीआरआई लोकतंत्र की बुनियादी इकाइयाँ हैं, इसलिए वे आपदाओं से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त हैं (गिरीसन, 2013)। विभिन्न विद्वानों ने स्थानीय समुदाय की भागीदारी के महत्व और आपदा प्रबंधन और तैयारियों में स्थानीय स्वशासन की भूमिका पर जोर दिया है। रश्मि (2005) ने तर्क दिया कि स्थानीय समुदाय आपदा न्यूनीकरण और तैयारियों में अधिक प्रभावी होते हैं, जबकि राजीव (2014) ने प्रभावी आपदा प्रबंधन में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता पर जोर दिया। गिरीसन (2011, 2013 और 2017) ने आपदा प्रबंधन में, विशेष रूप से आपदा तैयारियों में पीआरआई (ग्रामीण, शहरी और आदिवासी) की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। वसंत (2015) ने आपदा प्रबंधन में युवा संगठनों की सक्रिय भागीदारी की वकालत की। पीआरआई, अपने सीमित अधिकार के बावजूद, नागरिकों को निर्माण, सामाजिक-आर्थिक विकास योजना, पर्यावरण संरक्षण और मनोरंजन जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे आपदा तैयारी और पर्यावरण संरक्षण के उपाय करके सतत विकास को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। साहित्य समीक्षा स्थानीय सरकारी संस्थानों की आपदा प्रबंधन गतिविधियों को समझने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, विशेष रूप से आपदा तैयारी के लिए, ताकि स्थायी आपदा प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। इस संदर्भ में, स्थानीय स्तर पर आपदा से पहले, आपदा के दौरान और बाद में पंचायती राज

संस्थाओं द्वारा की जाने वाली विभिन्न आपदा प्रबंधन गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए एक अनुभवजन्य जांच की गई, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।

शोध पद्धति

यह अध्ययन केरल के अलपुझा जिले में किया गया था, जो अपनी अनूठी भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों और उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण प्राकृतिक आपदाओं के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है। अलपुझा केरल के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में से एक है। अध्ययन में क्षेत्र दौरे के लिए प्रशासनिक इकाइयों का चयन करने के लिए एक बहु-चरणीय नमूनाकरण पद्धति का उपयोग किया गया, जिसमें अलपुझा जिले के चंपक्कुलम और वेलियंड ब्लॉकों की पहचान अत्यधिक संवेदनशील के रूप में की गई। जिला प्रशासन और खंड विकास कार्यालयों में प्रमुख पदाधिकारियों के साथ परामर्श करने के बाद, प्रत्येक ब्लॉक से दो सबसे कमजोर ग्राम पंचायतों (जीपी) को गहन क्षेत्र अध्ययन के लिए चुना गया। तदनुसार, चंपाकुलम ब्लॉक से कैनाकारी और एडथुआ जीपी और वेलियानाड ब्लॉक से कावलम और मुत्तूर जीपी को चुना गया। एडथुआ और कावलम में प्रत्येक 13 वार्ड हैं, जबकि कैनाकारी और मुत्तूर में 15 वार्ड हैं। यह अध्ययन 2019 से 2020 तक किया गया।

इन क्षेत्रों के बड़े हिस्से समुद्र तल से नीचे स्थित हैं। मानसून के मौसम में बाढ़ का खतरा बहुत अधिक होता है, जिससे संपत्ति, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होता है। 2018 और 2019 में, ये क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए, जिसके परिणामस्वरूप कई घरों को आंशिक नुकसान हुआ, और प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए आपदा राहत शिविर स्थापित किए गए। इस क्षेत्र में आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है, जिसमें आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती और कृषि श्रम में लगा हुआ है।

प्राथमिक डेटा विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके एकत्र किया गया था। नमूना आकार में 310 उत्तरदाता शामिल थे, जिनमें पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधि, इलाके के प्रमुख सूचनादाता और समाज के विभिन्न वर्ग शामिल थे, जो अध्ययन क्षेत्र में कार्यरत राजनीतिक और गैर-राजनीतिक युवा संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों और महिला संगठनों के नेताओं पर ध्यान केंद्रित करते थे।

क्षेत्र से अनुभव

यह खंड आपदा के तीन चरणों में कावलम, मुत्तूर, कैनाकारी और एडथुआ सहित ग्राम पंचायतों द्वारा की गई आपदा प्रबंधन गतिविधियों का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है।

आपदा-पूर्व चरण में आपदा प्रबंधन गतिविधियाँ

उत्तरदाताओं द्वारा बाढ़ की धारणाएँ: उत्तरदाताओं के अनुसार, अलपुझा में बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है और यह बाढ़ के पानी की निकासी के लिए उचित चैनल की अनुपस्थिति के कारण होती है। पुलों, सड़कों, भूमि पुनर्ग्रहण और अनियमित भूमि विकास के अवैज्ञानिक निर्माण ने समस्या में योगदान दिया है। जलवायु परिवर्तन, जलाशयों का कुप्रबंधन और जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश ने स्थिति को और खराब कर दिया। 2018 और 2019 में बाढ़ विशेष रूप से गंभीर और विनाशकारी थी, जिससे सब कुछ ठीक होने का समय लंबा हो गया। औसतन, उत्तरदाताओं को हर साल कम से कम एक महीने या उससे अधिक समय तक बाढ़ का सामना करना पड़ता है, और निचले इलाकों में रहने वाले लोग दो महीने से अधिक समय तक प्रभावित रहते हैं। बाढ़ का पानी लम्बे समय तक जमा रहता है, जिससे भोजन, पानी और सफाई, आवास, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, आवागमन, आजीविका आदि के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। बाढ़ के दौरान राहत शिविर और भोजन केन्द्र स्थापित किए जाते हैं, और परिवारों को सुरक्षित क्षेत्रों, यहां तक कि पड़ोसी जिलों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

बाढ़ के बारे में उत्तरदाताओं में समझ का स्तर: निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित आधे से अधिक उत्तरदाताओं को अपने संबंधित ग्राम पंचायत में संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में जानकारी थी। हालाँकि, केवल लगभग एक-चौथाई उत्तरदाताओं, मुख्य रूप से अधिकारियों को, अपने ग्राम पंचायत में मुख्य बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के बारे में आंशिक रूप से जानकारी थी। किसी भी ग्राम पंचायत ने कोई मानचित्रण और दस्तावेज़ीकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया जो आपदा तैयारी उपायों को करने के वैज्ञानिक तरीके में योगदान दे सके, जैसे कि संवेदनशील क्षेत्रों/कमजोर बिंदुओं/कमजोर समुदायों/कमजोर परिवारों की रूपरेखा बनाना, जोखिम क्षेत्र की पहचान करना आदि। अध्ययन क्षेत्रों में इस संबंध में शैक्षिक या शोध संस्थानों या विकास संगठनों के साथ कोई सहयोग भी नहीं देखा गया।

स्थानीय स्तर पर परियोजना विकास और कार्यान्वयन: नमूना ग्राम पंचायतों में से किसी ने भी आपदा तैयारी से संबंधित कोई परियोजना प्रस्ताव तैयार नहीं किया था, जबकि उन्हें ऐसा करने के लिए अनिवार्य किया गया था। इसके अलावा, आपदा तैयारी के दृष्टिकोण से राहत शिविरों और पुनर्वास केंद्रों के लिए भौतिक संसाधनों में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। ग्राम पंचायतों ने अपनी निष्क्रियता के कारणों के रूप में खराब वित्तीय स्थिति और आपदा प्रबंधन के लिए विशिष्ट निधियों की कमी का हवाला दिया। जबकि ग्राम पंचायतों ने सड़क, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में प्राथमिकता दी और प्रस्ताव तैयार किए, उन सुझावों को आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से शामिल नहीं किया गया। यहां तक कि पीआरआई के पास उपलब्ध सीमित निधियों का भी अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता था, जिसमें आपदा तैयारी और शमन उपायों के लिए बहुत आवश्यक गुंजाइश थी।

क्षमता निर्माण कार्यक्रमों या प्रशिक्षण में भागीदारी: जबकि कुछ उत्तरदाताओं ने आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्राप्त किया, अधिकांश प्रशिक्षण आपदा तैयारी के बजाय तकनीकी कौशल और कार्मिक प्रबंधन पर केंद्रित था। उत्तरदाताओं के केवल एक छोटे प्रतिशत को बचाव, प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन किट तैयार करने का प्रशिक्षण मिला। इसके अतिरिक्त, कई उत्तरदाताओं को बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रियाओं और आपातकालीन स्थिति में जीवन रक्षक जैकेट का उपयोग करने के तरीके के बारे में जानकारी का अभाव था। पीआरआई के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को कुछ सामान्य प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें आपदा तैयारी पर कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला। अध्ययन में आपदा तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण, कौशल-आधारित अभ्यास और बचाव कार्यों और प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षण सहित अधिक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति: अध्ययन क्षेत्र के सभी जीपी ने एक आपदा प्रबंधन समिति (डीएमसी) बनाई है, जिसमें जीपी के निर्वाचित सदस्य, प्रमुख सरकारी अधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और समुदाय के सदस्य शामिल हैं। हालांकि, डीएमसी में युवा या महिला संगठनों के किसी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया। डीएमसी की प्राथमिक

जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करना और उन्हें लागू करना है, लेकिन बैठकों में लिए गए निर्णय अक्सर कागज़ों पर ही रह जाते हैं। जीपी सचिव बैठकों के कार्यवृत्त को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। दुर्भाग्य से, वाई स्तर पर कोई आपदा प्रबंधन समिति या आपातकालीन प्रतिक्रिया दल गठित नहीं किया गया था, जो स्थानीय अधिकारियों द्वारा पहल की कमी और समुदाय की खराब प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

स्थानीय स्तर पर संसाधन मानचित्रण: जबकि उत्तरदाताओं का एक महत्वपूर्ण अनुपात क्षेत्र के प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों से अवगत था, जीपी ने इन संसाधनों का कोई डेटाबेस या रिकॉर्ड नहीं रखा। चूंकि डेटा की कमी ने आपदा तैयारी उपायों की प्रभावी योजना और संचालन में बाधा डाली, इसलिए आपातकाल के दौरान उपलब्ध संसाधनों की स्पष्ट समझ होना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, संसाधनों के बारे में जानने वाले केवल 40 प्रतिशत लोग ऐसी इमारतों को जानते थे जिनका उपयोग आपातकाल में अस्थायी आश्रय के रूप में किया जा सकता था। हालांकि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में जानते थे, लेकिन जीपी के पास डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य प्रासंगिक श्रेणियों जैसे पेशेवरों/ तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों के विवरण के बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं था। सूचना के अभाव के कारण आपदाओं के दौरान प्रतिक्रिया में देरी और अपर्याप्त सहायता हो सकती है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि अध्ययन क्षेत्र में ग्राम पंचायतों ने बचाव कार्यों को करने के लिए समुदाय के सदस्यों से निजी नावें खरीदीं, जो आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक संसाधनों के मामले में तैयारियों की कमी को दर्शाता है।

आपदा-रोधी भवन: अधिकांश उत्तरदाताओं (70 प्रतिशत) को आपदा-रोधी भवनों और उनकी विशिष्टताओं के महत्व के बारे में पता था। हालांकि, ग्राम पंचायत कार्यालय स्वयं अपनी खराब स्थितियों के कारण आश्रय या भंडारण के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं था। अध्ययन क्षेत्र की अनूठी स्थलाकृति, जहाँ भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा औसत समुद्र तल से नीचे स्थित था, ने खतरे से मुक्त क्षेत्रों की पहचान करना और आपदा-रोधी भवनों का निर्माण करना चुनौतीपूर्ण बना दिया। ग्राम पंचायत के लिए आपदा-

रोधी भवनों के निर्माण को प्राथमिकता देना और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करना आवश्यक है कि आपदाओं के दौरान वे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में हों।

ग्राम सभा और आपदा तैयारी: प्रति वर्ष चार ग्राम सभाओं की न्यूनतम आवश्यकता के बावजूद, इन बैठकों में आपदा तैयारी परियोजनाओं या उपायों पर चर्चा नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, बार-बार होने वाली बाढ़ प्रबंधन ग्राम सभा में बहस का विषय नहीं था और इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई विशेष बैठक नहीं बुलाई गई थी। ये स्थानीय सामुदायिक बैठकों में आपदा तैयारी और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने की कमी को इंगित करते हैं, जो किसी आपदा के दौरान अपर्याप्त तैयारी और प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है।

ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन योजना: अध्ययन क्षेत्र में किसी भी जीपी ने वर्ष 2020 तक आपदा प्रबंधन योजना तैयार नहीं की। हालांकि, यूएनडीपी के समर्थन से, केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केएसडीएमए) ने पायलट आधार पर राज्य के दो राजस्व गांवों के लिए एक ग्राम आपदा प्रबंधन योजना (वीडीएमपी) तैयार की। राजस्व अधिकारी, जैसे कि ग्राम अधिकारी और ग्राम सहायक, शायद ही कभी समुदाय के साथ बातचीत करते हैं।

2018 और 2019 की बाढ़ से मिले सबक के बाद, केरल सरकार ने स्थानीय आपदा रोकथाम रणनीति तैयार करने का फैसला किया। पुनर्निर्माण केरल विकास कार्यक्रम के तहत, स्थानीय स्वशासन को उनकी विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने में सक्षम बनाने के लिए नम्मल नमुक्के (हम हमारे लिए) नामक एक परियोजना शुरू की गई थी। केरल राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (केएसईओसी) और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (केआईएलए) ने एलएसजी डीएम योजना तैयार करने की पहल की।

आपदा चरण में आपदा प्रबंधन गतिविधियाँ

माइक्रोफोन घोषणा : पंचायत ने ग्रामीणों को घोषणाएँ और चेतावनी संदेश देने के लिए बड़े पैमाने पर माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया। जैसे ही जिला प्रशासन ने भीषण बाढ़ की चेतावनी दी, माइक से घोषणाएँ की गईं। वार्ड सदस्यों के सक्रिय नेतृत्व में सड़क और जल परिवहन के ज़रिए लोगों को चेतावनी

दी गई। क्षेत्र के एक सक्रिय राजनेता कुंजन पिल्लई ने याद किया कि आपदा के दौरान आम लोगों ने शुरुआत में उन चेतावनियों को नज़रअंदाज़ कर दिया था। बाढ़ की संभावना के बारे में चेतावनी मिलते ही कावलम जीपी में माइक से घोषणा की गई। कुडुम्बश्री के सदस्यों और मनरेगा कार्यकर्ताओं ने माइक घोषणाओं का समर्थन और सुविधा प्रदान की। कावलम जीपी की सहायक सचिव गीता ने कहा कि लाउडस्पीकर के ज़रिए की गई घोषणा अप्रभावी थी क्योंकि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में पले-बढ़े निवासी भोले-भाले थे।

नियंत्रण कक्ष: 2018 की बाढ़ के दौरान, नमूने के तौर पर चुनी गई सभी चार जीपी ने अपने नियंत्रण कक्ष संचालित किए। कैनाकारी ग्राम पंचायत ने अपना कामकाज एसडीवी स्कूल अलपुज़ा में स्थानांतरित कर दिया, जहां इसने नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य किया और सभी गतिविधियों का समन्वय किया। कावलम ग्राम पंचायत में नियंत्रण कक्ष की गतिविधियों और आधिकारिक कार्यों को पंचायत की सीमा पर स्थित कृष्णपुरम फार्म हाउस में स्थानांतरित करना पड़ा। दो ग्राम अधिकारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख पदाधिकारी और कुछ पंचायत अधिकारी नियंत्रण कक्ष में काम करते थे और क्षेत्र की सभी गतिविधियों का समन्वय करते थे। नियंत्रण कक्ष ने बचाव और राहत प्रयासों के लिए स्वयंसेवकों और नाव मालिकों की एक सूची तैयार की। मुत्तर ग्राम पंचायत की स्थिति कावलम और कैनाकारी ग्राम पंचायतों से बहुत अलग थी, क्योंकि पंचायत ने अलपुज़ा जिला नियंत्रण कक्ष की सहायता से उन क्षेत्रों में गतिविधियों का समन्वय किया था।

बचाव और राहत उपाय: अध्ययन क्षेत्र में जीपी ने बचाव और राहत प्रयासों के लिए लोगों को जुटाने के लिए कई उपाय शुरू किए। 2018 और 2019 की बाढ़ में, इन जीपी में बचाव और राहत उपायों के समन्वय और सुविधा के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रमुख अधिकारियों, युवा संगठनों के प्रतिनिधियों और राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं की एक कोर टीम बनाई गई थी। जैसा कि क्षेत्र से देखा गया है, इन क्षेत्रों में बचाव अभियान आयोजित करना कठिन था। अधिकारियों और प्रतिक्रिया टीम ने केवल मानव जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जबकि निवासियों की संपत्ति, पालतू जानवरों, व्यक्तिगत गैजेट आदि के लिए एक अलग प्राथमिकता थी। कई समुदाय के सदस्य अपनी संपत्ति, पालतू जानवर आदि को छोड़कर शिविरों में स्थानांतरित होने के लिए अनिच्छुक थे। कई मौकों पर, उन निवासियों को निकालने के लिए पुलिस बल की सहायता की आवश्यकता थी जो यह सुनिश्चित

करने के लिए खुद को स्थानांतरित करने के लिए अनिच्छुक थे कि कोई भी पीछे न छूट जाए। कैनाकारी जीपी के अध्यक्ष ने कहा कि बचाव अभियान एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि यह क्षेत्र छोटे द्वीपों का एक समूह था। ग्राम पंचायत और डीएमसी की मदद से वार्ड सदस्यों द्वारा राहत शिविर स्थापित करना और बचाव अभियान चलाना शुरू किया गया। बचाव अभियान जीपी सचिव के नेतृत्व में शुरू किया गया और क्रियान्वित किया गया। अन्य वार्डों के निवासी जो गंभीर रूप से प्रभावित नहीं थे और जिनके पास निजी मोटर बोट थे, उन्होंने इस अभियान में स्वेच्छा से भाग लिया। मुत्तर जीपी ने पंचायत अध्यक्ष की देखरेख में सभी बचाव और राहत कार्यों का समन्वय किया। चूंकि मुत्तर में राहत शिविरों की संख्या सीमित थी, इसलिए स्थानीय मछली पकड़ने वाली नावों का उपयोग निवासियों को सुरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए किया गया। कई क्षेत्रों में, बाद में निकासी और बचाव अभियान चलाने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया।

कांजी वीजथल केंद्र (गुएल केंद्र): बाढ़ के दौरान क्षेत्र के ग्राम अधिकारियों के सहयोग से जीपी ने स्थानीय रूप से कांजी वीजथल केंद्र के रूप में जाने जाने वाले गुएल केंद्र की स्थापना की। क्षेत्र के निवासी केवल भोजन के लिए गुएल केंद्र से संपर्क करते हैं। बाढ़ के दौरान, गुएल केंद्र अंतिम मील वितरण बिंदु के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ उत्पादों को संसाधित और उपभोग किया जाता है। आमतौर पर, ये केंद्र क्षेत्र के सबसे ऊँचे स्थान पर स्थित स्कूलों में स्थापित किए जाते हैं ताकि बाढ़ और उसके परिणामस्वरूप सेवाओं में रुकावट की संभावना कम से कम हो। प्रत्येक गुएल केंद्र में एक संयोजक होता है जो क्षेत्र के निवासियों को राशन वितरित करने का प्रभारी होता है। संयोजक निवासियों के राशन कार्डों को मान्य करके भोजन की व्यवस्था करता है, जबकि गुएल केंद्र के सदस्य खाद्य भंडार के लिए परिवहन लागत साझा करते हैं। खाद्य भंडार मावेली स्टोर से खरीदे जाते हैं और गुएल केंद्र/सामुदायिक रसोई द्वारा संसाधित किए जाते हैं।

आपदा के बाद के चरण में आपदा प्रबंधन गतिविधियाँ सफाई: नमूना ग्राम पंचायतों ने आपदा राहत शिविरों के रूप में काम करने वाले स्कूलों की सफाई करने की पहल की। इसके बाद, समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) के सहयोग से क्षेत्र के घरों की सफाई अभियान चलाया गया।

पुनर्निर्माण: ग्राम पंचायतों ने आधारभूत संरचना का पुनर्निर्माण शुरू किया, जिसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में परिवहन के लिए सड़कें और पुल शामिल थे। इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों ने विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य संगठनों से सहायता मांगी।

घर-घर जाकर सर्वेक्षण: ग्राम पंचायतों ने तत्काल मदद की आवश्यकता वाले परिवारों और व्यक्तियों की पहचान करने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया।

नुकसान का आकलन

ग्राम पंचायतों ने निम्नलिखित का आकलन करने की पहल की:

- जान का नुकसान
- पशुधन, कृषि, वृक्षारोपण और मछली पकड़ने वाली नौकाओं सहित संपत्ति और परिसंपत्तियों की क्षति और नुकसान।
- सड़क, जल आपूर्ति और बिजली जैसे बुनियादी ढांचे को नुकसान।

अस्थायी आश्रय: ग्राम पंचायतों ने उन लोगों के लिए अस्थायी आश्रय प्रदान करने की पहल की, जिनके घर मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त हो गए थे या असुरक्षित माने गए थे।

सड़क और परिवहन: ग्राम पंचायतों ने बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण कार्य और स्वास्थ्य सेवाओं को व्यवस्थित करने की पहल की।

बिजली: ग्राम पंचायतों ने जल्द से जल्द बिजली बहाल करने के मुद्दे पर ध्यान दिया।

पीने का पानी: ग्राम पंचायतों ने पीने और अन्य घरेलू उपयोग के लिए घरों में पानी की सुविधा प्रदान की।

आपदा प्रबंधन में सहायकता का सिद्धांत

स्थानीय स्वशासन के यूरोपीय चार्टर के अनुच्छेद 4 में परिभाषित सहायकता के सिद्धांत में जोर दिया गया है कि "सार्वजनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन आम तौर पर, प्राथमिकता के आधार पर, नागरिकों के सबसे करीबी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। किसी अन्य प्राधिकरण को जिम्मेदारी आबंटित करते समय कार्य की सीमा और प्रकृति और दक्षता और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए" (स्थानीय स्वशासन का यूरोपीय चार्टर, 2013)। यह सिद्धांत सरकार की सबसे निकटतम इकाई द्वारा किए जाने

वाले कार्यों की वकालत करता है, जिसमें अगले स्तर पर जिम्मेदारियाँ तभी सौंपी जाती हैं जब स्थानीय इकाई कार्य नहीं कर सकती।

सहायता के सिद्धांत के अनुसार, किसी भी कार्य को नागरिकों के सबसे निकटतम संभव स्तर पर निष्पादित किया जाना चाहिए। स्थानीय इकाइयों को तब तक कार्यों को संभालना चाहिए जब तक कि उनके पास क्षमता की कमी न हो, ऐसी स्थिति में, जिम्मेदारी सरकार के अगले स्तर पर स्थानांतरित की जा सकती है। यह ढांचा दक्षता सुनिश्चित करता है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देता है।

आपदा प्रबंधन में, सहायता सिद्धांत का पालन करने का मतलब है कि आवश्यक कार्यों को विभिन्न स्तरों - ग्राम पंचायत (जीपी), ब्लॉक पंचायत (बीपी) और जिला पंचायत (डीपी) में फैलाया और समन्वित किया जाता है। यह फैलाव अन्य सरकारों पर बोझ को काफी कम कर सकता है और आपदाओं के जवाब में व्यवहार्य समाधानों के कार्यान्वयन में तेजी ला सकता है।

आपदा तैयारी में पीआरआई की जिम्मेदारी का मानचित्रण: पीआरआई (जीपी, बीपी और डीपी) अपने आपदा तैयारी प्रयासों के हिस्से के रूप में विभिन्न गतिविधियाँ कर सकते हैं। गतिविधियों को क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर सहायकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मैप किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कार्य उपयुक्त स्थानीय सरकार द्वारा या समन्वय में किए जाते हैं।

सहायकता के सिद्धांत के अनुसार आपदा तैयारी गतिविधियों की जिम्मेदारी मानचित्रण से पता चलता है कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर कई कार्य ओवरलैप होते हैं। जबकि कुछ कार्यों को सख्ती से विभाजित नहीं किया जा सकता है, पीआरआई के स्तरों के बीच बेहतर समन्वय आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया में काफी सुधार कर सकता है। जहाँ भी संभव हो कार्यों को संभालने के लिए सबसे निकटतम इकाई सुनिश्चित करना आपदा प्रबंधन गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है।

नीति सुझाव

- आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया और दृष्टिकोण में आदर्श परिवर्तन लाने के लिए विशेष रूप से गठित समिति द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति की समीक्षा की जाएगी। नीति में आपदा-पूर्व चरण (आपदा की तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण) पर अधिक जोर दिया जाएगा, जिसमें पीआरआई की सक्रिय भूमिका होगी।
- आपदा प्रबंधन पर राज्य नीति की समीक्षा की जानी चाहिए, जिसमें आपदा की तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण पर जोर दिया जाना चाहिए। स्थानीय सरकारों को क्षेत्रीय स्तर पर 'नेता और समन्वयक' के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जाएगी, साथ ही आपदा-पूर्व चरण के दौरान वैधानिक भूमिकाएं, जिम्मेदारियाँ और कार्य भी सौंपे जाएंगे।
- आपदा प्रबंधन पर राज्य नीति में स्थानीय युवा संगठनों (वाईओ) और महिला संगठनों (डब्ल्यूओ) के विशेष संदर्भ में विभिन्न सीबीओ के विशिष्ट योगदान की पहचान की जाएगी। उनसे आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों के दौरान आपदा की तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण पर जोर देते हुए पीआरआई को 'सुविधाकर्ता' के रूप में विशिष्ट योगदान देने की अपेक्षा की जा सकती है। संसाधन मानचित्रण में सीबीओ को शामिल करना, नियमित अंतराल पर वाईओ और डब्ल्यूओ के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम/सत्रों का प्रावधान, समुदाय को तैयार करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करना आदि। आपदा-पूर्व चरण में कार्यक्रम और गतिविधियों की प्रभावशीलता और दक्षता को मजबूत किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन योजना (वीपीडीएमपी)/ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन योजना (जीपीडीएमपी) को स्थानीय समुदाय को शामिल करते हुए भागीदारीपूर्ण तरीके से तैयार की जा सकती है। यह सभी प्रमुख हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल करके किया जा सकता है, जिनकी स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय नौकरशाही और स्थानीय समुदाय में केंद्रीय भूमिका है ताकि पूरी प्रक्रिया में उनका स्वामित्व सुनिश्चित हो सके। नियमित अंतराल पर जीपीडीएमपी की समीक्षा की जाएगी।

तालिका 1

आपदा तैयारी में पीआरआई की जिम्मेदारी का मानचित्रण

जिम्मेदारी	जीपी	बीपी	डीपी
कार्यात्मक क्षेत्र में 'संसाधनों और सुविधाओं का मानचित्रण', आपदा प्रबंधन के लिए उनकी उपयुक्तता पर ध्यान केंद्रित करना	✓		
क्षेत्र की भेद्यता प्रोफाइल का मानचित्रण और उसका आवधिक अद्यतनीकरण	✓		
बच्चों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, बीमारों और बुजुर्गों को प्राथमिकता देते हुए 'निकासी योजना' तैयार करना	✓		
कार्यात्मक क्षेत्र से नोडल व्यक्तियों की सूची और उनकी स्थिति को समय-समय पर अद्यतन करते हुए एक 'पूर्व चेतावनी और रिपोर्टिंग प्रणाली' तैयार करना।	✓		
रक्तदाताओं और युवा स्वयंसेवकों का एक डाटाबेस तैयार करें और बनाए रखें, जिसमें उनकी संपर्क जानकारी और उनकी स्थिति/उपलब्धता पर नियमित अपडेट शामिल हों।	✓		
एक 'आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ' की स्थापना करें जो सभी गतिविधियों के लिए एक 'कोर टीम' के रूप में काम करेगा	✓		
विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना	✓	✓	✓
प्रत्येक टीम के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियों के साथ सामुदायिक स्वयंसेवी टीमों का गठन	✓		
क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण	✓	✓	✓
जी.पी. के निर्वाचित सदस्यों की बैठक बुलाना और जनता तक सूचना का उचित प्रवाह होना सुनिश्चित करना	✓		
जी.पी. की आपदा तैयारियों की निगरानी करना, जहां के लिए आपदाओं की आशंका है (मानसून की शुरुआत से पहले)		✓	
आपदा तैयारियों के लिए सभी जिला प्रमुखों, विभागों और जिला पंचायत सदस्यों की बैठक बुलाना			✓
नागरिक सुविधाओं, जनसंख्या, सरकारी और पंचायत के स्वामित्व वाली संपत्ति, आवास और मवेशियों/पशुधन की आबादी के आंकड़ों को अपडेट करना	✓		
आपदा की स्थिति में उपयोग के लिए विभिन्न सहायता प्रणालियों के बारे में गांव-विशिष्ट डेटा को समेकित करना	✓	✓	
बाढ़ और चक्रवात आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक मरम्मत और रखरखाव करना			✓
अस्पताल आदि में दवाओं की उपलब्धता	✓	✓	✓
निकासी के लिए परिवहन व्यवस्था	✓	✓	
अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे की स्थिति की पुष्टि करना	✓		
राहत और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना के साथ-साथ उनके संचालन के लिए आवश्यक <input type="checkbox"/> सामग्री की व्यवस्था करना	✓	✓	✓
खाद्य और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के भंडारण की व्यवस्था	✓	✓	✓
पीआरआई में 'टास्क फोर्स' की स्थापना <input type="checkbox"/>	✓	✓	✓
विकलांगों, बच्चों और गर्भवती माताओं को निकालने की व्यवस्था	✓		
आपदा राहत में सहायता कर सकने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की पहचान और उन्हें सूचीबद्ध करना <input type="checkbox"/>	✓	✓	✓
चिकित्सा और स्वच्छता आवश्यकताओं की पहचान करना	✓		
ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए टास्क फोर्स का आयोजन करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/स्वयंसेवकों से संपर्क करना	✓		
आपदा के बाद बचाव और राहत कार्यों के लिए तुरंत आवश्यक वस्तुओं की सूची की जाँच करना	✓	✓	
नावों, वाहनों आदि जैसे बचाव उपकरणों की व्यवस्था करना	✓		
खाद्यान्न, पेयजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करना	✓		
कंट्रोल रूम का प्रबंधन	✓		✓

स्रोत: लेखकों द्वारा क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर विकसित।

- ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत की आपदा प्रबंधन योजना को संबंधित स्थानीय सरकार द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) और जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) में एकीकृत करना।

निष्कर्ष

अध्ययन ने केरल के अलप्पुझा जिले में पीआरआई द्वारा की गई आपदा प्रबंधन गतिविधियों का व्यापक विश्लेषण किया, जिसमें आपदा तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसने कई महत्वपूर्ण कमियों की पहचान की, जिसमें आपदा तैयारियों के लिए समग्र दृष्टिकोण की अनुपस्थिति, सक्रिय तंत्र की कमी और प्रमुख हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर सीमित जोर शामिल है। हालांकि, अध्ययन ने नीतिगत कमियों और वैधानिक सीमाओं के बावजूद आपदाओं के दौरान पीआरआई द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।

निष्कर्ष आपदा प्रबंधन के लिए अधिक सक्रिय और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने और लागू करने में पीआरआई की केंद्रीय

भूमिका निभाने की वकालत करते हैं। आपदा तैयारी प्रयासों में युवा और महिला संगठनों जैसे प्रमुख हितधारकों को शामिल करना महत्वपूर्ण बताया गया।

स्थानीय स्तर पर प्राथमिक राजनीतिक संस्थाओं के रूप में पीआरआई को सशक्त बनाना प्रभावी आपदा तैयारी और शमन के लिए आवश्यक है। आपदा प्रबंधन में पीआरआई की क्षमताओं को मजबूत करने पर, विशेष रूप से आपदा-पूर्व चरण में, बल दिया गया। आपदा प्रबंधन में सहायकता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कार्यों को नागरिकों के निकटतम संभव स्तर पर प्रबंधित किया जाए और स्थानीय स्तर पर दक्षता, आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा मिले। ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों में जिम्मेदारियों का मानचित्रण करके, अध्ययन बताता है कि कैसे सहायकता आपदा तैयारी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से वितरित कर सकती है, अंततः आपदाओं के प्रति स्थानीय समुदायों की लचीलापन और प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ा सकती है।

इस अध्ययन के निष्कर्ष आपदा प्रबंधन में शामिल नीति निर्माताओं और अभ्यासकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखते हैं, तथा आपदा तैयारी और शमन उपायों के लिए अधिक समन्वित और सक्रिय दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डालते हैं।

लेखक का योगदान:

के. श्रीजा: संकल्पना, साहित्य की समीक्षा, डेटा संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या, तथा पेपर का प्रारूपण।

के. गिरीसन: पेपर का डिज़ाइन, पीआरआई की जिम्मेदारी का मानचित्रण, तथा मसौदे को अंतिम रूप देना।

संदर्भ

- European Charter of Local Self Government. (2013). Council of Europe. Retrieved from <https://rm.coe.int/european-charter-for-local-self-government-english-version-pdf-a6-59-p/16807198a3>
- Gireesan, K. (2011). Role of Local Governments in Disaster Management. In: Henry Rozario and Gireesan, K. (eds). Role of Youth in Community Based Disaster Management, 25-28, Chennai: Knowledge Hub.
- Gireesan, K. (2013). Disaster Preparedness and Risk Reduction – Significance of Empowering Panchayati Raj Institutions. *Disaster and Development*, 7, 146-163.
- Gireesan, K., & Sreeja, K. (2017). Local Governments in Disaster Management: Experience from the Grassroots. *KILA Journal of Local Governance*, 4(1), 33-40.
- IFRC. (2021). World Disasters Report 2020: Come Heat or High Water. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/11/20201116_WorldDisasters_Full.pdf
- Rashmi, K. S. (2016). Law and Policy on Disaster Management in India: A Critical Study (<http://shodhganga.inflibnet.ac.in:8080/jspui/handle/10603/97142>) [Doctoral dissertation]. ProQuest Dissertations and Theses Global.
- Rajeev, M. M. (2014). Disaster Management: The Role of Local Self-Government and the Community Participation in Kerala (<http://hdl.handle.net/10603/19636>) [Doctoral dissertation]. ProQuest Dissertations and Theses Global.
- National Institute of Rural Development, Government of India (NIRD). (2008). Building PRI Capacities for Disaster Preparedness and Management: A Training Manual. NIRD.
- National Disaster Management Authority. (2016). India Disaster Report 2015.
- Nogueira, J. H. (2016). A Crisis Management Framework for Interpol to Manage Transnational Disasters.
- Thomas, D. S., Phillips, B. D., Lovekamp, W. E., & Fothergill, A. (2013). Social Vulnerability to Disasters (2nd ed.). CRC Press.
- United Nations Publications. (2019). Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2019. UN.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2017). Disaster Risk Reduction and Recovery for Resilient Sustainable Development: A Joint UNDP-Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) Publication.
- Vasant, C. S. (2015). A Critical Study of Effectiveness of Mumbai Disaster Management Plan in the Light of Major Disasters in Mumbai (<http://hdl.handle.net/10603/79528>) [Doctoral dissertation]. ProQuest Dissertations and Theses Global.
- Wallemacq, Below, R., & McLean. (2018). UNISDR and CRED Report: Economic Losses, Poverty & Disasters (1998 - 2017). CRED.

भारत में आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा उपयोग पैटर्न, प्राथमिकताएँ और निर्धारक: एक संस्थागत मामला अध्ययन

जीना टी. श्रीनिवासन*, पी. आर. रमेश** और के. महेश***

सारांश

यह शोधपत्र आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा को अपनाने के रुझान और उपयोग पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए 5,03,220 से अधिक संस्थागत बाह्य रोगी और 42,492 आंतरिक रोगी मामलों और 1492 रोगी सर्वेक्षणों की जाँच करता है। विश्लेषण से पता चलता है कि विभिन्न गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए आयुर्वेद को महत्वपूर्ण रूप से अपनाया गया है, जो स्पष्ट रूप से न्यूरोमस्क्युलर और न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों, मस्क्युलोस्केलेटल विकारों और सूजन संबंधी गठिया से संबंधित हैं, साथ ही विभिन्न आयु समूहों में उनके अपनाने में कुछ जेंडर अंतर भी हैं। यह देखते हुए कि इन बीमारियों का वैश्विक बोझ बहुत अधिक है, निष्कर्ष एनसीडी के उपचार में आयुर्वेद के महत्व को रेखांकित करते हैं और रोगियों को सूचित विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाने हेतु समावेशी स्वास्थ्य देखभाल नीतियों और बढ़े हुए शोध की वकालत करते हैं जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा पहुँच में योगदान करते हैं।

कीवर्ड: हेल्थकेयर एक्सेस, एनसीडी, टीएंडसीएम, आर्य वैद्य शाला कोट्टक्कल अस्पताल, भारत।

* आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, हैदराबाद तेलंगाना, भारत में एसोसिएट प्रोफेसर; ईमेल: jeena@cess.ac.in

**क्लिनिकल रिसर्च के प्रमुख और आयुर्वेदिक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के अधीक्षक, आर्य वैद्य शाला, कोट्टक्कल ईस्ट, केरल भारत; ईमेल: rameshvarier@aryavaidyasala.com

***उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क्लिनिकल अनुसंधान विभाग, आर्य वैद्य शाला, कोट्टक्कल, केरल भारत; ईमेल: drmaheshk@aryavaidyasala.com

परिचय

सभी आयु वर्गों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी-3) में से एक है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2030 तक प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया है। एक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से, इसका उद्देश्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और सस्ती आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है (यूएन, 2015)। 1950 से 2019 तक वैश्विक जीवन प्रत्याशा में वृद्धि महामारी विज्ञान संक्रमण के एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करती है, जो संक्रामक रोगों के कारण होने वाली उच्च मृत्यु दर और बीमारी के बोझ से गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की प्रमुखता में बदल रही है। एनसीडी का यह बढ़ता प्रचलन, जो वर्तमान में वैश्विक मौतों का तीन-चौथाई हिस्सा है और 2048 तक 86 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है, वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है (डब्ल्यूएचओ, 2023)। संक्रामक रोगों के उभरने या दोबारा उभरने की संभावना, साथ ही रोगाणुरोधी प्रतिरोध और जलवायु परिवर्तन के जोखिम, रोग नियंत्रण और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में पिछली प्रगति को खत्म कर सकते हैं। लोगों के स्वास्थ्य संबंधी निर्णय गरीबी, वित्त तक पहुँच, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का समय और गुणवत्ता, सामाजिक गतिशीलता, आर्थिक वर्ग, जेंडर और जाति, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा का स्तर, बीमारियों की कथित गंभीरता आदि जैसी बाधाओं के अधीन होते हैं। (बारू एट अल., 2010; मल्होत्रा और क्यूंग डो, 2013; हेन्सजेन और एरियन, 2017; महापात्रो एट अल., 2021; बनर्जी, 2021)। इसलिए, स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करना एक चुनौती है जिसके लिए नवीन दृष्टिकोण और आबादी की स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं की समग्र समझ की आवश्यकता होती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने नोट किया है कि पारंपरिक और पूरक चिकित्सा (टी एंड सीएम), अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के कई देशों में उपयोग की जाने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक रूप है, जो सुरक्षित, गुणवत्ता और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच में सुधार करके एसडीजी के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है (डब्ल्यूएचओ, 2001; 2019)। इसका महत्व इस तथ्य से लगाया जा

सकता है कि इसके 194 सदस्य देशों में से, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि 170 (88 प्रतिशत) ने टी एंड सीएम का उपयोग करने की सूचना दी है और औपचारिक रूप से नीतियां, कानून और नियम विकसित किए हैं (डब्ल्यूएचओ, 2019)।

भारत में एक बहुलवादी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली प्रचलित है जिसमें आधुनिक चिकित्सा (पारंपरिक या पश्चिमी चिकित्सा के रूप में जाना जाता है, जो निदान और उपचार के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, नैदानिक परीक्षणों, उन्नत प्रौद्योगिकियों, दवाओं आदि पर निर्भर करता है) और पारंपरिक प्रणालियों को सामूहिक रूप से आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) के रूप में जाना जाता है। एनएसएसओ 2014 के आधार पर जानू और बसु (2017) ने बताया कि भारत में लगभग 90 प्रतिशत शहरी और ग्रामीण निवासियों ने आधुनिक चिकित्सा के प्रति अधिक झुकाव दिखाया है। एनएसएसओ 2017-18 (75वें दौर) के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा या एलोपैथी द्वारा इलाज की जाने वाली बीमारियों का प्रतिशत बढ़कर लगभग 95.4 प्रतिशत हो गया है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच नगण्य अंतर है (भारत सरकार, 2019)। भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी पर 2002 की राष्ट्रीय नीति के बावजूद, सिंह (2015) ने भारत में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में आयुष प्रणाली के उपयोग में गिरावट की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। उच्च आय वाले परिवारों ने आधुनिक चिकित्सा को प्राथमिकता दी, जबकि देश के कई हिस्सों में आयुष प्रणालियों तक पहुँच का अभाव था। आयुर्वेद, मुख्य आयुष प्रणाली, अपने गैर-आणविक, अवलोकन, वर्गीकरण, कार्य-कारण को समझने और जैविक परिवर्तन को कम करने के प्रणालीगत तरीके के कारण अवैज्ञानिक होने के कारण आलोचना का सामना करती है। होम्योपैथी की बुनियादी मान्यताओं का या तो खंडन किया जाता है या उन्हें अविश्वसनीय माना जाता है (चतुर्वेदी एट अल., 2023; ग्राम्स, 2019)।

साथ ही, कुछ अध्ययनों से आयुर्वेद की स्वीकार्यता में वृद्धि का संकेत मिलता है। इसकी लागत-प्रभावशीलता, समग्र दृष्टिकोण, सुरक्षा और प्रभावकारिता के कारण परिवार विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के लिए इसका उपयोग करते हैं और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में इसके एकीकरण की वकालत करते हैं (श्रीनिवासन और सुगुमार, 2017; चौधरी और कुंडू, 2018; जीरमिसन, 2020; लक्ष्मणसामी,

2021; मोहंती और शर्मा, 2021)। रुद्र एट अल. (2017) हाशिए पर पड़े वर्गों, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और निम्न शिक्षा और आय स्तर वाले व्यक्तियों में आयुष की महत्वपूर्ण मांग दिखाते हैं। बायोमेडिकल डॉक्टरों की पुरानी कमी के कारण, सरकार ने 2005 से टी एंड सीएम को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत करने की नीति अपनाई है (एनएचएम, 2010), लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। पटेल एट अल. (2021) सह-चयन को एक चुनौती के रूप में देखते हैं, जहां आयुष डॉक्टर दबाव में बायोमेडिकल कार्य करते हैं। आयुर्वेद, पारंपरिक रूप से समग्र है, बायोमेडिसिन द्वारा तेजी से प्रभावित और चिकित्साकृत हो रहा है, और विनियमन, आयुष चिकित्सकों में सीमित प्रणाली ज्ञान और बायोमेडिकल प्रभुत्व (मैटपति एट अल., 2020; पटेल एट अल., 2023) द्वारा एकीकरण जटिल है। ये अध्ययन बाधाओं को दूर करने और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में प्रभावी रूप से टी एंड सीएम को एकीकृत करने के लिए संदर्भ-विशिष्ट दृष्टिकोणों की आवश्यकता पर जोर देते हैं। हालांकि, आयुष या आयुर्वेद उपयोग पैटर्न और वरीयताओं पर व्यापक अध्ययनों की कमी टी एंड सीएम के लिए आबादी की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की हमारी समझ में बाधा डालती है, जो टी एंड सीएम स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं को विनियमित या बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीतियों को डिजाइन करने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, आयुष उपयोगकर्ताओं की जनसांख्यिकी, जिन बीमारियों के लिए वे इस पर निर्भर हैं, इसके कारण इत्यादि के बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। इस अध्ययन का उद्देश्य आयुर्वेद के मामले में साहित्य में इस अंतर को भरना है।

डेटा और कार्यप्रणाली

इस अध्ययन का विश्लेषणात्मक ढांचा व्यक्तियों के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल चाहने के व्यवहार पर साहित्य से लिया गया है। कासल और कॉब (1966) और क्रोइगर (1983) जैसे पहले के अध्ययन स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों और स्वास्थ्य देखभाल चाहने के फैसलों को समझने में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कासल और वोब (1966) स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं: स्वास्थ्य व्यवहार जिसमें स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा बीमारियों को रोकने या पता लगाने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयां शामिल हैं, बीमारी का व्यवहार

जो बीमार महसूस करने वालों द्वारा अपनी स्वास्थ्य स्थिति को परिभाषित करने और उपचारों की तलाश करने के लिए किया जाता है, और बीमार भूमिका व्यवहार जहां बीमार समझे जाने वाले व्यक्ति स्वास्थ्य वापस पाने के लिए कार्रवाई करते हैं। क्रोइगर का (1983) मार्ग और निर्धारक मॉडल स्वास्थ्य देखभाल चाहने में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और निर्धारकों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। (2021) ने स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच पर आर्थिक वर्ग, लिंग और जाति के प्रभाव को उजागर किया, जबकि बनर्जी (2021) ने सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शहरी-ग्रामीण विभाजन और विभिन्न सामाजिक-जनसांख्यिकीय कारकों को स्वास्थ्य सेवा उपयोग के महत्वपूर्ण निर्धारकों के रूप में उजागर किया, जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच असमानताओं पर जोर दिया गया। कुंडू (2022) के अध्ययन ने जाति और शिक्षा को महत्वपूर्ण पूर्वगामी कारकों के रूप में और मासिक घरेलू आय को सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा उपयोग के प्राथमिक सक्षम कारक के रूप में पहचाना।

हम मानते हैं कि संस्थागत आयुर्वेद से संपर्क करने वाले लोग इस मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के लिए अपनी पसंद प्रकट करते हैं। हालांकि, अध्ययन बताते हैं कि प्रकट की गई प्राथमिकताएँ ऐसी रुचियाँ हैं जो किसी आर्थिक एजेंट की देखी गई क्रियाओं को तर्कसंगत बनाती हैं और वे मानक प्राथमिकताओं के समान नहीं हो सकती हैं जो एजेंट की वास्तविक रुचि को दर्शाती हैं (बेशियर्स एट अल., 2008)। इस प्रकार, आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर जाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रकट की गई प्राथमिकताएँ आयुर्वेद के लिए उनकी वास्तविक पसंद को दर्शा सकती हैं, इसके अलावा उनके निर्णय को निर्धारित करने वाले ऊपर वर्णित कुछ अन्य कारकों का प्रभाव भी हो सकता है।

अध्ययन में मिश्रित-विधि दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है, जो उपरोक्त सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। चूँकि आयुर्वेद उपयोगकर्ताओं पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यवस्थित और विश्वसनीय डेटा की कमी है, इसलिए हम भारत के सबसे व्यापक रूप से ज्ञात और एनएबीएच-मान्यता प्राप्त अस्पतालों में से एक, आर्य वैद्य शाला कोट्टक्कल अस्पतालों के संस्थागत मामलों पर भरोसा करते हैं। 2016-2023 के दौरान भारत में विभिन्न आर्य वैद्य शाला कोट्टक्कल (एवीएस) अस्पतालों¹ में संस्थागत परामर्श के लिए

पंजीकृत रोगियों के मामलों का उपयोग आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा उपयोग के जनसांख्यिकीय और रोग-संबंधी पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए किया गया है। कवर किए गए अस्पताल आयुर्वेदिक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र (एच एंड आरसी), कोट्टकल (इनपेशेंट और आउटपेशेंट अलग-अलग), एच एंड आरसी-कोच्चि और एच एंड आरसी-नई दिल्ली हैं। हमने एच एंड आरसी, नई दिल्ली के इनपेशेंट को छोड़कर, जून 2016 से जुलाई 2023 तक अस्पताल पंजीकरण से डेटा एकत्र किया, जिसके लिए हमारे पास जनवरी 2018 से जुलाई 2023 तक का डेटा था। अध्ययन में शामिल आउटपेशेंट और इनपेशेंट संस्थागत मामलों की कुल संख्या क्रमशः 5,03,220 और 42,492 है।

इसके अलावा, इन संस्थागत आयुर्वेद स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाले या इनका उपयोग करने वाले 1492 रोगियों के बीच एक नमूना सर्वेक्षण किया गया ताकि आयुर्वेद को अपनाने के उनके निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाया जा सके। कोट्टकल में एवीएस चैरिटेबल अस्पताल, जो एक सरकारी सुविधा के समान है, रोगी सर्वेक्षण में शामिल है। सभी अस्पताल शाखाओं में परामर्श निःशुल्क उपलब्ध हैं। आयुर्वेद पंचकर्म और अन्य उपचार और उनकी दवाइयों के ब्रांड चैरिटेबल अस्पतालों में निःशुल्क और अन्य में लागत पर उपलब्ध कराए जाते हैं। उपयोग किए गए रोगी डेटा का विवरण तालिका 1 में दिया गया है।

तालिका 1

संस्थागत मामलों और रोगी नमूना सर्वेक्षण का विवरण

अस्पताल शाखा	संस्थागत मामले		रोगी नमूना सर्वेक्षण का आकार	
	अरोगी	बाह्यरोगी	बाह्यरोगी	अरोगी
एच एवं आरसी, कोट्टकल	32,124	3,06,985	868	283
एच एवं आरसी, कोच्चि	6,067	83,047		
एच एवं आरसी, दिल्ली	4,301	1,13,188	341	--
चैरिटेबल हॉस्पिटल, कोट्टकल	--	--		
कुल	42,492	5,03,220	1,209	283

स्रोत: लेखकों द्वारा संकलित

सर्वेक्षण के लिए रोगियों का चयन करने के लिए एक बहु-चरणीय नमूनाकरण प्रक्रिया अपनाई गई थी। हमने पहले चरण में प्रत्येक अस्पताल के औसत मासिक आउट पेशेंट और इनपेशेंट विज़िट और आवश्यक नमूना आकार का अनुमान लगाया।³ दूसरे चरण में, हमने विभिन्न अस्पतालों में एक सप्ताह से एक महीने तक प्रतिदिन सर्वेक्षण किए जाने वाले रोगियों की अनुमानित संख्या वितरित की। तीसरे चरण में, हमने प्रतिदिन सर्वेक्षण किए जाने वाले रोगियों का चयन करने के लिए एक सरल यादृच्छिक नमूनाकरण प्रक्रिया का उपयोग किया। सर्वेक्षण में सहयोग करने के इच्छुक सुबह और दोपहर के सत्रों में अस्पताल आने वाले लगभग हर 10वें रोगी का अगस्त 2022 से फरवरी 2023 तक एक संरचित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग करके साक्षात्कार लिया गया।

आयुर्वेद चुनने वाले रोगियों की विशेषताओं का विश्लेषण करने के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी, टी-

परीक्षण, काई-स्क्वायर सांख्यिकी तकनीक और निम्नलिखित दो लॉगिट मॉडल का उपयोग किया गया।

$$Y = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

समीकरण 1 में आश्रित चर Y एक डम्मी या द्विभाजक चर है जो मान '1' मानता है यदि रोगी ने धर्मार्थ अस्पताल का विकल्प चुना है और अन्यथा '0'। समीकरण 2 में, Y दर्शाता है कि क्या रोगी एक आंतरिक रोगी या बाह्य रोगी है, जिसमें आंतरिक रोगी का मान '1' और अन्यथा 0 माना जाता है। दाईं ओर, Z व्याख्यात्मक चर का एक रैखिक संयोजन है, जैसे, $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$; $z = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_kX_k$; और a अवरोधन है और $b_1, b_2, b_3, \dots, b_k$ चर के गुणांक हैं। मॉडल में शामिल व्याख्यात्मक चर और उनके अपेक्षित संकेत तालिका 2 में दिए गए हैं।

तालिका 3

लॉगिट रियेशन में शामिल चरों और उनके वर्णनात्मक सांख्यिकी का स्पष्टीकरण

चर वस्तुएँ	विवरण (रोगी को संदर्भित करता है)	दर्शाई गई विशेषता	समीकरण 1 (एन= 683) निर्भरता वीएआर: अस्पताल प्रकार (1= धर्माथ; 0= अन्यथा)	समीकरण 2 (एन= 1151) निर्भरता वीएआर: रोगी प्रकार; (1=अन्तरोगी ; 0=अन्यथा)
आयु	वर्ष में उम्र	जनसांख्यिकीय	माध्य (मानक विचलन)	माध्य (मानक विचलन)
जेंडर	जेंडर (1= महिला; 0 = अन्यथा)	जनसांख्यिकीय	47.51 (16.53)	47.27 (16.40)
परिवार का आकार	परिवार का आकार संख्या में	जनसांख्यिकीय	0.645 (0.478)	0.525 (0.499)
वैवाहिक स्थिति	वैवाहिक स्थिति (1= वर्तमान में विवाहित; 0= अन्यथा)	सकारात्मक	5.04 (2.18)	4.20 (1.884)
धर्म	धर्म (1= हिन्दू; 0 = अन्यथा)	सकारात्मक	0.728 (0.445)	0.74 (0.435)
सामाजिक श्रेणी	सामाजिक श्रेणी (1=अग्रिम; 0=अन्यथा)	सकारात्मक	0.539 (0.499)	0.661 (0.473)
पेशा	मुख्य व्यवसाय (1= वेतनभोगी; 0 = अन्यथा)	शामिल नहीं	लागू नहीं	0.631 (0.482)
शिक्षा	शिक्षा स्तर (1=स्नातक और उससे ऊपर; 0=अन्यथा)	आर्थिक	0.154 (0.360)	लागू नहीं
न्यूरॉ_मस	न्यूरॉमस्क्युलर विकारों से पीड़ित हैं (1= हाँ; 0= अन्यथा)	सामाजिक शैक्षिक /	0.298 (0.458)	0.660 (0.473)
कारण_अयुर	आयुर्वेद को चुनने का कारण (1= प्रभावशीलता; 0 = अन्यथा)	स्वास्थ्य	0.689 (0.462)	0.597 (0.491)
लक्षण समय	लक्षण प्रकट होने का समय (1=छह महीने के भीतर; 0=अन्यथा)	विश्वास से संबंधित	0.660 (0.474)	0.456 (0.498)
नियमित दवा	क्या आप किसी जीवनशैली संबंधी विकार के लिए नियमित दवाइयां ले रहे हैं (1=हाँ; 0=अन्यथा)	स्वास्थ्य	0.158 (0.365)	लागू नहीं
दूरी	अस्पताल से दूरी (1= 50 किमी के अंदर; 0= अन्यथा)	स्वास्थ्य	0.205 (0.404)	लागू नहीं
मुख्य रोग	क्या आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं (1=हाँ; 0=अन्यथा)	संस्थागत पहुंचबुनियादी / ढांचा	0.608 (0.488)	0.598 (0.491)
कम आय	क्या परिवार की वार्षिक आय ₹ 1.8 लाख से कम है (1=हाँ; 0 = अन्यथा)	स्वास्थ्य	0.092 (0.289)	शामिल नहीं
मध्यम आय	क्या परिवार की वार्षिक आय ₹ 1.8 से 10 लाख के बीच है (1=हाँ; 0 = अन्यथा)	आर्थिक	लागू नहीं	0.158 (0.365)
चिकित्सा जांच	क्या मरीज नियमित स्वास्थ्य जांच करता है या नहीं (1=हाँ; 0=अन्यथा)	आर्थिक	लागू नहीं	0.117 (0.321)
बीमा	मरीज के पास कोई स्वास्थ्य बीमा है या नहीं (1=हाँ; 0=अन्यथा)	शामिल नहीं	लागू नहीं	0.495 (0.500)
मध्य बीमा	मध्यम आय वर्ग के मरीज के पास कोई स्वास्थ्य बीमा है या नहीं (1=हाँ; 0=अन्यथा)	आर्थिक	लागू नहीं	0.274 (0.446)
एनए= लागू नहीं		Not शामिल नहीं	लागू नहीं	0.117 (0.321)
स्रोत: लेखक.				

परिणाम और चर्चा

आयुर्वेद उपयोग: संस्थागत मामले


क) बाह्य रोगियों की मामलें

2017 में, एच एवं आरसी कोट्टाकल, मुख्य शाखा ने 54,530 रोगी दौरे दर्ज किए, जो कोच्चि और नई दिल्ली के अस्पतालों की संख्या से अधिक है, जिन्होंने क्रमशः 25,108 और 19,104 मामले दर्ज किए (चित्र 1)। हालाँकि 2017 और 2019 के बीच एच एवं आरसी कोट्टाकल में बाह्य रोगी दौरों में थोड़ी कमी आई, लेकिन संख्या अपेक्षाकृत अधिक रही। हालांकि, 2020 में कोविड-19 महामारी नियंत्रण उपायों के कारण, मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई और यह 21,723 हो गई, जो 2021 में 35,517 और 2022 में 46,007 हो गई। एच एंड आरसी कोट्टाकल ने 2017 और 2018 के बीच वार्षिक बाह्य रोगी पंजीकरण में 12 प्रतिशत की गिरावट का अनुभव किया। एक और वर्ष तक स्थिर रहने के बाद, कोविड-

19 महामारी के कारण अस्पताल ने 2019-20 में बाह्य रोगी पंजीकरण में 54 प्रतिशत की गिरावट देखी। इसके बाद, 2020-21 में लगभग 63 प्रतिशत और 2021-22 में 30 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जुलाई 2023 तक उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि आयुर्वेद देखभाल चाहने वाले बाह्य रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, इस अवधि के दौरान 27,138 रोगी मामले दर्ज किए गए। हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोविड-19 के कारण बाह्य रोगियों की पंजीकरण में गिरावट और सुधार के पैटर्न एच एंड आरसी कोट्टाकल और अन्य शाखाओं के बीच अलग-अलग थे। 2021 में, कोच्चि और नई दिल्ली दोनों अस्पतालों में सबसे कम बाह्य रोगियों की उपस्थिति देखी गई, जबकि नई दिल्ली में कोविड-19 नियमों में अंतर और अस्पताल की सेवाओं की बहाली के कारण रोगियों की संख्या में तेजी से सुधार हुआ।

चित्र 1

अस्पताल-वार बाह्य रोगियों की पंजीकरण के रुझान




स्रोत: आर्य वैद्य साला कोट्टाकल एच एंड आरसी अस्पताल।

हमने औसत मासिक सुविधा विज़िट की गणना करके आयुर्वेद बाह्य रोगी मौसमीता का विश्लेषण किया और कोच्चि में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं पाई। कोट्टाकल और नई दिल्ली के अस्पतालों में जाने वाले मरीज़ बरसात के मौसम या हल्के मौसम के महीनों को पसंद करते हैं (चित्र 2)।

यह प्रवृत्ति गर्मियों में मौसमी बीमारियों के कम होने और उपचार के लिए हल्के मौसम की प्रभावशीलता में विश्वास से जुड़ी हो सकती है। अत्यधिक ठंडे या गर्म महीनों में बाह्य रोगियों की संख्या कम हो जाती है, विशेष रूप से नई दिल्ली के अस्पताल में।

चित्र 2

अस्पताल-वार बाह्य रोगियों की पंजीकरण में मौसमीता



स्रोत: आर्य वैद्य साला कोट्टक्कल एच एंड आरसी अस्पताल।

डेटा ने सभी अस्पतालों में 53.5 प्रतिशत महिलाओं और 46.5 प्रतिशत पुरुषों के साथ बाह्य रोगियों के बीच एक सुसंगत जेंडर वितरण को दर्शाया है। यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था ($\chi^2(2, 503175) = 269.53; p = .001$)। सभी रोगियों की औसत आयु 45.31 (± 18.85) वर्ष थी, जिसमें पुरुष रोगियों की औसत आयु 46.2 (± 19.78) वर्ष और महिलाओं की 44.56 (± 17.97) वर्ष थी। टी-टेस्ट से पता चला कि 1.6 वर्ष का औसत अंतर 1 प्रतिशत महत्व स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था। सुविधा में आने वाले रोगियों की औसत आयु कोविड-19 से पहले 46.45 (± 18.55) वर्ष से कोविड-19 के बाद 43.70 (± 18.73) वर्ष तक बदल गई। 2.75 वर्ष

का औसत अंतर सांख्यिकीय रूप से 1 प्रतिशत महत्व स्तर पर महत्वपूर्ण था, जो दर्शाता है कि अपेक्षाकृत युवा रोगी कोविड-19 के बाद आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा का उपयोग कर रहे हैं।

रोगियों को आयु के अनुसार इस प्रकार वितरित किया गया: लगभग 36.9 प्रतिशत मध्यम आयु वर्ग (40-59 वर्ष), 30.4 प्रतिशत युवा वयस्क (20-39 वर्ष) और 13.7 प्रतिशत वृद्ध वयस्क (60-69 वर्ष) आयु वर्ग के थे। 1-14 आयु वर्ग के बच्चे लगभग 8.5 प्रतिशत हैं, जबकि 6.7 प्रतिशत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्ति हैं। 17-19 वर्ष के किशोर आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व सबसे कम 3.9

प्रतिशत था। कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले और बाद में सभी अस्पतालों में यह आयु वितरण एक जैसा रहा, कोच्चि के अस्पताल को छोड़कर, जहाँ 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के रोगियों के अनुपात में 2 से 4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई, साथ ही कोविड-19 के बाद की अवधि में युवा वयस्कों के प्रतिशत में भी इसी अनुपात में गिरावट देखी गई। जेंडर वितरण के संबंध में, अधिकांश आयु समूहों में पुरुष और महिला रोगियों की हिस्सेदारी समान रही, मध्यम आयु वर्ग के वयस्क समूह को छोड़कर, जहाँ महिला रोगियों का अनुपात अधिक देखा गया। हालाँकि, वृद्ध वयस्क आयु वर्ग में, विशेष रूप से कोट्टकल में, महिला रोगियों के अनुपात में कमी देखी गई।

ख) आंतरिक रोगी मामले

अध्ययन में 42,492 इनपेशेंट के आंतरिक रोगी मामले रिकॉर्ड का उपयोग किया गया, जिनमें से 32,124 एचएंडआरसी कोट्टकल से, 6,067 कोच्चि से और 4,301 दिल्ली के अस्पतालों से थे। डेटा में जुलाई 2016 से जुलाई 2023 तक का समय शामिल है, दिल्ली को छोड़कर, जिसके लिए हमारे पास जनवरी 2018 से जुलाई 2023 तक का डेटा था। 2017-19 के दौरान एचएंडआरसी, कोट्टकल में मासिक आंतरिक रोगी एडमिशन की औसत संख्या लगभग 5,451 थी, जबकि अन्य दो अस्पतालों में यह लगभग 1,000 थी। बाह्य रोगियों की तरह, कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण इन अस्पतालों में 2020 में आंतरिक रोगी एडमिशन में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 75 से 80 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आई थी। सामान्य स्थिति बहाल होने के साथ ही 2021 तक एडमिशन दरें बढ़ने लगी थीं। रोगियों ने औसतन 13-14 दिनों के लिए प्रवेश की मांग की, और कोविड-19 से पहले और बाद में अस्पतालों में सांख्यिकीय रूप से कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था। हालाँकि बिस्तरों की उपलब्धता के कारण इनपेशेंट प्रवेश बाधित था, लेकिन बाह्य रोगियों में देखी गई मौसमीता को प्रतिबिंबित करता था। कोट्टकल को छोड़कर, सभी तीन अस्पतालों में आंतरिक रोगी का जेंडर वितरण वर्षों से लगभग समान रहा, जहाँ पुरुष रोगियों की संख्या महिलाओं से थोड़ी अधिक थी (52.4 प्रतिशत)। पुरुष और महिला रोगियों का लगभग समान वितरण इसलिए हो सकता है क्योंकि जब किसी मरीज को भर्ती किया जाता है, तो उनके परिचारक, जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, उपलब्ध

समय और सुविधाओं का उपयोग करके उपचार का विकल्प चुनते हैं।


आंतरिक रोगी की औसत आयु 52.3 (± 16.33) वर्ष थी; मध्य 54 था, जो बाह्य रोगियों की तुलना में अधिक था। सभी अस्पतालों में लगभग 42 प्रतिशत रोगी मध्यम आयु वर्ग के वयस्क (40-59 वर्ष) थे यह अंतर 1 प्रतिशत महत्व के स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था। रोगियों का एक और महत्वपूर्ण अनुपात 60-69 आयु वर्ग (23 प्रतिशत) में था, जबकि युवा वयस्कों (20-39 वर्ष) का हिस्सा लगभग 17 प्रतिशत था। मध्यम आयु वर्ग तक रोगियों का प्रतिशत बढ़ा और फिर आयु समूह बढ़ने के साथ घट गया। उल्लेखनीय रूप से, महिला रोगियों का अनुपात, जो विभिन्न आयु समूहों में पुरुषों के लगभग बराबर या उनसे अधिक है, 70 वर्ष और उससे अधिक की श्रेणी में काफी कम हो गया। विभिन्न अस्पतालों में पुरुष रोगियों की संख्या 16 प्रतिशत से 19 प्रतिशत के बीच थी, जबकि महिलाओं की संख्या केवल 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत थी।

70 प्रतिशत से अधिक प्रवेश न्यूरोमस्क्युलर, न्यूरोडीजेनेरेटिव और मस्क्युलोस्केलेटल विकारों के लिए थे (चित्र 3)। इलाज की गई महत्वपूर्ण बीमारियों में, न्यूरोमस्क्युलर और न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग पुरुष रोगियों में अधिक प्रचलित थे (56.1 प्रतिशत)। इसकी तुलना में, मस्क्युलोस्केलेटल और इन्फ्लेमेटरी गठिया की दर महिला रोगियों में क्रमशः 53.8 प्रतिशत और 73.2 प्रतिशत अधिक थी। अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था $\chi^2 (16,42490) = 719.32; p = .001$ । सभी अस्पतालों में यह प्रवृत्ति समान थी।

अधिकांश बच्चों ने न्यूरोमस्क्युलर और न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों के लिए उपचार की मांग की (चित्र 4)। किशोरावस्था से आगे, ये स्थितियाँ और मस्क्युलोस्केलेटल विकार प्रमुख हो गए। प्रत्येक आयु वर्ग के साथ न्यूरोमस्क्युलर और न्यूरोडीजेनेरेटिव स्थितियों वाले रोगियों का अनुपात बढ़ता गया, जो पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं, दर्द प्रबंधन और समय कल्याण के लिए आयुर्वेद के उपयोग को दर्शाता है।

चित्र 3


अस्पताल-वार आंतरिक रोगियों के रूप में इलाज की जाने वाली प्रमुख बीमारियाँ



स्रोत: आर्य वैद्य शाला कोट्टक्कल एच एंड आरसी अस्पताल

चित्र 4

आयु वर्ग के अनुसार भर्ती मरीजों को इलाज की जाने वाली प्रमुख बीमारियाँ



स्रोत: आर्य वैद्य शाला कोट्टक्कल एच एंड आरसी अस्पताल

हालांकि अधिकांश रोगी भारत से थे, अध्ययन से पता चला कि 100 से अधिक देशों के रोगी इन अस्पतालों में आयुर्वेद देखभाल का उपयोग कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अन्य मध्य पूर्वी देशों, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल और बांग्लादेश के रोगियों ने संस्थागत आयुर्वेद देखभाल की वैश्विक मांग को दिखाया। भारत के भीतर, जब सभी एचएंडआरसी अस्पतालों को एक साथ रखा गया, तो रोगी विभिन्न राज्यों से आए, जिनमें केरल (21.9 प्रतिशत), तमिलनाडु (12.8 प्रतिशत), महाराष्ट्र (8.8 प्रतिशत), दिल्ली (7.4 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (6.9 प्रतिशत), कर्नाटक (5.7 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (4.6 प्रतिशत) का हिस्सा अधिक था, और प्रत्येक अस्पताल ने उस क्षेत्र के रोगियों की महत्वपूर्ण तरीके से सेवा की। हालांकि, एचएंडआरसी कोटकल में पूरे भारत के रोगियों का अधिक प्रतिनिधित्व था।

आयुर्वेद उपयोग: रोगी सर्वेक्षण परिणाम

क) रोगियों की जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल

सर्वेक्षण किए गए 1,492 रोगियों में 56.6 प्रतिशत रोगी महिलाएँ थीं, और 43.4 प्रतिशत पुरुष थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति (40-59 वर्ष) सभी अस्पतालों में आयुर्वेद देखभाल के लिए बाह्य रोगी और आंतरिक रोगी की लाभ उठाने वाले प्राथमिक समूह थे। युवा वयस्क (20-39 वर्ष) एच एवं आरसी अस्पतालों में दूसरा प्रमुख बाह्य रोगी समूह थे, जबकि वृद्ध वयस्क चैरिटेबल अस्पताल और एच एवं आरसी अस्पतालों में आंतरिक रोगी प्रमुख समूह थे। चैरिटेबल अस्पताल में एच एवं आरसी अस्पतालों (54 प्रतिशत) की तुलना में अधिक महिला बाह्य रोगी (70 प्रतिशत) थीं। बाह्य रोगी और आंतरिक रोगी दोनों में, मध्यम आयु वर्ग और युवा वयस्क समूहों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक था। वहीं, वृद्ध वयस्क आयु समूह में पुरुषों का प्रतिनिधित्व थोड़ा अधिक था।

शिक्षा का स्तर, जो कि स्वास्थ्य सेवा अपनाने को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, चैरिटेबल और एच एवं आरसी अस्पतालों के रोगियों में भिन्न था। एच एवं आरसी के मरीजों का शैक्षिक स्तर अधिक है, जिनमें 43.8 प्रतिशत के पास स्नातक डिग्री है और 22.2 प्रतिशत के पास स्नातकोत्तर

योग्यता है। चैरिटेबल अस्पताल के मरीजों का शिक्षा स्तर कम है, जो माध्यमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमशः 34.0 प्रतिशत और 27.6 प्रतिशत है। यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था ($\chi^2 (8, 1209) = 495.107$; $p = .001$)। पुरुष और महिला मरीजों के शिक्षा स्तर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था। एच एवं आरसी अस्पतालों में 33 प्रतिशत मरीजों के पास वेतनभोगी रोजगार था, जबकि चैरिटेबल अस्पतालों में केवल 5.6 प्रतिशत के पास था। चैरिटेबल अस्पताल के लगभग 70 प्रतिशत मरीज गृहिणी या बेरोजगार थे, जबकि एच एवं आरसी अस्पतालों में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत था।

चैरिटेबल अस्पताल में हिंदू और इस्लाम दूसरी ओर, एचएंडआरसी अस्पतालों में बाह्य रोगियों में हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों का प्रतिशत क्रमशः 62.1 प्रतिशत, 17.4 प्रतिशत और 11.2 प्रतिशत था। ये प्रतिशत बढ़कर 78.4 प्रतिशत हिंदू, 11 प्रतिशत मुसलमान और 4.9 प्रतिशत ईसाई हो गए, और आंतरिक रोगियों के मामले में यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण ($\chi^2 (5, 1151) = 26.83$; $p = 0.001$) था। इसके अलावा, एचएंडआरसी अस्पताल के लगभग 63 प्रतिशत मरीज अगड़े समुदायों से थे, जबकि धर्मार्थ अस्पताल के 86.8 प्रतिशत मरीज अन्य पिछड़े समुदायों (ओबीसी) से थे। सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर माने जाने वाले अनुसूचित जाति (3.9 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति (1.0 प्रतिशत) समुदायों के रोगियों का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम था। हालांकि, धर्मार्थ अस्पताल में अनुसूचित जाति समुदायों के लगभग 10 प्रतिशत रोगी थे।

एचएंडआरसी के लगभग 72 प्रतिशत बाह्य रोगी 10-50 किलोमीटर के दायरे में रहते थे, जो स्थानीय पहुंच पर जोर देते हैं, जबकि 66 प्रतिशत रोगी 100 किलोमीटर से अधिक दूरी से थे। एचएंडआरसी के लगभग 33 प्रतिशत रोगी उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और अन्य एशियाई देशों में फैले 20 देशों से आए थे।

ख) आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा की प्राथमिकताएँ, अभ्यास और निर्धारक:

सर्वेक्षण डेटा से अंतर्दृष्टि आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा उपयोग के विश्लेषण से पता चलता है कि 83 प्रतिशत लोग मस्क्युलोस्केलेटल विकारों के लिए

चैरिटेबल अस्पताल गए, जबकि 6 प्रतिशत में ऑटोइम्यून विकार थे। दूसरी ओर, एचएंडआरसी अस्पताल के 47 प्रतिशत रोगियों ने मस्कुलोस्केलेटल लक्षण, 13 प्रतिशत आनुवंशिक विकार, 11 प्रतिशत ऑटोइम्यून रोग और 5 प्रतिशत तंत्रिका संबंधी विकार (स्व-रिपोर्ट) की सूचना दी। एचएंडआरसी में भर्ती मरीजों में मुख्य रूप से मस्कुलोस्केलेटल विकार (77 प्रतिशत) के थे, इसके बाद न्यूरोलॉजिकल और ऑटोइम्यून विकार वाले थे। केवल 10 प्रतिशत रोगियों ने लक्षणों के एक सप्ताह से एक महीने के भीतर आयुर्वेद देखभाल की मांग की। एचएंडआरसी के 60 प्रतिशत से अधिक बाह्य रोगी और आंतरिक रोगी तथा चैरिटेबल अस्पताल के 54 प्रतिशत बाह्य रोगी एक वर्ष से अधिक समय के बाद आयुर्वेद उपचार की मांग करते हैं, जो दर्शाता है कि वे पुरानी और गैर-गंभीर स्थितियों के लिए आयुर्वेद पर निर्भर हैं। इस दौरान, 85 प्रतिशत ने आधुनिक चिकित्सा उपचार प्राप्त किया, और 9 प्रतिशत ने अन्यत्र आयुर्वेद उपचार प्राप्त किया। यह चैरिटेबल अस्पताल के रोगियों के विपरीत है, जिन्होंने पहले कोई उपचार नहीं लिया।

इन अस्पतालों के रोगियों ने मुख्य रूप से आयुर्वेद चिकित्सा की प्रभावशीलता में अपने विश्वास का हवाला दिया, कि यह लक्षणात्मक राहत से अधिक राहत देता है समस्या के मूल कारण का समाधान करता है, इसके नगण्य दुष्प्रभाव और अन्य उपचारों के साथ बीमारी के प्रबंधन में कठिनाई को संबोधित करता है, जो आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा को अपनाने के मुख्य कारण हैं। उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं के संबंध में, एच एवं आरसी अस्पतालों में 44.7 और 64 प्रतिशत बाह्य रोगी और आंतरिक रोगी नियमित आधुनिक चिकित्सा स्वास्थ्य जांच के लिए गए, जबकि चैरिटेबल अस्पताल के रोगियों में ऐसा अभ्यास नहीं था, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आयु ₹ 1.8 लाख से कम थी। इसकी तुलना में, एच एवं आरसी में आने वाले रोगी सभी आयु वर्गों से थे। लगभग 24 प्रतिशत रोगी प्रति वर्ष ₹ 10 लाख से अधिक की उच्च आय वर्ग से थे। बीमा कवरेज में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई।

लॉजिट मॉडल का उपयोग करके कोट्टक्कल के चैरिटेबल अस्पताल और एचएंडआरसी में बाह्य रोगियों की विशेषताओं का विश्लेषण दर्शाता है कि बड़े परिवार वाली महिला रोगी/न्यूरोमस्कुलर विकारों के लिए उपचार की तलाश कर रही हैं/अस्पताल के 50

किलोमीटर के दायरे में रहती हैं/जीवनशैली विकारों के लिए नियमित दवा की आवश्यकता होती है/आयुर्वेद की प्रभावशीलता में दृढ़ विश्वास रखने वाली महिलाओं के आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा के लिए चैरिटेबल अस्पताल पर निर्भर होने की अधिक संभावना है। यह भी उल्लेखनीय है कि वेतनभोगी व्यवसाय, उच्च शिक्षा वाले और कैंसर, हृदय या गुर्दे से संबंधित किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित लोगों के चैरिटेबल अस्पताल से आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने की संभावना कम है। आयु, धर्म, लक्षणों की शुरुआत का समय आदि आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा के लिए अस्पताल के चयन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण चर नहीं थे। ये संकेत देते हैं कि चैरिटेबल अस्पताल मुफ्त परामर्श, दवाओं और उपचार के प्रावधान के माध्यम से पुरानी बीमारियों से पीड़ित कुछ सबसे आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्गों की स्वास्थ्य सेवा की जरूरतों को पूरा करता है। तालिका 3 स्टाटा का उपयोग करके अनुमानित चर के गुणांकों का मान और उनका सांख्यिकीय महत्व देता है।

इसी तरह, एच एवं आरसी अस्पतालों में भर्ती मरीजों और बाह्य रोगियों की विशेषताओं के विश्लेषण से पता चलता है कि हिंदू धार्मिक आस्था के लोग, जिनकी वार्षिक घरेलू आय ₹1.8 लाख से कम है, न्यूरोमस्कुलर विकारों से पीड़ित हैं, जो आयुर्वेद की प्रभावशीलता में विश्वास करते हैं, जो नियमित स्वास्थ्य जांच करवाते हैं, जिनके पास सरकारी या निजी चिकित्सा बीमा है, उनके लिए आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाने की अधिक संभावना है। दूसरी ओर, बड़े परिवारों वाले, उच्च समुदायों से संबंधित, जिनका वार्षिक घरेलू खर्च ₹1.8-10.0 लाख के बीच है, और जो अस्पताल के पास रहते हैं, उनके लिए आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाने की संभावना कम है। उपरोक्त आयु वर्ग के लेकिन बीमा वाले लोग भी इनपेशेंट स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाने की संभावना रखते हैं। निम्न आय वाले परिवार वार्ड सुविधाओं का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि उच्च आय वर्ग के लोग निजी कमरे की तलाश कर सकते हैं, जिससे उन्हें बीमा कवरेज के बिना इनपेशेंट सुविधाओं तक पहुँचने की संभावना कम हो जाती है। आयु, जेंडर और वैवाहिक स्थिति ने इनपेशेंट स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच की व्याख्या नहीं की (तालिका 3)।

तालिका 3

अस्पताल और रोगियों के प्रकार के अनुसार आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा अपनाने वाले रोगियों की विशेषताएं: लॉगिट रीग्रेशन विश्लेषण के परिणाम

चर वस्तुएँ	डेप वर ईक्यू1: अस्पताल का प्रकार (1= धर्मार्थ)				डेप वर ईक्यू2: रोगी का प्रकार (1= आंतरिक रोगी)			
	गुणक	मानक त्रुटि	z	P> z	गुणक	मानक त्रुटि	z	P> z
आयु	-0.0061254	0.0069515	0.88	0.378	0.0016638	0.0062632	0.27	0.791
जेंडर	0.5772552	0.2208781	2.61	0.009	-0.238889	0.1807202	-1.32	0.186
परिवार का आकार	0.1083348	0.0500546	2.16	0.030	-0.0951261	0.049345	-1.93	0.054
वैवाहिक स्थिति	0.0436938	0.2455975	0.18	0.859	0.1496705	0.2169583	0.69	0.490
धर्म	-0.0122607	0.2154832	0.06	0.955	1.073835	0.214254	5.01	0.000
सामाजिक वर्ग					-1.065446	0.1982789	-5.37	0.000
व्यवसाय	-0.8297011	0.3473545	2.39	0.017				
शिक्षा	-2.520922	0.2854049	8.83	0.000	0.317026	0.2174985	1.46	0.145
न्यूनो_मस	0.9815731	0.2506474	3.92	0.000	1.48431	0.2149071	6.91	0.000
कारण_अयुर	1.496353	0.2200921	6.8	0.000	0.3472873	0.187576	1.85	0.064
लक्षण समय	-0.3229167	0.2721418	1.19	0.235	0.1030222	0.2470718	0.42	0.677
नियमित चिकित्सा	1.512624	0.3739773	4.04	0.000				
दूरी	0.4237258	0.2178399	1.95	0.052	-2.479364	0.2046925	12.11	0.000
प्रमुख बीमारी	-1.553729	0.4791399	3.24	0.001				
कम आय					1.089318	0.3044492	3.58	0.000
मध्यम आय					-0.9636477	0.2495382	-3.86	0.000
चिकित्सा जांच					0.8561248	0.1959544	4.37	0.000
बीमा					0.8051081	0.2734712	2.94	0.003
मध्यम बीमा					0.8530945	0.3969375	2.15	0.032
स्थिर	-2.013612	0.53466	3.77	0.00	-1.818869	0.5266817	-3.45	0.001
	ऑब्जर्वेशन की संख्या = 683				ऑब्जर्वेशन की संख्या = 1,151			
	एलआर चि2(13) = 350.96				एलआर चि2(16) = 481.80			
	संभावना > चि2 = 0.0000				संभावना > चि2 = 0.0000			
	छद्म आर2 = 0.3707				छद्म आर2 = 0.3752			
	लॉग संभावना = -297.94013				लॉग संभावना = -401.07842			

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

निष्कर्ष और नीतिगत निहितार्थ

इस अध्ययन का उद्देश्य भारत की विविध स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आयुर्वेद को अपनाने की सीमा, उपयोग पैटर्न और प्राथमिकताओं को समझना था। तीन एचएंडआरसी अस्पतालों में 2016 से 2023 तक 5,03,220 बाह्य रोगी मामलों के विश्लेषण से पता चलता है कि विभिन्न आयु समूहों, जेंडर और देशों के विविध व्यक्ति आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा का उपयोग कर रहे हैं। कोविड -19 महामारी के शुरुआती प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद, रोगियों की संख्या बाद में अपने मूल स्तर पर लौट आई। बाह्य रोगियों में मौसमी बदलाव बारिश के मौसम या हल्के मौसम के महीनों के पक्ष में प्रतीत होता है। महिला बाह्य रोगियों की संख्या पुरुषों से थोड़ी अधिक थी, और कोविड-19 के बाद की अवधि में, आयुर्वेद बाह्य रोगी देखभाल की मांग करने वाले थोड़े कम उम्र के रोगियों की ओर बदलाव देखा गया।

न्यूरोमस्क्युलर या न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों, मस्कुलोस्केलेटल विकारों, सूजन संबंधी गठिया आदि से होने वाले पुराने दर्द के लिए मरीज आयुर्वेद की तलाश करते हैं, जिसमें जेंडर के आधार पर कुछ अंतर होता है। तीव्र या गंभीर बीमारियों के लिए आयुर्वेद पर निर्भर रहने वाले मरीजों की संख्या लगभग नगण्य थी। अन्य बीमारियों में आनुवंशिक और जीवनशैली संबंधी बीमारियाँ शामिल थीं, जो एनसीडी के इलाज में आयुर्वेद की भूमिका को उजागर करती हैं। अधिकांश रोगी मध्यम आयु वर्ग (40-59 वर्ष) के थे, जबकि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला रोगियों के अनुपात में उल्लेखनीय कमी आई।

तीन एचएंडआरसी अस्पतालों और चैरिटेबल अस्पताल में 1492 रोगियों के सर्वेक्षण ने आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा अपनाने वालों की सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के बारे में जानकारी प्रदान की। एचएंडआरसी अस्पतालों में अधिकांश रोगी मध्यम आयु वर्ग की महिलाएँ (40-59 वर्ष) थीं, उसके बाद युवा वयस्क (20-39 वर्ष) और चैरिटेबल अस्पताल में वृद्ध वयस्क थे। एचएंडआरसी अस्पतालों में उच्च शिक्षा और बेहतर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले रोगी थे, जबकि चैरिटेबल अस्पताल कम सुविधा संपन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की सेवा करता था। हमारे अध्ययन से पता चलता है कि आयुर्वेद को सभी धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक श्रेणियों में अपनाया जाता है। चैरिटेबल अस्पताल ने कुछ सबसे सीमांत

लोगों की स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरतों को पूरा किया, खासकर उन गृहणियों की जिनके पास स्वतंत्र आय नहीं है। हालाँकि, बीमा की कमी मध्यम आय वाले परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है जो आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा चाहते हैं।

कुल मिलाकर, अध्ययन में विभिन्न आयु, लिंग और सामाजिक-आर्थिक समूहों में पुरानी और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली बीमारियों के लिए आयुर्वेद को अपनाने पर जोर दिया गया है। इसने कोविड-19 के बाद युवा आबादी की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को भी ध्यान में रखा। पुरुष अक्सर न्यूरोमस्क्युलर विकारों के लिए आयुर्वेद की तलाश करते हैं, जबकि महिलाएँ मुख्य रूप से मस्कुलोस्केलेटल मुद्दों और सूजन संबंधी गठिया के लिए आयुर्वेद की तलाश करती हैं। यह आयु- और जेंडर-विशिष्ट स्वास्थ्य चिंताओं को संबोधित करने वाली अनुरूप नीतियों की आवश्यकता को इंगित करता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिसेज़ 2019 के अनुसार, मस्कुलोस्केलेटल स्थितियाँ वैश्विक स्तर पर 1.7 बिलियन लोगों को प्रभावित करती हैं, जो विकलांगता-समायोजित जीवन वर्षों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जो आयुर्वेद हस्तक्षेप के लिए एक अवसर प्रस्तुत करती हैं, जैसा कि हमारे साक्ष्य दिखाते हैं। अतः निष्कर्ष वृद्ध महिला रोगियों की संख्या में कमी के कारणों का पता लगाने और उनकी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को संबोधित करने की आवश्यकता को इंगित करते हैं। अधिक महिला बाह्य रोगी आयुर्वेद में महिलाओं के स्वास्थ्य सेवा के लिए उपचार सुविधाओं का विस्तार करने वाली नीतियों की आवश्यकता पर जोर देते हैं। चैरिटेबल अस्पताल स्वतंत्र आय के बिना महिला गृहणियों की स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरतों को पूरा करता है, जो इस आबादी के लिए सुलभ और किफ़ायती आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता को उजागर करता है।

इस प्रकार, हमारे मामला अध्ययन से पता चलता है कि मरीज़ अन्य गंभीर बीमारियों की तुलना में एनसीडी और उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अन्य विकारों के इलाज के लिए आयुर्वेद पर काफी हद तक निर्भर हैं। मरीजों में यह दृढ़ विश्वास है कि आयुर्वेद लक्षणों से राहत देने से कहीं ज्यादा देता है और समस्या के मूल कारण को संबोधित करता है। यह आयुर्वेद के प्रति उनकी प्राथमिकता का एक प्रमुख कारण है। अध्ययन में निकाले गए निष्कर्ष एवीएस

अस्पतालों के मरीजों के डेटा पर आधारित हैं, जिनका मान्यता प्राप्त संस्थागत आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का लंबा इतिहास है और इसमें अन्य प्रकार के संस्थागत या गैर-संस्थागत आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को शामिल नहीं किया गया है। चूँकि आयुर्वेद को सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना लोगों द्वारा अपनाया जाता है, इसलिए हमें देश भर में इसके अपनाने की अपनी समझ का विस्तार करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद को अपनाने में क्षेत्रीय विविधताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए विभिन्न सरकारी और अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को शामिल करने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य सेवा में टीएंडसीएम के लाभों का दोहन करने, इन स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के आसपास के विवादों के संदर्भ को स्पष्ट करने और लोगों को सूचित स्वास्थ्य सेवा विकल्प बनाने में मदद करने के लिए ऐसा प्रयास आवश्यक है।

स्वीकृतियाँ

यह शोधपत्र भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली (सं. जनरल-

05/2021-22/आईसीएसएसआर/आरपी) द्वारा समर्थित एक बड़ी परियोजना 'चिकित्सा के पारंपरिक बनाम आधुनिक प्रणालियाँ और परिवारों का स्वास्थ्य सेवा चाहने का व्यवहार: भारत में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा अपनाने में स्थिति, अवसर और बाधाएँ' का हिस्सा है। लेखक इस अध्ययन के वित्तपोषण के लिए आईसीएसएसआर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

लेखक इस अध्ययन में उनकी रुचि और समर्थन के लिए डॉ. पी. एम. वारियर, प्रबंध न्यासी और मुख्य चिकित्सक, और डॉ. के. मुरलीधरन, ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य और आर्य वैद्य शाला (एवीएस), कोट्टक्कल के अपर मुख्य चिकित्सक को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अध्ययन शुरू करने में उनके समर्थन के लिए एवीएस के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जी.सी. गोपाल पिल्लई और इनपुट के लिए प्रो. एस. वी. रंगाचार्युलु को धन्यवाद। हम वी. श्रीनिवास, अनघा वी. और जयश्री को उनके शोध सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। हालाँकि, पेपर में व्यक्त किए गए विचारों के लिए अकेले लेखक ही जिम्मेदार हैं।

अंतिम टिप्पणियाँ

1. एवीएस, केरल के मलप्पुरम जिले के कोट्टक्कल में एक गांव के क्लिनिक के रूप में 1902 में स्थापित एक धर्मार्थ संगठन, भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और वैश्विक स्तर पर रोगियों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थागत आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला सबसे पुराना और अब एक बहु-इकाई और बहु-विषयक संगठन है।
2. ये एनएबीएच (अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड), भारतीय गुणवत्ता परिषद के एक घटक बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल हैं।
3. नमूना आकार निर्धारण सूत्र $n = N/(1+Ne^2)$ का उपयोग करके नमूना आकार का मूल्यांकन 5% त्रुटि मार्जिन और 95% विश्वास अंतराल पर किया गया, जहाँ n नमूना आकार है; N = अध्ययन की जनसंख्या और e = गणना में त्रुटि का मार्जिन।

लेखक का योगदान:

जीना टी श्रीनिवासन: संकल्पना, साहित्य समीक्षा, अध्ययन डिजाइन, संस्थागत डेटा संकलन, प्राथमिक डेटा संग्रह, सांख्यिकीय विश्लेषण, रिपोर्ट का प्रारूपण और संपादन तथा निधि जुटाना।

पी आर रमेश: संकल्पना, अध्ययन डिजाइन, संस्थागत डेटा संकलन, प्राथमिक डेटा संग्रह, प्रारूपण, डेटा व्याख्या और संपादन में योगदान दिया।

महेश के: संकल्पना, साहित्य समीक्षा, अध्ययन डिजाइन, संस्थागत डेटा संकलन, प्राथमिक डेटा संग्रह, प्रारूपण, डेटा व्याख्या और संपादन में योगदान दिया।

संदर्भ

- Banerjee, S. (2021). Determinants of Rural-Urban Differential in Healthcare Utilization among the Elderly Population in India. *BMC Public Health*, 21, 939. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10773-1>
- Baru, Rama., Acharya, A., Acharya, S., Shivakumar, A., & Nagaraj, K. (2010, September), Inequities in Access to Health Services in India: Caste, Class and Region. *Economic and Political Weekly*, 45 (38), 49–58.
- Beshears, John., Choi, J J., Laibson, D, Madrian, B. C (2008), How are Preferences Revealed? *Journal of Public Economics*, 92 (8-9), 1787-1794.
- Chaturvedi, S., Porter, J., Gopalakrishna Pillai, G. K., Abraham, L., Shankar, D., & Patwardhan, B. (2023). India and Its Pluralistic Health System—A New Philosophy for Universal Health Coverage. *The Lancet Regional Health. Southeast Asia*, 10, 100136. <https://doi.org/10.1016/j.lansea.2022.100136>
- Chowdhury, S. and Kundu, P. (2018). Alternate Systems of Medicine in India—How Pervasive and Why? *Journal of Health Management*, 20 (2), 178-189
- Gol. (2019). *Key Indicators of Social Consumption in India: Health*, NSS 75th Round, July 2017-June 2018. New Delhi: Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Statistical Office.
- Grams, Nathalie. (2019). Homeopathy—Where is the Science? A Current Inventory on a Pre-Scientific Artifact, *EMBO Reports*, 20 (3).
- Haenssger, Marco. J., and Ariana, Proochista. (2017). Healthcare Access: A Sequence-Sensitive Approach. *SSM - Population Health*, 3, 37–47.
- Jana, Arnab and Basu Rounaq. (2017). Examining the Changing Health Care Seeking Behaviour in the Era of Health Sector Reforms in India: Evidence from the National Sample Surveys 2004 & 2014. *Glob Heal Res Policy*, 2 (1), 1–9.
- Jeermison, R. K. (2020). Review Article (AYUSH) on the Significance of Traditional Medicine in India. *Journal of Research In Traditional Medicine*, 6 (1), 29-36.
- Kasl, S. V., and Cobb, S. (1966). Health Behavior, Illness Behavior, and Sick-Role Behavior. *Archives of Environmental Health, An International Journal*, 12 (4), Retrieved from <https://doi.org/10.1080/00039896.1966.10664421>.
- Kroeger, A. (1983). Anthropological and Socio-Medical Health Care Research in Developing Countries. *Social Science and Medicine*, 17 (3), 147-161.
- Kundu, J., Bharadwaz, M. P., Kundu, S., and Bansod, D. W. (2022). The Interregional Disparity in the Choice of Health Care Utilisation among Elderly in India. *Clinical Epidemiology and Global Health*, 13 (4), 1-7, doi:<https://doi.org/10.1016/j.cegh.2021.100929>.
- Lakshmanasamy, T. (2021). Demand for AYUSH Healthcare in India: Multinomial Logit Estimation of the Utilisation of Indian System of Medicine. *Journal of AYUSH: Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy*, 10 (2), 18-26,
- Mahapatro, S. R., James, K. S., & Mishra, U. S. (2021). Intersection of Class, Caste, Gender and Unmet Healthcare Needs in India: Implications for Health Policy. *Health Policy OPEN*, 2, 100040. <https://doi.org/10.1016/j.hpopen.2021.100040>
- Malhotra, C., and Do, Y. K. (2013). Socio-economic Disparities in Health System Responsiveness in India. *Health Policy Plan*, 28 (2), 197-205.

- Mohanty, P. C., & Sharma, K. (2021). Households' Responses on Medical Pluralism: Dynamics and Determinants of Access to Traditional Medicines in India, *Clinical Epidemiology and Global Health*, 12, 1-8.
- National Health Mission. (2010). "Mainstreaming Ayush Under NRHM," <http://www.nrhmorissa.gov.in/frmMainstreamingAyushUnderNRHM.aspx>.
- NSSO. (2012). "India - Household Consumer Expenditure," NSS 68th Round Sch1.0 July 2011 - June 2012, Ministry of Statistics, Government of India.
- NSSO (2018). "India - Household Social Consumption: Health," NSS 75th Round Schedule-25.0, July 2017-June 2018.
- Patel Gupteswar, Caragh Brosnan & Ann Taylor. (2023). Understanding the Role of Context in Health Policy Implementation: A Qualitative Study of Factors Influencing Traditional Medicine Integration in the Indian Public Healthcare System. *Health Sociology Review*, 32(3), 294–310. <https://doi.org/10.1080/14461242.2023.2210550>
- Patel, G., Brosnan, C., Taylor, A., & Garimella, S. (2021). The Dynamics of TCAM Integration in the Indian Public Health System: Medical Dominance, Countervailing Power and Co-optation. *Social Science & Medicine* (1982), 286, 114152. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114152>
- Rudra, S., Kalra, A., Kumar, A., & Joe, W. (2017). Utilization of Alternative Systems of Medicine as Health Care Services in India: Evidence on AYUSH Care from NSS 2014. *PloS one*, 12(5), e0176916. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176916>
- Singh, R. H. (2015). Declining Popularity of AYUSH, the Recent Report of National Sample Survey Organization. *Annals of Ayurvedic Medicine*, 4 (1-2), 2-4.
- Srinivasan, R., and Sugumar, V. (2017). Spread of Traditional Medicines in India: Results of National Sample Survey Organization's Perception Survey on Use of AYUSH. *Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine*, 22 (2), 194-204.
- UN (2015): "Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development," 21 October 2015, A/RES/70/1.
- WHO (2001): "Legal status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative medicine: A Worldwide Review," Geneva: World Health Organization.
- WHO (2019): "WHO Global Report on Traditional and Complementary Medicine," Geneva: World Health Organisation.
- WHO (2023) World Health Statistics 2023: Monitoring Health for the SDGs. Sustainable Development Goals, Geneva: World Health Organisation.

लोकतंत्र की पहेलियां: चुनाव और दक्षिण बिहार पंचायत में प्रभुत्व का पुनरुत्पादन

शशि भूषण सिंह*

सार

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत, बाजार की ताकतों का संचालन, तथा सत्ता संरचना में जनसंख्या के राजनीतिक रूप से सीमांत वर्गों को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों ने चुनावी प्रणाली पर प्रमुख जातियों की पकड़ को काफी हद तक ढीला कर दिया है। हालांकि, स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के चुनाव परिणाम बताते हैं कि खुले (अनारक्षित) निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया कुछ प्रमुख जातियों के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती है। यह शोधपत्र, दक्षिण बिहार में एक पंचायत का अध्ययन है, जिसमें उस तंत्र को सामने लाया गया है जिसके माध्यम से प्रमुख जातियां पंचायती राज संस्थाओं में अपना चुनावी प्रभुत्व बनाए रखती हैं, भले ही वे संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक हों। यह ये सुझाव देता है कि, सबसे पहले, किसी जाति की संख्यात्मक ताकत से अधिक, यह एक गांव की जाति संरचना है जो यह तय करने में निर्णायक भूमिका निभाती है कि कौन क्या प्राप्त करता है, और, दूसरी बात, आरक्षण के बिना, जनसंख्या के कमजोर वर्गों के पास निर्वाचित होने का अधिक मौका नहीं है।

कीवर्ड: लोकतंत्र, पंचायत चुनाव, बिहार, भारत।

*समाजशास्त्र विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय; ईमेल: shashidse07@gmail.com

समस्या, कार्यप्रणाली और अध्ययन क्षेत्र

भारत में पंचायती राज लागू करने का एक उद्देश्य जनसंख्या के कमजोर वर्गों को राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल करना था। आम तौर पर यह माना जाता है कि चूंकि पंचायत निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से छोटा होता है, इसलिए यह पंचायत चुनावों के दौरान जनसंख्या के कमजोर वर्गों को अपनी बात रखने का एक मंच प्रदान करेगा। हालांकि, सच्चाई यह है कि अधिकांश समय, प्रमुख जातियाँ पंचायती राज संस्थाओं पर हावी रहीं, जिससे राज्य को जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए पंचायती राज संस्थाओं में सीटें आरक्षित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि चुनावी राजनीति में जाति के महत्व को व्यापक रूप से मान्यता दी गई है, चुनावी परिणामों को प्रभावित करने में गाँव की भूमिका को उतना महत्व नहीं मिला है। हालांकि जाति पर जोर देना गलत नहीं हो सकता है, लेकिन ग्रामीण समाज में चुनावी राजनीति के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को केवल यह समझकर ही समझाया जा सकता है कि स्थानीय स्तर के चुनावों के दौरान जाति और गाँव किस तरह से समाहित हो जाते हैं। दक्षिण बिहार में 2006 में हुए एक पंचायत चुनाव का गहन अध्ययन करके, यह अध्ययन गाँव की जाति संरचना, तथा प्रमुख जातियों के चुनावी वर्चस्व और चुनावी क्षेत्र में बड़ी संख्या में जातियों के सीमांत पर होने में व्यापक सामाजिक-राजनीतिक संरचना और प्रक्रियाओं के महत्व को सामने लाता है।

जाति का प्रभुत्व और पंचायत एवं आरक्षण

जाति, जो कि भारतीय समाज की सबसे स्थायी सामाजिक संस्थाओं में से एक है, भारत के गाँवों में सत्ता के वितरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गाँवों में, कुछ भूस्वामी जातियाँ बड़ी संख्या में संख्यात्मक रूप से और ज्यादातर मामलों में आर्थिक रूप से कमजोर जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व रखती हैं। ग्रामीण भारत में सत्ता के इस असमान वितरण को समझने के लिए एक मूल्यवान प्रारंभिक बिंदु प्रमुख जाति की अवधारणा है जैसा कि समाजशास्त्री एम. एन. श्रीनिवास (2002) द्वारा बताया गया है "किसी जाति को 'प्रमुख' तब कहा जा सकता है जब वह अन्य जातियों पर संख्यात्मक रूप से प्रबल हो, और जब उसके पास प्रबल आर्थिक और राजनीतिक शक्ति भी हो।" एक बड़ा और शक्तिशाली जाति समूह अधिक आसानी से प्रभावशाली हो सकता है यदि स्थानीय जाति पदानुक्रम में उसका स्थान बहुत कम न हो (75)। दुबे (1968) ने कहा कि यह प्रमुख जाति नहीं है बल्कि प्रमुख व्यक्ति और गुट हैं

जो गाँवों में राजनीतिक वास्तविकता के अधिक करीब रहते हैं। लेकिन जैसा कि श्रीनिवास ने बताया, प्रमुख व्यक्ति और गुट प्रमुख जाति से ही आने चाहिए। चूंकि भूमि पर कब्जा करना प्रभुत्वशाली जाति की संस्था के लिए केंद्रीय था, ड्यूमॉन्ट (1980) ने कहा कि भूमि स्वामित्व ने संरक्षक-गाहक संबंधों के विकास को जन्म दिया जो जाति प्रभुत्व में सबसे महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है। मतभेदों के बावजूद, समाज में सत्ता के वितरण में भूमि की प्रधानता विद्वानों में आम थी। चूंकि कुछ जातियों के पास भूमि का स्वामित्व था, इसलिए अधिकांश जातियों ने शक्तिहीनता का अनुभव किया। कमजोर जातियों को शामिल करने के लिए पंचायत की शुरुआत को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।

भारत में पंचायती राज का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। संविधान सभा की बहस में, सशक्तीकरण और विकास के लिए ग्राम पंचायत को एक इकाई बनाने के बारे में विवाद था। जबकि गांधीवादियों ने पंचायत को सामाजिक विकास की इकाई बनाने का तर्क दिया, अंबेडकर इस प्रस्ताव के प्रति बहुत उत्सुक नहीं थे क्योंकि अंबेडकर का मानना था कि गाँव 'स्थानीयता का अड्डा और अज्ञानता का एक अड्डा' है (माथुर, 2013)। जब गांधीवादियों ने समझौते के तहत विरोध किया, तो पंचायत को भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक नीति के तहत रखा गया (अनुच्छेद 40)। लेकिन, राज्य सरकारों की उदासीनता के कारण जो शक्ति सौंपने में अनिच्छुक थीं, धन की कमी, अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र और सबसे महत्वपूर्ण बात, जाति-आधारित असमानता के कारण, पंचायत भारतीय समाज में एक सीमांत संस्था बनी रही (मैथ्यू, 2013)। इन सीमाओं के बावजूद, तमिलनाडु में किए गए एक अध्ययन से पता चला कि पंचायत ने उच्च भूमि स्वामित्व वाली प्रमुख जातियों से पिछड़े वर्गों तक सत्ता के फैलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है (बेतेली, 1996)। कई अन्य अध्ययनों ने पुष्टि की है कि पंचायतों ने सत्ता के अंतर-जातिगत और अंतर-जातीय फैलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है (श्रीनिवास और शाह, 2007)। हालांकि, आबादी का एक बड़ा हिस्सा, अर्थात् ईबीसी और एससी, सत्ता वितरण के इस मॉडल से शायद ही लाभान्वित हुए हैं (तालिका 1)। हालांकि अशोक मेहता समिति जैसी कुछ महत्वपूर्ण समितियों ने पंचायतों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं को

दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (जैन, 1985), यह भारतीय संविधान का 73वाँ संशोधन (1993) था जिसने पंचायती राज संस्थाओं को नया जीवन प्रदान किया। पंचायत को न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक समावेशन की इकाई के रूप में भी देखा गया, जबकि पंचायत की सीटें हाशिए पर पड़े वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सबसे महत्वपूर्ण रूप से महिलाओं (बाविस्कर और मैथ्यू, 2009) के लिए आरक्षित थीं। पंचायतें अब राज्य सरकार की दया पर कम थीं क्योंकि उन्हें शासन के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता दी गई थी (मैथ्यू और नायक, 1996)।

बिहार का सामाजिक-राजनीतिक विभाजन

बिहार में जाति सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाली सबसे बुनियादी सामाजिक संस्था है। हिंदू जातियों को चार जाति श्रेणियों में बांटा जा सकता है, यानी उच्च जातियाँ (यूसी), अन्य पिछड़ी जातियाँ (ओबीसी), अत्यंत पिछड़ी जातियाँ (ईबीसी) और अनुसूचित जातियाँ (एससी)। सामान्य तौर पर, उच्च जातियाँ (मुख्य रूप से राजपूत और भूमिहार) आर्थिक रूप से बेहतर हैं और उनके पास कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा है। उनमें प्रमुख जाति होने के सभी गुण मौजूद हैं। जिन गाँवों में वे रहते हैं, उनमें एससी और ईबीसी की पर्याप्त संख्या है। ईबीसी और एससी आर्थिक रूप से गरीब हैं और कई व्यवसायों पर जीवित रहते हैं, जिसमें शारीरिक श्रम भी शामिल है (लुई, 2002)। आज भी, ये एससी और ईबीसी, काफी हद तक, प्रमुख उच्च जातियों के स्वामित्व वाली भूमि पर जीवित हैं। ओबीसी छोटे और सीमांत किसान हैं और उच्च जातियों से पट्टे पर जमीन भी लेते हैं। ओबीसी में शामिल यादवों जैसी अलग-अलग जातियों की आबादी बहुत अधिक है और यह उनकी प्रमुख राजनीतिक ताकत है। ये ओबीसी उच्च स्तर की राजनीतिक चेतना भी बनाए रखते हैं। यद्यपि मुसलमानों में जातियाँ हैं, लेकिन राजनीति में, कुछ अपवादों को छोड़कर, समुदाय एक ही जाति की तरह व्यवहार करता है।

कृषि असमानता को कम करने के लिए, बिहार भारत के पहले राज्यों में से एक था जिसने भूमि सुधार लागू किया। बिहार वह जगह भी थी जहाँ विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन को

अच्छी प्रतिक्रिया मिली। जय प्रकाश नारायण, जो बिहार से थे और जिन्होंने 'संपूर्ण क्रांति' का नारा दिया, पंचायती राज के कट्टर समर्थक थे। 1947 के बिहार पंचायत अधिनियम ने राज्य को पंचायती राज लागू करने का आदेश दिया और 1957 तक राज्य में लगभग 12,000 पंचायतें थीं (कुमार और मजूमदार, 2013)। राज्य में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के आने से पिछड़े वर्ग राजनीतिक मुख्यधारा में आ गए (फ्रेंकेल, 1989)। 1978 में पंचायत चुनाव भी हुए और ओबीसी बड़े लाभार्थी थे (कुमार और मजूमदार, 2013)। 1990 में, बिहार ने गुणात्मक रूप से अलग तरह की राजनीति में प्रवेश किया, जबकि लालू यादव के नेतृत्व में बिहार ने पिछड़े वर्ग की क्रांति देखी। 23 साल के अंतराल के बाद, 2001 में पंचायत चुनाव हुए। हालाँकि चुनाव किसी तरह से निम्नवर्गीय पुनरुत्थान का एक उदाहरण था (गुप्ता, 2001), पिछड़े वर्गों के निचले तबके ने चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया। तालिका 1 से जो स्पष्ट है वह यह है कि मुखिया (पंचायत के प्रमुख) के चुनाव में उच्च जातियों और ओबीसी का अधिक प्रतिनिधित्व है, और ईबीसी और एससी का बेहद कम प्रतिनिधित्व है। 2006 के पंचायत चुनावों में, नीतीश कुमार सरकार ने एमबीसी और एससी के लिए आरक्षण की शुरुआत की, जिससे इन दोनों जाति समूहों का प्रतिनिधित्व बढ़ा।

कार्यप्रणाली

यह पत्र 2006 में हुए एक पंचायत चुनाव का गहन अध्ययन करके चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी कुछ जटिलताओं को उजागर करने का इरादा रखता है। गीर्ट्ज ने जिसे एक घटना का 'मोटा विवरण' कहा है, उसका गहन अध्ययन एक शोधकर्ता को यह देखने में मदद करता है कि कैसे एक संस्कृति खुद को कुछ मूल मूल्य के इर्द-गिर्द व्यवस्थित करती है और कैसे यह मूल्य राजनीतिक नेताओं द्वारा चुनावों के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले कथानक और प्रतिकथानक की प्रकृति और दायरे को सीमित करता है। जैसा कि गीर्ट्ज (2017) ने देखा है, 'सामाजिक क्रियाएं जीवन के चल रहे पैटर्न में उनकी भूमिका से अपना अर्थ प्राप्त करती हैं, न कि किसी आंतरिक संबंध से जो वे एक-दूसरे से रखते हैं' (17) जबकि (शोधकर्ता का जोर) जटिल विशिष्टता और उनकी परिस्थितिजन्यता को समझना है (28)। पंचायत चुनाव के

तालिका 1

1978 और 2001 में बिहार में मुखियाओं (पंचायत प्रमुखों) की संख्या

क्र.सं.	विभिन्न जातियों की जनसंख्या	दो चुनावों में मुखिया की संख्या और प्रतिशत	
		1978	2001
	जाति	सं.	%
1	अगड़ी जातियाँ (14%)	3136	40.92
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (20%)	2921	38.12
3	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (30%)	302	3.94
4	अनुसूचित जाति (15%)	101	1.31
5	अनुसूचित जन जाति (2%)	24	0.31
6	अन्य (19%)	1178	15.37

स्रोत: पंकज एवं सिंह, 2005

दौरान दो महीने तक समुदाय के भीतर रहकर 'सहभागी अवलोकन' पद्धति के माध्यम से डेटा एकत्र किया गया था। सहभागी अवलोकन पद्धति, यानी डेटा एकत्र करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य उपकरण, 'अक्सर सामाजिक जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में छिपे हुए रिश्तों को उजागर करता है जो अक्सर जांचकर्ताओं की नज़रों से ओझल हो जाते हैं' (श्रीनिवास, 1994:17)।

अध्ययन के अंतर्गत आने वाला गांव (छद्म नाम धामपुर) बिहार के गया जिले के असलमपुर पंचायत का हिस्सा है। 2006 के पंचायत चुनाव में असलमपुर पंचायत में मुखिया (अन्य राज्यों में सरपंच के समकक्ष) का पद अनारक्षित था, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य जैसे अन्य पद ईबीसी के लिए आरक्षित थे। जांच का केंद्र मुखिया के चुनाव पर है, क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान इस पद के लिए होने वाले चुनाव सबसे अधिक जोश और राजनीतिक तीव्रता पैदा करते हैं। इसके अलावा, केवल एक खुले निर्वाचन क्षेत्र में ही सामाजिक संरचना की रूपरेखा को बदलने में राजनीति की क्षमता और सीमाओं को देखा जा सकता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में, प्रमुख समूहों को चुनाव लड़ने से वंचित किया जाता है, इसलिए समाज और राजनीति के बीच गतिशील संबंध पूरी तरह से प्रकट नहीं होते हैं। पंचायत चुनाव के दौरान, लेखक ने क्षेत्र में डेरा डाला

और लोगों से बातचीत की। लेखक इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं और उन्होंने सामाजिक-राजनीतिक जीवन के उभरते स्वरूप के बारे में शोधपत्र प्रकाशित किए हैं। राजनीतिक सशक्तीकरण में जाति और गांव की भूमिका को समझने के लिए इस गांव को चुना गया। 1990 के दशक में इस क्षेत्र में बहुत तीव्र पिछड़ी जातियां और नक्सलवादी आंदोलन हुए, जिसके कारण आबादी के कमजोर वर्ग के लोग प्रभुत्वशाली जातियों के चंगुल से मुक्त हो गए (सिंह, 2005)। अब कमजोर वर्ग के लोग अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन यह उनके सशक्तीकरण की सीमा बनी हुई है। वे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देते हैं, लेकिन वे अपनी पसंद का मुखिया चुनने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं। विचार यह देखने का है कि संदर्भगत और परिस्थितिजन्य कारकों के साथ-साथ कमजोर वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि वे प्रभुत्वशाली जातियों द्वारा समर्थित उम्मीदवारों के मतदाता बने रहें। किसी एक मामले अध्ययन से बड़े पैमाने पर सामान्यीकरण करना मुश्किल है, लेकिन असलमपुर पंचायत में, कोई भी देख सकता है कि 2006 के पंचायत चुनावों के निष्कर्ष कायम हैं। 2006 के बाद के सभी पंचायत चुनावों में एक जैसा नतीजा रहा- जब भी सीट खाली या महिला के लिए आरक्षित थी, जीतने वाले उम्मीदवार प्रभुत्वशाली जातियों से थे (पिछले भाग में समझाया गया है)।

गांव और पंचायत

जनसंख्या के स्थानिक वितरण (मानचित्र 1 और तालिका 2) पर नज़र डालने पर पंचायत में तीन

सुपरिभाषित बस्ती समूह नज़र आते हैं। ये समूह न केवल एक दूसरे से दूर स्थित हैं, बल्कि इनमें जातिगत संरचना भी अलग-अलग है।

तालिका 2

असलेमपुर पंचायत के विभिन्न वार्डों और गांवों में विभिन्न जातियों के मतदाताओं की संख्या

क्र. सं.	गांव	रामपुर					धामपुर					सिमरी	सोनपुर				कुल
		वार्ड संख्या					वार्ड संख्या						वार्ड संख्या				
	जातियाँ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	राजपुत	-	-	-	-	-	-	437	82	24	-	503	196	75	2	1319	
2	ब्राह्मण	2	74	-	-	-	-	50	89	5	1	21	-	-	13	255	
3	भूमिहार	-	-	-	-	-	-	1	102	1	-	-	374	107	26	611	
	कुल उच्च जातियाँ	2	74	-	-	-	-	488	273	30	1	524	570	182	41	2185	
4.	यादव	47	66	35	98	134	24	-	-	1	117	-	-	-	-	522	
6	कुर्मी	210	-	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313	
7	कोइरी	-	33	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	6	72	
	कुल ओबीसी	257	99	35	201	167	24	-	-	1	117	-	-	-	6	907	
8	नोनिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	68	
9	बधाई	-	-	-	75	20	17	2	26	10	-	-	-	-	105	255	
10	लोहार	-	6	-	5	-	-	-	6	-	-	12	-	-	-	29	
11	कुम्हार	5	32	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	
12	कांडू	-	-	46	-	-	-	63	12	10	-	-	-	-	-	131	
13	गरेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	
14	बनिया	24	21	-	1	32	15	22	16	23	-	16	12	17	78	277	
15	कहार	124	144	4	-	-	-	20	17	2	111	65	8	35	207	737	
16	भगत	33	-	-	13	66	5	-	-	-	-	-	-	-	-	117	
17	नाई	-	30	10	-	25	-	-	6	-	22	-	-	-	15	108	
18	चौधरी	-	-	-	-	1	76	-	-	-	-	-	-	-	-	77	
	कुल ईबीसी	186	233	108	94	144	113	107	83	45	201	93	20	52	421	1900	
19	धोबी	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	32	35	
20	मांड़ी	7	18	-	-	-	48	-	-	74	-	-	-	-	-	147	
21	पासवान	3	2	32	25	-	8	-	-	19	115	1	3	60	47	315	
22	चमार	-	-	-	-	-	56	-	-	74	-	-	-	185	-	315	
	कुल अनुसूचित जाति	10	20	32	25	3	112	-	-	167	115	1	3	245	79	812	
23	मुसलमान	-	27	43	-	54	39	-	-	-	-	-	-	-	-	163	
	कुल	455	453	218	320	368	288	595	356	243	434	618	593	479	547	5967	
						2102		1628		1194+434 =		618		1619		5967	

स्रोत: भारतीय चुनाव आयोग, मतदाता सूची, 2005


- क. रामपुर समूह (वार्ड 1-6) में कम से कम चार छोटे गांव शामिल हैं। इस समूह में, अधिकांश आबादी छोटे या सीमांत किसानों की है जो कृषि कार्य में घरेलू श्रम का उपयोग करते हैं। इस समूह में ईबीसी की एक बड़ी आबादी है, जो आर्थिक रूप से और साथ ही राजनीतिक रूप से कमजोर है। इस क्लस्टर में, राजनीतिक रूप से, यादव अन्य सामाजिक समूहों पर हावी हैं।
- ख. धामपुर समूह (वार्ड 7-10) एक एकल गांव है जिसे धामपुर के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह गांव तीन बस्तियों से बना है। मुख्य बस्ती के अलावा जहां राजपूत बहुसंख्यक हैं, वहां एससी लोगों की एक बस्ती है, जिन्होंने गांव की आम जमीन पर अपने घर बनाए हैं, लेकिन मुख्य गांव के साथ बहुत करीबी संबंध बनाए रखते हैं। ईबीसी और एससी आर्थिक रूप से गरीब हैं और कुछ हद तक, गांव की ऊंची जातियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। काफी हद तक, मठिया नामक दूसरी बस्ती आर्थिक रूप से मुख्य धामपुर

बस्ती पर निर्भर है। हालांकि, राजनीतिक क्षेत्र में, यह एक स्वतंत्र इकाई की तरह व्यवहार करती है।

- ग. सोनपुर समूह (वार्ड 12-14) केवल सोनपुर गांव से बना है, लेकिन इसमें तीन बस्तियां हैं। सबसे बड़ी बस्ती में भूमिहार और राजपूत रहते हैं, और इन दो उच्च जातियों के पास कृषि भूमि का लगभग पूरा क्षेत्र है। मुख्य गांव के अलावा, अन्य दो बस्तियों में अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। इस समूह में भूमिहार अन्य सभी जातियों पर हावी हैं।
- घ. सिमरी गांव (वार्ड 11) केवल एक बस्ती से बना है, और यहां राजपूत राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि गांव में राजपूतों की आबादी धामपुर के राजपूतों के लगभग बराबर और सोनपुर के भूमिहारों से अधिक है, लेकिन गांव क्षेत्रफल में छोटा है। इस कारण से, राजपूतों के पास अधिक भूमि नहीं है, इसलिए गांव में अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी जाति की आबादी अधिक नहीं है।

चित्र 1

असलमपुर पंचायत का एक स्केच मैप



पंचायत चुनाव 2001 (मूल घटना)

क्षेत्र की राजनीतिक संरचना और प्रक्रिया आंतरिक रूप से पंचायत राजनीति से जुड़ी हुई है, इसलिए जाति और क्षेत्र की राजनीतिक प्रक्रिया के बीच संबंधों का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है। हालाँकि धामपुर और असलमपुर पंचायतों में राजपूत बहुसंख्यक हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में वे निराशाजनक अल्पसंख्यक हैं। राजनीति के विधानसभा स्तर पर, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मुख्य राजनीतिक समर्थन आधार यादवों (ओबीसी) और राजद विरोधी राजनीतिक दलों से जुड़े भूमिहारों (उच्च जाति) के बीच बहुत तीव्र प्रतिद्वंद्विता है। 1980 के दशक तक, कांग्रेस पार्टी के मुख्य समर्थक भूमिहार ही राजनीतिक क्षेत्र में फैसले लेते थे। हालाँकि, 1990 के दशक के दौरान, दो आंदोलनों, पिछड़ा वर्ग आंदोलन और नक्सली आंदोलन ने यादवों को राजनीतिक केंद्र में ला दिया (गुप्ता, 1992a, 1992b)। चूंकि भूमिहार लंबे समय से सत्ता संरचना में जमे हुए थे और यादव राजनीतिक संस्थाओं पर कब्जा करने के लिए दृढ़ थे, इससे इन दोनों जातियों को शामिल करते हुए हिंसा सहित तीव्र राजनीतिक संघर्ष हुआ। लेकिन अध्ययन के तहत क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटना माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी जिस पर यादवों का प्रभुत्व है) द्वारा भूमिहारों की और रणवीर सेना (भूमिहारों की निजी सेना) द्वारा एससी और यादवों की हत्या थी। लालू-राबड़ी यादव शासन के कारण इस संघर्ष में यादवों का ऊपरी हाथ था। दो सबसे कुख्यात हत्याएं, 1998 में एमसीसी द्वारा भूमिहारों की और 2000 में रणवीर सेना द्वारा यादवों की, पंचायत की सीमा पर हुईं। चूंकि राज्य सरकार का नेतृत्व लालू-राबड़ी यादव कर रहे थे और स्थानीय विधायक भी यादव थे, भूमिहार किसी भी तरह कम से कम मुखिया के पद पर कब्जा करना चाहते थे।

2001 के पंचायत चुनाव इन्हीं परिस्थितियों में हुए थे। इलाके के लोग जानते हैं कि मुखिया पद जीतने के लिए शायद सबसे बेहतर रणनीति गांव को एकजुट करना है, जबकि पूरा गांव किसी उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए 'सहमति' जताता है। इसकी वजह यह है कि पंचायत चुनाव में मतदान का प्रतिशत 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होता (6000 वोटों में से लगभग 3500 वोट डाले जाते हैं)। इस परिदृश्य में, उदाहरण के लिए, यदि 1500 वोट वाला कोई गांव किसी उम्मीदवार के पीछे एकजुट हो जाता है और पूरे गांव के वोट उसे मिल जाते हैं, तो यह मुखिया पद पर जीत का पक्का रास्ता बन जाता है। हालांकि, मुखिया बनने का यह 'आसान' रास्ता यह भी सुनिश्चित करता है कि बड़ी संख्या में उम्मीदवार मैदान में रहें। धामपुर

के राजपूत एकजुट नहीं हो सके, जैसा कि रामपुर क्लस्टर के यादवों के साथ हुआ। लेकिन लालू-राबड़ी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के संयुक्त दबाव और एमसीसी के डरावने खतरे से परेशान होकर सोनपुर गांव के भूमिहारों ने भूमिहार उम्मीदवार के पीछे एकजुट हो गए। सोनपुर में, ईबीसी और एससी सहित अन्य सभी जातियों को भूमिहारों द्वारा भूमिहार उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए मजबूर किया गया था। चुनाव के दिन, जब अन्य गांवों में कई उम्मीदवार थे, जिससे निष्पक्ष मतदान हुआ, 'एकजुट' सोनपुर ने अपने गांव के सभी बूथों पर कब्जा कर लिया, 90 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त किए और मुखिया का पद जीत लिया।

लेखक ने 2001 के पंचायत चुनावों के लिए 'रूट' शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि इसने भविष्य के चुनावों के लिए विचार, विश्वदृष्टि और तरीके प्रदान किए। संरचना और एजेंसी के बीच संबंध के संदर्भ में, 2006 के पंचायत चुनावों के दौरान जो हुआ वह फ्रांसीसी क्रांति में हुई घटनाओं के समान था, जैसा कि मार्क्स (1952) ने समझा था, 'मनुष्य अपना इतिहास खुद बनाते हैं, लेकिन वे इसे अपनी मर्जी से नहीं बनाते हैं; वे इसे स्वयं-चयनित परिस्थितियों में नहीं बनाते हैं, बल्कि पहले से मौजूद, अतीत से दिए गए और प्रेषित परिस्थितियों में बनाते हैं।' (592)।

पंचायत चुनाव 2006 (धामपुर)

2001 के पंचायत चुनाव में सोनपुर के भूमिहारों (केवल 507 वोट) ने जो रणनीति अपनाई थी, जिसके कारण उनकी जीत हुई, वही रणनीति 2006 के पंचायत चुनाव में सभी गंभीर दावेदारों के लिए पैमाना बन गई। हालांकि, 2006 के पंचायत चुनाव में सर्वसम्मति के अभाव में सोनपुर से कई उम्मीदवार थे। सोनपुर क्लस्टर के यादवों ने अपनी जाति के किसी व्यक्ति को चुनने के लिए यादवों में से सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुनने के लिए आपस में आंतरिक मतदान किया, लेकिन वे भी असफल रहे। लेकिन इस बार धामपुर के राजपूत सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुनने में सफल रहे।

धामपुर में पंचायत चुनावों का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। यह गांव राजपूत बहुल है, लेकिन वे कभी पंचायत के मुखिया नहीं बन पाए। राजपूतों के लिए 2001 के पंचायत चुनाव में मुखिया की हार चुनावी हार और नैतिक हार थी। 2001 के पंचायत चुनाव की हार धामपुर के राजपूतों के लिए कुछ खास संदेश नहीं लेकर आई। राजपूत 2001 का चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं हारे क्योंकि धामपुर गांव में उनका

निर्णायक दबदबा था बल्कि इसलिए भी क्योंकि असलमपुर पंचायत क्षेत्र (1319) में उनकी आबादी किसी भी दूसरी जाति से ज्यादा थी। दूसरे, सोनपुर के भूमिहार, जिनके पास सोनपुर गांव में सिर्फ 507 वोट थे, 2001 में 'एकजुट' होकर या जैसा कि धामपुर के लोग जानते थे, दूसरी जातियों को भूमिहारों के कहने पर मजबूर करके मुखिया बन गए थे। 2001 के पंचायत चुनाव का संदेश साफ था: मुखिया का पद उनकी पहुंच में है, बशर्ते धामपुर (या राजपूत) एकजुट रहें। राजपूत जानते थे कि अगर वे एकजुट हो गए तो गांव की अन्य जातियां उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगी। हालांकि गांव में राजपूतों में एक गहरा सामाजिक-राजनीतिक विभाजन मौजूद है, राजपूत युवाओं की एक नई पीढ़ी, जिनमें से कई दूर के शहरों में काम करते हैं और घरों के मुख्य कमाने वाले हैं, ने उन्हें एकजुट करने का फैसला किया। हालांकि गांव शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, ग्रामीण 50 वर्षों से दुर्गा पूजा मनाते आ रहे हैं। अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा एक थिएटर सोसायटी का अस्तित्व है (जिसमें मुख्य रूप से उच्च जातियां लेकिन ईबीसी भी शामिल हैं), जहां गांव के लड़के दुर्गा पूजा के दौरान नाटक खेलते हैं। चूंकि युवाओं का एक ही आयु वर्ग एक दशक से अधिक समय से दुर्गा पूजा का प्रबंधन कर रहा है, इसलिए उनके बीच एक एकजुटता विकसित हुई है। इन युवाओं के लिए मुखिया का जाना, वह भी तब जब धामपुर सबसे बड़ा गांव था, और राजपूतों की आबादी पंचायत में किसी भी अन्य जाति से अधिक थी, एक घातक झटका था।

राजपूतों के इस युवा समूह ने अपने एक सदस्य राम सिंह को, जो आर्थिक रूप से संपन्न था और चावल मिल का मालिक था, मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया। राम सिंह के एक बड़े परिवार के सदस्य शेर सिंह ने भी अपनी दावेदारी पेश की और घोषणा की कि वह मुखिया पद के लिए सही उम्मीदवार है। राम सिंह के समर्थकों ने आरोप लगाया कि धामपुर के ब्राह्मण और भूमिहार शेर सिंह के इस कदम के पीछे थे क्योंकि ये दोनों जातियाँ नहीं चाहती थीं कि कोई राजपूत पंचायत का मुखिया बने। गाँव में आम सहमति बनी कि गाँव में सबसे ज्यादा समर्थन पाने वाला व्यक्ति ही पूरे गाँव का आम सहमति वाला उम्मीदवार होना चाहिए। इसलिए, शेर सिंह को गाँव वालों को यह विश्वास दिलाना होगा कि उसे राम सिंह से ज्यादा समर्थन प्राप्त है। शेर सिंह जानता था कि पंचायत के पूर्व मुखिया पवन पांडे, हालाँकि गाँव छोड़कर चले गए थे और स्थानीय कस्बे में रह रहे थे, लेकिन उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी और वे वोटों का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करते थे। इसलिए,

पांडे के आशीर्वाद से, वह (शेर सिंह) दावा करेगा कि उसे गाँव में राम सिंह से ज्यादा समर्थन प्राप्त है और उसके नाम पर आम सहमति बन जाएगी। शेर सिंह ने पांडे को गाँव वापस लौटने और आंतरिक मतदान के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राजी किया। शुरू में यह तय हुआ कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वह सर्वसम्मति से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ेगा। गाँव वालों की एक बैठक बुलाई गई और सभी उम्मीदवारों से अपने नाम आगे बढ़ाने को कहा गया। कुल सात उम्मीदवार थे, जिनमें से ज्यादातर राजपूत थे, लेकिन कुछ एससी और ईबीसी से भी थे। हालाँकि, हाल ही में राजपूत उम्मीदवारों में इस बात पर पुनर्विचार हुआ है कि आंतरिक मतदान के दौरान ईबीसी या एससी में से किसी को ज्यादा वोट मिल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों समुदाय आंतरिक मतदान के दौरान राजपूतों के खिलाफ वोट करेंगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि राजपूतों को यह भी यकीन था कि आंतरिक मतदान के बाद भी आम सहमति बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ संभावित उम्मीदवारों ने पहले ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया था। इसलिए, आंतरिक मतदान के जरिए उम्मीदवार तय करने का विचार त्याग दिया गया।

अब, यह सबके लिए खुला था, जबकि राम सिंह, शेर सिंह और कुछ अन्य प्रतियोगियों ने मुखिया पद के लिए नामांकन दाखिल किया। शेर सिंह हार मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने पांडे से एक बार फिर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। पांडे गाँव लौट आए और राम सिंह को एक बैठक के लिए बुलाया, लेकिन राम सिंह ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे। पूरी तरह से गतिरोध था, और चूंकि पांडे शेर सिंह के अनुरोध पर आम सहमति बनाने की पहल में शामिल थे, इसलिए राम सिंह समूह ने आरोप लगाया कि पांडे गाँव को विभाजित करने में अधिक रुचि रखते हैं। ऐसी ही एक शाम, एक राजपूत लड़का जो राम सिंह का परिवार का सदस्य है, ने पांडे का नाम लिए बिना, गाँव के सामान्य रूप से पांडे के परिवार को गाली देना शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया कि इन ब्राह्मणों और भूमिहारों ने हमेशा स्वार्थी उद्देश्यों के लिए गाँव को विभाजित किया है। पांडे को इसकी उम्मीद नहीं थी और उन्होंने शेर सिंह को लड़ाई से हटने के लिए कहा। फिर भी, आम सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन गाँव में राम सिंह के समर्थक बढ़ रहे थे क्योंकि एक तो शेर सिंह के मुकाबले राम सिंह को एक शांत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था और दूसरे, राजपूत शेर सिंह को भूमिहार और ब्राह्मणों का प्रतिनिधि मानते थे, ये

दो जातियाँ हैं जिन पर धामपुर के राजपूतों को भरोसा नहीं है। आरोप लगाया गया कि इन दोनों जातियों का मुख्य लक्ष्य राजपूतों को बांटना था, जैसा कि उन्होंने 2001 के पंचायत चुनावों के दौरान किया था, ताकि सोनपुर का कोई भूमिहार पंचायत का मुखिया बन सके। हालांकि, चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले, धामपुर के एक राजपूत राधा सिंह की सोनपुर के भूमिहारों ने कथित तौर पर हत्या कर दी, क्योंकि उन्हें नक्सली समर्थक के तौर पर देखा गया था। अब, धामपुर के ग्रामीणों पर एकजुट होने का इतना दबाव था कि शेर सिंह ने अनौपचारिक रूप से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली क्योंकि आधिकारिक वापसी की तारीख निकल चुकी थी।

मतदान का दिन नजदीक आते ही पांडे धामपुर की विभिन्न जातियों और गुटों में आम सहमति बनाने के आदेश के साथ गांव लौटे। धामपुर के लिए अब मुख्य प्रतिद्वंद्वी सोनपुर था और इस बार, हालांकि सोनपुर के भूमिहारों में एकता की कोशिशें विफल हो गईं, धामपुर के लोगों को डर था कि मतदान के दिन सोनपुर एकजुट हो जाएगा। धामपुर के राजपूतों का मानना था कि सोनपुर में कई उम्मीदवार सोनपुर के भूमिहारों द्वारा पंचायत के अन्य गांवों को भ्रमित करने के लिए रचा गया नाटक था। पांडे ने धामपुर के राजपूतों से कहा कि आम सहमति बनाने के तहत राजपूतों को केवल मुखिया का पद मिलेगा और अन्य जातियों को कहा गया कि उन्हें गैर-मुखिया पदों पर समायोजित किया जाएगा। हालांकि, अगर धामपुर (सोनपुर के 1619 वोटों के मुकाबले केवल 1194 वोट) को जीतना था, तो धामपुर मथिया (1194+434 = 1628 वोट) को एकता योजना में लाना जरूरी था।

अब, दृश्य धामपुर मथिया की ओर मुड़ गया। मथिया के यादवों को यकीन था कि पंचायत के यादवों में एकता की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उनके लिए चुनाव का लक्ष्य अपनी जाति के किसी व्यक्ति को मुखिया बनवाने से बदलकर किसी तरह सोनपुर के किसी भूमिहार को मुखिया न बनने देना हो गया। यादवों को यकीन था कि मथिया द्वारा समर्थित एकजुट धामपुर ही सोनपुर के भूमिहारों को हराने की क्षमता रखता है। मथिया के यादवों ने स्वीकार किया कि उन्हें राम सिंह के मुखिया बनने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वे मथिया से किसी को भी पंचायत समिति या जिला परिषद सदस्य के पद पर समर्थन नहीं देंगे, दोनों सीटें अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित हैं। यादवों को डर था कि अगर उनके टोले से कोई अति पिछड़ा व्यक्ति पंचायत समिति या जिला परिषद सदस्य के

रूप में निर्वाचित हो गया, तो अति पिछड़ी जातियाँ बहुत शक्तिशाली हो जाएंगी। उन्होंने अति पिछड़ी जातियों के एक उम्मीदवार को स्वीकार कर लिया, जो मथिया से नहीं था, लेकिन मथिया (नोनिया) में उसका कोई सम्बन्ध था, जिला परिषद पद के लिए।

लेकिन एक और समस्या ने धामपुर को सिमरी को भी तस्वीर में लाने पर मजबूर कर दिया। सोनपुर (1619 वोट) और सिमरी (618 वोट) एक दूसरे के करीब स्थित हैं, और 2001 के पंचायत क्षेत्र पुनर्गठन से पहले, ये दोनों गाँव एक ही पंचायत का हिस्सा थे। इसलिए, इन दोनों गाँवों के कुछ लोगों में अच्छे संबंध हैं। एक डर था कि सोनपुर, सिमरी के कुछ राजपूतों की मदद से सिमरी मतदान केंद्र पर कब्जा कर लेगा, और सोनपुर और सिमरी (2237 वोट) का संयुक्त वोट धामपुर (मथिया सहित) के वोटों (1628 वोट) से कहीं अधिक होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें भूमिहार प्रमुख हितधारक थे और स्थानीय भूमिहार विधायक मंत्री थे, ने सोनपुर के भूमिहारों को बहुत शक्तिशाली बना दिया था। इसलिए, धामपुर के राजपूतों ने पंचायत समिति पद के लिए सिमरी के एक कहार का समर्थन किया, जो सिमरी के राजपूतों के प्रमुख समूह का प्रतिनिधि था धामपुर में सबसे ज्यादा नुकसान अति पिछड़े वर्ग के लोगों को हुआ, जिन्हें पंचायत समिति और जिला परिषद की सीटें नहीं दी गईं, जबकि ये सीटें अति पिछड़ों के लिए आरक्षित थीं। लेकिन धामपुर की हर जाति को, जिसमें अति पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोग भी शामिल हैं, वार्ड और पंच की सीटें आबंटित की गईं। पांडे ने चतुराई दिखाते हुए धामपुर के अपने एक वफादार भूमिहार को सरपंच का पद दे दिया। लोगों का कहना है कि ऐसा राजपूतों को काबू में रखने के इरादे से किया गया। धामपुर द्वारा खड़े किए गए और समर्थित सभी उम्मीदवार यानी मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, वार्ड कमिश्नर और पंच जीत गए।

2006 के बाद के पंचायत चुनाव

2001 और 2006 के पंचायत चुनावों से यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दबंगों के बीच एकता बाहरी माहौल की देन है। 2011 के पंचायत चुनाव तक बिहार राजनीति के नए दौर में प्रवेश कर चुका था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजनीति विकास केंद्रित हो गई। धामपुर समेत कोई भी गांव सर्वसम्मति से मुखिया उम्मीदवार नहीं चुन पाया। लोग अपनी पसंद के हिसाब से वोट देने के लिए स्वतंत्र थे और गांव को एकजुट करने की कोई कोशिश नहीं हुई,

क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक माहौल बदल चुका था। 2011 के पंचायत चुनाव में मुखिया का पद अनारक्षित था। इस चुनाव में धामपुर से एक राजपूत मुखिया चुने गए। 2016 और 2021 में मुखिया का पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। जहां तक चुनाव के तर्क की बात है तो इसमें कोई अंतर नहीं था। पंचायत चुनाव में सभी अहम खिलाड़ी महिला उम्मीदवारों के जरिए मौजूद थे। मौजूदा राजनीतिक विभाजन में महिलाओं को शामिल कर लिया गया। यह एक व्यक्तिगत सह-विकल्प था, जहाँ इन प्रमुख पुरुषों की बेटियाँ और पत्नियाँ प्रॉक्सी के रूप में लड़ रही थीं।⁴ 2016 और 2021 के पंचायत चुनावों में, महिला यादव उम्मीदवार विजयी रहीं। सच तो यह है कि चुनावी प्रक्रिया, चाहे आरक्षित हो या अनारक्षित, प्रमुख जाति समूहों के इर्द-गिर्द घूमती रही। यह केवल यह साबित करता है कि स्थानीय स्तर के चुनावों में आबादी के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण एक ज़रूरत बनी हुई है।

निष्कर्ष

1. बहुसंख्यकों के हाशिए पर जाने और अल्पसंख्यकों के वर्चस्व की ओर ले जाने वाली राजनीतिक गतिशीलता को केवल गाँव को जाति और चुनाव के बीच मध्यस्थ के रूप में मान्यता देकर ही समझा जा सकता है, खासकर पंचायत चुनावों में। जहाँ जाति शायद चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहीं गाँव, कुछ मायनों में, लोगों के चुनावी व्यवहार को प्रभावित करता है। प्रमुख जातियों के लिए, गाँव वोट जुटाने के लिए एक पसंदीदा इकाई बन जाता है, खासकर जब प्रमुख जातियों को पता होता है कि गाँव को एकजुट करके ही उन्हें मुखिया के रूप में चुने जाने का मौका मिलता है।⁵ यह मामला इयूमाँन्ट (1980) की इस थीसिस की पुष्टि करता है कि भारत में गाँवों की कहानी कुछ और नहीं बल्कि प्रमुख जातियों की कहानी है।
2. वर्चस्व और हाशिए पर जाने की घटनाएँ गाँव के स्तर पर दो तरह से काम करती हैं। सबसे पहले, यह व्यक्तिगत जाति है, न कि जाति श्रेणी (ओबीसी, ईबीसी या एससी), जो यह तय करती है कि गाँव में किस जाति का बहुमत है।⁶ दूसरे, गाँव में किसका वर्चस्व है, यह किसी जाति के क्षेत्रीय वर्चस्व से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजपूत इस क्षेत्र में प्रमुख जाति नहीं हैं, लेकिन वे अभी भी धामपुर में प्रमुख जाति हैं। यदि कोई जाति गाँव के साथ-साथ क्षेत्र में भी प्रमुख है, तो इससे गाँव में प्रमुख जाति की शक्ति बढ़ जाती है (श्रीनिवास, 2002), लेकिन गाँव के स्तर पर हाशिए पर पड़ी जाति गाँव में प्रमुख नहीं बन सकती, भले ही उसका क्षेत्रीय प्रभुत्व हो। यद्यपि भूमिहार और यादवों का क्षेत्रीय प्रभुत्व है, लेकिन वे धामपुर में सीमांत पर रहने वाली जातियाँ हैं।
3. प्रमुख जाति तभी अस्तित्व में आती है, जब गाँव में सीमांत पर रहनेवाली जातियाँ हों। धामपुर में राजपूत, सोनपुर में भूमिहार और रामपुर में यादव प्रमुख जातियाँ हैं, क्योंकि इन गाँवों और समूहों में सीमांत पर रहनेवाले पर्याप्त संख्या में हैं। लेकिन सिमरी में, जहाँ राजपूतों के वोट अन्य गाँवों की प्रमुख जातियों के बराबर हैं, राजपूतों को प्रमुख जाति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा नहीं है जिस पर हावी हुआ जा सके। नतीजतन, सिमरी के राजपूत पंचायत चुनावों में शायद ही कोई महत्वपूर्ण खिलाड़ी रह पाते हैं।
4. सर्वसम्मति से निर्णय लेने को लोकतंत्र के सिद्धांत में एक मूल योगदानों के रूप में माना गया है (ऑस्टिन, 1999)। ऐसे मामले भी हैं, जहाँ उम्मीदवारों का चयन सर्वसम्मति से किया गया है (पुर, 2006), लेकिन अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यह सर्वसम्मति प्रभुत्वशाली जाति के उम्मीदवार के इर्द-गिर्द बनी है। सीमांत जातियाँ प्रभुत्वशाली लोगों को मुखिया का पद हथियाने देने के बारे में बहुत उत्साहित नहीं हैं, क्योंकि इससे प्रभुत्वशाली जातियाँ और भी शक्तिशाली हो जाती हैं। एक बार प्रभुत्वशाली लोग एकजुट हो जाते हैं, तो सीमांत जातियाँ चुनावी मैदान से हट जाती हैं। प्रभुत्वशाली जातियों के अवसर को खत्म करने से कमजोर जातियों को प्रभुत्वशाली लोगों के साथ हमेशा के लिए दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए, सीमांत जातियाँ छोटी-मोटी उपलब्धियों से 'संतुष्ट' रहती हैं। प्रभुत्वशाली लोग यह भी जानते हैं कि कुछ छोटी-मोटी पदों को छोड़ देना और

गैर-प्रमुख जातियों को समायोजित करना बेहतर है; अन्यथा, अगर गांव में एकता नहीं होगी, तो प्रभुत्वशाली जातियों को ज्यादा नुकसान होगा।¹⁷ और 'राजनीतिक' का विचार, चाहे प्रभुत्वशाली हो या सीमांत जातियां, लेखक के शब्दों में 'एक साथ रहने की मजबूरी' से आकार लेता है।

प्रभुत्वशाली जातियों के साथ रहते हैं। फिर, केवल पंचायत में सीटें आरक्षित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कमज़ोर वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ मज़बूत नेतृत्व और राजनीतिक शिक्षा भी ज़रूरी है।

अध्ययन की प्रासंगिकता

2001 से 2021 तक के पंचायत चुनावों के नतीजे, जबकि पंचायत पर प्रभुत्वशाली जातियों का नियंत्रण है, पंचायती राज संस्थाओं में ईबीसी, एससी और अन्य सीमांत वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का कारण प्रदान करते हैं (सिंह, 2009)। पंचायत चुनाव प्रभुत्वशाली जातियों के इर्द-गिर्द घूमते हैं, और कमज़ोर वर्गों को प्रभुत्वशाली जातियों के उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि वे गाँवों में

स्वीकृति

अज्ञात रेफरी को उनकी ज्ञानवर्धक टिप्पणियों के लिए धन्यवाद। यह दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स के समाजशास्त्र विभाग में समाजशास्त्रीय शोध संगोष्ठी में मेरे पेपर का संशोधित संस्करण है। मैं प्रोफेसर सतीश देशपांडे को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यह शोधपत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिया और प्रतिभागियों को उनकी ज्ञानवर्धक टिप्पणियों के लिए धन्यवाद देता हूँ। शोधपत्र में यदि कोई कमी रह गई हो तो उसका उत्तरदायित्व मुझ पर है।

अंतिम टिप्पणी

1. पिछले पचास वर्षों में धामपुर गाँव में आए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन पर विस्तृत चर्चा के लिए सिंह (2005) देखें।
2. 1990 से 2010 के बीच यह इलाका इतना अशांत था कि मतदान अधिकारियों के लिए मुख्य लक्ष्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना नहीं था, बल्कि मतदान के बाद किसी तरह सुरक्षित वापस लौटना था। वे पूरी तरह जानते थे कि यदि गाँव एकजुट है, तो मतदान दल के लिए निष्पक्ष मतदान लागू करना अत्यधिक जोखिम भरा होगा; यदि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा हो (चुपचाप बूथ कैचरिंग) तो मतदान अधिकारी बूथ कैचरिंग को नहीं रोकेंगे। इस प्रकार, एक एकजुट गाँव में 90% वोट डालने की क्षमता थी, जो निष्पक्ष मतदान में 60% से अधिक नहीं होगी। दूसरे गाँवों के लोगों के पास दूसरे गाँव में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि तीनों गाँवों पर तीन प्रमुख जातियों का प्रभुत्व था।
3. धामपुर के राजपूतों ने 1972 के पंचायत चुनाव के दौरान धामपुर के पवन पांडे का समर्थन किया था, जिससे पवन पांडे की जीत हुई। पांडे 1978 में चुनाव हार गए क्योंकि राजपूत चाहते थे कि उनकी जाति का कोई व्यक्ति मुखिया बने।
4. सिंह (2009) तीन प्रकार के सह-विकल्प की बात करते हैं, अर्थात् व्यक्तिगत सह-विकल्प, जहां एक उम्मीदवार परिवार के लोगों का प्रतिनिधि होता है, गुटीय सह-विकल्प, जहां उम्मीदवार को एक गुट के भीतर सह-चुना जाता है, और राजनीतिक सह-विकल्प, जबकि उम्मीदवार केवल मौजूदा राजनीतिक विभाजन का प्रतिनिधि बन जाता है।

5. क्षेत्रीयता लोगों और चीजों को नियंत्रित करने के मानवीय प्रयास का बहुत बड़ा हिस्सा रही है। रॉबर्ट सैक (1986) द्वारा लिखित; 'मनुष्यों में क्षेत्रीयता को क्षेत्र को नियंत्रित करके संसाधनों और लोगों को प्रभावित, असर डाला या नियंत्रित करने की एक स्थानिक रणनीति के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है: और, एक रणनीति के रूप में, क्षेत्रीयता को चालू और बंद किया जा सकता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थानिक व्यवहार का एक रूप है। फिर मुद्दा यह पता लगाना है कि किन परिस्थितियों में और क्यों क्षेत्रीयता का उपयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है' (1)।
6. हालांकि राज्य ने राज्य से लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न जातियों को जाति श्रेणियों के रूप में जोड़ दिया है, लेकिन वास्तव में राजनीति में व्यक्तिगत जाति की आबादी मायने रखती है। बेशक, कभी-कभी राजनीतिक लामबंदी जाति श्रेणियों के साथ होती है, यह नियम से ज्यादा अपवाद है। एक जाति श्रेणी की सबसे बड़ी जातियां चुनावी लामबंदी की प्रमुख लाभार्थी बनी हुई हैं (तालिका 1 देखें)। यह पहले के अध्ययन की पुष्टि करता है कि प्रमुख जातियां मायने रखती हैं (सहाय: 2009)
7. बौर्डियू लिखते हैं (1977): 'प्रत्येक स्थापित व्यवस्था (बहुत अलग-अलग मात्रा में और बहुत अलग तरीकों से) अपनी मनमानी को स्वाभाविक बनाने की कोशिश करती है। इस प्रभाव को उत्पन्न करने वाले सभी तंत्रों में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी तरह से छिपा हुआ निस्संदेह वस्तुनिष्ठ अवसरों और एजेंट की आकांक्षाओं की द्वंद्ववात्मकता है, जिसमें से सीमाओं की भावना पैदा होती है, जिसे आमतौर पर वास्तविकता की भावना कहा जाता है, वस्तुनिष्ठ वर्गों, सामाजिक संरचना के बीच पत्राचार, जो स्थापित व्यवस्था के प्रति सबसे अटूट पालन का आधार है' (164)।

संदर्भ

- Austin, Granville. (1999). *The Indian Constitution*. Delhi: Oxford University Press.
- Baviskar B.S. and Mathew, George. (2009). *Inclusion and Exclusion in Local Governance: Field Studies from Rural India*. Delhi: Sage Publications.
- Beteille, Andre. (1965) 1996. *Caste, Class and Power: Changing Patterns of Stratification in a Tanjore Village*. Delhi: Oxford University Press.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. U K: Cambridge University Press.
- Dube, S. C. (1968). Caste Dominance and Factionalism. *Contributions to Indian Sociology*, 2(1), 58-81. <https://doi.org/10.1177/0069966719680103>
- Dumont, L. (1980). *Homo Hierarchicus: The Caste System and its Implications*. Delhi: Oxford University Press.
- Election Commission of India. (2005). *Voter's List, Aslempur Panchayat*. Delhi
- Frankel, F. C. (1989). 'Caste, Land and Dominance in Bihar: Breakdown of the Brahmanical Social Order', in F R Frankel and Rao, M.S.A. (edit), *Dominance and State Power in Modern India*, Vol 1. Delhi: Oxford University Press.
- Gupta, Shaibal. (2001). Bihar: New Panchayats and Subaltern Resistance, *Economic and Political Weekly*, 36 (29), 2742-44.
- Gupta, T.D. (1992 a). Yadav Ascendancy in Bihar Politics, *Economic and Political Weekly*, 1304-1306.
- Gupta, T.D. (1992 b). Caste Complications in Agrarian Conflict, *Economic and Political Weekly*. 929-930
- Geertz, Clifford. (2017). *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books.
- Jain, L. C. et, al. (1985). *Grass Without Roots*. Delhi: Sage Publications.

- Kumar, Girish & Majumdar. (2013). Bihar, in Status of Panchayati Raj in the States and Union Territories of India. Delhi: Institute of Social Sciences.
- Louis, Prakash. (2002). People Power: The Naxalite Movement in Central Bihar. Delhi, Wordsmith.
- Mathew, George. (2013). Panchayati Raj in India: An Overview, in Status of Panchayati Raj in the States and Union Territories of India, Delhi: Institute of Social Sciences.
- Mathew George, & Nayak, Ramesh C. (1996). Panchayats at Work: What it means for the Oppressed? in *Economic and Political Weekly*, 31 (27), 1765-1771.
- Mathur, Kuldeep. (2013). Panchayati Raj. Delhi: Oxford University Press.
- Marx, Karl. (1952). 'The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte', The Marx- Engels Reader, Tucker, Robert C. (edit). New York: W. W. Norton & Company, pp. 595-617.
- Pankaj, Ashok K. & Singh, M.P. (2005). 'The Changing Socio-Political Profiles of Local Political Elites (Mukhias) in Bihar: A Study of the 1978 and 2001 Panchayat Elections', *Contributions to Indian Sociology*, 39(3), 407-28.
- Pur, K. A. (2006). Selection by Custom, Election by Statute: Interfaces in Local Governance in Karnataka, Gopal, Nirja, etc. (edit), Local Governance in India: Decentralisation and Beyond. Delhi: Oxford University Press, 27-46.
- Sack, Robert, D. (1986). Human Territoriality: Its Theory and History. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sahay Gaurang R. (2009). Major Caste Matters: Caste and Politics in rural Bihar, in *Contributions to Indian Sociology* (n.s.) 43 (3), 411-41. <https://doi.org/10.1177/006996670904300303>
- Seshadri, K. 1976. Political Linkages and Rural Development. Delhi: National Publishing House. pp. 217.
- Singh, Shashi Bhushan. (2005). Limits to Power: Naxalism and Caste Relations in a South Bihar Village, *Economic and Political Weekly*, 40, 3167-3175.
- Singh, Shashi Bhushan. (2009). 'Devolution of Power through Panchayat in Rajasthan', Baviskar B.S. and Jorge Mathew (2009): Inclusion and Exclusion in Local Governance: Field Studies from Rural India, Delhi. Sage Publications, 379-405.
- Srinivas, M. N. (1994). Village Studies, Participant Observation and Social Science Research in India, in Srinivas, M. N. The Dominant Caste and Other Essays. Delhi: Oxford University Press.
- Srinivas, M. N. (2002). 'The Dominant Caste in Rampura', in M. N. Srinivas, Collected Essays. Delhi: Oxford University Press, 74-92.
- Srinivas, M. N. & Shah, A. M. (2007). The Grassroots of Democracy: Field Studies of Indian Elections, Delhi: Permanent Black.

झारखंड में पेसा के लिए स्थानीय-स्वशासन अधिनियम के अनुपालन का आकलन: इसकी स्थापना के ढाई दशक बाद एक नीति समीक्षा

दीप्ति परिधि किंडो और प्रदीप कुमार भौमिक

सार

'अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पीईएसए) अधिनियम, 1996' को लागू हुए छब्बीस साल हो चुके हैं। इसके बावजूद, 2022 से पहले 10 में से चार पेसा राज्यों में यह असंगत रहा, जिससे पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों (एफएसए) में रहने वाली लगभग आधी आबादी प्रभावित हुई, जहाँ मुख्य रूप से स्वदेशी और आदिवासी लोग रहते हैं, जहाँ उनके प्रथागत कानून, सामाजिक मानदंड और साझा संसाधनों की पारंपरिक प्रथाएँ हैं। दो राज्यों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने 2022 में राज्य-विशिष्ट पेसा दिशा-निर्देशों को लागू किया, लेकिन झारखंड और ओडिशा ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। यह पत्र '5-ई दृष्टिकोण' मॉडल के तहत पेसा अधिनियम के सभी 13 प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति का विश्लेषण करता है, जिसमें मुख्य खंड जैसे प्रभावशीलता, दक्षता, नैतिक विचार, प्रबंधनीयता या विकल्पों का मूल्यांकन और आदिवासी बहुल झारखंड में सकारात्मक बदलाव के लिए सिफारिशों की स्थापना शामिल हैं, जहाँ 24 में से 16 जिले पेसा के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 32 अलग-अलग अनुसूचित जनजातियाँ शामिल हैं। पत्र इंगित करता है कि झारखंड में पारित किए जाने वाले प्रस्ताव के साथ नैतिक रूप से स्वीकार्य अलग पेसा नियमों को तैयार किया जाना है, जो स्वदेशी और आदिवासी लोगों को स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अधिकार और शक्तियों के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण प्रदान करेगा। इसके अलावा, सतत विकास गोल टारगेट 16.7 का उद्देश्य सभी स्तरों पर उत्तरदायी, समावेशी, भागीदारी और प्रतिनिधि निर्णय लेना सुनिश्चित करना है।

कीवर्ड: स्थानीय स्वशासन, विकेंद्रीकरण, पेसा अधिनियम, अनुसूचित जनजाति, सामुदायिक संसाधन, नीति समीक्षा, 5-ई दृष्टिकोण मॉडल, सतत विकास लक्ष्य।

*पीएचडी स्कॉलर [ओआरसीआईडी आईडी: 0000-0001-5683-9014] और **एसोसिएट प्रोफेसर [ओआरसीआईडी आईडी: 0000-0002-8654-1224], ग्रामीण विकास और अभिनव सतत प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, भारत -721302; ईमेल: dipti.paridhi@iitkgp.ac.in, dipti.paridhi@gmail.com

परिचय

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, जिसे आमतौर पर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के रूप में जाना जाता है, लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर सत्ता के विकेंद्रीकरण को दर्शाता है। यह पूरे भारत में ग्रामीण विकास में सामाजिक-आर्थिक प्रगति और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करता है। 2021 तक, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पीईएसए) अधिनियम, 1996, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से स्वदेशी और आदिवासी समुदायों द्वारा बसे पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों (एफएसए) में स्थानीय स्वशासन को सुविधाजनक बनाना है, अपनी स्थापना के एक चौथाई सदी पूरे कर चुका है। फिर भी, 2023 में, इन सीमांत समूहों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक कानून दो राज्यों, झारखंड और ओडिशा में लागू नहीं हुआ है। झारखंड और ओडिशा में कुल अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी क्रमशः 26.21 प्रतिशत और 22.85 प्रतिशत है, जो सभी दस पेसा राज्यों में दूसरे और तीसरे स्थान पर है।

परिणामस्वरूप, ये आदिवासी समुदाय उन सशक्तीकरण अधिकारों से वंचित हैं जिनके वे हकदार हैं (ज्योति, 2021; एस. पाल, 2021; पांडे, 2021; पंडित, 2021)। भले ही पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने 2009 में ही सभी राज्यों को पेसा नियमों का एक मसौदा मॉडल प्रसारित कर दिया था, जिसमें पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया था (पंडित, 2021), ऊपर उल्लिखित दो राज्य अभी भी कार्यान्वयन प्रक्रिया में हैं। पेसा की आत्मा स्पष्ट अक्षमता, घोर उल्लंघन और संरचनात्मक खामियों से नष्ट हो गई है (पाल, 2021)।

भारतीय राष्ट्रीय पहचान के संदर्भ में, यह माना जाता था कि आदिवासी 'मानक अवधारणा' को पूरा नहीं करते हैं, और भारत सरकार इस धारणा पर अपर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया देती है। राज्य और गैर-राज्य स्तरों पर आदिवासी लोगों को उस चीज़ में एकीकृत करने के लिए पहल हुई है जिसे आमतौर पर "राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा" कहा जाता है (चौधरी, 2006)। उपनिवेशवाद शुरू होने से पहले, आदिवासी लोग सामाजिक-आर्थिक रूप से अविकसित थे, लेकिन अपनी "भूमि, जंगल और जल" का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से करते थे। मुख्यधारा में लाना शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से भारत की महत्वपूर्ण सभ्यता के "लोकाचार, मूल्यों और परंपराओं" का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आदिवासियों

के लिए एक धारणा है कि मुख्यधारा में फिट होने के लिए खुद को ढालने से उनकी स्थिति अपने आप सुधर जाएगी, जो नहीं हुआ है (जाक्सा, 2016)। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, एफएसए के तहत राज्यों ने लोहा, यूरेनियम, कोयला और अन्य धातुओं को जब्त करने, मेगा-बांध बनाने, शहरीकरण करने, बुनियादी ढाँचा विकसित करने आदि के लिए बड़े पैमाने पर स्वदेशी क्षेत्रों का उपयोग किया है। विकास और औद्योगीकरण के नाम पर, इन भूमि के मालिक स्वदेशी लोग प्रभावित होते हैं (हेम्ब्रोम, 2018), जिससे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के साथ उनके गहरे अंतर्निहित संबंध प्रभावित होते हैं (गोल्डटूथ, 2004)। हालाँकि, वर्तमान में, प्राथमिक ध्यान उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से 'आदिवासी आजीविका' के लिए संभावनाओं की रक्षा और विस्तार करने और ग्राम सभा (जीएस) को प्रदान की गई शक्तियों के उचित निष्पादन के माध्यम से पेसा राज्यों में एक समूह के रूप में उनके विकास का समर्थन करने पर होना चाहिए, भले ही वे केवल ब्लूप्रिंट दस्तावेजों में दिखाई दें (किंडो और भौमिक, 2019)।

पेसा और इसकी विशेषताओं का अवलोकन

पेसा अधिनियम, ग्राम सभाओं को अपने रीति-रिवाजों की रक्षा और संरक्षण करने तथा अपने समुदायों के प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने और प्रथागत तरीके से विवाद समाधान करने की स्वायत्तता प्रदान करता है (सहोता, 2014)। ग्राम सभाओं की शक्तियों की विस्तृत सूची के प्रकाश में, यह इस बात पर जोर देता है कि पेसा अधिनियम पारंपरिक जनजातीय प्रणाली और इस प्रकार, भारत में आदिवासियों के रीति-रिवाजों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। पेसा अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

i. ग्राम सभा को विशेष शक्तियाँ

प्रत्येक गाँव की अपनी ग्राम सभा होगी, भले ही ग्राम पंचायत (जीपी)-वार ग्राम सभा हो, जिसमें जीपी के सभी मतदाता शामिल हों। एक गाँव में एक या एक से अधिक बस्ती या टोले हो सकती हैं, जो एक समुदाय बनाती हैं और अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करती हैं।

ii. ग्राम सभा निम्नलिखित की सुरक्षा और संरक्षण करने में "सक्षम" है:

(ए) लोगों की परंपराएँ और रीति-रिवाज और उनकी सांस्कृतिक पहचान, (बी) सामुदायिक संसाधन, और (सी) विवाद समाधान का प्रथागत तरीका।

iii. ग्राम सभा के अनिवार्य कार्यकारी कार्य होते हैं:

(क) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को मंजूरी देना। (ख) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना, और (ग) धारा में संदर्भित योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए पंचायत द्वारा धन के उपयोग का प्रमाण पत्र जारी करना।

iv. उचित स्तर पर ग्राम सभा/पंचायत को विशेष शक्तियाँ:

(क) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार। (ख) लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन। (ग) लघु खनिजों के लिए पूर्वक्षण लाइसेंस, खनन पट्टे और रियायतें देने से पहले उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत द्वारा अनिवार्य सिफारिशें।

v. उचित स्तर पर ग्राम सभा और पंचायत को दी गई शक्तियाँ:

(क) मादक पदार्थों की बिक्री/खपत को विनियमित करना, (ख) लघु वन उपज का स्वामित्व, (ग) भूमि हस्तांतरण को रोकना और हस्तांतरित भूमि को बहाल करना। (घ) गांव के बाजारों का प्रबंधन करना, (ङ) अनुसूचित जनजातियों को साहूकारी पर नियंत्रण करना, (च) सामाजिक क्षेत्र में संस्थाओं और पदाधिकारियों तथा आदिवासी उप-योजनाओं और संसाधनों सहित स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण करना। (पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996, 1996)

झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, जिसके 24 में से 16 जिले पेसा के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 32 अलग-अलग अनुसूचित जनजातियाँ शामिल हैं। भले ही पेसा अधिनियम को एक अलग राज्य नियम के रूप में लागू नहीं किया गया है, लेकिन राज्य के स्थानीय स्वशासन अधिनियम जिसे 'झारखंड पंचायती राज अधिनियम (जेपीआरए), 2001' (झारखंड सरकार, 2001) के रूप में जाना जाता है, ने अब तक नीति स्तर पर पेसा के अन्य प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रावधानों को काफी हद तक शामिल किया है। 5-ई दृष्टिकोण मॉडल के तहत पेसा के सभी 13 प्रावधानों के

अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई है (कस्ट-एशमेंट, 2017; मॉसन एंड इवांस, 1991; सलामॉन, 2011) जिसके मुख्य खंड हैं "प्रभावशीलता, दक्षता, नैतिक विचार, प्रबंधनीयता या विकल्पों का मूल्यांकन और सकारात्मक बदलाव के लिए सिफारिशों की स्थापना" और दो और खंड कार्यान्वयन की स्थिति और अनुभवजन्य साक्ष्य (लोगों की प्रतिक्रिया) जोड़े गए हैं। पत्र इंगित करता है कि झारखंड में पारित किए जाने वाले प्रस्ताव के साथ नैतिक रूप से स्वीकार्य अलग पेसा नियम तैयार किए जाने हैं, जो स्वदेशी लोगों को स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करेंगे (राँय, 2023)।

इसलिए, यह पत्र निम्नलिखित शोध प्रश्नों की जांच करेगा: (i) झारखंड में पेसा अधिनियम को लागू करने की वर्तमान स्थिति क्या है? ii) 5-ई दृष्टिकोण मॉडल के तहत पेसा अधिनियम के 13 प्रावधानों का झारखंड कितना अनुपालन करता है? इसके अलावा, (iii) झारखंड में पेसा अधिनियम के संबंध में आदिवासी समुदायों और ग्राम पंचायत नेताओं की धारणाएं क्या हैं?

साहित्य समीक्षा

प्राचीन काल से ही लोगों के पास स्थानीय स्तर पर विभिन्न विधानसभाओं और समितियों के माध्यम से अपने स्वयं के शासन तंत्र के साथ अपने स्वयं के शासन वाले गाँव रहे हैं। बाद में, इसे दो अलग-अलग सरकारों में विभाजित कर दिया गया: स्थानीय और राज्य सरकारें। एक पंचायत स्थानीय सरकार पर शासन करती थी। पंचायती राज, एक विकेन्द्रीकृत सरकार जहाँ हर समुदाय आत्मनिर्भर है और अपनी गतिविधियों के लिए जवाबदेह है, महात्मा गांधी द्वारा भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव के रूप में प्रस्तावित किया गया था। पंचायतें पारंपरिक रूप से ग्रामीण निवासियों के नियमित शासन में प्रभावशाली रही हैं। इसे भारतीय संविधान द्वारा भी मान्यता प्राप्त है, जो 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40' में कहता है कि: "राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्व-सरकारी इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।"

पंचायती राज का अध्ययन करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति को चुना गया था। 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम को लागू करने से पहले, इन तीन दशकों में विभिन्न सिफारिशों के साथ

विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। '73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों को 'स्वशासन की संस्था' के रूप में प्रस्तुत करते हुए 'त्रिस्तरीय पंचायती राज' की घोषणा की गई। 1992 में अधिनियमित 73वें संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन और नियोजन के अधिदेशों को बढ़ाया गया, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों की जातीयता को संरक्षित करने और पारंपरिक प्रणाली को संरक्षित करने के लिए 1996 में पेसा अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया।

"दी गई शक्तियों और प्रयोग की गई शक्तियों के बीच एक बुद्धिमानी भरा अंतर है" (सी. एस. कुमार एट अल, 2023, पृष्ठ 132)। फिर भी लाइन विभाग या शीर्ष-स्तरीय शासी संस्थान (मोहपात्रा, 2016) ग्राम पंचायतों के बजाय कार्यक्रम/योजनाएं तैयार और कार्यान्वित कर रहे हैं। स्थानीय समुदायों की लगातार मांगों और आधिकारिक निकायों की सिफारिशों के बावजूद, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में कई आदिवासी बस्तियों को इन अनुसूचियों में शामिल नहीं किया गया है। समावेशन की यह कमी महत्वपूर्ण है क्योंकि पांचवीं और छठी अनुसूचियां आदिवासी क्षेत्रों को विभिन्न सुरक्षा और स्वायत्तता प्रदान करती हैं, जो आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने, आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करने और सामाजिक न्याय बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं (बिजाय, 2015 बी)। पेसा अधिनियम के प्रावधानों पर अधिकांश शोध दस पेसा राज्यों में से अन्य राज्यों पर केंद्रित है। झारखंड में पेसा के कार्यान्वयन और प्रभाव पर विशेष रूप से अध्ययन का अभाव है।

झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पेसा के कार्यान्वयन की जांच करने वाले एक अध्ययन में पाया गया है कि भागीदारी विकास की दिशा में पहल तो हुई है, लेकिन कार्यान्वयन प्रक्रिया को कमजोर किया गया है और अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है, जिससे आदिवासी समुदायों का शोषण और वंचना जारी है। अधिनियम के प्रावधानों को राज्य के कानूनों में शामिल नहीं किया गया है और जहां उन्हें शामिल किया गया है, वहां भी कार्यान्वयन असंगत रहा है। आदिवासी नेताओं और समुदायों के बीच पेसा प्रावधानों के बारे में जागरूकता की कमी है (तिवारी, 2018)। झारखंड के उत्तरी करनपुरा में उच्च-स्तरीय योजना के बावजूद, स्थानीय वास्तविकताएँ अक्सर अलग-अलग होती हैं, जिससे

हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए किराया निकालने और जीवित रहने के अवसर पैदा होते हैं। विद्रोही समूहों और राजनीतिक हितों द्वारा समर्थित अनौपचारिक कोयला अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण चुनौतियों के बावजूद कोयले की निरंतर आवाजाही सुनिश्चित करती है (ऑस्करसन और किंडो, 2018), जबकि स्थानीय योजनाओं और उन योजनाओं के लिए संसाधनों को नियंत्रित करने की शक्ति ग्राम पंचायतों के पास रहती है।

केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में जनजातीय बस्तियों को पांचवीं या छठी अनुसूची के तहत नहीं लाया गया है। जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनमें जनजातीय बस्तियों को छोड़ दिया गया है, उन्हें अभी तक अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। 1996 में पेसा अधिनियम पेश किया गया था, और पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र वाले नौ राज्यों को पेसा के लागू होने के एक वर्ष के भीतर उपयुक्त कानून बनाने थे, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों वाले ये राज्य निराशाजनक रहे हैं और ग्राम पंचायतों को विभिन्न शक्तियाँ और अधिकार देने में विफल रहे हैं। अस्पष्ट दिशा-निर्देश, कानूनी दुर्बलता, नौकरशाही की उदासीनता, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, सत्ता परिवर्तन के प्रतिरोध और लोकतंत्र के दीर्घकालिक मूल्य को पहचानने में विफलता के कारण पेसा विफल रहा (बिजाय, 2012; दांडेकर, 2016)। 11वें वित्त आयोग ने पंचायतों को उनके कार्यात्मक, वित्तीय और प्रशासनिक सुधार के लिए उपाय सुझाकर, भूमि/कृषि आय पर कर लगाकर, उपयोगकर्ता शुल्क संशोधित करके और पंचायतों को कार्य और शक्ति हस्तांतरित करके व्यवहार्य संस्थाएँ बनाने पर जोर दिया (एम. पाल, 2000)। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद ने चयनित राज्यों में, विशेष रूप से उन राज्यों में, जहाँ वैकल्पिक लामबंदी के कारण कठिनाइयाँ देखी गई हैं, एमओआरपी द्वारा कमीशन किए गए एक स्वतंत्र मूल्यांकन का आयोजन किया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पेसा की औपचारिक जिम्मेदारी पंचायती राज मंत्रालय के पास है।

इसके विपरीत, अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रतिमान का परिवर्तन जनजातीय मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। केंद्र सरकार में इन दो अलग-अलग मंत्रालयों के बीच तालमेल मौजूद नहीं था। राजनीतिक अधिकारियों और प्रशासकों के बीच पेसा के कट्टरपंथी चरित्र के बारे में जानकारी और समझ का सामान्य अभाव है, इसके संदेश को प्रसारित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए गए हैं (दांडेकर और चौधरी,

2010)। छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाफ दायर याचिका में माओवादी/नक्सली विद्रोह और सरकार के आतंकवाद विरोधी हमलों के कारण दंतेवाड़ा जिले और पड़ोसी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

इसने रावघाट में प्रस्तावित लौह अयस्क खनन परियोजना पर भी ध्यान केंद्रित किया, पारिस्थितिकी तंत्र और आदिवासी समुदायों पर इसके विनाशकारी प्रभावों की चेतावनी दी। याचिकाकर्ताओं ने परियोजना के खिलाफ लोकतांत्रिक विरोध की आवश्यकता और पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने वाले कानून के कार्यान्वयन की कमी पर जोर दिया (दांडेकर और गिल, 2014)। भूमि प्रशासन के मुद्दे, जिसमें भूमि अलगाव और विस्थापन (बिजाँय, 2015ए) और अवैध खनन (देब और सरकार, 2017; ओस्करसन एट अल., 2024) शामिल हैं, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में प्रचलित हैं। विकास परियोजनाओं ने सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल को जन्म दिया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में चिंताएँ बढ़ी हैं, और आदिवासियों के अधिकारों की उपेक्षा और शोषणकारी विकास मॉडल ने भूमि संघर्षों को बढ़ा दिया है (वीरेशा, 2022)।

विशेष रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में, उनके अधिकारों की रक्षा करने और भूमि अलगाव को रोकने वाले कानूनों को लागू करने में सरकार की विफलता के जवाब में, संशोधनों और अध्यादेशों के माध्यम से उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों के रूप में जनजातियों ने पत्थलगड़ी आंदोलन के रूप में प्रतिरोध करना शुरू कर दिया, (खाक्सा, 2019 बी)। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, अनुसूचित क्षेत्रों को विकास-प्रेरित विस्थापन, भूमि अलगाव और खराब स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतकों का सामना करना पड़ता है। राज्यपालों ने आदिवासी आबादी के हितों की प्रभावी रूप से रक्षा नहीं की है, जिससे संविधान का उल्लंघन और आदिवासी अधिकारों की उपेक्षा हुई है, और उन्होंने विभिन्न स्तरों पर अधिनियम का उल्लंघन किया है (चौबे, 2015 ए; खाक्सा, 2019 ए)।

झारखंड के मामले में, पेसा अधिनियम उनके हितों की रक्षा के लिए कई उपाय प्रदान करता है। जनजातीय क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण से इष्टतम परिणाम नहीं मिले हैं, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं से संतुष्टि कम थी; स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है (आर. कुमार, 2022)। जीवंत निकायों के लिए उच्च स्तर की पंचायतों को मजबूत करने के लिए राज्यों के साथ वकालत की समग्र आवश्यकता है।

पेसा का उद्देश्य एफएसए की आत्मनिर्भरता के लिए उत्कृष्टता के केंद्रों के रूप में ग्राम सभा को सशक्त बनाना है। पेसा अधिनियम ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार देता है, जबकि राज्य विधायिका जीएस और पीआरआई के कामकाज को सुनिश्चित करने में सलाहकार की भूमिका में कार्य करती है। ग्राम सभा पंचायती राज की धुरी है, और गाँव के समग्र विकास के लिए ग्राम सभा में आवश्यकता-आधारित योजनाएँ तैयार की जाती हैं (तकीउद्दीन, 2023, पृष्ठ 150)। जिम्मेदारियों का प्रतिनिधिमंडल सहायकता के सिद्धांत का एक उदाहरण है। इसके कारण, उच्च स्तर पर पंचायतों को निचले स्तरों की शक्ति में कटौती करने का अधिकार नहीं है, और संरचना स्वतंत्र होनी चाहिए। इसके बाद के वर्षों में भारत सरकार द्वारा पंचायतों को पुनर्जीवित करने और उनमें नई ऊर्जा भरने के लिए कई समितियाँ गठित की गईं। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के गठन से लेकर 2021 में पंद्रहवें वित्त आयोग के गठन तक भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मील के पत्थर साबित हुए, जिसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें तालिका 1 में सूचीबद्ध हैं।

ढाई दशक बाद पेसा अधिनियम, 1996 की यथास्थिति

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल आबादी में आदिवासी 8.6 प्रतिशत हैं, फिर भी वे भारतीय समाज में सबसे अधिक हाशिए पर पड़े लोगों में से हैं। सभी 10 पेसा राज्यों की कुल आबादी में राज्यवार आदिवासी आबादी से पता चलता है कि झारखंड अपनी कुल एसटी आबादी के 26.21 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि छत्तीसगढ़ में एसटी आबादी सबसे अधिक 31.76 प्रतिशत है (चित्र 1)।

तालिका 1


भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए गठित समितियाँ, 1957-2021

क्र.सं.	समितियाँ	वर्ष	प्रमुख सिफारिशें
1	बलवंत राय मेहता समिति	1957	<ul style="list-style-type: none"> • त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था • संसाधनों और सत्ता का हस्तांतरण। • पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लिए प्रशिक्षित कर्मियों का एक कैडर
2.	आरदिवाकर .आर . समिति	1962	<ul style="list-style-type: none"> • प्रत्येक राज्य में ग्राम सभा (जीएस) को वैधानिक मान्यता प्रदान करना तथा निधियों और कार्यों पर विचार करते हुए अधिक बार बैठकें आयोजित करना।
3	केसंथानम समिति .	1963	<ul style="list-style-type: none"> • राजस्व जुटाने पर पंचायतों का आंशिक नियंत्रण होगा • 'राज्य पंचायती राज वित्त निगम' का गठन।
4	अशोक मेहता समिति	1977-1978	<ul style="list-style-type: none"> • कराधान शक्ति के साथ दो-स्तरीय प्रणाली • पीआरआई के लिए संवैधानिक मान्यता। • सभी स्तरों पर राजनीतिक दल • 'राज्य मंत्रिपरिषद' द्वारा चुना जाने वाला एक मंत्री।
5	जी वी के राव समिति (1985)	1985	<ul style="list-style-type: none"> • विकासात्मक योजनाओं की योजना बनाने, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए खंड विकास कार्यालय को मजबूत बनाना।
6	एल एम सिंघवी समिति	1986	<ul style="list-style-type: none"> • ग्राम सभा को पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देते हुए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक होना चाहिए।
7	सरकारिया आयोग	1988	<ul style="list-style-type: none"> • नियमित और समय पर चुनाव • पर्याप्त धन की उपलब्धता
8	73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था,	1992	<ul style="list-style-type: none"> • संविधान में भाग IX जोड़ा गया है, जिसमें प्रत्येक राज्य में त्रि-स्तरीय प्रणाली के साथ 29 विषय सूचीबद्ध हैं।
9	भूरिया समिति	1995	<ul style="list-style-type: none"> • "पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए पेसा अधिनियम" का विनियमन
10	पेसा अधिनियम	1996	<ul style="list-style-type: none"> • प्रथागत कानून के अनुसार स्वशासन, पांचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को भी प्रदान किया गया है।
11	पंचायती राज मंत्रालय	2004	<ul style="list-style-type: none"> • केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना की गई
12	तेरहवाँ वित्त आयोग	2009	<ul style="list-style-type: none"> • "संघीय राजस्व विभाज्य पूल में पंचायतों का हिस्सा"
13	चौदहवाँ वित्त आयोग	2015-2020	<ul style="list-style-type: none"> • पंचायतों को दिए जाने वाले मूल अनुदान का उपयोग पूर्वनिर्धारित मूल सेवाओं के लिए किया जाएगा। • मूल अनुदान और प्रदर्शन अनुदान का अनुपात 90:10 होगा।
14	पन्द्रहवाँ वित्त आयोग	2021 के बाद	<ul style="list-style-type: none"> • स्थानीय सरकारों के प्रति कोई एकीकृत दृष्टिकोण नहीं। • प्रदर्शन अनुदान में कटौती और उन्हें सीमित क्षेत्रों तक सीमित करना।

स्रोत: (आलोक, 2011; एम. पाल, 2020; XV वित्त आयोग की रिपोर्ट, 2019) से लेखक द्वारा संकलित

चित्र 1

पेसा राज्यों में एसटी आबादी का प्रतिशत



स्रोत: लेखक द्वारा 2011 की जनगणना से संकलित।

यह पाया गया है कि पेसा की प्रभावशीलता "अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही है क्योंकि यह नियम बनाने की शक्तियों को निर्दिष्ट नहीं करता है या राज्यों को नियम बनाने के लिए कोई अवधि प्रदान नहीं करता है।" राज्य ने इस कानून को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देने का प्रयास किया है, हालांकि साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में 'कॉर्पोरेट पूंजी' से जुड़े एजेंडे को आगे बढ़ाया है (चौबे, 2015 बी, 2017)। इसके अलावा, राज्यों द्वारा तैयार किए गए संगत नियमों की अनुपस्थिति के कारण पेसा की प्रभावशीलता में देरी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कानून के व्यावहारिक कार्यान्वयन में कमी आई है। अधिकांश शोध अध्ययन पेसा अधिनियम (तिवारी, 2018) के अलग-अलग या केवल कुछ प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुल मिलाकर, पेसा के बारे में साहित्य का काफी अभाव है, जो झारखंड से भी संबंधित है, तथा इसके कार्यान्वयन और परिणामी प्रभाव का व्यवस्थित विश्लेषण भी अपर्याप्त है।

17 मई, 2010 को डॉ. बी. डी. शर्मा ने भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए 'मावा नाटे मावा राज' (हमारा गांव हमारा शासन) (पांडे, 2021) नामक एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने पेसा अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया, जिन्हें आदिवासी समुदायों की गरिमा के संबंध में लागू किया जाना चाहिए (चौबे, 2017)। डॉ. शर्मा ने 1981 में अपनी नौकरशाही भूमिका से इस्तीफा दे दिया, और वे ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने भूरिया आयोग की रिपोर्ट, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) और पेसा अधिनियम (सेनगुप्ता, 2015) की आधारशिला रखने में योगदान दिया।

इसके बाद, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने बी.डी. शर्मा उप-समिति नामक एक उप-समिति की स्थापना की, जिसका काम ग्राम सभा को उनकी परिकल्पित शक्तियों के अनुरूप सशक्त बनाने के लिए पेसा के लिए मॉडल दिशानिर्देश तैयार करना था

(पंचायती राज मंत्रालय, 2010)। एमओपीआर की प्रेस विज्ञप्ति 'पेसा अधिनियम, 2021 का कार्यान्वयन' ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों पर प्रकाश डालती है। एमओपीआर ने 2009 में राज्य सरकारों को लक्षित करते हुए पेसा के लिए मसौदा मॉडल नियम प्रसारित किए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) ने विभिन्न माध्यमों से मानव संसाधन सहायता और बढ़ी हुई क्षमता प्रदान की। उल्लेखनीय प्रयासों में पेसा राज्यों के लिए राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन, पीआरआई के लिए मैनुअल तैयार करना और एफएसए राज्यों में सामुदायिक लामबंदी के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना शामिल है। 2016 में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के दौरान, दिशानिर्देशों का एक अलग सेट जारी किया गया था, जिसमें पेसा क्षेत्रों में भागीदारीपूर्ण स्थानीय विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यापक कदमों की रूपरेखा दी गई थी। अफसोस की बात है कि ये दिशा-निर्देश उन राज्यों के लिए मायावी बने रहे जहां पेसा दिशानिर्देश प्रकाशित नहीं किए गए थे। इसके अलावा, पेसा राज्यों के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये का वार्षिक आबंटन

प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य पेसा के निष्पादन की निगरानी के लिए समर्पित एक अलग कम्पार्टमेंट स्थापित करना था (लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पीआरआई रिपोर्ट पर कार्य समूह, 2006)। हालांकि, पंचायतों की स्थापना को मजबूत करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर इस तर्क के साथ छोड़ दी गई है कि पंचायत एक "राज्य विषय" है (राँय, 2023, पृष्ठ 105)।

नवंबर 2021 में, पेसा अधिनियम के प्रावधानों पर केंद्रित एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 25 वर्षों के भीतर पेसा के कार्यान्वयन की गहन समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है (पंचायती राज मंत्रालय, 2020)। यह समस्या अपरिहार्य है और इसे दो राज्यों - ओडिशा और झारखंड में संबोधित किया जाना चाहिए - जिन्होंने अभी तक दस राज्यों में से पेसा दिशानिर्देश तैयार नहीं किए हैं। आगे स्पष्ट करने के लिए, तालिका 2 उन आठ राज्यों का अद्यतन अवलोकन प्रस्तुत करती है जिन्होंने सफलतापूर्वक अपने पेसा नियम तैयार किए हैं।

तालिका 2

पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के अंतर्गत राज्यों द्वारा बनाए गए पेसा नियमों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	पेसा नियम
1	आंध्र प्रदेश (एपी)	आंध्र प्रदेश पेसा नियम 2011
2	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ पंचायत नियम (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार)2022
3	गुजरात	पेसा नियम 2017 के गुजरात प्रावधान और पेसा (संशोधन) नियम 2017 के गुजरात प्रावधान
4	हिमाचल प्रदेश (एचपी)	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार)2011
5	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश पंचायत नियम (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार)2022
6	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र ग्राम पेसा नियम, 2014
7	राजस्थान	राजस्थान पंचायत राज (अनुसूचित क्षेत्रों में उनके आवेदन में प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 1999 राजस्थान पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों में उनके आवेदन में प्रावधानों का संशोधन) नियम, 2011
8	तेलंगाना	आंध्र प्रदेश के पेसा नियम, 2011 को अपनाया गया है
9	झारखंड	अभी तक पेसा नियम तैयार नहीं किए गए हैं
10	ओडिशा	अभी तक पेसा नियम तैयार नहीं किए गए हैं

स्रोत: (पंचायती राज मंत्रालय, 2023)

पद्धति

अध्ययन क्षेत्र

ओडिशा और झारखंड में से झारखंड को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया, ये दो राज्य हैं जिन्होंने अभी तक पेसा नियम तैयार नहीं किए हैं। झारखंड राज्य में एसटी का प्रतिशत अधिक है, इसलिए इसकी नीति, नियम, दिशा-निर्देश और मॉडल पेसा नियम (एमओपीआर, 2009) में सभी 13 कारकों से संबंधित अधिसूचनाएँ दक्षता के लिए मानक थीं। गुमला

जिले को प्राथमिक डेटा संग्रह के लिए चुना गया है क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ एसटी का अनुपात (68.94 प्रतिशत) अधिक है। जीपी अध्यक्ष (मुखिया) के साथ दो एफजीडी केवल घाघरा और बसिया ब्लॉक में आयोजित किए गए थे, जिनमें क्रमशः 18 और 15 जीपी हैं। दोनों एफजीडी में कुल 25 जीपी अध्यक्ष शामिल थे।

तालिका 3

अध्ययन क्षेत्र में एफजीडी का विवरण

क्र. सं.	राज्य	क्षेत्र	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	एफजीडी की संख्या	पीआरआई सदस्यों की संख्या
1.	झारखण्ड	दक्षिणी छोटानागपुर	गुमला	घाघरा	1	13
				बसिया	1	12
कुल:					2 एफजीडी	25 उत्तरदाता

विधियाँ

इस अध्ययन की कार्यप्रणाली में शामिल हैं (i) द्वितीयक डेटा का विश्लेषण, जिसे विभिन्न स्रोतों से सावधानीपूर्वक एकत्र किया गया था, जिसमें शोध प्रकाशन, ऑनलाइन समाचार लेख, सरकारी नीतियाँ और अधिनियम, आधिकारिक वेबसाइट और ग्रे साहित्य शामिल हैं, (ii) 5-ई दृष्टिकोण मॉडल के ढांचे के आधार पर पेसा अधिनियम के सभी तरह प्रावधानों का व्यापक मूल्यांकन, स्पष्ट रूप से झारखंड में राज्य पंचायती राज अधिनियम के पालन पर ध्यान केंद्रित करना, और (iii) वर्तमान स्थिति को समझने के लिए जीपी अध्यक्ष (मुखिया) के साथ दो फोकस समूह चर्चाएँ (एफजीडी)।

नीति विश्लेषण के 5-ई दृष्टिकोण मॉडल में, नीति को मापा जाता है (कस्ट-एशमैन, 2017; माव-सन और इवांस, 1991; सलामोन, 2011) - (i) नीति ने कितनी प्रभावी रूप से काम किया है?, (ii) नीति कितनी कुशल है? (iii) क्या नीति नैतिक रूप से सही है? (नैतिक विचार (पीपुल सेंट्रिक कंसल्टिंग ग्रुप, 2022) नैतिक दृष्टिकोण के प्रकार पर आधारित है) (iv) वैकल्पिक नीतियों के मूल्यांकन के निष्कर्ष क्या हैं? और (v) सकारात्मक परिवर्तन कैसे स्थापित किए जा सकते हैं? इसके अलावा, दो और खंड, कार्यान्वयन की स्थिति और अनुभवजन्य साक्ष्य (लोगों की प्रतिक्रिया) जोड़े गए हैं।

5-ई दृष्टिकोण मॉडल के ढांचे के तहत, पेसा अधिनियम के सभी तरह प्रावधानों का व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, जो स्पष्ट रूप से झारखंड में राज्य पंचायती राज अधिनियम- जेपीआरए के पालन पर केंद्रित होता है। यह राज्य, जो अपने महत्वपूर्ण जनजातीय प्रभाव के लिए जाना जाता है, में एसटी आबादी है जो कुल आबादी का 26.2 प्रतिशत है (जनगणना, 2011)। इस विविध जनजातीय जनसांख्यिकी में 32 अलग-अलग अनुसूचित जनजातियाँ शामिल हैं, जिनमें आठ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) शामिल हैं।

विश्लेषण और चर्चा

5-ई दृष्टिकोण मॉडल के संबंध में जेपीआरए के अनुपालन की स्थिति

इस खंड में 5-ई दृष्टिकोण मॉडल के तहत प्राप्त जेपीआरए के संबंध में अनुपालन के लिए पेसा अधिनियम का प्रावधान-वार विश्लेषण किया गया है, और नीति की व्यापक समीक्षा तालिका 3 में प्रस्तुत की गई है। पेसा अधिनियम की धारा (4) की तीन उप-धाराएं मादक पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित करने, भूमि हस्तांतरण को रोकने और धन उधार को नियंत्रित करने की शक्ति से संबंधित हैं, जिन पर राज्य पेसा नियमों को तैयार करने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

तालिका 3
पांच-ई दृष्टिकोण मॉडल के तहत जेपीआरए में पेसा अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा

पेसा अधिनियम की धाराएं	प्रभावशीलता	दक्षता	नैतिक विचार	विकल्पों का मूल्यांकन	सिफारिशों की स्थापना	कार्यान्वयन स्थिति (हां/नहीं)	अनुभवजन्य साक्ष्य (लोगों की प्रतिक्रिया)
4 (क)	पारंपरिक रूप से सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन करते हुए प्रथागत, सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों को सुनिश्चित किया जाएगा।	कोई विशिष्ट अधिनियम जारी नहीं किया गया है जो निर्दिष्ट विशेषताओं के अनुरूप हो।	अधिकार दृष्टिकोण	वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कुछ प्रावधानों को लागू किया गया है	राज्य इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर सकता है।	हां	प्रथागत कानून और धार्मिक प्रथाएं पुरानी होती जा रही हैं और लुप्त होती जा रही हैं।
4 (ख)	प्रत्येक बस्ती परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन कर सकती है।	अनुसूचित क्षेत्र के लिए ग्राम सभा (जीएस) में योजनाएं रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार है। राम एक तिहाई है।	सामान्य अच्छा दृष्टिकोण	जेपीआरए*, 2001 की धारा 3(iii)	एक असाधारण बस्ती को गांव के रूप में दर्ज किया जा सकता है।	हां	अधिकांश कानून सामान्य दृष्टिकोण अपनाते हैं।
4 (ग)	ग्राम सभा में मतदान सूची में नामांकित सभी लोग शामिल होंगे।	मतदान के लिए नामांकित प्रत्येक व्यक्ति ग्राम सभा के लिए पात्र है।	अधिकार दृष्टिकोण	जेपीआरए, 2001 की धारा 3(ii)	-	हां	यह विनियामक है।
4 (घ)	"ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रीति-रिवाजों, सामुदायिक संसाधनों और विवाद समाधान के प्रथागत तरीके की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सक्षम होगा।"	- ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता पारंपरिक प्रमुख द्वारा की जाती है। - सामुदायिक संसाधनों को संरक्षित किया जाता है। - ग्राम सभा का कोरम एक तिहाई है।	अधिकार दृष्टिकोण और सामान्य अच्छा दृष्टिकोण	-जेपीआरए, 2001 की धारा 8(iii), 10(5)(i) से (v) - जेपीआरए, 2001 की धारा 7(i) और कोरम	-जेपीआरए "सक्षम" शब्द का प्रयोग जेपीआरए 2001 की धारा 10(5)(i) में कर सकता है -राज्य विधान संहति के लिए प्रस्ताव पारित कर सकता है।	हां	सभी सरकारी दस्तावेजों में पारंपरिक मुखिया का विवरण हमेशा उल्लेखित होना चाहिए।
4 (ङ)	i) ग्राम सभा विकास योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को मंजूरी देगी। ii) ग्राम सभा लाभार्थियों की पहचान करेगी।	विकेंद्रीकृत और भागीदारीपूर्ण योजना, स्थानीय श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग, सबसे वंचितों के लिए सहायता।	अधिकार दृष्टिकोण और न्याय/निष्पक्षता दृष्टिकोण	- जेपीआरए, 2001 की धारा 10(1)(ए), 75(ए)(15), 75(बी)	अन्य योजनाओं या विभागों के साथ अभिसरण के लिए नियमों में संशोधन।	हां	योजनाएं तो बन गई हैं, लेकिन क्रियान्वयन उसी के अनुसार किया जा सकता है।

पेसा अधिनियम की धाराएं	प्रभावशीलता	दक्षता	नैतिक विचार	विकल्पों का मूल्यांकन	सिफारिशों की स्थापना	कार्यान्वयन स्थिति (हां/नहीं)	अनुभवजन्य साक्ष्य (लोंगों की प्रतिक्रिया)
4 (घ)	जीएस सभी योजनाओं के निधि उपयोग की निगरानी और प्रमाणन करेगा	पारदर्शिता सुनिश्चित करना	अधिकार दृष्टिकोण	जेपीआरए, 2001 की धारा 10(1)(ए)(वी)	विभिन्न योजनाओं के सामाजिक लेखापरीक्षा के माध्यम से इस पारदर्शिता को सुनिश्चित करना लागू करना।	हाँ	इससे सामाजिक लेखापरीक्षा पर कार्रवाई अधिक पारदर्शी हो सकेगी।
4 (छ) और 4 (ज)	सभी तीन स्तरों पर वंचित और सीमांत समूहों के लिए आरक्षण	अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा	अधिकार दृष्टिकोण	जेपीआरए, 2001 की धारा 1(बी)(1), 21(बी), 36(बी)(7), 51(बी)(7)	तीनों स्तरों में रोटेशन के आधार पर विभिन्न जनजातियों से नामांकन सुनिश्चित करना	हाँ	यह नियामक है।
4 (झ)	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास या पुनर्स्थापन केवल ग्राम सभा से परामर्श के बाद ही किया जाएगा।	मुआवजे का उचित भुगतान सुनिश्चित करें	अधिकार दृष्टिकोण और उपयोगितावादी दृष्टिकोण	जेपीआरए, 2001 की धारा 85(5), 86(5), और 144(1)	जेपीआरए 2001 की धारा 85(5) में उल्लिखित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन करना।	नहीं	आदिवासियों को लाभ पहुंचाने वाले नवीनतम कानूनों को लागू किया जाना चाहिए।
4 (ञ)	पंचायतें तीनों स्तरों पर लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन कर सकती हैं।	उपयोग की प्राथमिकता के साथ इन जल संसाधनों पर समान अधिकार।	अधिकार दृष्टिकोण और सामान्य अच्छा दृष्टिकोण	जेपीआरए, 2001 की धारा (10)(1) (ए)(xi)-(xii), (10)(5)(ii), (75)(ए)(4), (76)(बी)	झारखंड के जल संसाधन विभाग द्वारा अभिसरण के लिए नियमों में संशोधन	हाँ	योजना तो बनाई जाती है, लेकिन उसके अनुसार प्रबंधन नहीं किया जाता।
4 (ट) और 4 (ठ)	लाइसेंस या खनन पट्टे प्रदान करना तथा लघु खनिजों का दोहन केवल ग्राम सभा के माध्यम से परामर्श के बाद ही किया जाएगा।	स्थिरता और रोजगार को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण का संरक्षण	अधिकार दृष्टिकोण और सामान्य अच्छा दृष्टिकोण	झारखंड जिला खनिज फाउंडेशन (ट्रस्ट) नियम, 2016.	झारखंड लघु खनिज रियायत नियम, 2004 में संशोधन (2014) को लागू करना	हाँ	यह विनियामक है, लेकिन आस-पास के इलाकों में निषेधाज्ञा के मामले अभी भी देखे जाते हैं।

पेसा अधिनियम की धाराएं	प्रभावशीलता	दक्षता	नैतिक विचार	विकल्पों का मूल्यांकन	सिफारिशों की स्थापना	कार्यान्वयन स्थिति (हां/नहीं)	अनुभवजन्य साक्ष्य (लोगों की प्रतिक्रिया)
4(ड)	i) मादक पदार्थों की बिक्री को पंचायती राज संस्थान और जीएस तक सीमित रखा जा सकता है। ii) लघु वनोपज (एमएफपी) का स्वामित्व पंचायती राज संस्थान और जीएस को दिया जाना। iii) पंचायती राज संस्थान और जीएस को भूमि हस्तांतरण को रोकने की शक्ति iv) ग्राम बाजारों के प्रबंधन का अधिकार पंचायती राज संस्थान और ग्राम सभा को दिया गया है। v) पंचायती राज संस्थान और जीएस को धन उधार देने पर नियंत्रण vi) सामाजिक क्षेत्र के निर्देशों और पदाधिकारियों पर नियंत्रण vii) स्थानीय योजनाओं और ऐसी योजनाओं के लिए संसाधनों को नियंत्रित करना, जिसमें आदिवासी उप-योजनाएँ शामिल हैं	शराब या अन्य मादक पदार्थों के उपयोग को नियंत्रित करना। राजस्व का स्रोत और जनजातीय हितों को बनाए रखना। अनुसूचित जनजातियों की अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि की बहाली। आजीविका के साधन निरंतर बने हुए हैं। निर्धारित ब्याज दर के साथ वास्तविक धन उधार लेन-देन। सुधारपूर्ण कार्यान्वयन	सामान्य अच्छा दृष्टिकोण सामान्य अच्छा दृष्टिकोण अधिकार दृष्टिकोण और सामान्य अच्छा दृष्टिकोण सामान्य अच्छा दृष्टिकोण अधिकार दृष्टिकोण और सामान्य अच्छा दृष्टिकोण अधिकार दृष्टिकोण और सामान्य अच्छा दृष्टिकोण	जेपीआरए, 2001 की धारा 77 (ए) (xxiii) (एफ) - वन अधिकार अधिनियम, 2006। - जेपीआरए, 2001 की धारा (75) (ए) (viii) (ए) -भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 -जेपीआरए, 2001 की धारा 77 (ए) (xxiii) (i) जेपीआरए, 2001 की धारा (75) (ए) (21) जेपीआरए, 2001 की धारा 77(ए)(xxiii)(जी) जेपीआरए, 2001 की धारा 10(1)(ए)(x) जेपीआरए, 2001 की धारा (75)(बी)(3), (76)(बी)(2)-(3) सदस्यों को थी।	-राज्य आबकारी विभाग एक प्रस्ताव पारित कर सकता है। - नशा नियंत्रण समिति एमएफपी वस्तुओं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की पूरी सूची के साथ एक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। राज्य विधान उस प्रभाव के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकता है। परिभाषित नियमों के साथ बाजार प्रबंधन समिति का गठन। राज्य विधानमंडल इस आशय का प्रस्ताव पारित कर सकता है -अभिसरण के लिए नियमों में संशोधन -सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करना संसाधन नियोजन और प्रबंधन समिति का गठन किया जा सकता है	नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ हाँ	यह विनियामक नहीं है। वे आजीविका और खादय सुरक्षा में शामिल नहीं हैं। अनुसूचित जनजातियों की भूमि बेदखल कर दी गई है। जेपीआरए के अनुसार, यह किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में, यह ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जाता है। एसएचजी को छोड़कर कोई निर्धारित ब्याज दर नहीं। जागरूकता और कार्रवाई की कमी है। समितियों और आदिवासी उप-योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं

अलग-अलग पेसा दिशा-निर्देशों का निर्माण पारंपरिक नेतृत्व और सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा के माध्यम से एफएसए के लिए ग्राम सभा के भीतर नियोजन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल समाज के सबसे हाशिए पर पड़े वर्गों को सहायता प्रदान करेगी, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, किसी भी संभावित गलत धारणा और अस्पष्ट दावों को खत्म करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यह कथन कि "पीआरआई के सभी तीन स्तर आदिवासी उप-योजनाओं सहित स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं" स्पष्टता की आवश्यकता है। राज्य को प्रक्रिया सुव्यवस्थित करने के लिए सक्षम नियम विकसित करने चाहिए जिसके माध्यम से पीआरआई का प्रत्येक स्तर एक ही विषय वस्तु पर नियंत्रण रखता है। इसी तरह, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अस्पष्टता मौजूद है। उदाहरण के लिए, पंचायत समिति और जिला परिषद के पास छोटे जल निकायों की देखरेख करने का अधिकार है, जिसमें वर्तमान में सटीकता का अभाव है (एनवायरो लीगल डिफेंस फर्म, 2012)।

एफजीडी ने खुलासा किया कि पेसा अधिनियम की धारा (4) के निम्नलिखित तीन उप-खंड - नशीले पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित करने, भूमि अलगाव को रोकने और साहूकारी को नियंत्रित करने की शक्ति के साथ संबद्ध है वह- अभी तक लागू नहीं किए गए हैं।

क) नशीले पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित करना:

एफजीडी ने पेसा अधिनियम के तहत नशीले पदार्थों को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाया। यह प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित करने और शराब तथा अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए अनुदान देता है। एफजीडी में प्रतिभागियों ने अपने समुदायों में शराब और अन्य नशीले पदार्थों की व्यापक उपलब्धता और दुरुपयोग के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया, जिससे घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और आर्थिक अस्थिरता सहित कई सामाजिक समस्याएं पैदा हुई हैं। साथ ही, चावल की बीयर, जिसे स्थानीय रूप से हरिया के रूप में जाना जाता है, आसानी से उपलब्ध है प्रतिभागियों ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को स्थानीय निकायों को इन प्रतिबंधों को लागू करने में मदद करने तथा मादक पदार्थों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता

बढ़ाने के लिए अधिक संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए।

ख) भूमि हस्तांतरण को रोकना:

पीईएसए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भूमि हस्तांतरण को रोकने और अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि को बहाल करने के अधिकार ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को सौंपे गए हैं। हालाँकि, जेपीआरए में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। यह विसंगति एफजीडी के दौरान चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु थी। प्रतिभागियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसी महत्वपूर्ण शक्तियों का केंद्रीकरण गाँव या समुदाय के स्तर पर परिभाषित किया जाना चाहिए; अन्यथा, यह स्थानीय स्वशासन के सार को कमजोर करेगा और आदिवासी समुदायों के अपने भूमि संसाधनों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण को कम करेगा। इसके अलावा, पीईएसए अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले उचित स्तर पर पंचायतों से परामर्श किया जाना चाहिए। आदिवासी भूमि को बाहरी अतिक्रमणों से बचाने के लिए बनाया गया यह महत्वपूर्ण प्रावधान जेपीआरए में उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित है। राज्य अधिनियम में इस परामर्श प्रक्रिया की अनुपस्थिति, जो अनिवार्य हो सकती है, ने ऐसे उदाहरणों को जन्म दिया है जहाँ आदिवासी भूमि को पर्याप्त स्थानीय इनपुट या सहमति के बिना अधिग्रहित किया गया है, जिससे विस्थापन और सीमांत के मुद्दे बढ़ गए हैं। इसके कारण, दोनों एफजीडी ने झारखंड के लिए अपने कानून को पेसा अधिनियम के साथ संरेखित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि के लिए आदिवासी समुदायों के अधिकार और स्वायत्तता बरकरार रहे।

ग) साहूकारी को नियंत्रित करना:

एफजीडी ने आदिवासी क्षेत्रों में साहूकारी को नियंत्रित करने के बारे में गंभीर चिंताओं को उजागर किया। पेसा अधिनियम के अनुसार, साहूकारी को विनियमित करने का अधिकार पीआरआई और ग्राम सभा को दिया गया है। हालाँकि, एफजीडी ने खुलासा किया कि, व्यवहार में, एसएचजी द्वारा दिए गए ऋणों को छोड़कर, प्रदान किए गए ऋणों के लिए कोई परिभाषित ब्याज दर नहीं है। मानकीकृत ब्याज दरों की कमी के कारण असंगत ऋण प्रथाएँ और साहूकारों द्वारा संभावित शोषण हुआ है जो अक्सर अत्यधिक दरें वसूलते हैं। एफजीडी में प्रतिभागियों ने आदिवासी समुदायों के वित्तीय हितों की

रक्षा, आदिवासी समुदायों को वित्तीय शोषण से बचाने और उनकी आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए स्पष्ट विनियमन और परिभाषित ब्याज दरों की तत्काल आवश्यकता व्यक्त की।

पेसा अधिनियम अनुसूचित जनजातियों के लिए अनिवार्य है।

शासन सरकार से भिन्न होता है क्योंकि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कई हितधारक अपने हितों की घोषणा करते हैं, अपने अधिकारों का दावा करते हैं और संघर्षों का प्रबंधन करते हैं (देबरॉय, 2004)। पेसा, भागीदारी निर्णय लेने के माध्यम से शासन को गहरा करता है और इस विचार को बढ़ावा देता है कि स्वशासन इन ग्रामीण क्षेत्रों के स्वदेशी लोगों का प्राकृतिक और संवैधानिक अधिकार है (चौबे, 2015 बी; एम पाल, 2020)। आदिवासी लोग स्वदेशी सांस्कृतिक और जैविक विविधता संरक्षण का अभ्यास करते रहे हैं। उनकी सांस्कृतिक प्रणाली ने संसाधनों का एक स्थायी उपयोग सुनिश्चित किया और उन्हें कई पीढ़ियों तक अपनी आजीविका जारी रखने में मदद की। वे अपने स्वदेशी ज्ञान के ढांचे के भीतर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (हेम्ब्रोम, 2018; सिंह, 1994)। एफजीडी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रथागत कानून और धार्मिक प्रथाएं लुप्त हो रही हैं यद्यपि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद एसटी के लिए आरक्षित हैं, एफजीडी के दौरान पाया गया कि अधिकांश मामलों में पारंपरिक नेता समान नहीं हैं और उनकी अनुपस्थिति में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। वे यह भी चाहते थे कि पारंपरिक प्रमुख का विवरण सभी सरकारी दस्तावेजों में उल्लेखित किया जाए।

यह तर्क दिया जाता है कि राज्य पारंपरिक नेताओं और निकायों को कमजोर कर रहा है, उन निवासियों को वंचित कर रहा है जो आदिवासी भूमि पर बाहरी अतिक्रमणों और अधिग्रहण के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। जेपीआरए के बाद नेताओं में, विशेषकर गांव के स्तर पर, एक विरोधाभास था, जिसमें एक नेता 'निर्वाचित' था, जबकि एक 'आदिवासी-प्रमुख' पहले से मौजूद था, जो आदिवासी परिधि को संकर बनाता है (कोरेंडो, 2020) क्योंकि झारखंड की अलग-अलग जनजातियों ने एक अद्वितीय पारंपरिक स्वशासन प्रणाली का पालन किया पेसा के मुख्य प्रावधानों को

छोड़कर इसके कार्यान्वयन में विफल रहने से राज्य सरकारें पेसा के सार को कमजोर कर रही हैं (तिवारी, 2018)। इसके अतिरिक्त, एफजीडी ने आदिवासी क्षेत्रों में आरक्षण और वैधानिक पंचायतों की स्थापना के प्रावधानों के प्रति गैर-आदिवासी समूहों की ओर से महत्वपूर्ण विरोध का खुलासा किया। एफजीडी के सभी प्रतिभागी आदिवासी थे, और उन्होंने व्यक्त किया कि गैर-आदिवासी चिंतित थे कि ये प्रावधान आदिवासी समुदायों के साथ तरजीही व्यवहार को बढ़ावा देंगे और उनके अपने सामाजिक-आर्थिक अवसरों को कमजोर करेंगे।

लघु वनोपज (एमएफपी) का स्वामित्व ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को पीईएसए अधिनियम द्वारा दिया गया है। फिर भी, अनुरूपता अधिनियम में, केवल प्रबंधकीय जिम्मेदारियाँ ('भंडार' और 'बाजार' का प्रबंधन) ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के पास निहित हैं, जिन्हें वन विभाग द्वारा एमएफपी के समग्र प्रबंधन में इसके सतत प्रबंधन और उपयोग के लिए मुख्य रूप से मूल्य संवर्धन, बाजार संपर्क और न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से उनकी आजीविका को सुरक्षित करने में सहायता की जाएगी। जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, कार्यों को पीआरआई के सामान्य कार्यों के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जो राज्य द्वारा निर्धारित शर्तों और पंचायतों के पास उपलब्ध निधियों के अधीन हैं। हालाँकि, संबंधित राज्य सरकारों ने पीआरआई और जीएस के लिए एमएफपी के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए ऐसा कोई संगठित प्रयास नहीं किया है (मीनाक्षीसुंदरम, 2023, पृष्ठ 111)। इसके अलावा, जैसा कि पहले कहा गया है, उचित स्तर पर जीएस और पंचायत के लिए स्वामित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पीईएसए के पूर्ण उल्लंघन में गायब है।

झारखंड के पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए कानूनों का प्रतिकूल क्रियान्वयन

वर्ष 2000 में झारखंड के अलग राज्य के रूप में गठन के एक वर्ष बाद झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 बना। नौ वर्षों के बाद झारखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित हुआ और इस विधेयक ने पदों के आरक्षण के प्रावधान को बदल दिया, जो अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग-अलग है। पेसा अधिनियम को अभी तक अलग से लागू नहीं किया गया है; हालाँकि, झारखंड

पंचायती राज अधिनियम, 2001 (झारखंड सरकार, 2001) ने कुछ हद तक विभिन्न प्रावधानों को शामिल किया है, लेकिन नीतिगत स्तर पर पेसा के अन्य प्रावधानों के अनुसार इसमें संशोधन नहीं किया है। पेसा एक योग्य कानून है; अगर इसे गंभीरता से लिया जाए और झारखंड में उचित तरीके से लागू किया जाए, तो यह वास्तविक बुद्धिमत्ता है (पांडेय, 2021)।

झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम 2001 के लागू होने के दो दशक बीत जाने के बावजूद, झारखंड में अलग से पेसा नियम न होने के पीछे कई कारण हैं। विकेंद्रीकृत शासन की कमजोरी राजनीतिक उदासीनता, नक्सली आंदोलन और लोगों में जागरूकता की कमी से उपजी है, जो सामूहिक रूप से पेसा के व्यापक कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं (बारा, 2017)। इसके अलावा, एक अंतर्निहित विरोधाभास बना हुआ है, जिसमें भारतीय संविधान एफएसए में आदिवासी समुदायों की विशिष्ट पहचान को संरक्षित करने की अनिवार्यता को बरकरार रखता है (सुंदर, 2009)। इसके अलावा, स्वशासन को लागू करने के लिए नियमों को डिजाइन करने के तरीके को आजमाने के लिए आदिवासियों के साथ कोई निरंतर संवाद नहीं है, न ही राज्य आदिवासियों को पारंपरिक स्वायत्तता वापस देने की पहल कर रहा है (हेब्बर, 2017)।

विकास के उद्देश्यों ने आदिवासियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को गहराई से जोड़ते हैं। आज, पूरी तरह से पेसा अधिनियम के खिलाफ आदिवासी लोगों के लिए स्थायी आर्थिक प्रणालियों को संतुलित करना और अपनी संस्कृति को संरक्षित करना मुश्किल है (हेम्ब्रोम, 2018; सुंदर, 2011)। यह दावा किया जाता है कि राज्य सरकार के फैसले, जैसे ग्राम विकास समितियां (जीवीएस) तैयार करना, आदिवासी लोगों का अपमान है, क्योंकि बिना किसी पारदर्शिता या जवाबदेही के पेसा या आदिवासियों की पारंपरिक प्रणाली की अनदेखी करना है (स्वामी, 2018)। झारखंड में एमओपीआर द्वारा वित्त पोषित कुछ अध्ययन शुरू किए गए हैं, लेकिन नीति सिफारिशें अभी भी संदिग्ध हैं। झारखंड में अवैध खनन की जांच में आदिवासी स्वशासन के आश्वासन और सच्चाई के बीच सहसंबंध का एक स्वतंत्र मूल्यांकन इस बात को दर्शाता है कि किस स्तर तक एफएसए के लोगों को धोखा दिया जा रहा है, और ये समुदाय अपने

संवैधानिक अधिकारों का दावा करने में असमर्थ हैं (दांडेकर और चौधरी, 2010)।

झारखंड के गुमला और खूंटी जिलों में किए गए एक अध्ययन (तिवारी, 2018) से पता चलता है कि जमीनी हकीकत में सामंजस्य की गारंटी के बारे में बहुत कम स्पष्टता है। परिचालन स्तर पर, इन स्पष्टीकरणों की आवश्यकता है। साहूकारी से संबंधित अस्पष्ट प्रावधान हैं जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है, और उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की कि उनकी भूमि उनकी अनुमति के बिना अधिग्रहित की गई थी।

विश्लेषण की सीमाएँ

अध्ययन मुख्य रूप से झारखंड पर केंद्रित है, जो इसके निष्कर्षों को अलग-अलग संदर्भों वाले अन्य राज्यों में सामान्यीकृत करने की क्षमता को सीमित करता है। सीमित संख्या में एफजीडी पर निर्भरता और आदिवासी ग्राम पंचायत अध्यक्षाओं की भागीदारी पूर्वाग्रह को जन्म दे सकती है, जो संभवतः सामान्य समुदाय के सदस्यों के दृष्टिकोण को अनदेखा कर सकती है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन का समयबद्ध दायरा और 5-ई दृष्टिकोण पर पद्धतिगत ध्यान हाल के विकास या पेसा कार्यान्वयन के अन्य आवश्यक पहलुओं, जैसे सांस्कृतिक या सामाजिक कारकों को पूरी तरह से नहीं पकड़ सकता है।

भविष्य के शोध में राज्यों में तुलनात्मक विश्लेषण और अंतःविषय दृष्टिकोणों को शामिल करते हुए व्यापक हितधारक जुड़ाव शामिल हो सकते हैं। ये निर्देश पेसा अधिनियम की प्रभावशीलता और आदिवासी शासन और अधिकारों के लिए इसके निहितार्थों की अधिक व्यापक समझ बनाने में मदद करेंगे।

निष्कर्ष

5-ई दृष्टिकोण मॉडल के तहत पेसा अधिनियम के प्रावधान-वार विश्लेषण के निष्कर्षों के आधार पर, यह सुझाव दिया गया है कि झारखंड में राज्य पेसा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए, मादक पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित करने, भूमि हस्तांतरण को रोकने और साहूकारी को नियंत्रित करने के साथ सहसंबंध में शक्ति को अनुपालन योग्य बनाया जाना चाहिए, और राज्य विधानमंडल उस पर एक प्रस्ताव पारित कर सकता है। यह स्वदेशी और आदिवासी लोगों को

स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अधिकार और शक्तियों के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण प्रदान करेगा। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए, यह सुझाव दिया गया है कि सरकारी योजनाओं को संचालित करने और सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को वितरित करने में पंचायतों के अधिकार और प्रभाव को बढ़ाया जाए (कुमार, 2022)। राज्य पेसा नियमों के संचालन से एफएसए के स्वदेशी लोगों की पहचान उनके अपने रीति-रिवाजों, कानूनों, सामाजिक मानदंडों और पारंपरिक प्रथाओं के साथ सुरक्षित रहेगी। सतत विकास एजेंडा विकासशील देशों में कमजोर समूहों की भागीदारी के विशेष संदर्भ के साथ निर्णय लेने को प्राथमिकता देता है (एसडीजी लक्ष्य 10.6)। इसके अलावा, एसडीजी लक्ष्य 16.7 का लक्ष्य "सभी स्तरों पर उत्तरदायी, समावेशी, भागीदारी और प्रतिनिधि निर्णय लेने को सुनिश्चित करना" है (संयुक्त राष्ट्र, 2015), और पेसा इसे सुनिश्चित करने के साधन के रूप में कार्य कर सकता है।

प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एफएसए के गांवों में पत्थर की पट्टियों पर पेसा अधिनियम के प्रावधानों को अंकित करना (Xaxa, 2019 ए) किया गया है। हालांकि, इसमें पहले ही देरी हो चुकी है, और पेसा को इसके वास्तविक सार में तुरंत लागू

करने के लिए अन्य प्रमुख कार्यक्रमों या संबंधित विभागों के साथ अभिसरण नियमों में संशोधन की आवश्यकता है। तालिका 3 पेसा अधिनियम के प्रावधान-वार विकल्पों की स्थिति और इसके कार्यान्वयन के लिए स्थापित सिफारिशों को दर्शाती है। जिन राज्यों में पेसा अधिनियम विनियमन के अधीन रहा है, वहां किसी भी आदिवासी समूह ने अपने अधिकारों का दावा करना शुरू कर दिया है यह संदेश प्रसारित करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को स्वशासन का स्वाभाविक और संवैधानिक अधिकार है (चौबे, 2015बी), और उन्हें अपने स्थानीय मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है और आदिवासी पहचान को संरक्षित करने के लिए विशेष शक्तियों से लैस किया गया है (सिसोदिया, 2021)। इसलिए, प्रत्येक प्रावधान का व्यापक विवरण स्थानीय स्वशासन में शामिल शोध संस्थानों और निर्णयकर्ताओं के लिए और इसके अलावा एफएसए के स्वदेशी लोगों, जो पेसा के उत्तराधिकारी हैं, को अपने अधिकारों का दावा करने के लिए सार्थक दिशा-निर्देश प्रदान करेगा। झारखंड में पेसा को लागू करने से जन-केंद्रित शासन को बढ़ावा मिलेगा और ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया जाएगा, जिससे एफएसए में व्यक्तियों को सशक्त बनाया जा सकेगा।

लेखक का योगदान:

दीप्ति पी किंडो: संकल्पना, कार्यप्रणाली और विश्लेषण, डेटा संग्रह और डेटा संकलन, मूल मसौदा तैयार करना

प्रदीप के भौमिक: कार्यप्रणाली और विश्लेषण, पर्यवेक्षण

संदर्भ

- Alok, V. N. (2011). Role of Panchayat Bodies in Rural Development since 1959. In Theme Paper for the Fifty-Fifth Members' Annual Conference. <https://www.iipa.org.in/new/upload/theme2011.pdf>
- Bara, A. H. (2017). A Critical Inquiry of the Rule of PESA in Jharkhand. National Seminar Governance, Resources and Livelihoods of Adivasis in India: Implementation of PESA and FRA, 15.
- Bijoy, C. R. (2012). Policy Brief on Panchayat Raj (Extension to Scheduled Areas) Act of 1996. <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/in/UNDP-Policy-Brief-on-PESA.pdf>
- Bijoy, C. R. (2015a). Panchayat Raj (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996: *The Travails of a Governance Law*. 64(1), 16–18.
- Bijoy, C. R. (2015b). Policy Brief : Panchayat Raj (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 (Vol. 64, Issue 1). <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/in/UNDP-Policy-Brief-on-PESA.pdf>
- Chaudhury, S. . K. (2006). Culture Ecology and Sustainable Development (First). Mittal Publications.
- Choubey, K. N. (2015a). Enhancing PESA The Unfinished Agenda. *Economic and Political Weekly*, 50(8), 21–23. <https://www.epw.in/journal/2015/8/commentary/enhancing-pesa.html>
- Choubey, K. N. (2015b). The public life of a 'Progressive' law: PESA and Gaon Ganarajya (Village Republic). *Studies in Indian Politics*, 3(2), 247–259. <https://doi.org/10.1177/2321023015601745>
- Choubey, K. N. (2017). Web of 'Legal Pluralism' Web of 'Legal Pluralism' 'Administrative Control' and 'Benign State': Some Ethnographic Notes on the Fate of PESA. National Seminar Governance, Resources and Livelihoods Od Adivasis in India: Implementation of PESA and FRA, 1–23. http://nirdpr.org.in/nird_docs/srsc/srsc230217-8.pdf
- Correndo, C. (2020). Panchayati Raj Structural Amendments in Jharkhand. Two Sides of the Same Coin. International Institute for Asian Studies. <https://www.iias.asia/the-newsletter/article/panchayati-raj-structural-amendments-jharkhand-two-sides-same-coin>
- Dandekar, A. (2016). PESA, The Impasse of the Legislative Process. In M. Vipul (Ed.), *Claiming India from Below*. Routledge.
- Dandekar, A., & Choudhury, C. (2010). *PESA, Left-Wing Extremism and Governance: Concerns and Challenges in India's Tribal Districts*. Institute of Rural Management, Anand, Commissioned by Ministry of Panchayati Raj, Government of India, New Delhi 2010, p.5.
- Dandekar, A., & Gill, K. (2014). Democracy and Its Inconvenient Questions. *Economic and Political Weekly*, 49(19), 14–17. <https://www.epw.in/journal/2014/19/commentary/democracy-and-its-inconvenient-questions.html>
- Deb, M., & Sarkar, S. C. (2017). Mines and Minerals Sector in India and Its Regulatory Regime. *Springer Geology*, 489–518. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4564-6_10
- Debroy, B. (2004). *Agenda for Improving Governance*. Academic Foundation Original from the University of Michigan.
- Enviro Legal Defence Firm. (2012). PESA Implementation – Some Essential Prerequisites and Suggestions for the State of Jharkhand (Issue July, pp. 1–37).

- George, S., Rao, V., & Sharan, M. R. (2024). Two Hundred and Fifty-Thousand Democracies: A Review of Village Government in India. In *Two Hundred and Fifty-Thousand Democracies: A Review of Village Government in India* (Issue June). <https://doi.org/10.1596/1813-9450-10793>
- Goldtooth, T. B. . (2004). Stolen Resources: Continuing threats to Indigenous people's sovereignty and survival. *Race, Poverty & the Environment*, 11(1), 9–12. <http://www.jstor.org/stable/41554413>
- The Constitution (73rd Amendment) Act, 1992, (1992) (Testimony of Government of India). <https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-amendment-act-1992>
- The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act 1996, 551 (1996) (Testimony of Government of India). <https://tribal.nic.in/actRules/PESA.pdf>
- Government of Jharkhand. (2001). The Jharkhand Panchayati Raj Act. Government of Jharkhand.
- Gupta, P., & Roy-Chowdhury, A. (2017). Harnessing Gram Sabhas to Challenge State Profligacy in Chhattisgarh. *Economic and Political Weekly*, 52(48), 1–17.
- Hebbar, R. (2017). Forest Rights Act: Lessons from the Field. National Seminar Governance, Resources and Livelihoods Od Adivasis in India: Implementation of PESA and FRA, 1–17. http://nirdpr.org.in/nird_docs/srsc/srsc230217-14.pdf
- Hembrom, G. B. (2018). Sacred Landscape, Modes of Subsistence and Adivasi Rights in the Globalized World. In M. K. Verma (Ed.), *Globalisation, Environment and Social Justice* (pp. 261–300). India: Routledge, Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9780429455766-2>
- Jyoti, A. (2021, November 20). Rules of 25-yr-old PESA Still Not Implemented in 4 States. *The Pioneer*. <https://www.dailypioneer.com/2021/india/rules-of-25-yr-old-pesa-still-not-implemented-in-4-states.html>
- Kindo, D. P., & Bhowmick, P. K. (2019). Panchayati Raj in Scheduled Areas of Jharkhand and Natural Resource Management. *Jharkhand Journal of Development and Management Studies*, 7(2), 8069–8086. <https://www.xiss.ac.in/JJDMS/assets/abstrct/pdf/63b4039f4d208.pdf>
- Kirst-Ashman, K. K. (2017). *Introduction to Social Work & Social Welfare : Critical Thinking Perspectives* (Fifth). Cengage Learning.
- Kumar, C. S., Bhanja, A. K., & Gupta, M. (2023). Panchayat Citizen Charter (Meri Panchayat, Mera Adhikaar - Jan Sevaayein Hamaare Dwaar Campaign). *Journal of Rural Development*, 42(2), 115–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.25175/jrd/2023/v42/i2/173128>
- Kumar, R. (2022). Local Governance in Tribal-dominated Area of India- An Investigation into Economic, Social and Political Effects. *Journal of Rural Development*, 41(1), 1–14. <https://doi.org/doi.org/10.25175/jrd/2022/v41/i1/172458>
- Mawson, J., & Evans, R. (1991). Training and Enterprise Councils-An Initial Assessment. *Regional Studies*, 25(2), 173–184. <https://doi.org/10.1080/00343409112331346387>
- Meenakshisundaram, S. (2023). Constitution 73rd Amendment: Insights, Reflections and A Way Forward. *Journal of Rural Development*, 42(2), 106–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.25175/jrd/2023/v42/i2/173127>
- Ministry of Panchayati Raj. (2010). PESA Act. Press Information Bureau. <https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=67376>

- Ministry of Panchayati Raj. (2020). National Conference on Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996. Press Information Bureau. <https://pib.gov.in/pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1773183>
- Ministry of Panchayati Raj. (2023). Statement of PESA Rules framed by PESA States. <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s316026d60ff9b54410b3435b403afd226/uploads/2023/04/2023042735.pdf>
- Mohapatra, B. P. (2016). Decentralised Planning for Tribal Development and Role of Panchayats: A Study of Two Districts of Odisha. In *Comparative Studies and Regionally-Focused Cases Examining Local Governments* (pp. 390–404). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0320-0.ch018>
- MoPR. (2009). Draft- Model rules for the Panchayats (Extension of Scheduled Areas) Act, 1996. <https://panchayat.gov.in/model-pesa-rules-circulated-by-mopr/>
- Oskarsson, P., Lahiri-Dutt, K., & Kindo, N. (2024). The Micropolitics of Coal in India: Understanding Resource Politics from the Ground Up through a Materiality Lens. *Local Environment*, 29(4), 524–539. <https://doi.org/10.1080/13549839.2024.2306302>
- Pal, M. (2000). 11th Finance Commission Transforming Panchayats. *Economic and Political Weekly*, 35(50), 4379–4382. [https://www.epw.in/journal/2000/50/commentary/11th-finance-commission-transforming-panchayats.html#:~:text=The 11th Finance Commission \(EFC, State Finance Commissions \(SFCs\).](https://www.epw.in/journal/2000/50/commentary/11th-finance-commission-transforming-panchayats.html#:~:text=The 11th Finance Commission (EFC, State Finance Commissions (SFCs).)
- Pal, M. (2020). *Rural Local Governance and Development* (First). SAGE Publications Inc.
- Pal, S. (2021, June 25). 25 Years of PESA: Violations and Attempts at Dilution. *Newslick*. <https://www.newslick.in/25-Years-PESA-Violations-Attempts-Dilution>
- Pandey, K. (2021, March 22). 25 Years On, Many Indian States Haven't Implemented a Law that Empowers Adivasi Communities. *Scroll.In*. <https://scroll.in/article/988729/25-years-on-many-indian-states-havent-implemented-the-law-that-empowers-adivasi-communities>
- Pandit, A. (2021, November 19). Centre Asks Laggard States to Expedite Notification of PESA. *Times of India*. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/centre-asks-laggard-states-to-expedite-notification-of-pesa/articleshow/87787932.cms>
- People Centric Consulting Group. (2022, July). 5 Models for Ethical Decision Making. <https://peoplecentric.com/blog/leadership/5-models-for-ethical-decision-making/>
- Roy, M. . (2023). Strengthening Panchayati Raj Institutions – Missing Focus on the Upper Tiers. *Journal of Rural Development*, 42(2), 100. <https://doi.org/10.25175/jrd/2023/v42/i2/173126>
- Sahota, A. . (2014). PESA: A Ray of Hope. *Panchayati Raj Newsletter of MoPR*, 2(4), 2–3.
- Salamon, L. M. (2011). The New Governance and the Tools of Public Action: An Introduction. *Fordham Urban Law Journal*, 28. <https://ir.lawnet.fordham.edu/ulj/vol28/iss5/4/>
- Sengupta, U. (2015, December). B.D. Sharma, Officer And A Revolutionary. *Outlook India*. <https://www.outlookindia.com/national/bd-sharma-officer-and-a-revolutionary-news-296077>

- Singh, H. (1994). Constitutional Base for Panchayati Raj in India: The 73rd Amendment Act. *Asian Survey*, 34(9), 818–827. <https://doi.org/10.2307/2645168>
- Sisodia, Y. S. (2021). Implementation of PESA and Status of Panchayat Raj Institutions in Fifth Scheduled Areas of Indian States: Issues, Challenges and Ways Ahead. In D. Rajasekhar (Ed.), *Handbook of Decentralised Governance and Development in India* (First, pp. 122–134). Taylor and Francis. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429321887-11/implementation-pesa-status-panchayat-raj-institutions-fifth-scheduled-areas-indian-states-yatindra-singh-sisodia>
- Sundar, N. (2009). *Legal Grounds: Natural Resources, Identity and the Law in Jharkhand* (First). Oxford University Press.
- Sundar, N. (2011). The Rule of Law and Citizenship in Central India: Post-Colonial Dilemmas. *Citizenship Studies*, 15(3–4), 419–432. <https://doi.org/10.1080/13621025.2011.564804>
- Swamy, S. (2018, February 10). How PESA, An Act of Parliament is Being Subverted in Jharkhand Stan Swamy. *Newsclick*. <https://www.newsclick.in/how-pesa-act-parliament-being-subverted-jharkhand>
- Taqiuddin, M. (2023). Improving the Accountability in PRIs: Key Strategies and Actions. *Journal of Rural Development*, 42(2), 144–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.25175/jrd/2023/v42/i2/173130>
- Tiwari, N. (2018). PESA & LWE: Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. <https://ncst.nic.in/sites/default/files/2017/Presentation/1393.pdf>
- United Nations. (2015). Information for Integrated Decision-Making and Participation. Division for Sustainable Development Goals. <https://sdgs.un.org/topics/information-integrated-decision-making-and-participation>
- Veerasha, N. (2022). Land Governance in Fifth Schedule Areas: A Critical Analysis of Chhattisgarh State. *Journal of Land and Rural Studies*, 10(1), 33–53. <https://doi.org/10.1177/23210249211051438>
- Working Group on Democratic Decentralisation & PRIs Report. (2006). https://164.100.161.239/aboutus/committee/wrkgrp11/wg11_demo.pdf
- Xaxa, V. (2016). Tribes and Indian National Identity: Location of Exclusion and Marginality. *The Brown Journal of World Affairs*, 23(1), 223–237. <https://bjwa.brown.edu/23-1/tribes-and-indian-national-identity-location-of-exclusion-and-marginality/>
- Xaxa, V. (2017). Voiceless in Jharkhand. *Economic and Political Weekly*, 52(40), 23–26. <https://www.epw.in/journal/2017/40/commentary/voiceless-jharkhand.html>
- Xaxa, V. (2019a). Governors and the Fifth Schedule Failing the Constitutional Mandate. *Economic and Political Weekly*, 54(44), 10–11. <https://www.epw.in/journal/2019/44/alternative-standpoint/governors-and-fifth-schedule.html>
- Xaxa, V. (2019b). Is the Pathalgadi Movement in Tribal Areas Anti-constitutional? *Economic and Political Weekly*, 54(1), 10–12. <https://www.epw.in/journal/2019/1/alternative-standpoint/pathalgadi-movement-tribal-areas-anti.html>
- XV Finance Commission Report. (2019). https://fincomindia.nic.in/asset/pdf/commission-reports/XVFC_202021_Report_English_Web.pdf

एक उच्च संसाधन वाली ग्राम पंचायत में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और 0-36 महीने की आयु के बच्चों में पोषण संबंधी व्यवहार।

वाणीश्री जोसेफ और एन. वी. माधुरी

सार

अध्ययन भारत के तेलंगाना में एक उच्च संसाधन वाली ग्राम पंचायत में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और 0-36 महीने की आयु के बच्चों के पोषण संबंधी व्यवहार की जांच करता है। शोध इस अच्छी तरह से संसाधन वाले ग्रामीण परिवेश में भोजन और खाने की आदतों, स्तनपान प्रथाओं और पूरक आहार का पता लगाने के लिए एक रैपिड एथनोग्राफिक असेसमेंट (आरईए) दृष्टिकोण का उपयोग करता है। प्रमुख निष्कर्ष स्तनपान शिक्षा, पूरक आहार में चुनौतियों और पारंपरिक एवं आधुनिक पोषण प्रथाओं के मिश्रण में खतरनाक अंतराल को प्रकट करते हैं। अध्ययन प्रभावी पोषण हस्तक्षेपों को सुविधाजनक बनाने में ग्राम पंचायत की तत्काल भूमिका पर जोर देता है और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों को अनुकूलित करने के लिए लक्षित पोषण शिक्षा कार्यक्रमों, मजबूत स्वास्थ्य सेवाओं और सामुदायिक भागीदारी की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

कीवर्ड: पोषण संबंधी व्यवहार, गर्भवती माताएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, स्तनपान प्रथाएं, पूरक आहार।

*सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, जेंडर अध्ययन एवं विकास केंद्र,
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद;
ईमेल: vanishreej.nird@gov.in, nvmadhuri.nird@gov.inAbstract

परिचय

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और 0-36 महीने की आयु के बच्चों के पोषण संबंधी व्यवहार मातृ और बाल स्वास्थ्य के निर्णायक निर्धारक हैं। उच्च संसाधन वाली ग्राम पंचायतों में, जहाँ संसाधन और शिक्षा अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में हैं, इन व्यवहारों की खोज इन महत्वपूर्ण जीवन चरणों के दौरान स्वास्थ्य परिणामों को अनुकूलित करने में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पोषण संबंधी आदतों का मातृ और बाल स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। उच्च संसाधन वाली सेटिंग्स में, विविध खाद्य समूहों और पोषण शिक्षा तक पहुँच इन व्यवहारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है (बोलेस्लावस्का एट अल., 2021)। कोविड-19 महामारी ने इन व्यवहारों को और अधिक प्रभावित किया है, आहार पैटर्न और पोषण सेवाओं तक पहुँच को बदल दिया है (कोवलजुक और गेब्सकी, 2021)।

0-36 महीने की आयु के बच्चों के लिए, शुरुआती पोषण संबंधी अनुभव दीर्घकालिक स्वास्थ्य और विकासात्मक परिणामों की नींव रखते हैं। उच्च संसाधन वाली ग्राम पंचायतों जैसे क्षेत्रों में, जहाँ शिक्षा और संसाधन अधिक आसानी से उपलब्ध हैं, इन शुरुआती पोषण संबंधी अनुभवों को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि पोषण संबंधी व्यवहार और माता-पिता की शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे कारकों के बीच एक मजबूत संबंध है (शर्मा एट अल., 2019)। उच्च संसाधन वाली ग्राम पंचायतों के संदर्भ में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और इस आयु वर्ग के बच्चों की अनूठी पोषण संबंधी जरूरतों और चुनौतियों को समझना और उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है। यह समझ लक्षित हस्तक्षेपों और नीतियों के विकास का मार्गदर्शन कर सकती है जो जीवन के इन महत्वपूर्ण समय में इष्टतम पोषण और स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ावा देती हैं।

साहित्य की समीक्षा

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के साथ-साथ 0-36 महीने की आयु के बच्चों का पोषण संबंधी व्यवहार मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, जो सामाजिक-आर्थिक कारकों, सांस्कृतिक प्रथाओं और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच से काफी प्रभावित होते हैं। ली एट अल. (2018) गर्भवती

महिलाओं और चिकित्सकों के बीच पोषण संबंधी ज्ञान के महत्व पर जोर देते हैं, जो उपलब्ध संसाधनों और शिक्षा के बावजूद बनी हुई कमियों को उजागर करते हैं। शर्मा एट अल. (2019) किशोरों के आहार व्यवहार को आकार देने में पोषण संबंधी ज्ञान, दृष्टिकोण और आत्म-प्रभावकारिता की भूमिका पर और अधिक जोर देते हैं, जो आजीवन स्वास्थ्य आदतों का आधार हैं। पूरक आहार प्रथाएं, बाल पोषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसकी खोज धामी एट अल. (2019) ने की है, जिन्होंने भारत में क्षेत्रीय विविधताओं की पहचान की तथा स्थानीय आहार पैटर्न और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को संबोधित करने वाले अनुरूप हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए बाल स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करती हैं।

बाल स्वास्थ्य पर मातृ पोषण का प्रभाव अच्छी तरह से प्रलेखित है, मुरारकर एट अल. (2020) ने भारत के महाराष्ट्र के शहरी मलिन बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण की व्यापकता पर प्रकाश डाला है, जो समुदाय-विशिष्ट रणनीतियों की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। हदीसुआतमना एट अल. (2021) और चक्रवर्ती एट अल. (2021) द्वारा किए गए अध्ययन क्रमशः भारत में प्रारंभिक स्तनपान आरंभ करने और राष्ट्रीय आहार कार्यक्रमों के अंतर-पीढ़ीगत लाभों के महत्व को स्पष्ट करते हैं, पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर बनाने में मातृ शिक्षा और सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन के लिए इंटरनेट-आधारित हस्तक्षेपों के उपयोग पर वेब एट अल. (2010) द्वारा की गई समीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पोषण शिक्षा और प्रथाओं को बेहतर बनाने के संभावित रास्ते सुझाती है। यह साहित्य सामूहिक रूप से ग्राम पंचायतों जैसे उच्च-संसाधन सेटिंग्स में व्यापक, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और संदर्भ-विशिष्ट पोषण हस्तक्षेपों की तत्काल आवश्यकता का समर्थन करता है, जहाँ पारंपरिक और आधुनिक प्रथाएं एक-दूसरे से मिलती हैं।

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च में धाकड़ और कुमार (2019) द्वारा किए गए एक साहित्य समीक्षा में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में संतुलित पोषण के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया गया है, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को उजागर करता है। इसी तरह, रवुला और कासाला (2022) ने सम्मेलन की कार्यवाही में प्रकाशित अपने आकलन में, इन समूहों के बीच, विशेष रूप से भारत के

तेलंगाना के आदिवासी क्षेत्रों में पोषण संबंधी ज्ञान, दृष्टिकोण और प्रथाओं के महत्व को रेखांकित किया है। क्रज़ेपोटा और पुटेक- सेज़ेलग (2014) ने "एनाल्स ऑफ़ एग्रीकल्चरल एंड एनवायर्नमेंटल मेडिसिन" में, गर्भवती महिलाओं की पोषण संबंधी आदतों की गहराई से जांच की है, उन्हें समग्र स्वास्थ्य व्यवहारों से जोड़ा है और आहार और स्वास्थ्य के परस्पर संबंध को प्रदर्शित किया है। इसके अलावा, एफ़तपनाह एट अल. (2020) ने ईरानी जर्नल ऑफ़ हेल्थ साइंसेज (2020), इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ ट्रॉपिकल डिजीज एंड हेल्थ में, लेक-चाड क्षेत्र में छह महीने से कम उम्र के बच्चों की पोषण स्थिति पर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के खाने के व्यवहार के प्रभावों का आकलन किया गया है, जिसमें बचपन के पोषण पर मातृ खाने की आदतों के प्रत्यक्ष प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और 0-36 महीने की आयु के बच्चों के पोषण संबंधी व्यवहार को समझना इन महत्वपूर्ण अवधियों के दौरान पर्याप्त स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। शोध ने बच्चों में पोषण संबंधी आत्म-प्रभावकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला है, जो आत्म-प्रभावकारिता और स्वस्थ पोषण संबंधी व्यवहारों के बीच सकारात्मक संबंध दर्शाता है (शर्मा एट अल., 2019)। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी जैसे बाहरी कारकों को पोषण संबंधी व्यवहारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते पाया गया है। उदाहरण के लिए, कोविड-19 से संक्रमित होने का डर और आइसोलेशन नियमों का पालन करने से पोलिश वयस्कों की खाने की आदतों और भोजन विकल्पों पर असर पड़ता है, जो पारिवारिक पोषण संबंधी प्रथाओं पर व्यापक प्रभाव दर्शाता है (कोवलचुक और गेबस्की, 2021)। पोषण संबंधी व्यवहारों पर जेंडर और सांस्कृतिक प्रभावों की भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जैविक जेंडर और सांस्कृतिक जेंडर आहार विकल्पों और खाने के व्यवहारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, जो जेंडर-विशिष्ट पोषण हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं (ग्रज़िमिस्लावस्का, पुच, ज़वाडा, और ग्रज़िमिस्लावस्की, 2020)। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए, आहार विविधता और पोषण की स्थिति उनके स्वास्थ्य के साथ-साथ शिशुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इथियोपिया में किए गए शोध में पाया गया कि कई स्तनपान कराने वाली माताओं में

आहार विविधता अपर्याप्त थी, जिससे उनकी पोषण स्थिति प्रभावित हुई (सीड और चेरी, 2022)।

उपरोक्त साहित्य से पता चलता है कि संसाधनों तक पहुँच के बावजूद, पारंपरिक प्रथाएँ, सांस्कृतिक मान्यताएँ और अनुरूप पोषण शिक्षा की कमी अक्सर इष्टतम स्वास्थ्य परिणामों में बाधा डालती हैं। इन अध्ययनों का उद्देश्य प्रभावी पोषण प्रथाओं की विशिष्ट बाधाओं और सुविधाकर्ताओं की पहचान करना है जो लक्षित हस्तक्षेपों को सूचित कर सकते हैं। समीक्षा किए गए साहित्य में संदर्भ-विशिष्ट अंतर्दृष्टि की तत्काल आवश्यकता को संबोधित किया गया है और पोषण संबंधी चुनौतियों पर जोर दिया गया है, लेकिन उच्च संसाधन वाले ग्रामीण क्षेत्रों में अद्वितीय गतिशीलता की विशेष रूप से जाँच नहीं की गई है जहाँ पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रभाव एक साथ मौजूद हैं। इस अध्ययन के निष्कर्ष सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील, प्रभावी पोषण कार्यक्रम और नीतियाँ विकसित करने में योगदान दे सकते हैं जो मौजूदा संसाधनों का लाभ उठाते हुए लगातार अंतराल को संबोधित करते हैं, अंततः समान सामाजिक-आर्थिक संदर्भों में मातृ और बाल स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करते हैं।

कार्यप्रणाली

यह शोध एक त्वरित नृवंशविज्ञान मूल्यांकन (आरईए) के रूप में आयोजित किया गया था, जो भारत के तेलंगाना में चिलकुर नामक एक अच्छी तरह से संसाधन वाली ग्राम पंचायत में 0-36 महीने की आयु के बच्चों के भोजन और खाने की आदतों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण संबंधी प्रथाओं पर केंद्रित था। आरईए दृष्टिकोण को कम समय सीमा के भीतर व्यापक सांस्कृतिक और सामाजिक डेटा एकत्र करने में इसकी दक्षता के लिए चुना गया था, जो समय पर सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की जानकारी देने के लिए आवश्यक है। अध्ययन में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के साथ सीधे संपर्क, स्थानीय आंगनवाड़ियों (ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र) का दौरा और लक्षित समूहों के परिवारों के साथ जुड़ाव शामिल था। अपनी संपदा और संसाधनों के लिए प्रसिद्ध ग्राम पंचायत को उच्च संसाधन वाले वातावरण में पोषण संबंधी व्यवहारों में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए एकमात्र केंद्रित सेटिंग के रूप में चुना गया था।

अध्ययन उत्तरदाताओं का चयन करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण तकनीक का उपयोग किया गया था। प्रतिभागियों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएँ, उनके परिवार और आंगनवाड़ी कर्मचारी शामिल थे। चयन मानदंड उन लोगों पर केंद्रित थे जो वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की गई पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कर रहे थे या हाल ही में कर चुके थे। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि नमूना अध्ययन के तहत आबादी का प्रतिनिधि था। संरचित साक्षात्कार में 25 गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं, इन माताओं के 25 परिवार के सदस्यों तथा तीन आंगनवाड़ी स्टाफ सदस्यों सहित कुल 60 व्यक्तियों ने भाग लिया।

कुल छह फोकस समूह चर्चाएँ (एफजीडी) आयोजित की गईं, जिनमें से प्रत्येक में 10 प्रतिभागी शामिल थे, जिनमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएँ, पति-पत्नी और दादा-दादी जैसे परिवार के सदस्य और आंगनवाड़ी कर्मचारी शामिल थे। इन एफजीडी का उद्देश्य पोषण से संबंधित सामुदायिक मान्यताओं, प्रथाओं और सहायता प्रणालियों पर गहन गुणात्मक डेटा एकत्र करना था। इसके अतिरिक्त, दी जाने वाली सेवाओं का आकलन करने के लिए दो आंगनवाड़ी केंद्रों का अवलोकन किया गया, जैसे कि मौके पर गर्म पका हुआ भोजन खिलाना और घर ले जाने के लिए राशन उपलब्ध कराना। इन दौरों के दौरान केंद्रों पर उपलब्ध बुनियादी ढांचे और संसाधनों और कर्मचारियों और लाभार्थियों के बीच बातचीत का भी मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन प्रक्रिया में स्थिरता और व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए एक अवलोकन चेकलिस्ट का उपयोग किया गया।

डेटा संग्रह विधियाँ

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के साथ संरचित साक्षात्कार आयोजित किए गए ताकि उनकी आहार संबंधी आदतों, पोषण संबंधी धारणाओं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझा जा सके। प्रदान की जाने वाली सेवाओं का आकलन करने के लिए आंगनवाड़ियों का अवलोकनात्मक दौरा किया गया, जिसमें माताओं के लिए गर्म-पकाया भोजन और बच्चों के लिए घर ले जाने उतना राशन उपलब्ध कराना शामिल है। समुदाय की भोजन प्रथाओं, मान्यताओं और पोषण संबंधी देखभाल के लिए उपलब्ध सहायता प्रणाली पर व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने के

लिए लक्षित समूहों के परिवार के सदस्यों के साथ फोकस समूह चर्चाएँ (एफजीडी) आयोजित की गईं।

साक्षात्कारों, आंगनवाड़ी दौरों और एफजीडी से प्राप्त आंकड़ों का गुणात्मक विश्लेषण किया गया। विश्लेषण में पोषण संबंधी व्यवहारों और सेवा उपयोग में सामान्य विषयों, पैटर्न और विचलन की पहचान करने के लिए प्रतिक्रियाओं और टिप्पणियों को कोड करना शामिल था। इस विश्लेषण ने समुदाय की पोषण संबंधी प्रथाओं को उसके अनूठे सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ में बेहतर समझ प्रदान की।

विषयगत विश्लेषण का उपयोग करके गुणात्मक डेटा का विश्लेषण किया गया। यह प्रक्रिया प्रतिभागियों के अनुभवों और अंतर्दृष्टि के आवश्यक पहलुओं को पकड़ने वाले महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करने के लिए डेटा की प्रारंभिक कोडिंग के साथ शुरू हुई। फिर इन कोडों को व्यापक विषयों में वर्गीकृत किया गया, जिससे संबंधित डेटा को सुसंगत समूहों में व्यवस्थित किया जा सके। अंत में, इन विषयों की व्याख्या करने से सार्थक निष्कर्ष निकालने में मदद मिली, जिससे समुदाय के पोषण संबंधी व्यवहारों, विश्वासों और समर्थन प्रणालियों की व्यापक समझ मिली। इस पद्धति ने गुणात्मक डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक गहन और संरचित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया, जिससे अध्ययन के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक व्यावहारिक निष्कर्ष सामने आए।

मूल्यांकन की तीव्र प्रकृति और एक विशिष्ट, उच्च संसाधन वाली ग्राम पंचायत पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, निष्कर्ष अन्य सेटिंग्स के लिए सामान्यीकृत नहीं हो सकते हैं। हालाँकि, अध्ययन के डिज़ाइन ने प्रारंभिक निष्कर्षों के जवाब में लचीलेपन और अनुकूलन की अनुमति दी, जिससे एकत्रित अंतर्दृष्टि की प्रासंगिकता और गहराई बढ़ गई। इस अध्ययन के निष्कर्षों का उद्देश्य लक्षित पोषण हस्तक्षेप और नीतियों को सूचित करना है, विशेष रूप से समान उच्च संसाधन वाली सेटिंग्स में, और विविध सामाजिक-आर्थिक संदर्भों में पोषण संबंधी आवश्यकताओं और सेवाओं की व्यापक समझ में योगदान करना है।

डेटा विश्लेषण

कई उत्तरदाताओं से एकत्र किए गए गुमनाम डेटा के आधार पर, और गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल से संबंधित उनके अनुभवों का व्यापक

विश्लेषण किया गया। यह विश्लेषण उनकी स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकताओं, प्रसव के अनुभवों और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता पर केंद्रित था। कई उत्तरदाताओं से एकत्र किए गए डेटा ने मातृ और शिशु पोषण पहलुओं पर भी व्यावहारिक अवलोकन प्रदान किए, विशेष रूप से स्तनपान प्रथाओं, प्रारंभिक दीक्षा, विशेष स्तनपान, पूरक आहार और माताओं के भोजन के सेवन पर ध्यान केंद्रित किया। यह विश्लेषण गुमनामी बनाए रखने के लिए उत्तरदाताओं की पहचान का खुलासा किए बिना किया गया था।

स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकताएँ और प्रसव अनुभव: अधिकांश उत्तरदाताओं ने अपनी प्रसवपूर्व जाँच और प्रसव के लिए एक विशेष सामान्य अस्पताल के लिए एक मजबूत प्राथमिकता दिखाई। उनकी पसंद मुख्य रूप से देखभाल की कथित गुणवत्ता, विशेष रूप से सिजेरियन सेक्शन (सी-सेक्शन) की तुलना में सामान्य प्रसव की प्राथमिकता से प्रभावित थी। प्रतिभागियों द्वारा सामान्य प्रसव और सी-सेक्शन का मिश्रण बताया गया। प्रसव के तरीकों में यह भिन्नता गर्भवती माताओं के सामने आने वाली विविध चिकित्सा आवश्यकताओं और परिस्थितियों को उजागर करती है।

मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता और उपयोग: स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की जागरूकता और गृह भ्रमण सेवाओं के उपयोग में उल्लेखनीय अंतर देखा गया, जैसे कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ। उत्तरदाताओं में से किसी ने भी प्रसव से पहले या बाद में परामर्श के लिए गृह भ्रमण प्राप्त करने की सूचना नहीं दी, जो इन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को लागू करने में संभावित चूक को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, प्रसव के लिए अपने मायके जाने पर निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) में पुनः पंजीकरण की संभावना के बारे में उत्तरदाताओं में जागरूकता की कमी थी। इस गलत सूचना के कारण उन्हें यह विश्वास हो गया कि उन्हें कई स्थानों पर पोषण संबंधी अधिकार नहीं मिल सकते हैं, जो उनके और उनके बच्चों के पोषण की स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

जन्म अंतराल पर अवलोकन: डेटा ने कुछ उत्तरदाताओं में अपर्याप्त जन्म अंतराल की प्रवृत्ति को उजागर किया। एक मामले में, एक माँ ने तीन साल के भीतर तीन बच्चों को जन्म दिया, जो अनुशंसित जन्म अंतराल दिशानिर्देशों के पालन की कमी को दर्शाता है।

पर्याप्त अंतराल के बिना लगातार गर्भधारण के इस पैटर्न से माँ और बच्चों दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थ हो सकते हैं।

स्तनपान अभ्यास: उत्तरदाताओं में एक आम विषय प्रसव से पहले स्तनपान के बारे में विस्तृत जानकारी का अभाव था। केवल कुछ ने ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) से पहले छह महीनों के लिए विशेष स्तनपान के महत्व के बारे में सामान्य सलाह प्राप्त की। हालाँकि, कोलोस्ट्रम और स्तनपान के लाभों के बारे में विशिष्ट जानकारी व्यापक रूप से ज्ञात नहीं थी। सीमित जानकारी के बावजूद, अधिकांश उत्तरदाताओं ने जन्म के बाद पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कर दिया। एक अपवादात्मक मामले में शिशु को इनक्यूबेटर में रखे जाने के कारण देरी से स्तनपान शुरू किया गया था।

आम धारणा यह थी कि कोलोस्ट्रम, जिसे "पहला दूध" कहा जाता है, बच्चे की शारीरिक शक्ति के लिए फायदेमंद होता है। हालाँकि, प्रतिरक्षा निर्माण और मस्तिष्क विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता की कमी थी, ज़्यादातर जानकारी स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के बजाय पारिवारिक स्रोतों से आती थी।

विशेष स्तनपान: ज़्यादातर माताओं ने जन्म के बाद पहले घंटे के भीतर सफलतापूर्वक स्तनपान शुरू कर दिया, जो अनुशंसित स्तनपान प्रथाओं के अनुरूप है। यह प्रारंभिक शुरुआत माँ और बच्चे दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, स्तनपान स्थापित करने और नवजात शिशु को आवश्यक पोषक तत्व और एंटीबॉडी प्रदान करने में सहायता करती है। हालाँकि, इसमें चुनौतियाँ थीं, जैसा कि एक माँ ने बताया कि, अपने बच्चे को इनक्यूबेटर में रखने के कारण 12 घंटे बाद ही स्तनपान शुरू कर सकी। यह स्थिति जन्म संबंधी जटिलताओं के आधार पर स्तनपान के अनुभवों में परिवर्तनशीलता को रेखांकित करती है। कुछ माताओं में एक आम चिंता शुरु में उत्पादित स्तन दूध की मात्रा थी। उन्होंने केवल कुछ बूँदें पिलाने में सक्षम होने पर निराशा व्यक्त की, जो नवजात शिशु के पेट की क्षमता के बारे में जागरूकता की कमी को दर्शाता है, जो बहुत छोटा है और आमतौर पर केवल थोड़ी मात्रा में दूध की आवश्यकता होती है।

कोलोस्ट्रम के बारे में धारणाएँ: ज़्यादातर माताएँ बच्चे की शारीरिक शक्ति के लिए कोलोस्ट्रम (पहला दूध) के

महत्व को पहचानती हैं। हालाँकि, कोलोस्ट्रम के सभी लाभों के बारे में व्यापक जानकारी का अभाव प्रतीत होता है, विशेष रूप से प्रतिरक्षा प्रदान करने और मस्तिष्क के विकास में सहायता करने में इसकी भूमिका। कोलोस्ट्रम के लाभों के बारे में जानकारी मुख्य रूप से दादी, माँ, बहनों या मौसी जैसे पारिवारिक स्रोतों से प्राप्त हुई थी, न कि औपचारिक स्वास्थ्य सेवा परामर्श से। पारिवारिक सलाह पर यह निर्भरता स्तनपान में सांस्कृतिक प्रथाओं और अंतर-पीढ़ीगत ज्ञान हस्तांतरण की प्रभावशाली भूमिका को उजागर करती है।

स्तनपान की निरंतरता और आवृत्ति: उत्तरदाताओं ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की सलाह के अनुसार दो साल तक स्तनपान जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। यह इरादा दो साल या उससे अधिक समय तक स्तनपान कराने की वैश्विक स्वास्थ्य सिफारिशों के अनुरूप है। बच्चे की भूख के संकेतों के बारे में अवलोकन अलग-अलग थे, अधिकांश माताओं ने रोने को भूख के संकेत के रूप में पहचाना। मुंह में हाथ डालने या माँ की छाती की ओर मुड़ने जैसे अन्य संकेत भी देखे गए। इन संकेतों को समझना उत्तरदायी भोजन के लिए महत्वपूर्ण है।

रात में स्तनपान और स्तनपान के संकेत: रात में स्तनपान करने की प्रथाओं में भिन्नता थी, एक माँ ने उल्लेख किया कि वह बच्चे को केवल तभी दूध पिलाएगी जब वह रोता हुआ उठे। यह भिन्नता स्तनपान को बनाए रखने और बच्चे की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में रात में भोजन के महत्व के बारे में बेहतर परामर्श की आवश्यकता का सुझाव देती है। उत्तरदाता बच्चे के पेट भरे होने के संकेतों के प्रति भी चौकस थे, जैसे कि चेहरा दूसरी ओर करना या जीभ से निप्पल को दूर धकेलना। ये अवलोकन बच्चे की स्तनपान संबंधी जरूरतों और पैटर्न को समझने के लिए आवश्यक हैं।

स्तनपान संबंधी चुनौतियाँ और सहायता: लगभग सभी माताओं ने स्तनपान संबंधी सामान्य चुनौतियों का अनुभव किया, जैसे स्तनों में दर्द या निप्पल में दर्द, विशेष रूप से पहले महीने में। इस संबंध में एडब्ल्यूडब्ल्यू/आशा जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से मार्गदर्शन की कमी स्तनपान संबंधी सहायता और शिक्षा में अंतर को इंगित करती है।

स्तनपान की अवधि और अभ्यास: प्रत्येक स्तनपान की अवधि माताओं में भिन्न होती है, जो स्तनपान के पैटर्न

में व्यक्तिगत अंतर को दर्शाती है। यह विविधता स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए व्यक्तिगत सहायता और सलाह की आवश्यकता को रेखांकित करती है। जबकि सभी माताओं ने दोनों स्तनों से दूध पिलाने की कोशिश की, इस बात में भिन्नता थी कि क्या उन्होंने दूसरे स्तन पर स्विच करने से पहले एक तरफ से पूरी तरह से दूध पिलाया। यह अभ्यास बच्चे को मिलने वाले दूध (अग्रदूध और पश्च दूध) के प्रकार को प्रभावित करता है, जिसमें पश्च दूध अधिक पौष्टिक और बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है।

उत्तरदाताओं में विशेष स्तनपान प्रथाओं ने सूचित विकल्पों और ज्ञान में अंतराल का मिश्रण दिखाया। जबकि अधिकांश माताएँ प्रारंभिक शुरुआत जैसी प्रमुख प्रथाओं का पालन करती थीं और कोलोस्ट्रम के महत्व के बारे में जानती थीं, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ अतिरिक्त सहायता और शिक्षा उनके स्तनपान के अनुभव को बढ़ा सकती थी। पारिवारिक सलाह पर निर्भरता और प्रथाओं में भिन्नता, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से अधिक व्यापक, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और व्यक्तिगत स्तनपान सहायता की आवश्यकता को उजागर करती है।

अनुपूरक आहार: सभी माताओं का मानना था कि छह महीने के बाद, केवल स्तन दूध ही उनके बच्चे की बढ़ती पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह मानक स्वास्थ्य अनुशंसाओं के अनुरूप है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि लगभग छह महीने की उम्र में ठोस आहार देना शुरू कर देना चाहिए। अधिकांश लोगों ने अपने बच्चे के पूरक आहार की शुरुआत स्टोर से खरीदे गए सेरेलैक जैसे अनाज से की। पहले भोजन के रूप में स्टोर से खरीदे गए अनाज का चुनाव व्यावसायिक रूप से तैयार शिशु आहार पर निर्भरता को दर्शाता है, जिसे अक्सर पोषण की दृष्टि से पर्याप्त और सुविधाजनक माना जाता है।

पूरक आहार विकल्प में भिन्नता: कुछ माताओं ने बताया कि स्टोर से खरीदा गया कुछ खास पदार्थ देने के बाद उनके बच्चों में दस्त जैसी पाचन संबंधी समस्याएं होने लगीं। इसके कारण उन्हें खाना बंद करना पड़ा और घर के बने खाने की ओर रुख करना पड़ा, जिससे अलग-अलग खाद्य पदार्थों के प्रति बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर सावधानीपूर्वक नज़र रखने की जरूरत पर जोर पड़ा। स्टोर से खरीदे गए अनाज से लेकर "उग्गू" जैसे पारंपरिक घर के बने खाने की ओर संक्रमण आधुनिक और पारंपरिक भोजन पद्धतियों के मिश्रण को दर्शाता है। कम मात्रा से धीरे-धीरे बढ़ने से

बच्चे के पाचन तंत्र को नए खाद्य पदार्थों के अनुकूल होने की ज़रूरत के बारे में जागरूकता का संकेत मिलता है।

स्तनपान जारी रखना और कम करना: सभी माताओं ने पूरक आहार शुरू करने के बाद भी अपने बच्चों को स्तनपान कराना जारी रखा, जिससे स्तनपान जारी रखने के महत्व की समझ का पता चलता है। स्तनपान सत्रों की संख्या अलग-अलग थी, कुछ माताओं ने पूरक आहार शुरू होने के बाद आवृत्ति कम कर दी। यह एक स्वाभाविक प्रगति है क्योंकि बच्चे को ठोस खाद्य पदार्थों से अधिक पोषण मिलता है।

ठोस आहार की ओर संक्रमण: एक बार तरल और अर्ध-ठोस आहार के आदी हो जाने के बाद, ठोस आहार की ओर संक्रमण देखा गया। माताओं ने बच्चे के आहार में इडली, उपमा, केला, दाल, सब्जियाँ और मांस सहित कई तरह के खाद्य पदार्थ शामिल किए, धीरे-धीरे पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने के लिए बच्चे के आहार का विस्तार किया। अधिकांश माताओं ने अधिकांश खाद्य समूहों को शामिल किया, लेकिन बच्चे के एक वर्ष का होने के बाद ही अधिक विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने की प्रवृत्ति थी।

अवलोकन और चुनौतियाँ: विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल करने के प्रयासों के बावजूद, कुछ बच्चों ने पसंद या अस्वीकृति दिखाई, जिसके कारण कभी-कभी माताओं ने कुछ खाद्य पदार्थों को फिर से आजमाना बंद कर दिया। यह संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों को शामिल करने पर आगे की शिक्षा के लिए एक संभावित क्षेत्र को इंगित करता है। पूरक आहार व्यंजनों के लिए परिवार के सदस्यों और ऑनलाइन संसाधनों पर निर्भरता औपचारिक परामर्श और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से समर्थन में अंतराल का संकेत देता है।

भोजन संबंधी प्रथाएँ और स्वास्थ्य संबंधी मान्यताएँ: जब माँ या बच्चा बीमार होता है तो बच्चों को भोजन देने के बारे में अलग-अलग मान्यताएँ और प्रथाएँ होती हैं, जो इस पहलू पर एक समान मार्गदर्शन की कमी को दर्शाती हैं। कुछ माताओं ने आंगनवाड़ी केंद्रों से प्राप्त अंडों को परिवार के सदस्यों के साथ साझा किया, जो या तो अतिरिक्त मात्रा में था या इन पूरकों के इच्छित उद्देश्य के बारे में गलतफहमी थी।

इन माताओं में पूरक आहार प्रथाओं के विश्लेषण से आधुनिक और पारंपरिक दृष्टिकोणों, स्टोर से खरीदे

गए और घर के बने दोनों खाद्य पदार्थों पर निर्भरता और निरंतर स्तनपान का मिश्रण पता चलता है। इसमें शिशुओं को ठोस आहार देने तथा बीमारी के दौरान आहार प्रबंधन में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से अधिक संरचित मार्गदर्शन और सहायता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।

माँ का भोजन सेवन: गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान ज़्यादातर महिलाओं ने किसी खास खाद्य प्रतिबंध का पालन नहीं किया, सिवाय एक माँ के जिसका सी-सेक्शन हुआ था और उसे कुछ खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी गई थी। ज़्यादातर माताओं ने गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान विशिष्ट आहार प्रतिबंधों का पालन नहीं किया। यह सख्त आहार दिशानिर्देशों का पालन करने के बजाय नियमित, संतुलित आहार बनाए रखने के सामान्य दृष्टिकोण का सुझाव देता है। खाद्य प्रतिबंधों की कमी इन माताओं में आराम और समझ के स्तर को इंगित कर सकती है कि एक विविध आहार उनके और उनके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों से विशिष्ट आहार सलाह की संभावित कमी को भी दर्शाता है।

सी-सेक्शन के बाद विशेष आहार प्रतिबंध: सीजेरियन सेक्शन (सी-सेक्शन) करवाने वाली एक माँ ने विशेष आहार प्रतिबंधों की सूचना दी। इसमें छोले, मूंगफली, तले हुए खाद्य पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, दही और अधिक मात्रा में चावल जैसे कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करना शामिल था। ये प्रतिबंध पाचन संबंधी जटिलताओं को रोकने, वजन को नियंत्रित करने या सर्जरी के बाद रिकवरी से जुड़ी सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण दिए गए हो सकते हैं। कई संस्कृतियों में, कुछ खाद्य पदार्थों को उपचार में सहायक माना जाता है और सर्जरी के बाद या तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है या प्रतिबंधित किया जाता है।

आहार पर सांस्कृतिक और स्वास्थ्य प्रभाव: विशिष्ट प्रतिबंध और आहार विकल्प सांस्कृतिक प्रथाओं और चिकित्सा सलाह के मिश्रण को दर्शाते हैं। पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं और चिकित्सा सलाह पर निर्भरता पोषण के लिए एक संकर दृष्टिकोण को इंगित करती है, जहां आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल सिफारिशों को सांस्कृतिक रूप से निहित आहार प्रथाओं के साथ जोड़ा जाता है। आहार प्रतिबंधों में एकरूपता की कमी और चिकित्सा सलाह और पारंपरिक प्रथाओं के मिश्रण

पर निर्भरता मातृ पोषण पर विविध प्रभावों को उजागर करती है।

जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान माताओं के आहार पैटर्न में न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ नियमित आहार की प्रधानता दिखाई देती है। अपवाद सी-सेक्शन के बाद आहार में होने वाले बदलाव हैं, जो मातृ पोषण को प्रभावित करने वाली चिकित्सा सलाह और सांस्कृतिक प्रथाओं के मिश्रण की ओर इशारा करते हैं। यह विश्लेषण गर्भवती और नई माताओं के लिए उनकी स्वास्थ्य स्थितियों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत आहार संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक व्यक्तिगत पोषण परामर्श की आवश्यकता पर जोर देता है।

अवलोकनों का सारांश

- माताओं को आमतौर पर प्रसव से पहले स्तनपान के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं होती है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) की सलाह सीमित और सामान्य थी, जो मुख्य रूप से पहले छह महीनों के लिए केवल स्तनपान के महत्व पर केंद्रित थी।
- कोलोस्ट्रम या व्यापक स्तनपान शिक्षा के विशिष्ट लाभ के बारे में माताओं में व्यापक जानकारी नहीं थी।
- अधिकांश माताओं ने अनुशंसित प्रथाओं का पालन करते हुए जन्म के बाद पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कर दिया।
- कुछ माताओं को जन्म संबंधी जटिलताओं या अपर्याप्त दूध उत्पादन के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे बेहतर समर्थन और जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
- माताएँ कोलोस्ट्रम के शारीरिक लाभों पर विश्वास करती थीं, मुख्य रूप से पारिवारिक सलाह से, इसके प्रतिरक्षा और मस्तिष्क विकास लाभों के बारे में सीमित जानकारी के साथ।
- माताओं ने छह महीने के आसपास पूरक आहार देना शुरू कर दिया, घर के बने खाद्य पदार्थों पर जाने से पहले सेरेलैक जैसे स्टोर से खरीदे गए पूरक आहार से शुरुआत की।
- पूरक खाद्य पदार्थों की शुरुआत और प्रकार में भिन्नता थी, कुछ माताओं ने अपने शिशुओं में पाचन संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट की।

- पूरक खाद्य पदार्थों की शुरुआत के बाद माताओं ने स्तनपान जारी रखा, स्तनपान की आवृत्ति में कुछ कमी आई।
- गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान, अधिकांश माताओं ने विशिष्ट आहार प्रतिबंधों का पालन नहीं किया, सिवाय एक के जिसने सी-सेक्शन करवाया था।
- आहार विकल्पों में सांस्कृतिक प्रथाओं और चिकित्सा सलाह का मिश्रण दिखाई देता है, जो मातृ पोषण के लिए एक संकर दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- अवलोकन पारंपरिक और आधुनिक मातृ और बाल पोषण प्रथाओं के मिश्रण को प्रकट करते हैं।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से औपचारिक परामर्श और समर्थन में उल्लेखनीय अंतर है, विशेष रूप से स्तनपान शिक्षा और पूरक आहार प्रथाओं में।
- पूरक आहार और स्तनपान पर मार्गदर्शन के लिए परिवार के सदस्यों और ऑनलाइन संसाधनों पर निर्भरता स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों से अधिक संरचित, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और व्यक्तिगत समर्थन की आवश्यकता को इंगित करती है।

अध्ययन में पाया गया है कि जबकि इस समुदाय की माताएँ कुछ अनुशंसित प्रथाओं का पालन करती हैं, ज्ञान और समर्थन में महत्वपूर्ण अंतर हैं, विशेष रूप से स्तनपान शिक्षा और पूरक आहार में। इसके लिए व्यापक, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और सुलभ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य शिक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए उन्नत स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

लक्षित हस्तक्षेप

किए गए अवलोकनों के आधार पर और उच्च संसाधन वाली ग्राम पंचायत के संदर्भ पर विचार करते हुए, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और 0-36 महीने की आयु के बच्चों में पोषण संबंधी व्यवहार में सुधार के लिए लक्षित हस्तक्षेप नीचे दिए गए हैं:

- पोषण शिक्षा कार्यक्रम: स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए पोषण शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करने से शिशु आहार से संबंधित ज्ञान और प्रथाओं में काफी सुधार हो सकता है (हदीसुयातमाना एट अल., 2021)। ऐसे कार्यक्रम स्तनपान, आहार

विविधीकरण और पूरक आहार प्रथाओं के महत्व पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

- स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को मजबूत बनाना: स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को बढ़ाना ताकि वे पोषण संबंधी प्रथाओं पर परामर्श दे सकें। इन कार्यकर्ताओं को आवश्यक कौशल और ज्ञान से प्रशिक्षित और सुसज्जित करना पोषण संबंधी कमियों को दूर करने में मदद कर सकता है।
- सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता: समुदाय आधारित हस्तक्षेप जिसमें स्थानीय हितधारकों, जैसे कि सामुदायिक नेताओं और स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया जाता है, प्रभावी हो सकते हैं। इसमें गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पोषण, स्वच्छता और देखभाल प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशालाएँ और समूह चर्चाएँ शामिल हो सकती हैं।
- खाद्य अनुपूरण और सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रमों को शुरू करना या उन्हें मजबूत करना। इसमें सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ या पूरक वितरित करना शामिल हो सकता है।
- निगरानी एवं निरीक्षण प्रणालियाँ: माताओं और बच्चों की पोषण स्थिति को ट्रैक करने के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली स्थापित करना। इसमें नियमित स्वास्थ्य जांच, विकास की निगरानी और पोषण संबंधी सेवाओं के उपयोग को ट्रैक करना शामिल होगा।
- सामाजिक-आर्थिक कारकों को संबोधित करना: पोषण को प्रभावित करने वाले अंतर्निहित सामाजिक-आर्थिक कारकों से निपटना, जैसे गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच। इसमें महिलाओं के लिए आय-उत्पादक गतिविधियाँ या शिक्षा छात्रवृत्तियाँ शामिल हो सकती हैं।
- व्यवहार परिवर्तन संचार: स्वस्थ आहार प्रथाओं, विशेष स्तनपान और पूरक आहार की समय पर शुरुआत को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीतियों का उपयोग करना (वेब एट अल., 2010)।

- पोषण को अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत करना: मौजूदा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों में पोषण सेवाओं को शामिल करना। यह स्वास्थ्य और पोषण के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित कर सकता है (बेकर एट अल., 2020)।

निष्कर्ष

पोषण व्यवहार के संदर्भ में, लक्षित पोषण हस्तक्षेपों की सफलता को आगे बढ़ाने में ग्राम पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसा कि अध्ययन निष्कर्ष से पता चलता है कि, पोषण परिणामों को बढ़ाने के लिए समुदाय में ग्राम पंचायत की अद्वितीय स्थिति को स्वीकार करना और उसका लाभ उठाना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत, ग्रामीण लोगों के लिए शासन का सबसे करीबी रूप है, जो स्थानीय स्वास्थ्य और पोषण नीतियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यह संसाधन जुटाने, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करने और पोषण कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। स्थानीय संदर्भ, सांस्कृतिक मानदंडों और सामुदायिक आवश्यकताओं के बारे में पंचायत की गहरी समझ इसे सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और व्यापक रूप से स्वीकृत हस्तक्षेपों को तैयार करने में एक अपरिहार्य सहयोगी बनाती है।

इसके अलावा, ग्राम पंचायत समुदाय और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के बीच एक सेतु का काम कर सकती है। जागरूकता अभियान चलाने, पोषण कार्यशालाओं का आयोजन करने और स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समर्थन करके, पंचायत स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की पहुँच और प्रभाव को बढ़ा सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसकी भागीदारी महत्वपूर्ण है स्तनपान प्रथाओं, पूरक आहार और मातृ पोषण पर शैक्षिक कार्यक्रमों को लक्षित दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के साथ साझेदारी में, ग्राम पंचायत पोषण कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन में भी भूमिका निभा सकती है, जिससे जवाबदेही और निरंतर सुधार सुनिश्चित हो सके। डेटा संग्रह और फीडबैक तंत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी सफल हस्तक्षेपों को परिष्कृत करने और बढ़ाने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है।

पोषण को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों को संबोधित करने में ग्राम पंचायत की क्षमता को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह समुदाय-

आधारित आय-उत्पादक गतिविधियों, शैक्षिक कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक पहलों को आरंभ और समर्थन कर सकता है जो अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन महत्वपूर्ण रूप से पोषण संबंधी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ग्राम पंचायत केवल एक प्रशासनिक निकाय नहीं है, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण में बदलाव के लिए उत्प्रेरक है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के पोषण संबंधी व्यवहार में एक स्थायी और प्रभावशाली बदलाव लाने के लिए इसकी सक्रिय भागीदारी, नेतृत्व और विभिन्न हितधारकों के साथ

सहयोग आवश्यक है। अपने प्रभाव और संसाधनों का उपयोग करके, ग्राम पंचायत अपने समुदाय के लिए एक स्वस्थ भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

स्वीकृति

लेखक क्षेत्र दौरे के दौरान सुश्री श्रुति अप्सिंगिकर और चौधरी माधुरी द्वारा किए गए योगदान को स्वीकार करना चाहते हैं।

लेखक का योगदान:

वाणीश्री जोसेफ: पेपर की अवधारणा, विश्लेषण और प्रारूपण

एन. वी. माधुरी: प्रारूप को अंतिम रूप देना

संदर्भ

- Baker, P., Smith, J., Salmon, L., Friel, S., Kent, G., Iellamo, A., Dadhich, J. P., & Renfrew, M. J. (2020). Global Trends and Patterns of Commercial Milk-Based Formula Sales: Is an Unprecedented Infant and Young Child Feeding Transition Underway? *Public Health Nutrition*, 23(11), 2030-2040.
- Bolesławska, I., Błaszczak-Bębenek, E., Jagielski, P., Jagielska, A., & Przysławski, J. (2021). Nutritional Behaviors of Women and Men in Poland during Confinement Related to the SARS-CoV-2 Epidemic. *Scientific Reports*, 11(1), 19984. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-99561-w>
- Chakrabarti, S., Scott, S. P., Alderman, H., Menon, P., & Gilligan, D. O. (2021). Intergenerational Nutrition Benefits of India's National School Feeding Program. *Nature Communications*, 12(1), 4248.
- Dhakad, R. S., & Kumar, A. (2019). Nutritional Health Status with Different Aspects of Target Group (Pregnant and Lactating Women): A Literature Review. *International Journal of Research*, 7(5).
- Dhami, M. V., Ogbo, F. A., Osuagwu, U. L., & Agho, K. E. (2019). Prevalence and Factors Associated with Complementary Feeding Practices among Children Aged 6–23 Months in India: A Regional Analysis. *BMC Public Health*, 19, 1-16.
- Effatpanah, M., Rezaee-Taheri, R., Jamali Moghadam Siyahkali, S., et al. (2020). The Association between Maternal Depression and Anxiety on Nutritional Problems in Children Aged 6 To 36 Months. *Iranian Journal of Health Sciences*, 8(2), 59-70.
- Grzymisławska, M., Puch, E. A., Zawada, A., & Grzymisławski, M. (2020). Do Nutritional Behaviors Depend on Biological Sex and Cultural Gender?. *Advances in Clinical & Experimental Medicine*, 29(1).
- Hadisyatmana, S., Has, E. M. M., Sebayang, S. K., Efendi, F., Astutik, E., Kuswanto, H., & Arizona, I. K. L. T. (2021). Women's Empowerment and Determinants of Early Initiation of Breastfeeding: A Scoping Review. *Journal of Pediatric Nursing*, 56, e77-e92.
- Kowalczyk, I., & Gębski, J. (2021). Impact of Fear of Contracting COVID-19 and Complying with the Rules of Isolation on Nutritional Behaviors of Polish Adults. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 1631.
- Krzepota, J., & Putek-Szeląg, E. (2014). Nutritional Habits in the Light of General Health Behaviours of Pregnant Women. *Annals of Agricultural and Environmental Medicine*, 21(2), 379-383.

-
- Lee, A., Newton, M., Radcliffe, J., & Belski, R. (2018). Pregnancy Nutrition Knowledge and Experiences of Pregnant Women and Antenatal Care Clinicians: A Mixed Methods Approach. *Women and Birth, 31*(4), 269-277.
- Mahamat, A. A. O., Sop, M. M. K., Makhlof, H., & Mananga, M. J. (2020). Impacts of Eating Behaviors of Pregnant and Lactating Women on the Nutritional Status of Children under 6 Months in the Lake-Chad Region. *International Journal of TROPICAL DISEASE & Health, 41*(18), 24-38.
- Murarkar, S., Gothankar, J., Doke, P., Pore, P., Lalwani, S., Dhumale, G. & Malshe, N. (2020). Prevalence and Determinants of Undernutrition among Under-Five Children Residing in Urban Slums and Rural Area, Maharashtra, India: A Community-Based Cross-Sectional Study. *BMC Public Health, 20*, 1-9.
- Ravula, P., Kasala, K., & Das, A. (2024). Knowledge, Attitudes, and Practices of Vulnerable Populations for Achieving Sustainable Dietary Practices in India. *SAGE Open, 14*(3), 21582440241266695.
- Seid, A., & Cherie, H. A. (2022). Dietary Diversity, Nutritional Status and Associated Factors among Lactating Mothers Visiting Government Health Facilities at Dessie town, Amhara Region, Ethiopia. *PLoS ONE, 17*.
- Sharma, S., Akhtar, F., Singh, R. K., & Mehra, S. (2019). Relationships between Nutrition-Related Knowledge, Attitude, and Self-efficacy among Adolescents: A Community-based Survey. *Journal of Family Medicine and Primary Care, 8*(6), 2012-2016.
- Webb, T., Joseph, J., Yardley, L., & Michie, S. (2010). Using the Internet to Promote Health Behaviour Change: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Impact of Theoretical Basis, Use of Behaviour Change Techniques, and Mode of Delivery on Efficacy. *Journal of Medical Internet Research, 12*(1), e1376.

केरल के मध्यभूमि और उच्चभूमि क्षेत्र में पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित जलागम परियोजनाओं का प्रभाव - एक तुलनात्मक अध्ययन

बाबू मैथ्यू*, वेणु प्रसाद एच. डी. **, चैत्रा जी. बी. *** और चिदानंद पाटिल****

सार

वर्तमान अध्ययन में, दो जलग्रहण क्षेत्रों, अर्थात् मध्यभूमि क्षेत्र से कन्नूर में ओर्ककायम जलग्रहण क्षेत्र और पश्चिमी घाट के उच्चभूमि क्षेत्र से वायनाड में पन्नियानकोड जलग्रहण क्षेत्र को विस्तृत जांच के लिए चुना गया था। इन दो जलग्रहण क्षेत्रों में विभिन्न प्राकृतिक संसाधन और उत्पादन प्रणाली प्रबंधन गतिविधियाँ, आजीविका सहायता प्रणालियाँ और सामुदायिक संगठन गतिविधियाँ की गईं। कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करने के लिए तकनीकी और आर्थिक संकेतकों/ सूचकांकों का एक सेट इस्तेमाल किया गया था। परिणाम खुले कुओं में पानी के स्तर में वृद्धि दर्शाते हैं, जैसा कि ओर्ककायम में 55.5 प्रतिशत और पन्नियानकोड जलग्रहण क्षेत्र में 68.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने देखा। इसी तरह, ओर्ककायम और पन्नियानकोड जलग्रहण क्षेत्रों में क्रमशः 75 प्रतिशत और 90.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चरम सतही अपवाह में कमी की सूचना दी। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के संबंध में, पन्नियानकोड जलग्रहण क्षेत्र में मिट्टी के बांध (76 प्रतिशत) को वर्षा गड्ढों (51 प्रतिशत) की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। 80 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों ने इन उपायों को नियमित रूप से अपनाया और बनाए रखा है। यह पता चला है कि इस जलग्रहण क्षेत्र में जल स्तर 2 फीट/वर्ष की दर से कम हो रहा था। भूजल स्तर में वृद्धि जलग्रहण क्षेत्र में हस्तक्षेपों का एक सकारात्मक प्रभाव है। यह समझा जा सकता है कि परियोजना के कार्यान्वयन के बाद खुले कुओं में जल स्तर काफी बढ़ गया और अन्य पड़ोसी स्रोतों पर निर्भरता कम हो गई। इसलिए, जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में भूजल पुनर्भरण उपायों और साइट पर मिट्टी और जल संरक्षण को काफी महत्व दिया जाना चाहिए।

कीवर्ड: जलग्रहण परियोजनाएं, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, मिट्टी और जल संरक्षण उपाय, धारणा, भूजल पुनर्भरण उपाय

*सेवानिवृत्त मुख्य वैज्ञानिक, प्रशिक्षण और आउटरीच अनुसंधान समूह, जल संसाधन विकास और प्रबंधन केंद्र, कुन्नमंगलम, कोझीकोड, केरल, भारत- 673571;

ईमेल: babuailapurath@gmail.com

** वैज्ञानिक, प्रशिक्षण और आउटरीच अनुसंधान समूह, जल संसाधन विकास और प्रबंधन केंद्र, कुन्नमंगलम, कोझीकोड, केरल, भारत- 673571; ईमेल: venu@cwrmdm.org

***पोस्ट-डॉक्टरल फेलो, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, घुड्डा परिसर, बठिंडा, पंजाब, भारत - 151401; ईमेल: chaitragb519@gmail.com

****एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, अनुप्रयुक्त कृषि विभाग, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, घुड्डा परिसर, बठिंडा, पंजाब, भारत - 151401;: chidusam@gmail.com

परिचय

जलागम एक भू-जल विज्ञान इकाई है जिसमें पानी एक विशिष्ट क्षेत्र से एक नेटवर्क चैनलों के माध्यम से एक केंद्रीय बिंदु में परिवर्तित होता है। यह एक बेसिन जैसा दिखने वाला भूमि क्षेत्र है जो वर्षा को इकट्ठा करता है और इसे एक प्राथमिक चैनल आउटलेट (नायक, 2017) के माध्यम से निकास करता है। चूंकि पानी को विकासात्मक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में एक आवश्यक घटक माना जाता है, इसलिए भविष्य में पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जनता में जल संरक्षण मुख्य फोकस है। जलागम को वृद्धित इन-सीटू मृदा संरक्षण विधियों के माध्यम से जल प्रबंधन पर एक बुनियादी इकाई के रूप में तेजी से केंद्रित किया जा रहा है। इसलिए, भारत सरकार ने जल संरक्षण को अधिक महत्व दिया है और धीरे-धीरे विभिन्न योजनाएँ शुरू की हैं।

भारत ने 1973 में सूक्ष्म जलग्रहण विकास के महत्व को पहचाना, जिससे छोटे पैमाने की जलग्रहण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। परिणामस्वरूप, 1979-80 में, राष्ट्रीय विकास परिषद (पाटिल, 2019) की सिफारिशों के आधार पर जलग्रहण विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को विकेंद्रीकृत कर दी गई। ये जलग्रहण विकास कार्यक्रम न केवल मिट्टी और पानी के संरक्षण के तरीके के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने के साधन के रूप में भी कार्य करते हैं (अर्गाँ, एट अल., 2023)। प्रारंभ में, जलग्रहण प्रबंधन को एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए पर्याप्त दृष्टिकोण के रूप में तेजी से स्वीकार किया गया था, विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में (अरफासा और अमेनू, 2019)। इसके अलावा, जैसे-जैसे जलग्रहण प्रबंधन आगे बढ़ता है, मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए मिट्टी और जल संरक्षण (एस एंड डब्ल्यूसी) प्रथाओं को पहाड़ी क्षेत्रों में भी बढ़ाया जा रहा है। इस विस्तार का उद्देश्य खड़ी ढलानों और नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालियों की विशेषता वाले क्षेत्रों में कटाव के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है, जिससे इन क्षेत्रों में मिट्टी और जल संसाधनों का स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

केरल का पश्चिमी घाट क्षेत्र लगभग 450 किलोमीटर में फैला है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 72 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में राज्य की लगभग 50 प्रतिशत आबादी रहती है (विष्णुदास, 2005)। क्षेत्र की आबादी पश्चिमी घाट द्वारा प्रदान किए गए प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर निर्भर करती है, जिससे पर्यावरण और लोगों दोनों की भलाई को बनाए रखने के लिए स्थायी प्रबंधन और संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पश्चिमी घाट की लहरदार स्थलाकृति के कारण, इस क्षेत्र को बाढ़ और मिट्टी के कटाव का अधिक खतरा है। मिट्टी के कटाव पर केरल सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव की दर लगभग 30 से 50 टन/हेक्टेयर/वर्ष है। इसलिए, एस एंड डब्ल्यूसी संरचनाओं के साथ पश्चिमी घाट क्षेत्र का संरक्षण मिट्टी के नुकसान को कम करने और बाढ़ के दौरान पानी के प्रवाह को कम करने में मदद करता है


जलग्रहण प्रबंधन अन्य लाभ प्रदान करने के अलावा सतही अपवाह को कम करने और शीर्ष उपजाऊ मिट्टी को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण है। विभिन्न जलग्रहण समितियों द्वारा अपनाई गई मृदा और जल संरक्षण उपायों की जलग्रहण प्रथाएँ जलग्रहण क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भिन्न होती हैं। जलग्रहण कार्यक्रम पश्चिमी घाट क्षेत्र में लागू किए गए थे, और पश्चिमी घाट विकास परियोजनाएँ ज़्यादातर केरल के हाइलैंड और मिडलैंड क्षेत्रों में लागू की गई थीं। अध्ययन मुख्य रूप से दो विशिष्ट जलग्रहण क्षेत्रों, ओर्ककायम और पन्नियनकोड में लागू किए गए मृदा और जल संरक्षण उपायों के प्रभाव का आकलन करने पर केंद्रित था, जो क्रमशः हाइलैंड और मिडलैंड क्षेत्रों में स्थित हैं। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मृदा और जल संरक्षण के संदर्भ में इन उपायों की प्रभावशीलता और उनके परिणामों का मूल्यांकन करना था।

कार्यप्रणाली

अध्ययन क्षेत्र: अध्ययन भारत के केरल राज्य के पश्चिमी घाट तक ही सीमित था। इस पश्चिमी घाट विकास क्षेत्र से, दो जलग्रहण क्षेत्रों का चयन किया गया, अर्थात्, मध्यभूमि क्षेत्र से कन्नूर में ओर्ककायम जलग्रहण क्षेत्र और उच्चभूमि क्षेत्र से वायनाड में पन्नियांकोड जलग्रहण क्षेत्र।

चित्र 1

अध्ययन क्षेत्र का स्थान मानचित्र



ओर्ककायम जलग्रहण कन्नूर जिले के तालिपरम्बा तालुक की नादुविल पंचायत में स्थित है। यह जलग्रहण क्षेत्र 120 7' और 120 9' उत्तरी अक्षांशों और 750 28' पूर्व और 750 31' पूर्वी देशांतरों के बीच फैले 1050 हेक्टेयर क्षेत्र को घेरता है। भौगोलिक दृष्टि से, जलग्रहण क्षेत्र को मध्यभूमि, मध्य-ऊंचाई वाले क्षेत्र और उच्चभूमि में विभाजित किया जा सकता है। मध्यभूमि में कम पहाड़ियों और घाटियों के साथ लहरदार से लेकर लुढ़कते इलाके शामिल हैं, और ऊंचाई एमएसएल से 60 से 100 मीटर तक है। मध्य-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऊंची पहाड़ियों, खड़ी ढलानों, संकरी घाटियों और एमएसएल से 100 से 300 मीटर तक की ऊंचाई वाले विच्छेदित क्षेत्र शामिल हैं औसत वार्षिक वर्षा 3554 मिमी है, और औसत तापमान 27.60 डिग्री सेल्सियस है।

पन्नियानकोड जलागम वायनाड जिले के सुल्तान बाथरी पंचायत में स्थित है। यह जलागम 11041' से 11043' उत्तरी अक्षांश और 760 15' से 760 18' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है और 950 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 600 हेक्टेयर का प्रभावी क्षेत्र शामिल है। कुप्पाडी रिजर्व फॉरेस्ट 350 हेक्टेयर

क्षेत्र में फैला हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से, यह क्षेत्र उच्चभूमि के अंतर्गत आता है, और इसकी ऊंचाई एमएसएल से 700-800 मीटर ऊपर है, जिसमें औसत वर्षा 2139.3 मिमी है और तापमान 110 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है।

नमूना चयन: जांच दल ने क्षेत्र सत्यापन और भौतिक प्रणाली डेटा के संग्रह के लिए दोनों जलग्रहण क्षेत्रों का दौरा किया। पंचायतों से परिवारों की एक सूची एकत्र की गई और भूमि जोत के आकार के अनुसार उन्हें चार श्रेणियों में बांटा गया, यानी एक एकड़ से कम, 1-2.5 एकड़, 2.5-5.0 एकड़ और 5 एकड़ से अधिक। नमूना आकार में प्रत्येक समूह के कुल घरों की संख्या का 20 प्रतिशत शामिल था। तदनुसार, ओर्ककायम और पन्नियानकोड जलग्रहण क्षेत्रों में 209 और 264 उत्तरदाताओं के नमूने शामिल किए गए, कुल मिलाकर 473 उत्तरदाता थे। परियोजना कार्यान्वयन और विशेष रूप से हस्तक्षेपों के प्रभाव के व्यापक अध्ययन के लिए आवश्यक सभी मुख्य विवरण एकत्र करने के लिए एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता और परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए संपूर्ण डेटा संग्रह और विश्लेषण सुनिश्चित करना था।

शोध पद्धति और विश्लेषण: वर्तमान अध्ययन मुख्य रूप से एक पूर्व-पश्चात अनुसंधान डिजाइन के साथ डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक अर्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गई थी, और पूर्व-परीक्षण के बाद, 2017 में डेटा संग्रह किया गया था। उत्तरदाताओं के बीच अनुभव किये गये लाभों को लिफ्ट पैमाने के माध्यम से एकत्र किया गया तथा औसत स्कोर के आधार पर रैंकिंग दी गई। चूंकि एकत्र

किया गया डेटा मुख्य रूप से गुणात्मक है, इसलिए प्रतिशत विश्लेषण और ची-स्क्वायर तकनीक (पायथन का उपयोग करके) का उपयोग परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।

परिणाम और चर्चा

डेटा का विश्लेषण किया गया, और परिणाम निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1

विभिन्न हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन से लाभान्वित हुए उत्तरदाता:

एस एंड डब्ल्यूसी उपाय लागू किए गए	ओर्कयम (n=209)		पन्नियांकोड (n=264)	
	f*	प्रतिशत	f	प्रतिशत
समोच्च बांध	2	1	2	0.8
मिट्टी का बांध	2	1	201	76
पत्थर के बांध	111	53	6	2.3
वर्षा जल के गड्ढे	86	41	134	51
ट्रेनिंग	1	0.5	1	0.4
जल छाजन	16	8	2	0.8
जैविक मृदा संरक्षण	3	1.4	2	0.8
कोई हस्तक्षेप नहीं	73	35	61	23
ची-स्क्वायर मान	301.19***			

*f = आवृत्ति। (एक ही उत्तरदाता ने एक से अधिक हस्तक्षेप अपनाए थे)


***= 1 प्रतिशत पर महत्वपूर्ण

तालिका 1 के परिणाम दर्शाते हैं कि ओर्कयम के अधिकांश घरों में अपनाई गई जलग्रहण गतिविधि पत्थर की बांध (53 प्रतिशत) और वर्षा गड्ढे (41 प्रतिशत) थे। बहुत कम लोगों ने समोच्च बांध, मिट्टी के बांध, खाई खोदने और वर्षा जल संचयन संरचनाओं जैसे अन्य जलग्रहण उपायों को अपनाया है। पन्नियानकोड जलग्रहण क्षेत्र में, अधिकांश उत्तरदाताओं ने मिट्टी के बांध (76 प्रतिशत) का निर्माण किया, इसके बाद वर्षा गड्ढे (51 प्रतिशत) का निर्माण किया है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनमें से अधिकांश ने दोनों जलग्रहण क्षेत्रों में पत्थर के बांध

और वर्षा गड्ढे पसंद किए। कुलश्रेष्ठ एट अल. (2015) ने अध्ययन क्षेत्र में जलग्रहण परियोजना के बाद एस एंड डब्ल्यूसी संरचनाओं की संख्या में वृद्धि का खुलासा किया। दो जलग्रहण क्षेत्रों के बीच कार्बन-स्क्वायर मान दो स्थानों के बीच एस एंड डब्ल्यूसी उपायों के कार्यान्वयन में जलागम में डीप कंटीन्यूअस कंटूर ट्रेच (डीसीसीटी) और कम्पार्टमेंट बंड जैसे संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन से औसत वार्षिक मिट्टी के साथ-साथ कार्बन हानि में भी उल्लेखनीय कमी आई (शेल्स एट अल., 2023)।

चित्र 2

मृदा और जल संरक्षण उपायों को अपनाना (प्रतिशत)



Percentage adoption of S&WC measures.

चित्र 2 से पता चलता है कि मिट्टी के बांध, पत्थर के बांध और बारिश के गड्ढे दोनों जलागम में उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए प्रमुख एस एंड डब्ल्यूसी उपाय थे। आईकोनेट (2013) ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि अध्ययन क्षेत्र में ढीले बोल्टर चेक डैम के बाद समोच्च बांध और खाइयां प्रमुख एस एंड डब्ल्यूसी संरचनाएं थीं। अपने अध्ययन में, आदिमासु एट अल. (2015) ने पाया कि प्रायोगिक समूह के 60 प्रतिशत और किसानों के नियंत्रण समूहों के 48 प्रतिशत ने अपने एक या अधिक कृषि भूखंडों में मिट्टी के बांधों का निर्माण लागू किया। अरेगा और अबेबे (2018) ने पाया कि सीढ़ीनुमा खेती, क्षेत्र की घेराबंदी और मिट्टी और पत्थर के बांध जलागम क्षेत्र में प्रमुख हस्तक्षेप थे। अपने अध्ययन में, मैगिस्ट्रू और अस्सेफा (2019) ने खुलासा किया कार्यान्वित मृदा बाँध ने नाडा और गुलुफा दोनों उप-जलग्रहण क्षेत्रों में सभी तीन

ढलान स्थितियों पर मृदा घनत्व (बीडी), मृदा नमी सामग्री (एसएमसी), पीएच, मृदा कार्बनिक कार्बन (एसओसी), कुल नाइट्रोजन (टीएन), और धनायन विनिमय क्षमता (सीईसी) में महत्वपूर्ण रूप से सुधार किया (डेगफे एट अल., 2023)।

जलागम उपचार के कारण, ओरक्कयम वाटरशेड में 55.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने खुले कुओं में जल स्तर में वृद्धि देखी। इसमें से 40.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जल स्तर में 1 फुट तक की वृद्धि देखी, जबकि 6 प्रतिशत ने जल स्तर में 1 फुट से भी अधिक की वृद्धि देखी। पन्नियानकोड वाटरशेड में, 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पाया कि खुले कुओं में जल स्तर में वृद्धि हुई थी। उनमें से, 45.6 प्रतिशत ने जल स्तर में 1 फुट तक की वृद्धि देखी, जबकि 39.4 प्रतिशत ने जल स्तर में 1 फुट से भी अधिक की वृद्धि देखी।

तालिका 2

खुले कुओं के जल स्तर में वृद्धि

जलागम	जल स्तर में वृद्धि देखी गई		यदि हाँ, तो किस सीमा तक				
	हाँ	नहीं	बहुत कम	1 फुट तक	1 से 2 फीट	2 से 3 फीट	>3 फीट
ओर्कायम (n=209)	55.5 प्रतिशत (116)	44.5 प्रतिशत (93)	53.5 प्रतिशत (62)	40.5 प्रतिशत (47)	4.3 प्रतिशत (5)	1.7 प्रतिशत (2)	0 (0)
पन्नियांकोड (n=264)	68.2 प्रतिशत (180)	31.8 प्रतिशत (84)	11.1 प्रतिशत (20)	45.6 प्रतिशत (82)	32.2 प्रतिशत (58)	7.2 प्रतिशत (13)	3.9 प्रतिशत (7)

तालिका 2 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने खुले कुओं में भूजल स्तर में वृद्धि की सूचना दी है और जल स्तर में यह वृद्धि जलागम हस्तक्षेपों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। वानी एट अल. (2006) के निष्कर्षों के अनुसार, कई कुओं की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, विशेष रूप से चेक डैम के करीब स्थित कुओं

की। आईकेओनेट (2013), सिंह एट अल. (2013)बी, और कुलश्रेष्ठ एट अल. (2015) ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि अध्ययन क्षेत्रों में जलागम गतिविधि शुरू किए जाने के बाद भूजल स्तर में वृद्धि हुई। अपनी समीक्षा रिपोर्ट में, सिंह एट अल. (2010) ने खुलासा किया कि आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में भूजल स्तर मामूली रूप से बढ़ा है।

तालिका 3

परियोजना कार्यान्वयन के बाद सतही अपवाह में कमी

	सतही अपवाह में कमी देखी गई		सतही अपवाह की सीमा में कमी			काई-स्क्वायर मान
	हाँ	नहीं	थोड़ी कमी	मध्यम कमी	बड़े पैमाने पर	
ओर्कायम (n=209)	75% (156)	25% (53)	85% (132)	14% (22)	1% (2)	26.12***
पन्नियांकोड (n=264)	90.5% (239)	9.5% (25)	80.4% (192)	19.2% (46)	0.4% (1)	

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नमूना आकार दर्शाते हैं)

***= 1 प्रतिशत स्तर पर महत्वपूर्ण

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नमूना आकार को दर्शाते हैं)

***= 1 प्रतिशत स्तर पर महत्वपूर्ण

परियोजना के क्रियान्वयन के बाद सतही अपवाह में कमी की रिपोर्ट ओर्कायम जलग्रहण क्षेत्र के 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने की। इनमें से 85 प्रतिशत ने कहा कि अपवाह में मामूली कमी आई है और 15 प्रतिशत का मानना है कि उपचार लागू होने के बाद सतही अपवाह में काफी कमी आई है। ची-स्क्वायर के परिणाम स्थान और सतही अपवाह में कमी के बारे में प्रतिक्रियाओं के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध दर्शाते हैं।

परियोजना के कार्यान्वयन के बाद सतही अपवाह में कमी की सूचना पन्नियानकोड जलग्रहण क्षेत्र में 90.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दी, जो सफलता का एक उल्लेखनीय संकेत है। इनमें से 80.4 प्रतिशत ने कहा कि सतही अपवाह में मामूली कमी आई है और 19.6 प्रतिशत का मानना है कि उपचार लागू होने के बाद सतही अपवाह में काफी कमी आई है। वानी एट अल. (2006) द्वारा किए गए अध्ययन में, उपचारित जलग्रहण क्षेत्र में अपवाह में अनुपचारित जलग्रहण क्षेत्र

की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वोल्का एट अल. (2013) द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि जलग्रहण क्षेत्र में 79 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने माना कि मृदा और जल संरक्षण (एस एंड डब्ल्यूसी) संरचनाओं ने मिट्टी के नुकसान को

प्रभावी ढंग से कम करके और पानी को संरक्षित करके मिट्टी और फसल उत्पादन को बढ़ाने में कारगर सिद्ध हुई है। यह पर्यावरण संरक्षण प्रयासों पर कार्यान्वित उपायों के सकारात्मक प्रभाव को उजागर करता है।

तालिका 4

नमूना उत्तरदाताओं का पेयजल प्रोफाइल

क्र. सं.	पानी का स्रोत	ओर्कायम (n=209)		पन्नियांकोड (n=264)	
		परियोजना से पहले	परियोजना के बाद	परियोजना से पहले	परियोजना के बाद
1	पड़ोसी का कुआँ	28.2% (59)	26.8% (56)	18.2% (48)	16.3% (43)
2	सार्वजनिक कुआँ	1.0% (2)	1.0% (2)	43.6% (115)	45.5% (120)
3	पंप के साथ अपना कुआँ	29.7% (62)	41.1% (86)	20.5% (54)	21.6% (57)
4	अपना कुआँ	40.2% (84)	30.1% (63)	14.4% (38)	13.6% (36)
5	पंप के साथ अपना बोरवेल	1.0 per cent (2)	1.0% (2)	3.4% (9)	3.0% (9)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नमूना आकार दर्शाते हैं)

नमूना घरों के लिए पीने के पानी के स्रोत का विश्लेषण किया गया और उसे तालिका 4 में प्रस्तुत किया गया है। यह देखा जा सकता है कि परियोजना के हस्तक्षेप के कारण ओरक्कयम जलग्रहण क्षेत्र में पड़ोसियों के कुआँ पर निर्भरता 28.2 प्रतिशत से घटकर 26.8 प्रतिशत हो गई। इसी तरह, नमूना उत्तरदाताओं में पंप किए गए कुआँ की संख्या 29.7 प्रतिशत से बढ़कर 41.1 प्रतिशत हो गई। पन्नियानकोड जलग्रहण क्षेत्र में

नमूना घरों के लिए पीने के पानी के स्रोत से पता चला कि परियोजना के हस्तक्षेप के कारण कोई महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई। हालांकि, पड़ोसियों के कुआँ पर निर्भर लोगों की संख्या 18.2 प्रतिशत से घटकर 16.3 प्रतिशत हो गई। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जलग्रहण क्षेत्रों में अपनाए गए हस्तक्षेपों के कारण दोनों जलग्रहण क्षेत्रों में पड़ोसी कुआँ पर निर्भरता कम हो गई

तालिका 5

परियोजना कार्यान्वयन के बाद भूमि उपयोग में परिवर्तन

क्या वृद्धि हुई?	ओर्कायम (n=209)		पन्नियांकोड (n=264)	
	f	प्रतिशत	f	प्रतिशत
नहीं	187	89.5	230	87.1
हां	22	10.5	34	12.9

परियोजना के बाद भूमि उपयोग में परिवर्तन की रिपोर्ट ओर्कयाम जलग्रहण क्षेत्र में 10.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं और पन्नियानकोड जलग्रहण क्षेत्र में 12.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने की। हालांकि उत्तरदाताओं में भूमि उपयोग पैटर्न में सीमित परिवर्तन है, लेकिन यह

परिवर्तन सकारात्मक प्रतीत होता है क्योंकि किसान इस परिवर्तन का श्रेय रबर और केले की ओर फसल में बदलाव को देते हैं। सिंह एट अल. (2010) ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में बताया कि जलग्रहण विकास परियोजनाओं के कारण फसल विविधीकरण संभव है।

तालिका 6

मृदा नमी परिवर्तन पर उत्तरदाताओं की राय

	मिट्टी की नमी में वृद्धि		मृदा नमी में वृद्धि की सीमा (सामान्य से दिनों की संख्या)				
	हां	नहीं	0 से 15 दिन	15 से 30 दिन	30 से 45 दिन	45 से 60 दिन	> 60 दिन
ओर्कयाम (n=209)	143 (68.4)	66 (31.6)	143 (100)	106 (74)	20 (14)	12 (8.5)	5 (3.5)
पन्नियांकोड (n=264)	231 (87.5)	33 (12.5)	231 (100)	179 (77.5)	26 (11.2)	15 (6.5)	11 (4.8)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं)

जलग्रहण विकास हस्तक्षेपों के कारण, मिट्टी की नमी का प्रतिधारण सामान्य से अधिक अवधि तक बढ़ा, जैसा कि ओरक्कयम जलग्रहण क्षेत्र में 68.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है। उन सभी ने कहा कि लगभग 15 दिनों का विस्तार हुआ, जबकि 14 प्रतिशत ने एक महीने तक प्रतिधारण देखा, जबकि 3.5 प्रतिशत ने दो महीने से अधिक की अवधि के लिए मिट्टी की नमी का प्रतिधारण देखा। पन्नियानकोड जलग्रहण क्षेत्र के मामले में, मिट्टी की नमी का प्रतिधारण सामान्य से अधिक अवधि तक बढ़ा, जैसा कि अधिकांश (87.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा। उन सभी ने कहा कि लगभग 15 दिनों का विस्तार हुआ, जबकि 77.5

प्रतिशत ने एक महीने तक की अवधि के लिए प्रतिधारण देखा, 6.5 प्रतिशत ने 2 महीने तक और 4.8 प्रतिशत ने दो महीने से अधिक तक। तालिका 6 से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों जलग्रहण क्षेत्रों के उत्तरदाताओं ने जलग्रहण हस्तक्षेप गतिविधियों के कारण मिट्टी की नमी के प्रतिधारण को देखा। इसके अलावा, यह जल प्रतिधारण इन जलग्रहण क्षेत्रों में कुछ हद तक भूजल को रिचार्ज करने में मदद कर सकता है। आईकोनेट (2013) ने अपनी रिपोर्ट में परियोजना गतिविधियों के बाद जलागम क्षेत्र में मिट्टी की स्थिति में सुधार का खुलासा किया।

तालिका 7

परियोजना के बाद सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि

परियोजना के बाद सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि		
	ओर्कयाम (n=209)	पन्नियांकोड (n=264)
कोई वृद्धि नहीं	194 (92.8)	213 (80.7)
वृद्धि	15 (7.2)	51 (19.3)
परियोजना कार्यान्वयन के बाद फसल क्षेत्र में वृद्धि		
कोई वृद्धि नहीं	179 (85.6)	261 (98.9)
वृद्धि	30 (14.4)	3 (1.1)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं)

7.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार, परियोजना के हस्तक्षेप के कारण ओरक्कयम जलग्रहण क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार हुआ है; 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने फसल वाले क्षेत्र में भी वृद्धि पाई। पन्नियानकोड जलग्रहण क्षेत्र के मामले में, 19.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सिंचाई सुविधाओं में सुधार हुआ, जबकि उनमें से केवल 1 प्रतिशत ने फसल वाले क्षेत्र में वृद्धि की सूचना दी। सिंह एट अल. (2010) ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एस एंड डब्ल्यूसी उपायों से सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। वोल्का एट अल. (2013) के निष्कर्षों के अनुसार, जलग्रहण क्षेत्र के अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना था कि मृदा और जल संरक्षण (एस एंड डब्ल्यूसी) संरचनाओं के कार्यान्वयन से फसल भूमि और फसल की पैदावार पर सकारात्मक प्रभाव

पड़ा। आईटीसी को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में आईकोनेट (2013) ने पाया कि जलागम हस्तक्षेपों के कारण 54 प्रतिशत भूमि को कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत लाई गई। सिंह एट अल. (2013) ने बताया कि जलागम हस्तक्षेप के बाद कृषि क्षेत्र में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुलश्रेष्ठ एट अल. (2015) ने खुलासा किया कि अध्ययन क्षेत्र में जलागम गतिविधियों के बाद अरहर (300 प्रतिशत) और गेहूं (366.67 प्रतिशत) के तहत कुल क्षेत्र में वृद्धि हुई। अध्ययन में फसल की गहनता में 65 प्रतिशत से 135 प्रतिशत की वृद्धि भी देखी गई। केरल में, भूमि जोत का आकार छोटा है, (किसान मुख्य रूप से छोटे और सीमांत हैं), फसल की गहनता अधिक है, और खेती के लिए उपलब्ध बंजर भूमि कम है। यह तालिका 7 में उपरोक्त रिपोर्टिंग का एक कारण हो सकता है।

तालिका 8

परियोजना कार्यान्वयन के बाद रोजगार के अवसरों में वृद्धि


रोजगार में वृद्धि	ओर्कायम (n=209)		पन्नियांकोड (n=264)	
	f	प्रतिशत	f	प्रतिशत
हां	171	81.8	202	76.5
नहीं	38	18.2	62	23.5
कुल	209	100	264	100.0

सर्वेक्षण से पता चला कि परियोजना के कार्यान्वयन से ओर्कायम जलग्रहण क्षेत्र में लगभग 81.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं और पन्नियानकोड जलग्रहण क्षेत्र में 76.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिली। जलग्रहण परियोजना कार्यान्वयन का एक बहुत ही सकारात्मक और लाभकारी पहलू रोजगार सृजन है। अधिकारी एट अल. (2013) ने बताया कि एस एंड डब्ल्यूसी गतिविधियां उनके अध्ययन क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करती हैं। मॉडल और लोगानंदन (2013) द्वारा बताए गए निष्कर्षों के अनुसार, एक औसत जलग्रहण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप प्रति हेक्टेयर 26 से 76 व्यक्ति-दिन के बीच एकमुश्त रोजगार का सृजन हुआ।

चित्र 3 दर्शाता है कि जलग्रहण प्रबंधन में पन्नियानकोड ओर्कायम से बेहतर है, यहां एस एंड डब्ल्यूसी संरचनाओं (348) को पूर्व (221) की तुलना में काफी अधिक अपनाया गया है हालांकि ओर्कायम ने फसल क्षेत्रों के विस्तार में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन ये निष्कर्ष संसाधन आबंधन या परियोजना निष्पादन में संभावित असमानताओं को उजागर कर सकते हैं। फिर भी, जलागम में एस एंड डब्ल्यूसी उपायों को व्यापक रूप से अपनाने से पारिस्थितिकी संरक्षण में योगदान मिलता है और खेती के लिए एक टिकाऊ दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है, जिससे अंततः बेहतर दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होते हैं।

चित्र 3

दो जलागमों से प्राप्त लाभों की तुलना



तालिका 9

जलागम के लाभों के आधार पर उत्तरदाताओं द्वारा दी गई रैंकिंग

क्र.सं.	लाभ	ओर्कायम (n=209)		पन्नियांकोड (n=264)	
		औसत अंक	रैंक	औसत अंक	रैंक
1	मिट्टी का कटाव कम हुआ	66.2	I	79	I
2	पेयजल की उपलब्धता बढ़ी	54.3	II	60	II
3	रोजगार के अवसरों में वृद्धि	53.8	III	44	VIII
4	भूमि पर निर्भरता बढ़ी	25.2	X	56	III
5	भूमि की कीमत बढ़ी	52.9	IV	37	X
6	दृष्टिकोण और अवधारणात्मक परिवर्तन	25.5	IX	36	XI
7	आत्मविश्वास का स्तर बढ़ा	30.5	VIII	53	IV
8	आधुनिक तकनीकों को अपनाया गया	42.8	VI	51	VI
9	भूमिहीनों को राहत	46.4	V	43	IX
10	पशुधन विकास	31	VII	52	V
11	विकास एजेंसियों के साथ संबंध बढ़े	21	XI	49	VII

उत्तरदाताओं के अनुसार, मृदा अपरदन में कमी सबसे महत्वपूर्ण लाभ था। पीने के पानी की उपलब्धता में वृद्धि, मनोवृत्ति और अवधारणात्मक परिवर्तन, भूमि पर निर्भरता में वृद्धि और ऐसी गतिविधियों में वृद्धित विश्वास रैंक किए गए लाभों में क्रमशः आगे हैं। अंतिम रैंक मनोवृत्ति और अवधारणात्मक परिवर्तनों को दी गई है। तालिका 9 से पता चलता है कि उत्तरदाताओं द्वारा रैंकिंग के बावजूद, मृदा अपरदन में कमी और पीने के पानी की उपलब्धता में वृद्धि एस एंड डब्ल्यूसी गतिविधियों से प्राप्त प्रमुख लाभ हैं। यह उत्तरदाताओं में बढ़ती धारणा को दर्शाता है कि एस एंड डब्ल्यूसी गतिविधियों से अध्ययन क्षेत्रों में पीने के पानी की उपलब्धता और कृषि उत्पादकता में सुधार होगा।

निष्कर्ष

वर्तमान अध्ययन मुख्य रूप से जलागम विकास कार्यक्रम के तहत पश्चिमी घाट के मध्यभूमि और उच्चभूमि क्षेत्रों में किया गया था। मध्यभूमि और उच्चभूमि जलागम में उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए जलागम हस्तक्षेपों ने उत्तरदाताओं को कई तरीकों से लाभान्वित किया, जैसा कि ऊपर दिए गए परिणामों में प्रस्तुत किया गया है। फिर भी, अध्ययन का निष्कर्ष है कि मृदा और जल संरक्षण (एस एंड डब्ल्यूसी) उपायों ने मृदा प्रोफाइल में जल प्रतिधारण को बेहतर बनाने में मदद की है, जिससे बरसात के मौसम में कटाव के कारण सतही अपवाह और संबंधित मृदा हानि को कम किया जा सका है। परिणाम बताते हैं कि एस एंड डब्ल्यूसी उपायों के कारण खुले कुओं का जल स्तर बढ़ा है। इसलिए, उन क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए एस एंड डब्ल्यूसी उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहाँ गर्मियों के दौरान खुले कुएँ सूख जाते हैं। यदि पूरे जलागम क्षेत्र को उचित एस एंड

लेखक का योगदान:

बाबू मैथ्यू: संकल्पना, डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण और पेपर का प्रारूपण
वेणु प्रसाद एच.डी.: समीक्षा, डेटा विश्लेषण और पेपर का प्रारूपण।
चैत्रा जी.बी.: डेटा विश्लेषण और पेपर का प्रारूपण
चिदानंद पाटिल: समीक्षा और पेपर का प्रारूपण।

डब्ल्यूसी उपायों के साथ उपचारित किया जाता है, तो यह भूजल पुनर्भरण में और योगदान देगा और इस तरह जलागम को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए पानी की उपलब्धता/खपत में आत्मनिर्भर बना देगा।

जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरणीय चुनौतियाँ बढ़ रही हैं और कई क्षेत्रों में पानी की कमी हो रही है, ऐसे में प्रभावी जलग्रहण प्रबंधन प्रथाओं के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। मृदा अपरदन को कम करने, जल संसाधनों को संरक्षित करने और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने में मृदा और जल संरक्षण उपायों के सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करके, यह अध्ययन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने के लिए स्थायी समाधानों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नीति निर्माताओं से मृदा और जल संरक्षण उपायों में निवेश को प्राथमिकता देने, सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने और जलग्रहण प्रबंधन योजनाओं में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों को एकीकृत करने का आग्रह किया जाता है। कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र के साथ-साथ हस्तक्षेपों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी पर जोर दिया जाना चाहिए। विविध विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने के लिए हितधारकों में अंतर-क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक है। इन नीतिगत निहितार्थों को एकीकृत करके, नीति निर्माता पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को बढ़ा सकते हैं, सतत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा दे सकते हैं और स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रयासों को बढ़ावा दे सकते हैं।

संदर्भ

- Adhikari, R. N., Patil, S. L., Raizada, A., Prabhavathi, M., Ramajayam, D., Loganandhan, N., Mondal, B., Muralidhar, W., & Seshadri, B. N. (2013). Potential of On-Farm Employment Generation through Natural Resource Conservation Activities in Watersheds of the Deccan Region of India. *Natural Resource Conservation: Emerging Issues & Future Challenges*, 905-911.
- Adimassu, Z., Shiwenzu, G., Gorfu, B., Tibebe, M., & Nigussie, D. (2015). Farmers' Participation in and Impacts of Watershed Management on Farmers' Investments in Soil and Water Conservation and Tree Planting. *Ethiopian Journal of Natural Resources*, 15(2), 41-59.
- Arega, B., & Abebe, W. (2018). Households' Participation in Watershed Management in Gonji Kolella District of the Amhara National Regional State, Ethiopia. *Ethiopian Journal of Social Sciences*, 4(1).
- Arfasa, G. F., & Amenu, B. T. (2019). Review on Contribution of Community-Based Participatory Watershed Management Practice for Sustainable Land Management in Ethiopia. *Journal of Resources Development and Management*, 55, 13-27.
- Argaw, T., Abi, M., & Abate, E. (2023). The Impact of Watershed Development and Management Practices on Rural Livelihoods: A Structural Equation Modeling Approach. *Cogent Food & Agriculture*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311932.2023.2243107>
- Bayissa, Y., Dile, Y., Srinivasan, R., Ringler, C., Lefore, N., & Worqlul, A. W. (2023). Evaluating the Impacts of Watershed Rehabilitation and Irrigation Interventions on Vegetation Greenness and Soil Erosion Using Remote Sensing and Biophysical Modelling in Feresmay Watershed in Ethiopia. *All Earth*, 35(1), 112–131. <https://doi.org/10.1080/27669645.2023.2202968>
- Degfe, A., Tilahun, A., Bekele, Y., Dume, B., & Diriba, O. H. (2023). Adoption of Soil and Water Conservation Technologies and Its Effects on Soil Properties: Evidences from Southwest Ethiopia. *Heliyon*, 9(7).
- Department of Economics & Statistics Thiruvananthapuram. (2014). Evaluation Study on Soil Conservation in Kerala 2011-12. Government of Kerala.
- Gobena, T., Bantider, A., Mulugeta, M., & Teferi, E. (2024). Watershed Management Intervention on Land Use Land Cover Change and Food Security Improvement among Smallholder Farmers in Qarsa Woreda, East Hararge zone, Ethiopia. *Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science*, 74(1). <https://doi.org/10.1080/09064710.2023.2281922>
- iKOnet. (2013). Impact assessment study of Kalyanpura Watershed Project, Bhilwara District, Rajasthan. Final Report Submitted to ITC Limited, Kolkata.
- Kulshrestha, A., Singh, Y. K., & Sen, S. K. (2015). Impact of Watersheds in Bringing Change in the Farming System in Bastpur of Morena District of Madhya Pradesh. *Current World Environment*, 10(2), 588-592.
- Mengistu, F., & Assefa, E. (2019). Farmers' Decision to Adopt Watershed Management Practices in Gibe Basin, Southwest Ethiopia. *International Soil and Water Conservation Research*, 7, 376-387.

- Mondal, B., & Loganandhan, N. (2013). Employment Generation Potential of Watershed Development Programmes in Semi-Arid Tropics of India. *African Journal of Agricultural Research*, 8(23), 2948-2955.
- Nampoothiri, K. M., Ramkumar, B., & Pandey, A. (2013). Western Ghats of India: Rich Source of Microbial Biodiversity. *Journal of Scientific & Industrial Research*, 72, 617-623.
- Nayak, S. R. (2017). Concept and Principle of Watershed Management: A Case Study. *Odisha Review*, 56-66.
- Patil, N. P., & Kadale, A. S. (2020). Impact of Watershed Development Programme on Natural Resources in Karwadi-Nandapur Watershed. National Seminar on Revised Assessment and Accreditation Frame Work of NAAC: Issues and Perspectives, 59-63.
- Patil, S. S., Kulkarni, D. R., & Patil, P. D. (2019). Watershed Management for Ingrul Village in Sangli District, Maharashtra by Using GIS. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 8(2), 1593-1599. <https://doi.org/10.35940/ijrte.B2275.078219>
- Shelar, R., Nandgude, S., Tiwari, M., Gorantiwar, S., & Atre, A. (2023). Impact Assessment of Soil and Water Conservation Measures on Carbon Sequestration: A Case Study for the Tropical Watershed Using Advanced Geospatial Techniques. *Sustainability*, 15, 531. <https://doi.org/10.3390/su15010531>
- Singh, D., Kumar, S., Yadav, D., & Kumar, R. (2013). Assessment and Prediction of Impact and Effectiveness of Watershed Management Practices on Land Use Land Cover in Seoni Watershed, Madhya Pradesh Using Remote Sensing and GIS. *International Journal of Geomatics and Geosciences*, 4(2), 397-409.
- Singh, P., Behera, H. C., & Singh, A. (2010). Impact and Effectiveness of Watershed Development Programmes in India (Review and Analysis Based on the Studies Conducted by Various Government Agencies and Other Organisations). Centre for Rural Studies, National Institute of Administrative Research, LBSNAA.
- Vishnudas, S., Savenije, H. H. G., & Van Der Zaag, P. (2005). *Participatory Watershed Development Practices in India — A Case Study in Kerala*. Managing Watersheds for Human and Natural Impacts. [https://doi.org/10.1061/40763\(178\)88](https://doi.org/10.1061/40763(178)88)
- Wani, S. P., Singh, H. P., Sreedevi, T. K., Pathak, P., Rego, T. J., Shiferaw, B., & Iyer, S. R. (2006). Farmer-Participatory Integrated Watershed Management: Adarsha Watershed, Kothapally India – An Innovative and Upscalable Approach. *SAT eJournal*, 2(1).
- Wolka, K., Moges, A., & Yimer, F. (2013). Farmers' Perception of the Effects of Soil and Water Conservation Structures on Crop Production: The Case of Bokole Watershed, Southern Ethiopia. *African Journal of Environmental Science and Technology*, 7(11), 990-1000.

स्थानीय शासन और सतत विकास लक्ष्य: भारत में स्थानीय विकास दृष्टिकोण।

अजय शर्मा चिन्नादुरई* और पी. शक्तिवेल**

सार

भारत सरकार ने स्थानीय स्तर पर नियोजन प्रक्रिया को सुदृढ़ और विकेंद्रीकृत करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं, ताकि योजनाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले विकास कोष सफल परिणाम दे सकें। 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय सरकारों के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। वित्त मंत्रालय ने इन निधियों के वितरण और उपयोग की प्रक्रियाओं को रेखांकित करते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायतों (जीपी) को एफएफसी पुरस्कार से संबंधित कोई भी खर्च करने से पहले ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के रूप में ज्ञात व्यापक रूपरेखा विकसित करनी चाहिए। इन योजनाओं में जीपी को सौंपे गए कार्यों के दायरे में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, जीपी को समूह चर्चा की सुविधा, हितधारकों के विचार प्राप्त करने, विशेषज्ञ इनपुट प्राप्त करने, विषय-विशिष्ट समूह कार्य करने और वार्ड सभा और ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन करके नियोजन के लिए आवश्यक क्षमता से लैस किया जाना है। 'प्लान प्लस' के साथ मौजूदा मुद्दों और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में योजना बनाने के दृष्टिकोण में बदलाव को समझते हुए, भारत सरकार ने जमीनी स्तर पर योजना बनाने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया। नीति आयोग के मार्गदर्शन में और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की पहल पर, 26 केंद्रीय मंत्रालयों ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण पर कार्य करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव बनाया। यह पत्र एलएसडीजी के लिए रोड मैप, शामिल किए जाने वाले घटकों, नियोजन मंच (ई-ग्राम स्वराज) की विशेषताओं, चुनौतियों और क्षमता निर्माण की प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए आगे के रास्ते पर चर्चा करता है।

कीवर्ड: स्थानीय शासन, सतत विकास लक्ष्य, विकेंद्रीकरण, विकास योजना, ई-ग्राम स्वराज, एसडीजी का स्थानीयकरण, पंचायती राज संस्थाएँ।

*पीएचडी स्कॉलर [ओआरसीआईडी आईडी: 0009-0007-4308-5349] और **प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन विभाग, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, चिदंबरम, तमिलनाडु-608002; ईमेल: ajaysharma.c13@gmail.com; sakthiraj@rediffmail.com

जीपीडीपी की पृष्ठभूमि

तत्कालीन योजना आयोग ने 2007 में दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से सभी ग्राम पंचायतों को विकेंद्रीकृत तरीके से पंचायत विकास योजना तैयार करनी होगी। फरवरी 2015 में, चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) द्वारा 2015 से 2020 तक ग्राम पंचायतों को 2 लाख करोड़ रुपये आबंटित करने की सिफारिश के परिणामस्वरूप जीपीडीपी की अवधारणा उभरी (पीआरएस, 2016)। 15वें वित्त आयोग के तहत, ग्रामीण स्थानीय सरकारों के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए गए (भारत सरकार, 2021)। इस अवधारणा में राज्य सरकारों के माध्यम से पंचायतों को धन उपलब्ध कराना, उन्हें इसे आबंटित करने और उपयोग करने का अधिकार देना शामिल था। जीपीडीपी की अवधारणा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पेश की गई थी। राज्य सरकार सभी स्थानीय निकायों को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। परिणामस्वरूप, प्रत्येक पंचायत को विभिन्न योजनाओं के लिए आबंटित धन की राशि के बारे में पता होता है और वे तदनुसार अपनी योजनाएँ तैयार कर सकते हैं। योजना की अंतिम स्वीकृति ग्राम सभा (जीएस) के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

वित्त मंत्रालय ने निधियों के आबंटन और उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को जीपीडीपी में उल्लिखित अपने निर्दिष्ट कार्यों के भीतर बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यापक योजनाएं विकसित करनी चाहिए। इसलिए, जीपीडीपी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एफएफसी के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर कुशल योजना को सुविधाजनक बनाना है।

पंचायतों को राज्य पंचायत अधिनियमों में निहित अपने अधिदेशों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने पहले ही राज्यों को 29 विषयों को पीआरआई को सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही, प्रत्येक जीपी को जीपी योजना में शामिल करने के लिए रणनीति तैयारी और परियोजना निर्माण के माध्यम से क्षेत्र-विशिष्ट विकास की सुविधा के लिए अपनी आवश्यकताओं के आधार पर 5-7 कार्य समूहों का आयोजन करने की आवश्यकता है। हालांकि, जीपी की इच्छा सूची को कार्य समूहों द्वारा कवर

किया जाना चाहिए। सहभागी योजना की रणनीति मांग-संचालित, आवश्यकता-आधारित और निदानात्मक होनी चाहिए। यह प्रकृति में परिप्रेक्ष्य-आधारित भी होनी चाहिए और इसमें पांच साल की परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना शामिल होगा। इस उद्देश्य के लिए, ग्राम पंचायतों को समूह चर्चा की सुविधा, हितधारकों के विचार प्राप्त करने, विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने, विषय-विशिष्ट समूह कार्य और वार्ड सभा तथा ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के माध्यम से योजना के लिए आवश्यक क्षमता से लैस किया जाना चाहिए, जिससे अंततः जीपीडीपी का समेकन हो सके। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया मुख्य रूप से हर गतिविधि, निर्णय लेने और कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी पर निर्भर करती है (एमओपीआर, 2015)।

‘प्लान प्लस’ के साथ मौजूदा मुद्दों को समझना और एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में योजना बनाने के दृष्टिकोण में बदलाव, जमीनी स्तर पर योजना बनाने के लिए एक नया दृष्टिकोण है। भारत सरकार ने नीति आयोग के मार्गदर्शन में और एमओपीआर की पहल पर 26 मंत्रालयों ने एलएसडीजी पर कार्रवाई करने के लिए एक संयुक्त संकल्प लिया। इसका उद्देश्य एलएसडीजी को प्राप्त करने के लिए जीपीडीपी की योजना में सीमांत समूहों को शामिल करने के महत्व पर जोर देना है। इसमें कमजोर महिलाएं, अल्पसंख्यक समूह, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और विकलांग लोग शामिल हैं।

अध्ययन पद्धति

यह पेपर व्यक्तिगत साक्षात्कार और शिनाख्त समूहों के साथ अनौपचारिक चर्चा के माध्यम से क्षेत्र से एकत्र किए गए डेटा और जानकारी के आधार पर तैयार किया गया था। ‘कार्रवाई में विकेंद्रीकृत योजना’ में विशेषज्ञता रखने वाले एक शोधकर्ता के रूप में, शोधकर्ता ने स्थानीय शासन की विकेंद्रीकृत प्रक्रिया में भाग लेने में अधिकांश ग्रामीण लोगों की रुचि की कमी के पीछे के व्यावहारिक कारणों को समझने का प्रयास किया है। इसे प्राप्त करने के लिए, शोधकर्ता ने जानबूझकर अपने क्षेत्र से दो ग्राम पंचायतों, अर्थात् तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के नीलाकोट्टई ब्लॉक से पंचमलयनकोट्टई (जीपी) और डिंडीगुल ब्लॉक से

पलायनकोर्टई (जीपी) का चयन किया। शोधकर्ता ने पंचायत के अध्यक्ष सहित पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रत्येक ग्राम पंचायत से दो महिला प्रतिनिधियों सहित चार वार्ड सदस्यों से मुलाकात की। विशेष रूप से, शोधकर्ता ने पंचायत अध्यक्ष श्री एस.ए. कालिदास और पंचमलयानकोर्टई ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों से मुलाकात की, जिनमें श्रीमती ए. धनलक्ष्मी, श्रीमती एस. बनमथी, श्री एन. मुथुकलाई, श्री एम. करुप्पैया और पंचायत सचिव श्री एम. गणसन शामिल थे। इसी तरह, शोधकर्ता ने अध्यक्ष श्री वी. अलगुमलाई और पलायनकोर्टई ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों से मुलाकात की, जिनमें श्रीमती ए. गायत्री, श्रीमती शामिल थीं एम. सीनियाम्मल, श्री आर. मुनिसेल्वम, श्री ए. अलगुमलाई, और श्री एस. वेलमुरुगन, पंचायत सचिव से भी मिले।

निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के अलावा, शोधकर्ता ने स्नोबॉल सैंपलिंग के माध्यम से आम जनता से भी बातचीत की, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से पुरुषों और महिलाओं सहित 20 लोगों की पहचान की गई। अनौपचारिक समूह चर्चा साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार में शामिल किए जाने वाले विषयों की स्पष्ट समझ प्रदान करती है, जैसे कि ग्राम पंचायतों का संचालन, ग्राम सभा में भागीदारी का स्तर और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के निर्माण की योजना प्रक्रिया। हालाँकि, विषयों का क्रम और प्रश्नों का निर्माण लचीला रहता है। चर्चा अनौपचारिक और संवादात्मक थी। गुणात्मक जानकारी एकत्र की गई और उसका मिलान किया गया, और ग्राम सभा की बैठक में कम उपस्थिति के कारणों को जानने के लिए एक जनमत सर्वेक्षण का उपयोग किया गया।

जीपीडीपी की प्रक्रिया में कम लोगों की भागीदारी के कारण

हमारे समाज में नई तकनीकों और आर्थिक अवसरों के तेजी से विकास होने से कुछ लोगों को दूसरों की कीमत पर लाभ होता है (विजय प्रकाश शर्मा, 2022)। पहले से ही वंचित या सीमांत समुदायों के सदस्यों में सामाजिक बहिष्कार होने की अधिक संभावना है। नमूना आबादी की जीवनशैली पर गरीबी का कितना प्रभाव पड़ता है, यह इस बात को दृढ़ता से दर्शाता है (अमर्त्य सेन और सेन, 2000)। सामाजिक उपलब्धियों, क्षमताओं, विकास, न्याय और गरिमा में असमानताएँ बहिष्कार के परिणाम हैं, जो तब होता है जब व्यक्ति और समूह सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करने में बाधाओं का सामना करते हैं। ये

बाधाएँ कई तरह के कारकों के कारण हो सकती हैं, जिनमें समाज या सरकार की ओर से उदासीनता, भेदभाव, इनकार (अंतर्निहित या स्पष्ट), हिंसा और विस्थापन (सामाजिक या सरकारी), पारंपरिक प्रथाएँ और सांस्कृतिक मानदंड, और/या अप्रभावी कानून, नीतियाँ और कार्यक्रम (चाहे सरकार उन्हें लागू करे या नहीं) शामिल हैं (नैला कबीर और कबीर, 2000)। सामाजिक संग्रहण का अभ्यास उन कार्यक्रमों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है जिनका उद्देश्य भागीदारी विधियों के माध्यम से गरीबी को कम करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है।

क. पंचायतें आम सभा की बैठकों की तिथि, स्थान और एजेंडे के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए विभिन्न मीडिया का उपयोग करती हैं। आगामी बैठकों के बारे में वार्ड सदस्यों को सूचित करने के प्राथमिक तरीकों में पंचायत नोटिस बोर्ड पर अधिसूचनाएँ पोस्ट करना, लिखित नोटिस भेजना और फ़ोन कॉल करना शामिल है। आम जनता में ग्राम सभा बैठकों के बारे में समझ का स्तर कम है, जिससे व्यक्तियों को पंचायत बैठकों में भाग लेना, नियोजन प्रक्रियाओं में भाग लेना और उन विकास परियोजनाओं में सक्रिय होना मुश्किल हो जाता है जो उनके लिए फायदेमंद हैं। नमूने में उत्तरदाताओं का मानना है कि कम उपस्थिति इस तथ्य के कारण है कि लोगों की बैठकों में भाग लेने में व्यक्तिगत रुचि नहीं है और पंचायतें बैठकों के उद्देश्यों को स्पष्ट करने का अच्छा काम नहीं कर रही हैं।

ख. गाँवों में वर्ग, जाति और उच्च राजनीतिक शक्ति (सुस्मिता सेनगुप्ता एट अल., 2021) के आधार पर पर्याप्त धुवीकरण होता है। पितृसत्तात्मक निर्णय लेने का व्यापक प्रचलन बना हुआ है और महिलाएँ सहायक भूमिका निभा रही हैं। वास्तव में, निम्न जातियों के पुरुष और महिलाएँ शायद ही कभी ग्राम सभा के सत्रों में आते हैं, जहाँ उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया हो। अगर वे उपस्थित भी होते हैं, तो वे कोने में बंद रहते हैं और जब तक विशेष रूप से नहीं कहा जाता, तब तक अपना हाथ नहीं उठाते। नागरिक उदासीनता में कई कारक योगदान करते हैं, जिसमें निर्भरता सिंड्रोम और ग्राम सभा कार्यशालाओं की उपयोगिता के बारे में जानकारी की कमी शामिल है।

ग. ग्राम पंचायत समितियों में अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधित्व की कमी उनकी सीमांत सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। महिलाएँ और

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, विशेष रूप से वे जो सबसे अधिक हाशिए पर हैं, आम तौर पर केवल ग्राम पंचायतों की बैठकों में ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक गतिविधियों में भी न्यूनतम उपस्थिति और भागीदारी रखते हैं। ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समूह अपनी वास्तविक भागीदारी के मामले में सबसे कुशल ग्राम पंचायतों के लिए भी दुर्गम बने हुए हैं। व्यक्ति शारीरिक भागीदारी में संलग्न हैं, लेकिन ग्राम पंचायत की निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा में कम उत्साह दिखाते हैं।

घ. पंचायत अधिनियम ने सामान्य अभ्यासकर्ताओं को सौंपी गई सरकारी परियोजनाओं को तैयार करने, लागू करने और उनकी देखरेख करने के लिए कई समितियों को अधिकृत किया है। इस श्रेणी में स्थायी समितियाँ शामिल हैं जो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता और पीने योग्य पानी तक पहुँच सहित कई क्षेत्रों को संबोधित करती हैं। इन समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करना और विषय से संबंधित नियोजन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। हालाँकि, वास्तविक डेटा इंगित करता है कि अधिकांश पंचायतें पारंपरिक, तात्कालिक और आपूर्ति-उन्मुख नियोजन रणनीतियों को अपनाती जारी रखती हैं। पंचायतों की इच्छा सूची, जो योजना का मूलभूत आधार है, जीएस का एक संकल्प है।

ड. पंचायतों को संवैधानिक रूप से सामाजिक निष्पक्षता बढ़ाने और अपने-अपने क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने का अधिकार है। जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइटिंग, स्कूल, अस्पताल, सड़क और परिवहन सहित विभिन्न ढांचागत सुविधाओं की पहुँच और पर्याप्तता के बारे में लाभार्थियों के दृष्टिकोण में सुधार करना आवश्यक है। हालाँकि, कुछ सुविधाएँ, जैसे कि अच्छी तरह से रखरखाव वाली सड़कें, संतोषजनक मानी गईं। उनकी पहुँच और पर्याप्तता गांव से गांव तक भिन्न होती है। सामुदायिक उपयोगिताओं का प्रावधान, जैसे स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुँच, अच्छी तरह से रखरखाव वाली सड़कें, चिकित्सा उपचार, स्कूल और दोपहर के भोजन के कार्यक्रम अधिकांश प्रतिभागियों के लिए फायदेमंद थे। उपलब्धता और आवश्यकता के बीच असमानता

के परिणामस्वरूप कम परिवारों को वैकल्पिक व्यक्तिगत लाभ कार्यक्रमों से लाभ मिल रहा है।

च. धनी और कुलीन वर्ग, जो उनका शोषण करना जारी रखते हैं, सार्वजनिक पद पर चुने गए निचली जातियों के सदस्यों और आर्थिक रूप से वंचित लोगों दोनों पर सीमाएं लगाते हैं। प्रभावी सरकार के लिए पारदर्शिता आवश्यक है; फिर भी, दस्तावेजों और प्रदर्शनों का खुलासा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना मुश्किल हो सकता है।

भारत में सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के लिए दृष्टिकोण

अधिकांश शोधकर्ता (राजेश गुप्ता, 2023) (बांगड़ीवाला एट अल., 2021) (कलील रहमान एट अल., 2022) इस बात से सहमत थे कि इससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और उससे जुड़े विकास प्रयासों में उत्साह या भागीदारी में कमी का संकेत मिलता है। यह पंचायतों के विस्तार में काफी हद तक बाधा डालता है। समावेशी समुदायों की स्थापना और रखरखाव के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नागरिक प्रयासों में शामिल होने के लिए संसाधन और इच्छाशक्ति होनी चाहिए। एक समावेशी समुदाय जो सशक्तिकरण की भावना को बढ़ावा देता है, जीविका और आजीविका के लिए आवश्यक संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित करता है और व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए रास्ते प्रदान करता है। कानून के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करना, निष्पक्ष व्यवहार और भाग लेने के समान अवसर लोकतांत्रिक शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। इसका मतलब है कि सभी व्यक्तियों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल होने और अपनी राय को स्वीकार करने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जेंडर, जाति, धर्म या स्वदेशी पहचान कुछ भी हो। कमजोर समुदायों की सुरक्षा और अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि सरकारी नीतियाँ और संस्थान पारदर्शी, ज़िम्मेदार और अनुकूलनीय हों।

ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रशासित सरकार द्वारा वित्तपोषित पहलों की एक सीमित श्रृंखला के लिए उत्तरदायी है। इन पहलों में एमजीएनआरईजीएस, पीएमएवाई-जी, पीएमजीएसवाई और स्वच्छ भारत आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, यह अन्य विभागों द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं के प्राप्तकर्ताओं को चुनने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करता है। विधवाओं और वृद्धों के लिए पेंशन योजनाएँ वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक व्यक्तिगत सामाजिक सहायता कार्यक्रमों में से हैं। राज्य सरकारें भी सीमित संख्या में परिवार-उन्मुख लाभ कार्यक्रमों का संचालन करती हैं, जिन्हें संगठन या तो प्रमाणित करता है या समर्थन करता है। पंचायत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सामान्य लाभ कार्यक्रमों के स्थानों का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है। सेवाएँ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएँ प्रदान करने वाली इकाइयों का प्रबंधन, देखरेख और आयोजन करती हैं, उन्हें जीवन-निर्वाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), स्वास्थ्य सेवा संस्थान, प्राथमिक विद्यालय और एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) केंद्र शामिल हैं। ग्राम पंचायत को एसडीजी संतृप्ति स्थानीय बनाने के तरीके स्थापित करने का काम सौंपा गया है, जिसे इन गतिविधियों के निष्पादन के दौरान लागू किया जाएगा।

एसडीजी को 'स्थानीयकृत' करने की प्रक्रिया में उन विशिष्ट उप-राष्ट्रीय संदर्भों को पहचानना शामिल है, जिनके भीतर 2030 एजेंडा के लक्ष्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। इस प्रक्रिया में लक्ष्य-निर्धारण, निष्पादन के तरीके और प्रगति को मापने और निगरानी करने के लिए संकेतकों के उपयोग सहित विभिन्न पहलू शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें वकालत के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना और भागीदारीपूर्ण योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन (यूएन, 2016) को लागू करना शामिल है। यह देखते हुए कि भारत के महत्वाकांक्षी विकास एजेंडे को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) जिम्मेदार हैं, एसडीजी का स्थानीयकरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह एक उच्च-स्तरीय ढांचा स्थापित करके और राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर प्रगति की निगरानी करके किया जाता है (नीति आयोग, 2019)।

एलएसडीजी-जीपीडीपी में शामिल किए जाने वाले तत्व

पंचायत के व्यापक विकास के लिए जीपी योजनाओं में निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एकीकृत करने की आवश्यकता है (एमओपीआर, 2018)।

गरीबी उन्मूलन: विकास के प्रयास मुख्य रूप से गरीबी को दूर करने पर केंद्रित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का स्तर बहुत अधिक है, और भेद्यता-संबंधी परिणाम भी बहुत अधिक हैं। इसलिए, किसी भी विकास पहल को गरीबी को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

क्षेत्रीय विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से जीपीडीपी को गरीबी कम करने की रणनीतियों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गरीबी के पैटर्न की पहचान और गरीबी के अंतर्निहित कारणों और परिणामों की पहचान का गंभीर विश्लेषण गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए उपयुक्त रणनीतियों को तैयार करने में मदद करेगा (एम.एच. खान, 2021)।

मानव विकास: यह विकास को बढ़ावा देने के लिए एक वैचारिक दृष्टिकोण है, जिसमें व्यक्तियों, सरकारों, स्थानीय संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों को उनके विकासात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने से रोकने वाली बाधाओं की पहचान करके और उनका समाधान करके विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य ठोस और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने के लिए उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है। जीपीडीपी को विकास की बेहतर योजना बनाने के लिए लोगों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, विभिन्न समिति सदस्यों और एसएचजी की क्षमता का निर्माण करना है।

सामाजिक विकास: वंचित और जोखिम वाले समुदायों, जैसे कि एससी और एसटी, विकलांग लोग, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे, के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना जीपीडीपी के प्रमुख लक्ष्यों में से एक होना चाहिए। निम्नलिखित अन्य समुदायों के उदाहरण हैं जिन्हें जोखिम में माना जाता है: बंधुआ और बाल मजदूर, विमुक्त खानाबदोश और जनजातियाँ, संकटग्रस्त यात्री, हाथ से मैला ढोने वाले, किन्नर, मानव तस्करी के शिकार, इत्यादि। इसके अलावा, गरीबी को कम करने, मानव विकास को बढ़ावा देने और इन आबादी के लिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के साथ, जीपीडीपी को उन सामाजिक कारकों से निपटने का भी प्रयास करना चाहिए जो उनकी वर्तमान स्थिति को प्रभावित करते हैं।

आर्थिक विकास: ग्रामीण भारत में, कृषि और संबद्ध क्षेत्र अधिकांश भूमिधारक और भूमिहीन लोगों के लिए रोजगार पैदा करने वाले प्राथमिक क्षेत्र हैं। कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के आगे और पीछे के संबंधों से संबंधित विविध गतिविधियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल और अकुशल सहित रोजगार प्रदान करके बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। इसलिए, बेहतर तकनीक, उत्पादन बढ़ाने के लिए अभिनव तरीके और बेहतर उत्पादकता के लिए बेहतर कौशल पेश करके

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को मजबूत करना ग्रामीण गरीबों के लिए अधिक रोजगार और आय लाएगा।

पारिस्थितिक विकास: जल निकायों, चारागाहों, घास के मैदानों, जलग्रहण क्षेत्रों और स्थानीय जंगलों सहित कई पारिस्थितिक तंत्रों को संभाला जाना चाहिए। इसके अलावा, जैविक संसाधनों, जैसे कि लघु वनोपज, जलाऊ लकड़ी, चारा, औषधीय पौधे आदि के संरक्षण और सतत उपयोग पर भी विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एकीकृत जलागम प्रबंधन को लागू करके इससे निपटा जा सकता है।

सार्वजनिक सेवा वितरण: जीपीडीपी में सेवा वितरण में सुधार और आवश्यक सेवाओं तक जन पहुँच बनाने के लिए रणनीतियाँ, विधियाँ और प्रौद्योगिकियाँ शामिल होनी चाहिए। योजना को पंचायत के लिए आय के अपने स्रोत बनाकर अधिक सेवाएँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिना लागत और कम लागत वाली गतिविधियों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, और बाहरी स्रोतों से कोई भी धन प्राप्त करने से पहले भी प्रारंभिक चरण में कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सुशासन: अधिकारियों को जवाबदेह बनाए रखने के लिए एक आवश्यक शर्त पर्याप्त पारदर्शिता की आवश्यकता है। लोगों के पास सूचना तक पहुँच है, जो अधिकारियों और संस्थानों के कार्यों और निर्णयों को दृश्यमान बनाती है और नागरिकों को उनका आकलन करने की अनुमति देती है। जीपीडीपी को लोगों को निर्णय लेने और विकास गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक अनुकूल मंच बनाने का मार्ग और साधन प्रशस्त करना चाहिए। कम आय वाले लोगों, विशेष रूप से एसएचजी की सेवा करने वाले संगठनों के साथ एक ठोस संबंध होना भी आवश्यक है। सभी सामान्य चिकित्सकों से नागरिक चार्टर के साथ-साथ अन्य 'सुशासन' पहलों की अपेक्षा की जाती है।

ग्राम सभा द्वारा विजन और प्राथमिकता निर्धारण

ग्राम सभा को विचार-विमर्श में शामिल होना चाहिए और निर्दिष्ट महत्वपूर्ण डोमेन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक विजन तैयार करना चाहिए। संक्षेप में, अगले 5-10 वर्षों के भीतर अपने जीपी सेवाओं के भविष्य के विकास के बारे में स्थानीय समुदाय की आकांक्षाओं का पता लगाना महत्वपूर्ण है। गरीबी

उन्मूलन, जल और स्वच्छता, और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त महत्वपूर्ण कारकों को देखते हुए, विकास में वर्तमान फोकस एसडीजी के स्थानीयकरण की ओर स्थानांतरित हो गया है, जिसमें जीपी पर प्राथमिक जोर दिया गया है। ग्राम पंचायत को एक से तीन एसडीजी-केंद्रित विषयों का चयन करने और तीन वर्षों के भीतर पूर्ण कार्यान्वयन प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का काम सौंपा गया है। निम्नलिखित अनुभाग एलएसडीजी-केंद्रित विषयों और जीपीडीपी से संबंधित है।

एलएसडीजी पर एमओपीआर, भारत सरकार की पहल

एसडीजी को प्राप्त करने के उद्देश्य से कई सरकारी योजनाएं जीपी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं, जिससे एमओपीआर इन योजनाओं के लिए संबंधित नोडल मंत्रालय का एक संबद्ध मंत्रालय बन गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने जीपीडीपी के माध्यम से पहचाने गए सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में कार्रवाई की है, जिसमें भागीदारी योजना और नोडल मंत्रालयों के सहयोग से विभिन्न योजनाओं का अभिसरण शामिल है।

आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ग्राम पंचायतों की संवैधानिक जिम्मेदारी है और जीपीडीपी प्रक्रिया इस लक्ष्य को पूरा करने का एक प्रयास है। वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को दिए जाने वाले धन के बढ़ते हस्तांतरण के मददेनजर यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस संबंध में, पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पुनर्गठित योजनाओं को लागू कर रहा है, जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पीआरआई की शासन क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसमें बड़ी संख्या में लाभार्थियों और हितधारकों तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, साथ ही समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायतों की क्षमता में सुधार करना शामिल है। पहले से उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और नए संसाधन विकसित करने के साथ-साथ, एक अन्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छता और जल संरक्षण जैसे राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करने के लिए

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीआरआई) की प्रभावशीलता को बढ़ाना है (डब्ल्यू.आर. रेड्डी, 2022)।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को उनके संदर्भों के लिए अद्वितीय जीपीडीपी दिशानिर्देश बनाने में मदद करने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में, एमओपीआर क्षेत्रीय स्तर पर विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्थानीय संसाधनों को एकत्र करने को प्रोत्साहित कर रहा है। जीपीडीपी को ग्रामीण एसडीजी स्थानीयकरण में थीम लक्ष्यों और लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, स्थानीय नियोजन और गतिविधियों के निष्पादन से पंचायत को थीम लक्ष्यों को प्राप्त करने और विस्तार से 2030 तक एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

एलएसडीजी थीम-केंद्रित जीपीडीपी की विषयसूची

भारत ने एसडीजी 2030 को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है और इस प्रयास का समर्थन करने के लिए एमओपीआर के माध्यम से आरजीएसए योजना को लागू किया है। आरजीएसए का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को सुशासन को बढ़ावा देने और भागीदारी स्थानीय नियोजन के माध्यम से एसडीजी प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए सशक्त बनाना है। एमओपीआर ने नौ एसडीजी की पहचान की है: गरीबी उन्मूलन, भूखमरी से मुक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, जेंडर समानता, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, नवीकरणीय और लागत प्रभावी ऊर्जा, पीने योग्य पानी, स्वच्छता, बुनियादी ढांचा और जलवायु कार्रवाई। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, इसे स्थानीय स्तर पर हस्तक्षेप करना होगा। गरीबी उन्मूलन, बढ़ी हुई आजीविका, स्वस्थ गाँव, बच्चों के अनुकूल गाँव, जल पर्याप्तता, पर्यावरणीय स्थिरता, आत्मनिर्भर बुनियादी ढाँचा, सामाजिक सुरक्षा और न्याय, सुशासन और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समझ और जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया गया है। ये विषय ग्राम पंचायतों के लिए दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और उनके उद्देश्यों एवं सार को रेखांकित करते हैं (भारत सरकार, 2021)।

पीआरआई में एसडीजी को स्थानीयकृत करने के लिए एसडीजी को नौ अलग-अलग थीम में विभाजित किया गया है। जीपीडीपी को भारत सरकार

के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाना है, जिसे ईग्रामस्वराज पोर्टल में जीपीडीपी पोर्टल नाम दिया गया है।

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल (ग्राम नियोजन के लिए एलएसडीजी प्लेटफॉर्म) की मुख्य विशेषताएं

- i. ईग्रामस्वराज पोर्टल में जीपी योजनाओं की ऑनलाइन तैयारी और अपलोड करने का प्रावधान है, और योजना अवधि वर्ष में 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक तय की गई है, जबकि बीपीडीपी और डीपीडीपी क्रमशः 28 फरवरी और 31 मार्च तक अपलोड की जा सकती है।
- ii. इसमें जीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी अपलोड करने का प्रावधान है। पोर्टल को सभी केंद्रीय प्रायोजित प्रमुख कार्यक्रमों को एकीकृत करने के लिए व्यवस्थित रूप से डिजाइन किया गया है।
- iii. इसमें विभिन्न योजनाओं को एकीकृत करने का प्रावधान भी है, जैसे कि मनरेगा, ग्राम गरीबी उन्मूलन (वीपीआरपी), जल संसाधन विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), स्कूल विकास, फसल उपयोग और महिला एवं बाल विकास।
- iv. योजना का फोकस एलएसडीजी के नौ विषयों में से जीपी के चयनित विषयों को कवर करने के लिए तैयार किया गया है, और विभिन्न स्रोतों, अर्थात् बंधे हुए अनुदान, अनबंधित अनुदान अनुदान और ओएसआर के तहत गतिविधियों के फोकस के साथ विषय से संबंधित गतिविधियों को चुनने का विकल्प दिया गया है।
- v. जीपीडीपी की दो विशेष जीएस आयोजित करने से पहले महिला सभा और बाल सभा आयोजित करना भी अनिवार्य है। महिला और बाल सभा के प्रस्तावों को विशेष ग्राम सभा एजेंडे में विलय करने की जरूरत है।
- vi. प्रस्तावों को मान्य करने और जीपीडीपी को मंजूरी देने के लिए जीएस में न्यूनतम 10 से 30 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना जीपी और नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
- vii. संशोधित जीपीडीपी प्रक्रिया ने जीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी तैयार करने की

- प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और निगरानी करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के प्रावधान किए हैं।
- viii. इसने राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों द्वारा लाइन विभाग नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भी प्रावधान किए। प्रत्येक स्तर पर, नोडल अधिकारियों को पोर्टल पर काम करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को अधिकारी के नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे पर्याप्त संपर्क विवरण लाइन विभागों को प्रदान करने चाहिए।
- ix. इसने ग्राम पंचायत-वार जीएस कैलेंडर के लिए अनुसूची में प्रावधान किया है, जिसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत बैठक में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक के भीतर एक से अधिक ग्राम पंचायतों द्वारा एक ही तिथि और समय पर जीएस बैठक आयोजित नहीं की जाएगी।
- x. यह प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक 'सुविधाकर्ता' प्रदान करता है, जिसमें कोई भी अधिकारी, सामुदायिक स्रोत व्यक्ति (सीआरपी), सामाजिक लेखा परीक्षा विशेषज्ञ आदि की नियुक्ति की जाती है। वे ग्राम पंचायत को योजना बनाने के लिए आवश्यक सभी सहायता प्रदान करते हैं।
- xi. यह ग्राम सभा की स्थिति और प्रक्रिया तथा उपस्थिति के प्रतिशत के बारे में 'सुविधाकर्ता फीडबैक' सुनिश्चित करता है तथा पोर्टल पर योजनाओं को अपलोड करना अनिवार्य बनाता है।
- xii. संशोधित जीपीडीपी प्रक्रिया ने विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया की निगरानी और सुविधा के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों (एसएलएमसी, डीएलएमसी और बीएलएमसी) पर निगरानी समितियों की नियुक्ति का एक अनूठा प्रयास किया।
- xiii. राज्य को एक विशिष्ट भूमिका दी गई है, अर्थात् पीआरआई के प्रत्येक स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना, प्रत्येक पंचायत में सुविधाकर्ता, कम से कम 10 प्रमुख विभागों से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, जिला और निचले स्तर के हितधारकों का क्षमता निर्माण, जीएस कैलेंडर तैयार करना, तैनाती आदेश जारी करना और जीएस बैठकों के सुचारु संचालन के लिए प्रयास करना।
- xiv. नया संशोधित जीपीडीपी पहले की प्रक्रिया से पूरी तरह अलग है, जो साक्ष्य-आधारित योजना के साथ विकसित हो रहा है। यह संसाधन लिफाफे को खोजने से शुरू होता है, यानी केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं, केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी), राज्य वित्त आयोग (एसएफसी), स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) और प्रत्येक जीपी के लिए बिना लागत वाली गतिविधियों से अपेक्षित निधि की स्थिति और स्रोत निधि के प्रासंगिक साक्ष्य के साथ संबंधित है।
- xv. जीपीडीपी के तहत प्रस्तावित गतिविधि का योजनाओं, मिशन अंत्योदय गैप और लाभार्थी क्रेडेंशियल्स के साथ संबंध है। कार्य योजना को प्रस्तावित परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग या मौजूदा परिसंपत्तियों के रखरखाव के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
- xvi. व्यक्तिगत लाभार्थी के काम को लाभार्थियों की सामाजिक श्रेणियों के वर्गीकरण के साथ लाभार्थी की प्रामाणिक पहचान दी जानी चाहिए।
- xvii. संभावित गतिविधि का चयन एलएसडीजी के प्रत्येक विषय के तहत सूचीबद्ध गतिविधियों के भीतर पोर्टल में ड्राप-डाउन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है।
- xviii. अभिसरण योजना पर मुख्य ध्यान दिया गया है तथा जीपीडीपी में प्रत्येक चयनित विषय के लिए कम से कम एक गतिविधि का प्रयास करना अनिवार्य कर दिया गया है।

एलएसडीजी पर चुनौतियाँ

इस प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण आवश्यक है, जिसमें कई समूहों की भागीदारी शामिल है, जैसे समितियाँ, क्षेत्र के समर्थक, परिवर्तन एजेंट, अधिकारी, क्षेत्र के कार्यकर्ता, समुदाय के सदस्य, भागीदार और स्रोत व्यक्ति, इसके अलावा जन योजना अभियान और जीपीडीपी सुविधा टीमों की भागीदारी भी शामिल है। हालाँकि, भारत में 2.85 लाख से अधिक जीपी के लिए क्षमता निर्माण का कार्य, जिसमें 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके अलावा, भारत में पंचायतों की व्यापक पहुँच को देखते हुए, स्थानीय स्तर पर एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय उत्साह और कार्रवाई को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है,

जिसके लिए लोगों की भागीदारी में वृद्धि की आवश्यकता है।

एलएसडीजी में 150 से अधिक लक्ष्य शामिल हैं, और पंचायतों को जीपी की प्राथमिकताओं के आधार पर अपने लक्ष्यों का चयन करना चाहिए। इन लक्ष्यों को संकेतकों का उपयोग करके मापा जाता है, जो सामूहिक रूप से स्थानीय संकेतक रूपरेखा (एलआईएफ) बनाते हैं। एलआईएफ में नौ विषयों पर 300 से अधिक संकेतक शामिल हैं तथा यह ग्राम पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय संकेतक ढांचे (एनआईएफ) के अनुरूप है।

आगे की दिशा

प्रौद्योगिकी और डैशबोर्ड का उपयोग, मूल्यांकन उपकरण, साझेदारी विकसित करना, सर्वोत्तम प्रथाओं और दस्तावेज़ीकरण में निर्देश, आदि सभी किसी भी क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण एजेंडे का हिस्सा होने चाहिए।

जब बड़े दर्शकों के साथ जुड़ने की बात आती है, तो कई प्रशिक्षण संस्थान, जैसे कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), विस्तार प्रशिक्षण केंद्र (ईटीसी), संसाधन संस्थान, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), और अन्य, ने विभिन्न तरीकों से बड़ी संख्या में व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता को संबोधित किया है। प्रमुख रणनीतियों में प्रवेश स्तर के कार्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या बढ़ाना, गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करना और प्रशिक्षण के कैस्केड मॉडल को लागू करना शामिल है।

लेखक का योगदान:

अजय शर्मा चिन्नादुरई: क्षेत्र सर्वेक्षण, विश्लेषण और लेख का विकास किया।

पी. शक्तिवेल: लेख के लिए डिज़ाइन विकसित किया, लेख के अंतिम मसौदे को ठीक किया और संपादित किया।

एसडीजी की सफल प्राप्ति में सभी हितधारकों की भागीदारी और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण और सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) महत्वपूर्ण हैं। एसडीजी की दिशा में प्रगति की निगरानी एक ऐसे ढांचे को नियोजित करके सुगम बनाई जा सकती है जिसमें विशिष्ट लक्ष्य और संकेतक शामिल हों जो एसडीजी के विभिन्न विषयों से आसानी से समझ में आने वाले और संबंधित तरीके से प्रस्तुत किए गए हों। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि प्रगति को मापने के मानदंड वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर उद्देश्यों और संकेतकों दोनों के साथ संरेखित हों क्योंकि वे संबंधित लक्ष्यों और टारगेट से संबंधित हैं।

स्वीकृति

इस पेपर को आकार देने में उनके बहुमूल्य अकादमिक इनपुट और निरंतर प्रयास के लिए मेरे शोध पर्यवेक्षक, डॉ पी शक्तिवेल, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन विभाग, अन्नामलाई विश्वविद्यालय के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता।

मुझे भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) से डॉक्टरेट फेलोशिप प्राप्त करने पर गहरा सम्मान है। यह प्रकाशन उनके समर्थन से मेरे द्वारा किए गए शोध का परिणाम है। हालांकि, मैं प्रस्तुत जानकारी, व्यक्त की गई राय और निकाले गए निष्कर्षों की सटीकता के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। इस काम के लिए वित्तीय सहायता आईसीएसएसआर, नई दिल्ली में स्थित भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक विभाग द्वारा उदारतापूर्वक प्रदान की गई थी

संदर्भ

- Carrasco, B., Rahemtulla, H. A., & Rohdewohld, R. (2023). Decentralisation, Local Governance, and Localising the Sustainable Development Goals in Asia and the Pacific (p. 407). Taylor & Francis.
- Chakradhar, A., & Pisupati, B. (2018). Localising the Sustainable Development Goals (SDGs): Options for India, FLEDGE, India.
- David, M. P. C. (2018). Sustainable Development Goals (SDGs)-Challenges for India. *Indian Journal of Public Health Research and Development*, 9(3), 1-5.
- Gupta, R. (2023). Strategy Paper on Localisation of SDGs in India. Available at SSRN 4481943.
- Immler, N. L., & Sackers, H. (2022). The UN-Sustainable Development Goals Going Local: Learning from Localising Human Rights. *The International Journal of Human Rights*, 26(2), 262-284.
- Jain, R. B. (2004). Good Governance for Sustainable Development: Challenges and Strategies in India. *Indian Journal of Public Administration*, 50(1), 50-71.
- Kabeer, N. (2000). Social Exclusion, Poverty and Discrimination towards an Analytical Framework. *IDS Bulletin*, 31(4), 83-97.
- Kandpal, R., & Okitasari, M. (2023). Governance Transformation towards Localisation of Sustainable Development Goal 11 in India. *World Development Sustainability*, 2, 100069.
- Khan, M. M. H. (2001). Rural Poverty in Developing Countries: Implications for Public Policy. International Monetary Fund.
- Leal Filho, W., Azul, A. M., Brandli, L., Lange Salvia, A., & Wall, T. (Eds.). (2021). Decent Work and Economic Growth. Cham: Springer International Publishing.
- Mejía-Dugand, S., Croese, S., & Reddy, S. (2020). SDG Implementation at the Local Level: Lessons From Responses to the Coronavirus Crisis in Three Cities in the Global South. *Frontiers in Sustainable Cities*, 2, 598516. <https://doi.org/10.3389/frsc.2020.598516>
- Ministry of Panchayati Raj, (2021). Localisation of Sustainable Development Goals in Panchayat Raj Institutions. (Report of the Expert Group, Vol.2). <https://planning.up.nic.in/Go/SDG/SDGL/2.%20Report%20on%20Localization%20of%20SDGs%20through%20PRIs%20Vol%20II.pdf>
- Ministry of Panchayati Raj, (2022). National Capability Building Framework 2022. (Main Report, Vol.1). <https://panchayat.gov.in/document/ncbf-2022-vol-1/>
- NITI Aayog, (2019). Localising SDGs: Early Lessons from India 2019. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2020-07/LSDGs_July_8_Web.pdf
- Oosterhof, P. D. (2018). *Localizing the Sustainable Development Goals to Accelerate Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development* (Issue 33). Asian Development Bank. <https://www.adb.org/publications/sdgs-implementation-2030-agenda-sustainable-development>
- Saha, P., Sultana, S. F. S., Saha, A., & Das, M. (2023). Sustainable Development Goals and Assam—A Roadmap to a Better Future. In *Sustainable Development Goals in Northeast India: Challenges and Achievements* (pp. 317-341). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Sen, A. (2000). *Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny*. Asian Development Bank. <https://www.adb.org/publications/social-exclusion-concept-application-and-scrutiny>

-
- Sengupta, S., & Guchhait, S. K. (2021). Inequality in Contemporary India: Does Caste Still Matter? *Journal of Developing Societies*, 37(1), 57-82.
- Sharma, V. P. (2019). Anthropology of Indian Civilization. *Occasional Papers*, 10, 31.
- Taskforce, G. (2016). Roadmap for Localising the SDGs: Implementation and Monitoring at Subnational Level. *Global Taskforce of Local and Regional Governments*, 631-654.
- Tiwari, G., Chauhan, S. S., & Varma, R. (2021). Challenges of Localising Sustainable Development Goals in Small Cities: Research to Action. *IATSS Research*, 45(1), 3-11.
- Vijay Prakash Sharma. (2022). *Anthropology in India*. Sankalp Publications.

प्रवासन के प्रकार में जेंडर की भूमिका और महिला सशक्तिकरण पर इसका प्रभाव

प्रदीप कुमार मेहता* और सुस्मिता गुरु**

सार

भारत में प्रवास एक आम बात है, लेकिन घरों में प्रवास के अलग-अलग पैटर्न और टाइपोलॉजी हैं। घर द्वारा प्रवास करने का निर्णय लेने के बाद, अगला चरण प्रवास पैटर्न का निर्धारण करना होता है, जिसमें या तो घर का एक ही सदस्य प्रवास कर सकता है या पति-पत्नी और बच्चों सहित कई सदस्य प्रवास कर सकते हैं। प्रवास के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया, जिसमें प्रवास करने या न करने का विकल्प शामिल है, साथ ही घरों द्वारा चुने गए प्रवास के विशिष्ट टाइपोलॉजी, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और जेंडर कारकों से प्रभावित होते हैं। ये कारक प्रवास के परिणामों को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संदर्भ में, अध्ययन इस बात की जांच करता है कि प्रवास और इसके टाइपोलॉजी के कारणों और परिणामों के साथ जेंडर किस हद तक जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से, यह प्रपत्र प्रवास और इसके टाइपोलॉजी से संबंधित निर्णयों को समझाने में जेंडर और अन्य संबंधित सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों की भूमिका का पता लगाता है और महिला सशक्तिकरण पर प्रवास और इसके टाइपोलॉजी के प्रभाव की जांच करता है। अध्ययन भारत के एक पिछड़े जिले नूंह में किया गया था, जहाँ प्रवास मुख्य रूप से संकट के कारण होता है। अध्ययन में एक प्राथमिक सर्वेक्षण शामिल है जिसमें 448 घरों को शामिल किया गया है जिसमें 2634 परिवार के सदस्य शामिल हैं। मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, अध्ययन जेंडर-संबंधी कारकों द्वारा महत्वपूर्ण रूप से आकार लेने वाले अलग-अलग अंतर-घरेलू प्रवासन प्रकारों को प्रकट करता है, जो बदले में, महिला सशक्तिकरण के परिणामों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। निष्कर्ष घरेलू प्रवास निर्णयों की बहुमुखी प्रकृति पर जोर देते हैं और समय दृष्टिकोणों के महत्व को रेखांकित करते हैं जो नूंह जिले और इसी तरह के क्षेत्रों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास और समावेशी विकास के लिए जेंडर असमानताओं को संबोधित करते हैं।

कीवर्ड: संकट-आधारित प्रवास, जेंडर, महिला सशक्तिकरण।

*सहायक प्रोफेसर, अमैति विश्वविद्यालय, नोएडा; ईमेल: pradeep_mehta@yahoo.com

**स्वतंत्र शोधकर्ता; ईमेल: gurusush@gmail.com

परिचय

प्रवास विश्व स्तर पर एक सामान्य घटना रही है। पिछले दशक में भारत के भीतर आंतरिक प्रवास में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है (सुप्रियो, 2019)। नवीनतम उपलब्ध जनगणना आंकड़ों के अनुसार, भारत में आंतरिक प्रवासियों की संख्या 45 करोड़ है, जो कि जनसंख्या का लगभग 37 प्रतिशत है (जनगणना, 2011)। प्रवासन विभिन्न कारकों जैसे बेहतर आजीविका के अवसर, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, गरीबी और अधिकारों आदि से प्रेरित होता है (मेहता, 2015; जाइका और रेनप्रेच, 2022)। हालाँकि, प्रवास की प्रक्रिया में अक्सर कई बाधाएँ होती हैं, जिनमें न केवल संरचनात्मक और सांस्कृतिक बाधाएँ शामिल होती हैं, जो निर्णय लेने को प्रभावित करती हैं, बल्कि इससे जुड़ी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परेशानी भी होती है (भट्ट, 2009)। परंपरागत रूप से, श्रम प्रवास मुख्य रूप से निर्माण और कृषि क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों की तलाश करने वाले पुरुषों से जुड़ा रहा है। ये जेंडर आधारित प्रवास पैटर्न सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं को दर्शाते हैं, जो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रवास प्रकारों में योगदान करते हैं (साहू और मेहता, 2022)। समय के साथ पुरुष प्रवास का प्रभुत्व बदल गया है, जबकि महिला प्रवास में वृद्धि हुई है। जेंडरों में, भारत में महिलाओं ने 47.9 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 48 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 47.8 प्रतिशत की उच्च प्रवास दर दर्ज की (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 2022) है।

प्रवास का जेंडर आयाम महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरुषों और महिलाओं में प्रवास के इरादे, प्रक्रिया और पेशेवर विकल्प या विकल्प अलग-अलग होते हैं (सिंह एट अल. 2016)। भारतीय समाज के संदर्भ में घर और बच्चों को संभालने में अपनी भूमिका के कारण महिलाओं को प्रवास की प्रक्रिया में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है (साहू और मेहता, 2022)। प्रवासियों द्वारा अपनी यात्रा और नए वातावरण में बसने के दौरान सामना किए जाने वाले जोखिमों और कमजोरियों को निर्धारित करने में जेंडर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं और लड़कियों को, विशेष रूप से, शोषण, तस्करी और जेंडर आधारित हिंसा के बढ़ते जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जो कानूनी स्थिति अनिश्चितताओं और भाषा बाधाओं (आईओएम, 2024) जैसे कारकों से और भी जटिल हो जाता है। स्वास्थ्य सेवा और कानूनी सहायता सहित आवश्यक सेवाओं और संसाधनों तक पहुँच भी

जेंडर के आधार पर भिन्न हो सकती है, महिला प्रवासियों को अक्सर भेदभाव और जागरूकता की कमी के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है (साहू, 2015; डेरेबो एट अल., 2024)। हालाँकि, इन चुनौतियों के बीच, जेंडर प्रवासियों के लिए लचीलापन और एजेंसी के स्रोत के रूप में भी काम कर सकता है (आईओएम, 2024)। महिलाएं अक्सर उल्लेखनीय संसाधनशीलता और अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन करती हैं, अपरिचित इलाकों में नेविगेट करती हैं और प्रवासी समुदायों के भीतर अपने अधिकारों की वकालत करती हैं (साहू और मेहता, 2022)। दूसरे शब्दों में, प्रवास महिलाओं के लिए अवसर, जोखिम और कमजोरियाँ पैदा करता है (सुफ़ियान एट अल., 2023)। प्रवासन के कारण व्यक्तिगत महिलाओं और लड़कियों के लिए तथा महिलाओं और लड़कियों के विभिन्न समूहों के बीच सशक्तिकरण संबंधी समझौते भी होते हैं। ये समझौते जेंडर समानता और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं (नील एट अल., 2016)। महिलाओं के लिए प्रवास के कई निहितार्थों के कारण, जेंडर के आधार पर प्रवास के डेटा को इकट्ठा करने और ऐसी नीतियों को लागू करने के महत्व का एहसास बढ़ रहा है जो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जेंडर किस तरह से प्रवासियों की विविध आवश्यकताओं को आकार देता है। जेंडर-विशिष्ट गतिशीलता को पहचानना और संबोधित करना समावेशी प्रवास नीतियों और हस्तक्षेपों को विकसित करने के लिए अपरिहार्य है जो सभी प्रवासियों को, जेंडर की परवाह किए बिना, उनके नए वातावरण में पनपने के लिए सशक्त बनाते हैं (मेश्राम एट अल., 2024)। जेंडर विभिन्न संदर्भों में प्रवास के जटिल परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डालता है (क्रिस्टो और कोफ़मैन, 2022)। यह प्रवासन पैटर्न के साथ जुड़ता है, प्रवासियों की प्रेरणाओं, अनुभवों और परिणामों को आकार देता है (क्रिगर और सालिकुटलुक, 2023)।

घरेलू स्तर पर, अलग-अलग अंतर-घरेलू प्रवास पैटर्न हो सकते हैं, जैसे एकल प्रवासी परिवार (जिनमें केवल एक प्रवासी होता है, या तो पुरुष या महिला) और एक से अधिक सदस्यों के प्रवास वाले परिवार (पुरुष और महिला दोनों प्रवासी, बच्चों के साथ और बिना बच्चों के)। हालाँकि आर्थिक और वित्तीय कारक मुख्य रूप से प्रवास के निर्णय को प्रभावित करते हैं, लेकिन अंतर-घरेलू पैटर्न या टाइपोलाजी विभिन्न व्यक्तिगत और घर-विशिष्ट कारकों से प्रभावित

होती है, जिसमें जेंडर से संबंधित कारक भी शामिल हैं (महापात्रो, 2015)। प्रवास पर अधिकांश अध्ययनों ने प्रवास के लिए जिम्मेदार कारकों और घरेलू अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को समझाने पर ध्यान केंद्रित किया है (श्रीवास्तव और शशिकुमार, 2003; जंकर, 2010; हुसैन एट अल., 2004; ड्रिंक्वाटर एट अल., 2003; अघाजानियन एट अल., 2014)। प्रवास का स्त्रीकरण, जहाँ महिला सदस्य अकेले या परिवार के साथ प्रवास करती हैं, का भी विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा पता लगाया गया है (कौर, 2006; मजूमदार एट अल., 2013; फ्लेरी, 2016)। हालाँकि, केवल कुछ अध्ययनों ने प्रवास के प्रकार या पैटर्न के चुनाव में जेंडर-संबंधी मुद्दों की भूमिका की जाँच की है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परिवार के प्रवास पैटर्न का महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। ह्यूगो (2000) ने तर्क दिया कि प्रवास के परिणामस्वरूप महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ता है या नहीं, यह जिसमें प्रवास होता है, आंदोलन का प्रकार और महिला प्रवासियों की विशेषताएँ के संदर्भ पर निर्भर करता है।

यह अध्ययन जेंडर गतिशीलता, प्रवासन निर्णयों, टाइपोलॉजी और महिला सशक्तिकरण के बीच संबंधों पर गहराई से विचार करता है। यह अध्ययन भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक हरियाणा के नूह जिले में किया गया था। 86 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यह क्षेत्र भारत के सबसे शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में भी शुमार है, जहाँ महिला साक्षरता 37 प्रतिशत जो कि पुरुष साक्षरता का लगभग आधा 73 प्रतिशत है और पुरुष-महिला अनुपात प्रतिकूल है (मेहता, 2015)। इसके अतिरिक्त, यह जिला हरियाणा के अन्य सभी जिलों की तुलना में महिला विकास और सशक्तिकरण के सूचकांक में पिछड़ा हुआ है। इस संदर्भ को देखते हुए, अर्ध-कुशल या अकुशल क्षेत्रों में दूर के स्थानों पर प्रवास इस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवित रहने की रणनीति बन गई है। दूसरे शब्दों में, इस क्षेत्र में अधिकांश प्रवास औद्योगीकरण की कमी और रोजगार के अपर्याप्त अवसरों के कारण संकट से प्रेरित है। 1990 के दशक के अंत में लगातार तीन बार सूखा पड़ने और उसके बाद भूजल की लवणता में वृद्धि के कारण खेती कम लाभदायक हो गई, जिससे कई किसान परिवार दूसरे क्षेत्रों में पलायन करने को मजबूर हो गए (मेहता, 2020)। इस पृष्ठभूमि

के साथ, यह सवाल उठता है कि नूह जिले में प्रवास की प्रवृत्ति और प्रवास के प्रमुख प्रकार क्या हैं। नूह जिले में परिवारों में जेंडर-संबंधी कारक प्रवास के निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं? नूह जिले की प्रवासी महिलाओं को अपने गंतव्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचने के मामले में किन मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? नूह जिले से पलायन घरेलू निर्णय लेने और सत्ता संबंधों की गतिशीलता को कैसे प्रभावित करता है, विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण और स्वायत्तता के संबंध में?

अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य हैं: 1) हरियाणा के नूह जिले में प्रवासन पैटर्न और उसके प्रकार को रेखांकित करना; 2) प्रवासन निर्णय लेने पर जेंडर सहित विभिन्न कारकों के प्रभाव का विश्लेषण करना; और 3) महिला सशक्तिकरण पर प्रवासन और उसके प्रकार के प्रभाव की जांच करना। अध्ययन अंतर-परिवार प्रवासन पैटर्न पर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और जेंडर-संबंधी कारकों के प्रभाव के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण पर प्रवासन और उसके प्रकार के प्रभावों की जांच करता है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रवास का निर्णय और उसका प्रकार (परिवार से एकल या एकाधिक लोग प्रवास करेंगे) अनेक आर्थिक, सामाजिक और लैंगिक कारकों से प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही, प्रवासन और उसके प्रकार के प्रभाव से महिला सशक्तिकरण के संबंध में विविध परिणाम मिलने की परिकल्पना की गई है। महिला सशक्तिकरण के संकेतकों में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय लेने में भागीदारी, कार्य आबंधन, रहने की स्थिति, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और सामाजिक जीवन शामिल हैं।

कार्यप्रणाली

वर्तमान अध्ययन नूह क्षेत्र में प्रवास की गतिशीलता पर गहराई से विचार करता है, यह क्षेत्र भारत के आकांक्षी जिलों में से एक के रूप में नामित है। पूर्व में मेवात जिले के रूप में जाना जाने वाला नूह हरियाणा राज्य में स्थित है और मुख्य रूप से मेव-मुसलमानों द्वारा बसा हुआ है। 1860 वर्ग किलोमीटर के विस्तार को कवर करते हुए, नूह में चार अलग-अलग ब्लॉक शामिल हैं: नूह, तौरू, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना, जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 412 गांवों को शामिल करते हैं। क्षेत्र में प्रवास के विविध प्रकारों को देखते हुए, यादृच्छिक नमूनाकरण दृष्टिकोण के माध्यम से डेटा एकत्र किया गया था।

प्रत्येक ब्लॉक के कुल गांवों में से लगभग 10 प्रतिशत गांवों को अध्ययन में शामिल किया गया, जिससे 42 गांवों का चयन हुआ। नमूना आकार में अध्ययन के तहत सभी चार ब्लॉकों के 42 गांवों में से प्रत्येक से यादृच्छिक रूप से चुने गए 2 प्रतिशत परिवार शामिल हैं। इस प्रकार, डेटा संग्रह के लिए कुल नमूना 42 अध्ययन गांवों (तालिका 1) से 448 परिवार हैं, जिसमें

2634 व्यक्ति शामिल हैं। इन परिवारों में, अलग-अलग प्रवास पैटर्न या टाइपोलॉजीज सामने आईं: 100 उत्तरदाता परिवारों ने पूरी तरह से प्रवासन के खिलाफ चुनाव किया, जबकि 167 परिवारों ने केवल पुरुष सदस्यों को प्रवास करते देखा। इसके अतिरिक्त, 181 परिवारों ने बच्चों के साथ या उनके बिना कई सदस्यों के साथ प्रवासन का अनुभव किया।

तालिका 1

नमूना आकार

ब्लॉक	गांवों की संख्या	नमूना गांव	परिवार नमूना आकार
टौरू	79	8	90
नूह	103	10	108
पुन्हाना	87	9	96
फिरोजपुर झिरका	143	15	154
कुल		42	448

स्रोत: जनगणना, 2011.

विभिन्न प्रवासन संदर्भों में जेंडर गतिशीलता के जटिल अंतर्संबंध और महिला सशक्तिकरण पर इसके प्रभाव को समझने के लिए, अध्ययन में मात्रात्मक और गुणात्मक शोध पद्धतियों के संयोजन का उपयोग किया गया। संरचित और कोडित साक्षात्कार अनुसूचियों जैसे मात्रात्मक उपकरणों का उपयोग विशिष्ट डेटा बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए किया गया था, जबकि फोकस समूह चर्चाओं और प्रमुख सूचनादाता साक्षात्कारों सहित गुणात्मक विधियों ने अंतर्निहित सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता में अधिक गहन अंतर्दृष्टि प्रदान की। सख्त डेटा संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से, अनुसंधान ने प्रवासन के विभिन्न प्रकारों में जेंडर गतिशीलता में पैटर्न, चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने की कोशिश की।

परिणाम और चर्चा

प्रवास की टाइपोलॉजी

ऐतिहासिक रूप से, पुरुषों को "संभावित कमाने वाले" और घर के कमाने वाले के रूप में देखा जाता रहा है, जिन्हें अक्सर प्रवास के लिए प्राथमिकता दी

जाती है, जबकि महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे घर का प्रबंधन करते हुए पीछे रहें (फ्लेरी, 2016)। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में यह प्रवृत्ति काफी हद तक बदल गई है, जिससे ऐसे पैटर्न उभर रहे हैं जहाँ महिलाएँ या तो अकेले या अपने परिवार के साथ प्रवास करती हुई पाई जा सकती हैं। परिणामस्वरूप, विभिन्न प्रवास पैटर्न या टाइपोलॉजी उभर कर सामने आई हैं, जिसमें एकल प्रवासी परिवार, एक से अधिक प्रवासी वाले परिवार और ऐसे परिवार शामिल हैं जिनमें कोई भी प्रवासी नहीं है।


प्रतिवादी परिवारों में प्रवास की टाइपोलॉजी से पता चलता है कि 22 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जिनमें कोई भी प्रवासी सदस्य नहीं है, और 37 प्रतिशत परिवारों में से केवल पुरुष प्रवासी हैं। नूह एक अत्यधिक पितृसत्तात्मक समाज है जिसमें मेओ-मुसलमानों का वर्चस्व है, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी घर से केवल महिला प्रवासियों का कोई उदाहरण नहीं है। ऐसे मामलों में जहाँ एक से अधिक सदस्य घर से पलायन करते हैं, दो अलग-अलग पैटर्न सामने आते

हैं: सभी सदस्य (पुरुष, महिला और बच्चे) पलायन करना चुनते हैं (36 प्रतिशत), और केवल पुरुष और महिला सदस्य ही बच्चों को पीछे छोड़कर पलायन करने का फैसला करते हैं (5 प्रतिशत)। इसके अलावा, 41 प्रतिशत में जहां महिलाएं भी अपने परिवार के साथ पलायन करती हैं, केवल 18 प्रतिशत महिलाएं पुरुष सदस्यों के साथ काम करती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि बहुत कम परिवार अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए पीछे छोड़ना चुनते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार के अस्थायी पलायन से उनकी स्कूली शिक्षा प्रभावित न हो। सभी मामलों में, पलायन स्थायी के बजाय अस्थायी या मौसमी होता है।

इस क्षेत्र में, पुरुषों और महिलाओं दोनों का प्रवास कार्य की प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित होता है।

चित्र 1

अंतर-परिवारिक प्रवास



स्रोत: प्राथमिक डेटा

अंतर-परिवार प्रवासन विकल्पों को प्रभावित करने वाले कारक

विभिन्न कारक घरेलू स्तर पर अलग-अलग प्रवासन पैटर्न के उद्भव में योगदान करते हैं (महापात्रो, 2015)। अंतर-परिवार प्रवासन विकल्प कई व्यक्तिगत और घरेलू-विशिष्ट कारकों (आईओएम, 2024) द्वारा आकार लेते हैं। हम प्रवासन प्रकारों को स्पष्ट करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और जेंडर आयामों को शामिल करते हुए कई कारकों

महिलाएँ मुख्य रूप से अपने पतियों के साथ कृषि और ईंट भट्ठा जैसे क्षेत्रों में प्रवास करती हैं, जो अर्ध-कुशल हैं। महिला प्रवास अक्सर कम अवधि का होता है, जिसमें पुरुष प्रवासियों (172 दिन) की तुलना में प्रति वर्ष कम दिन (91 से 146 दिन) होते हैं। कृषि प्रयोजनों के लिए प्रवास आमतौर पर कपास, गेहूं और धान जैसी विभिन्न फसलों के लिए हर साल कई बार होता है।

दूसरी ओर, ईंट भट्ठा क्षेत्र में प्रवास आमतौर पर एक ही चक्र का अनुसरण करता है, जहाँ प्रवास परिवार के साथ या उसके बिना होता है। जिन घरों से केवल पुरुष प्रवास करते हैं वे अक्सर निर्माण और ड्राइविंग जैसे अत्यधिक कुशल क्षेत्रों में लगे होते हैं।

का पता लगाते हैं - जिसमें नूह क्षेत्र में परिवारों द्वारा अपनाए गए बच्चों के साथ या बिना बच्चों के पुरुष और महिला प्रवासन के विभिन्न विन्यास शामिल हैं। विशेष रूप से, सामाजिक और जनसांख्यिकीय कारक, जैसे कि अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और एससी/एसटी परिवारों का अनुपात, परिवार का आकार, निर्भरता अनुपात, आयु और शैक्षिक प्राप्ति, की जांच अंतर-परिवार प्रवासन प्रकारों को समझने के लिए की गई है। हमारे निष्कर्षों से पता चलता है कि

तालिका 2

प्रवासन को समझाने वाले कारक और उसका प्रकार

एन	कोई प्रवासन नहीं		प्रवासन का प्रकारविज्ञान		
	100	सभी प्रवासी परिवार 348	एकल प्रवासी परिवार- केवल पुरुष 167	एक से अधिक प्रवासी परिवार- बच्चों सहित पुरुष और महिला सदस्य 159	एक से अधिक प्रवासी परिवार- बच्चों के बिना पुरुष और महिला सदस्य 22
सामाजिक एवं जनसांख्यिकीय कारक					
जाति (% ओबीसी)	71%	84.7%	90%	84%	91%
जाति (% एससी/एसटी)	27%	12.7%	10%	16%	9%
परिवार का आकार	5.1	5.8	6.2	5.7	5.0
आश्रित*	68%	53%	62%	45%	43%
एचओएच** की आयु (वर्षों में)	45.2	42.8%	40.8	44.3	48.4
एचओएच मुखिया की शिक्षा (साक्षरता का %)	57%	50.5%	57%	45%	41%
उच्चतम शिक्षा***	14%	8.8%	7%	9%	21%
आर्थिक एवं वित्तीय कारक					
प्रवास के बिना प्रति व्यक्ति वार्षिक पारिवारिक आय	17388	12670	13292	12108	12014
बीपीएल/एएवाई**** परिवार (%)	31.0%	61.5%	55.7%	66.0%	72.3%
भूमिहीन (%)	56.0%	73%	68.9%	78.0%	68.2%
कृषि में स्वरोजगार (%)	19.4%	12.2%	14.6%	9.3%	15.7%
स्रोत गांव में रोजगार (%)	25%	33.3%	17.6%	49.4%	35.7%
जेंडर-संबंधी कारक					
लिंग अनुपात प्रति महिला आश्रितों की संख्या	1038	872	868	867	946
महिला साक्षरता (%)	29.8%	14.5%	16.1%	10.7%	29.6%
बच्चों की संख्या (0-6 वर्ष)	1.3	1.3	1.7	1.0	0.6
कृषि में स्वरोजगार करने वाली महिला सदस्य	37.2%	22.7%	28.7%	15.1%	31.4%
गांव में रोजगार करने वाली महिला सदस्य	14.6%	24.1%	13.8%	34.9%	24.2%

स्रोत: प्राथमिक डेटा

* (0-14 और 60 से ऊपर)

** परिवार का मुखिया

***परिवार के सदस्य की उपलब्धि (माध्यमिक से ऊपर का प्रतिशत)

****गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना

परिवार का आकार और घर में आश्रितों की संख्या प्रवास के निर्णय पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालती है, लेकिन महिला सदस्यों का प्रवास घर के निर्भरता अनुपात से काफी प्रभावित होता है; जैसे-जैसे आश्रितों की संख्या बढ़ती है, परिवार या तो प्रवास से परहेज करते हैं या केवल पुरुषों के प्रवास का विकल्प चुनते हैं। कई अध्ययनों ने शिक्षा और प्रवास के निर्णयों के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित किया है, जो गंतव्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों तक पहुँचने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है (विलियम, 2009)।

हालांकि, नूह क्षेत्र में, घरेलू शिक्षा का स्तर और किसी भी घरेलू सदस्य की उच्च शिक्षा प्राप्त करना प्रवासन निर्णयों के महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में नहीं उभरे हैं। यह मुख्य रूप से क्षेत्र में प्रचलित कम साक्षरता दर के कारण है, जहां अधिकांश आबादी या तो निरक्षर है या 5वीं या 8वीं कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा रखती है। प्रवासन मुख्य रूप से अकुशल या अर्ध-कुशल रोजगार के अवसरों की तलाश के इर्द-गिर्द घूमता है, जैसे ड्राइविंग या निर्माण कार्य, जिसके लिए उच्च शिक्षा प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी, शिक्षा की स्थिति घरों के भीतर प्रवासन के प्रकार को प्रभावित करती है; उच्च शिक्षा वाले परिवार, आर्थिक रूप से वंचित होने के बावजूद, बच्चों के साथ प्रवास करने के लिए कम इच्छुक होते हैं, क्योंकि वे अपनी शिक्षा में संभावित व्यवधान को पहचानते हैं। इसके विपरीत, न तो घर के मुखिया की उम्र और न ही जाति संबद्धता प्रवासन निर्णयों या प्रवासन के प्रकार की पसंद को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

परिवारों की आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियाँ उनके प्रवासन विकल्पों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं (हौग, 2008)। नूह क्षेत्र से प्राप्त निष्कर्ष प्रवासन निर्णयों को आकार देने में परिवार की आर्थिक स्थिति के महत्व को उजागर करते हैं, जहाँ प्रवासी परिवार आम तौर पर निम्न आय स्तर प्रदर्शित करते हैं, अक्सर गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या अंत्योदय (बीपीएल/एएवाई) कार्ड रखते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण परिवेश में भूमि स्वामित्व एक प्रमुख निर्धारक के रूप में उभरता है, जहाँ अधिकांश प्रवासी परिवारों के पास भूमि स्वामित्व नहीं होता है और उनमें मुख्य रूप से भूमिहीन किसान शामिल होते हैं। हालाँकि, एकल और कई प्रवासी परिवारों की आर्थिक स्थितियों में उल्लेखनीय समानता मौजूद है।

प्रवासन निर्णयों पर जेंडर-संबंधी कारकों के प्रभाव की खोज करते हुए, हमने जेंडर अनुपात, प्रति महिला निर्भरता अनुपात, महिला साक्षरता दर, छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या और अपने गांवों में महिलाओं की रोजगार स्थिति सहित संकेतकों की जांच की। नूह की गहरी पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, जहाँ महिलाएँ मुख्य रूप से बच्चों की देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारियाँ उठाती हैं (मेहता, 2015)। मान्यताओं के विपरीत, परिवारों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि का महिला प्रवास की उच्च दरों से कोई संबंध नहीं है; गैर-प्रवासित परिवारों में अक्सर उच्च जेंडर अनुपात दिखाई देता है। हालाँकि, आश्रितों और छोटे बच्चों की उपस्थिति महिला प्रवासन पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। जबकि महिला साक्षरता अकेले घरेलू प्रवासन निर्णयों को निर्धारित नहीं करती है, यह प्रवासन के प्रकार को प्रभावित करती है। शिक्षित परिवार अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए बिना बच्चों के प्रवासन का विकल्प चुनते हैं। यह परिवारों और शैक्षणिक संस्थानों के समग्र सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। उल्लेखनीय रूप से, प्रवासी परिवारों की महिलाएँ अक्सर अपने पैतृक गाँवों में रोजगार करती हैं, लेकिन आम तौर पर कम रोजगार वाली होती हैं, उनके पास सालाना 25-30 दिनों तक सीमित कार्य अवसर होते हैं और एकल या गैर-प्रवासी परिवारों की महिलाओं की तुलना में उनकी आय कम होती है। यह ग्रामीण परिवेश में महिला रोजगार की महत्वपूर्ण भूमिका और प्रवास गतिशीलता के साथ इसके अंतर्संबंध को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष में, यह निष्कर्ष नूह क्षेत्र में अंतर-परिवार प्रवास पैटर्न को आकार देने वाले विभिन्न कारकों के जटिल परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालता है। सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और जेंडर आयाम सामूहिक रूप से प्रवास के प्रकारों को प्रभावित करते हैं, जिसमें कोई प्रवास न होने से लेकर बच्चों के साथ या बिना बच्चों के पुरुष और महिला प्रवास के विविध विन्यास शामिल हैं। जबकि परिवार के आकार और निर्भरता अनुपात जैसे कुछ सामाजिक और जनसांख्यिकीय कारक प्रवास के निर्णयों (चाहे प्रवास करें या नहीं) पर सीमित प्रभाव दिखाते हैं, आश्रितों की उपस्थिति महिला प्रवास विकल्पों (प्रवास के प्रकार) को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। शिक्षा एक सूक्ष्म निर्धारक के रूप में उभरती है, जिसमें परिवारों के भीतर

उच्च शिक्षा का स्तर बच्चों के साथ प्रवास की कम संभावना के साथ सहसंबंधित है, जो बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने पर प्रकाश डालता है। आर्थिक स्थितियाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, प्रवासी परिवार अक्सर निम्न आय स्तर और भूमिहीनता से जूझते हैं, जो प्रवास को प्रेरित करने वाली आर्थिक अनिवार्यता को रेखांकित करता है। जेंडर-संबंधी कारक महिला प्रवास की जटिल गतिशीलता को रेखांकित करते हैं, जहाँ देखभाल की ज़िम्मेदारी अक्सर प्रवास के निर्णयों से जुड़ी है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में उभरता है, जो प्रवासन के प्रकारों को प्रभावित करता है और ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त, प्रवासी परिवारों में महिलाओं में अल्परोज़गार को संबोधित करना उनके आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ाने और प्रवासन से जुड़ी कमज़ोरियों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

महिला विकास और सशक्तिकरण पर प्रवासन प्रकार का प्रभाव

जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण विकास नीति लक्ष्य बन गए हैं, जैसा कि एसडीजी (ओडेरा और मुलुसा, 2022) में परिलक्षित होता है। वर्तमान में, भारत में कुल प्रवासियों में से आधे से अधिक महिलाएँ हैं, और साक्ष्य बताते हैं कि प्रवासन प्रवाह और उनके प्रभाव अत्यधिक जेंडर आधारित हैं (महापात्रो, 2010)। विकासशील देशों में महिला सशक्तिकरण एक प्रमुख चिंता का विषय है। यह समाज के विकास के साथ-साथ उस समाज में महिलाओं की स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक बनकर उभर रहा है, जो सामाजिक और आर्थिक अवसरों तक उनकी पहुँच को प्रभावित करता है (यूएनएफपीए, 2024; सिन्हा एट अल., 2012)। भारतीय समाज, विशेष रूप से नूह, स्वाभाविक रूप से पितृसत्तात्मक है, जहाँ महिलाओं को पुरुषों से कमतर माना जाता है (मेहता, 2015)। पुरुषों और महिलाओं के बीच यह विशाल अंतर नूह को भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक बनाता है (साहू और मेहता, 2022)। हाल के दशकों में नूह की बड़ी आबादी के प्रवास में शामिल होने को देखते हुए, इस क्षेत्र में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण पर इस घटना के प्रभावों का पता लगाना महत्वपूर्ण हो जाता है।

महिलाओं पर प्रवास के प्रभाव की जांच करने से पहले, हमने पता लगाया कि क्या परिवार के भीतर महिलाएं प्रवासन निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हैं।


नूह में परिवारों द्वारा लिए गए प्रवासन निर्णयों में पुरुष प्रभुत्व परिलक्षित होता है। जब हमने घरेलू प्रवासन निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका की जांच की, चाहे उन्हें मजबूर किया गया हो या स्वेच्छा से प्रवास करने के लिए, लगभग दो-तिहाई महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें अपने परिवार के साथ प्रवास करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, लेकिन ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। महिला उत्तरदाताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अक्सर उनके पति उन्हें कमाने के लिए नहीं बल्कि गंतव्य पर घरेलू काम करने के लिए प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं। इसके अलावा, 23 प्रतिशत महिलाएं अपने परिवार के साथ प्रवास कर चुकी हैं, लेकिन गंतव्य पर काम नहीं कर रही हैं। जब महिलाएं बच्चों के साथ प्रवास करती हैं, तो इससे उनके बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है

महिला सशक्तिकरण पर प्रवास के प्रभाव की जांच करने के लिए, प्रवास करने वाले और गैर-प्रवास करने वाले दोनों परिवारों के भीतर जेंडर गतिशीलता से संबंधित विभिन्न प्रमुख पहलुओं पर डेटा एकत्र किया जाता है। इसमें प्रवास के प्रकारों की जांच करना शामिल है, जैसे कि एकल पुरुषों वाले घर और ऐसे घर जिनमें बच्चे के साथ और बिना बच्चे वाले पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, स्वायत्तता, घरेलू निर्णय लेने में भागीदारी, संपत्ति के स्वामित्व, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, सामाजिक जीवन, काम की मात्रा और रहने की स्थिति पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है।

विभिन्न श्रेणियों में निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी या स्वतंत्रता की जांच करने पर एक स्पष्ट प्रवृत्ति उभरती है, जैसे कि कोई प्रवास नहीं, एकल पुरुष प्रवास, और कई सदस्यों का प्रवास (पुरुष के साथ महिला और/या बच्चे)। प्रवासी परिवारों में, विशेष रूप से कई प्रवासी परिवारों में, महिलाएँ गैर-प्रवासी परिवारों या केवल पुरुष प्रवासियों वाले परिवारों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से उच्च स्तर की स्वायत्तता प्रदर्शित करती हैं (तालिका 3)। यह निर्णय लेने के विभिन्न पहलुओं में स्पष्ट है, जिसमें मौद्रिक निर्णय, व्यय स्वायत्तता, सामाजिक गतिशीलता और बच्चों के लिए शैक्षिक निर्णय शामिल हैं। उदाहरण के लिए, कई प्रवासी सदस्यों वाले परिवारों में, आधी से अधिक महिलाओं को अनुमति की आवश्यकता के बिना मौद्रिक निर्णयों और खर्च विकल्पों में अपनी बात कहने का अधिकार होता है (तालिका 3)।

चित्र 2

महिलाओं द्वारा प्रवास



स्रोत: प्राथमिक डेटा

इसके अलावा, इन परिवारों में महिलाओं को स्वतंत्र रूप से रिश्तेदारों या बाजारों में जाने की स्वतंत्रता होने की अधिक संभावना है (66 प्रतिशत)। निष्कर्ष यह भी संकेत देते हैं कि प्रवासी परिवारों में, विशेष रूप से पुरुष और महिला दोनों सदस्यों वाले परिवारों में बच्चों के लिए शैक्षिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी की संभावना अधिक होती है (90 प्रतिशत)। इसके अलावा,

नतीजे यह भी बताते हैं कि महिलाओं द्वारा संपत्ति का स्वामित्व आम तौर पर सभी श्रेणियों में कम है, सबसे अधिक अनुपात कई सदस्यों वाले प्रवासी परिवारों में पाया गया है। यह प्रवासी और गैर-प्रवासी परिवारों के बीच संपत्ति के स्वामित्व में संभावित असमानता को दर्शाता है, जिसमें प्रवासी परिवारों में महिला स्वामित्व का स्तर थोड़ा अधिक है।

तालिका 3

आर्थिक स्वतंत्रता और घरेलू निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी

	या तो महिलाएं या फिर महिलाएं और पुरुष दोनों ही घरेलू वित्तीय निर्णय लेते हैं (0=नहीं; 1=हां)	महिलाएं पैसे खर्च करने का तरीका चुन सकती हैं और उन्हें अपने खर्च के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है (0=नहीं; 1=हां)	महिलाओं को अकेले रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने की अनुमति है (0=नहीं; 1=हां)	महिलाएं स्वयं पास के बाजार में जा सकती हैं (0=नहीं; 1=हां)	या तो महिलाएं या फिर महिलाएं और पुरुष दोनों ही बच्चों की शिक्षा से संबंधित निर्णय लेते हैं (0=नहीं; 1=हां)	क्या महिलाओं के पास किसी संपत्ति का स्वामित्व है (0=नहीं; 1=हां)
कोई प्रवास नहीं	0.24	0.02	0.12	0.26	0.45	0.06
सभी प्रवासी परिवार	0.42	0.35	0.11	0.54	0.87	0.08
एकल प्रवासी परिवार- केवल पुरुष	0.28	0.07	0	0.4	0.64	0.01
एकाधिक प्रवासी सदस्य वाला परिवार	0.54	0.54	0.21	0.66	0.9	0.15

स्रोत: प्राथमिक डेटा

जैसे-जैसे लोगों की संख्या दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर रही है, प्रवासी समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में उभरी है (साहू, 2015; विक्रमजेट एट अल., 2008)। अध्ययन के परिणाम यह भी रेखांकित करते हैं कि जिन घरों में पलायन नहीं हुआ है, वहां महिलाओं को प्रवासी परिवारों की तुलना में स्वास्थ्य समस्याओं की अपेक्षाकृत कम घटना दर का अनुभव होता है (तालिका 4)। यह विसंगति विशेष रूप से स्पष्ट है क्योंकि पलायन करने वाली महिलाओं को प्रतिदिन भारी कार्यभार (घरेलू और नौकरी से संबंधित दोनों) के साथ काम करना पड़ता है, जबकि पलायन नहीं करने वाली महिलाओं को काम पर नहीं जाना पड़ता है। गंतव्य क्षेत्रों में रहने और काम करने की कठिन परिस्थितियों के कारण पलायन करने वाली महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक प्रचलित हैं। हालांकि, प्रजनन संबंधी निर्णयों में महिलाओं की स्वायत्तता पलायन करने वाली महिलाओं के लिए बढ़ी हुई प्रतीत होती है; यानी, पलायन करने वाली महिलाएं गैर-प्रवास करने वाली महिलाओं की तुलना में प्रजनन

संबंधी निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता दिखाती हैं। इसके विपरीत, अन्य घरेलू सदस्यों के साथ पलायन करने वाली महिलाओं के लिए मातृ संबंधी मुद्दों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच काफी कम हो जाती है, क्योंकि गंतव्य क्षेत्रों में कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र नहीं है।

दूसरी ओर, गैर-प्रवासी महिलाओं के पास सरकारी अस्पतालों के अलावा स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) तक पहुंच है, जहां वे निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकती हैं। प्रवासी महिलाओं के पास कोई बीमा नहीं होता है और किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति के मामले में उन्हें अपनी जेब से खर्च उठाना पड़ता है। सामाजिक समूहों की सदस्यता महिलाओं के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि प्रवासी महिलाओं का गंतव्य क्षेत्र में कम सामाजिक संपर्क होता है। दो-तिहाई से अधिक गैर-प्रवासी महिलाओं के किसी सामाजिक समूह का हिस्सा होने के विपरीत, केवल 12 प्रतिशत प्रवासी महिलाएं किसी सामाजिक समूह की सदस्य हैं।

तालिका 4

स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और सामाजिक जीवन

	महिलाओं में स्वास्थ्य समस्याओं (लू, त्वचा रोग, बुखार) की घटना (0=कम; 1=उच्च)	महिलाएं अपने प्रजनन संबंधी निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकती हैं (0=नहीं; 1=हां)	मातृ मुद्दों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता (0=नहीं; 1=हां)	क्या महिलाएं किसी सामाजिक समूह की सदस्य हैं (0=नहीं; 1=हां)
कोई प्रवास नहीं	0.16	0.43	0.92	0.66
सभी प्रवासी परिवार	0.42	0.82	0.45	0.33
एकल प्रवासी परिवार-केवल पुरुष	0.19	0.71	0.71	0.45
एकाधिक प्रवासी सदस्य वाला परिवार	0.67	0.92	0.21	0.12

स्रोत: प्राथमिक डेटा

जब महिलाएं प्रवास करती हैं, तो उन्हें रोजगार के माध्यम से अधिक आर्थिक अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें काम के घंटे में निर्धारित संख्या, स्वस्थ और स्वच्छ रहने की स्थिति और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान नहीं की जाती हैं, तो यह महिला सशक्तिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है (बच्चन, 2018)। हम गंतव्य स्थान पर उपलब्ध सुविधाओं, घरेलू कामों, खेती या अन्य नौकरियों में विभाजित कार्य घंटों की संख्या, तथा महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति या स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक

पहुंच जैसे कारकों के माध्यम से महिलाओं पर प्रवास के प्रभाव का भी पता लगाते हैं। हम उन महिलाओं के लिए काम के घंटे की संख्या और उनके रहने की स्थिति की तुलना करते हैं जो परिवार के साथ घूमती हैं और जो नहीं गई हैं। अध्ययन में कहा गया है कि महिला मित्र के लिए लगातार अनिश्चित जीवन की स्थिति बनी रहती है, जो सीधे तौर पर उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करती है (तालिका 5)। कृषि और बैलगाड़ी क्षेत्रों में महिला पर्यटकों के लिए अस्थायी पर्यटन में रहना आम बात है। धान की रोपाई और गेहूं

की कटाई के क्षेत्र में खेती के काम के लिए पलायन करने वाली कुछ महिलाओं को ही कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि महिलाओं पर पलायन का प्रभाव परिवार के नौकरी के विकल्पों पर निर्भर करता है। गरीबी की उच्च दर और

कौशल की कमी के कारण, महिलाओं को ऐसे प्रवास स्थलों को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है जहाँ रहने की स्थिति प्रतिकूल होती है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

तालिका 5

कार्यस्थल पर रहने की स्थितियाँ

गंतव्य पर आवास	एक से अधिक प्रवासी परिवार - बच्चों सहित पुरुष और महिला सदस्य	एक से अधिक प्रवासी परिवार - बच्चों के बिना पुरुष और महिला सदस्य	एकल प्रवासी परिवार- पुरुष प्रवास
कार्य स्थल पर अस्थायी व्यवस्था	56.3 प्रतिशत	57.8 प्रतिशत	10.7 प्रतिशत
सड़क किनारे अस्थायी व्यवस्था	2 प्रतिशत	---	3 प्रतिशत
स्थायी कमरे	41.6 प्रतिशत	42.2 प्रतिशत	6.2 प्रतिशत
कोई सुविधा नहीं	---	---	80 प्रतिशत

स्रोत: प्राथमिक डेटा

महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता पर प्रवास के प्रभाव को समझने के लिए, हमने उनके काम के घंटे (वेतन और अवैतनिक दोनों), स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और परिवार में वित्तीय और आर्थिक निर्णय लेने में उनकी भागीदारी की तुलना की। नूह से प्रवासी महिलाओं और गैर-प्रवासी महिलाओं के बीच तुलना से पता चलता है कि ज्यादातर महिलाएं प्रवास के दौरान प्रति दिन अधिक घंटे काम करती हैं, क्योंकि उन्हें कपड़े धोने, खाना पकाने, बच्चों की देखभाल और अपने पतियों को खेत के काम में मदद करने जैसे कार्यों के लिए काफी समय देना पड़ता है (तालिका 6 देखें)। कई प्रवासी परिवारों में, जब प्रति दिन केवल वेतन वाले काम पर बिताए गए घंटों की संख्या पर विचार किया गया, तो पाया गया कि पुरुषों ने महिलाओं (10 घंटे) की तुलना में अधिक घंटे (12 घंटे) काम किया। हालांकि, पुरुष सदस्य अपने काम के घंटों से परे अतिरिक्त कार्यों में शामिल नहीं थे घरेलू कामों और आय-उत्पादक गतिविधियों दोनों को मिलाकर, महिलाएँ आम तौर पर हर दिन 15 घंटे से ज्यादा समय तक अपना श्रम समर्पित करती हैं। जो महिलाएँ पलायन नहीं करती थीं और जो नौकरी नहीं करती थीं, वे घरेलू कामों में ज्यादा समय बिताती थीं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि स्रोत क्षेत्र में दादा-दादी और नाना-नानी सहित परिवार के ज्यादा सदस्य थे।

इसके अतिरिक्त, उनका अधिकांश समय खेती और पशुपालन में व्यतीत होता था, जो कि गंतव्य पर गैर-कामकाजी प्रवासी महिलाओं के मामले में नहीं था। संक्षेप में, अपने पतियों के साथ पारिश्रमिक वाली नौकरियों में शामिल प्रवासी महिलाओं ने गैर-प्रवासी महिलाओं की तुलना में काफी अधिक समय बिताया, जो कार्यरत थीं और जो नहीं थीं। पर्याप्त आराम के बिना दैनिक कार्यभार में वृद्धि ने प्रवासी महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

कार्य की प्रकृति, कार्य के घंटे और अनिश्चित जीवन स्थितियाँ महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। लगभग 93.3 प्रतिशत प्रवासी महिलाओं को लगता है कि कार्यस्थल में स्वास्थ्य समस्याओं का अधिक जोखिम है। प्रवासी महिलाएँ यह भी बताती हैं कि जिन कॉलोनिनों में वे रहती हैं, वे अत्यधिक आबादी वाली हैं और उनमें पर्याप्त स्वास्थ्य और सफाई की स्थिति का अभाव है, जो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इसके अतिरिक्त, धान के खेतों में काम करने वाली महिलाओं ने बताया कि पानी से भरे खेतों में लंबे समय तक काम करने से उन्हें भयंकर सर्दी और पीठ दर्द होता है

तालिका 6

प्रवासी और गैर-प्रवासी महिलाओं के लिए कुल कार्य घंटे

	बच्चों सहित और बिना बच्चों के प्रवास करने वाले पुरुष और महिला		गैर - प्रवासी (स्रोत पर)	
	महिलाएं काम कर रही हैं (81)	महिलाएं काम नहीं कर रही हैं (99)	महिलाएं काम कर रही हैं (6)	महिलाएं काम नहीं कर रही हैं (94)
काम के घंटों की संख्या	11.5 घंटे	-	9.5 घंटे	-
घरेलू कामों में बिताए गए घंटों की संख्या	6.5 घंटे	9.5 घंटे	4 घंटे	11.5 घंटे
वेतन और अवैतनिक काम में शामिल कुल घंटों की संख्या	16.5 घंटे	9.5 घंटे	13.5 घंटे	11.5 घंटे

स्रोत: प्राथमिक डेटा

इसके अलावा, जब भी प्रवासी स्थानीय स्वास्थ्य क्लीनिक जाते हैं, तो उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि जो परिवार पलायन नहीं करते हैं और सरकारी क्लीनिकों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क है। इन प्रवासी महिलाओं के लिए सुरक्षा और संरक्षा महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। प्रवासी महिला श्रमिकों के खिलाफ भेदभाव और दुर्व्यवहार पुरुष प्रवासियों की तुलना में काफी अधिक है। अधिकांश महिला प्रवासियों (60.2 प्रतिशत) ने उल्लेख किया कि जब वे दूर के स्थानों पर जाती हैं तो वे सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं।

निष्कर्ष और नीतिगत सिफारिशें

अध्ययन हरियाणा के नूंह जिले में प्रवास की जटिल गतिशीलता पर प्रकाश डालता है, प्रवास के प्रकारों को आकार देने में सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकीय और जेंडर कारकों के परस्पर प्रभाव और महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए उनके निहितार्थों पर प्रकाश डालता है। निष्कर्ष अंतर-परिवार प्रवास के विविध पैटर्न को रेखांकित करते हैं, जिसमें एकल पुरुष प्रवास से लेकर कई सदस्यों वाले परिवार शामिल हैं, जो बच्चों के साथ या उनके बिना प्रवास करते हैं। सामाजिक और आर्थिक कारक प्रवास के निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, जिसमें परिवार की आर्थिक स्थिति और भूमि स्वामित्व निर्णायक निर्धारक के रूप में उभर कर आते हैं। जेंडर गतिशीलता, पितृसत्तात्मक मानदंडों में गहराई से समाहित है, प्रवास के विकल्पों के साथ जुड़ती है,

महिलाओं की स्वायत्तता, रोजगार के अवसरों और संसाधनों तक पहुँच को प्रभावित करती है। जबकि प्रवास महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से कृषि और ईट भट्टों जैसे अर्ध-कुशल क्षेत्रों में, यह उन्हें अनिश्चित जीवन स्थितियों, स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुँच और जेंडर आधारित हिंसा जैसी कमजोरियों के प्रति भी उजागर करता है। महिला सशक्तिकरण का संबंध प्रवासन के प्रकारों से है, जिसमें प्रवासी परिवारों में महिला स्वायत्तता और निर्णय लेने के अधिकार के विभिन्न स्तर प्रदर्शित होते हैं। चुनौतियों के बावजूद, प्रवासन परिवारों में आर्थिक स्वतंत्रता और एजेंसी के अवसर प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकता है। हालाँकि, ये सकारात्मक परिणाम जेंडर भेदभाव, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा पहुँच और असुरक्षित कार्य वातावरण जैसी संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने पर निर्भर हैं।

निष्कर्षों के आधार पर, नूंह जिले में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण पर प्रवास के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए व्यापक नीतिगत सिफारिशों का एक सेट प्रस्तावित किया गया है। सबसे पहले, महिला प्रवासियों की विशिष्ट आवश्यकताओं और कमजोरियों को संबोधित करने के लिए जेंडर-संवेदनशील प्रवास नीतियों को स्थापित करना अनिवार्य है। इन नीतियों में सुरक्षित रहने की स्थिति सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना और जेंडर आधारित हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा करना प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरे, प्रवासी महिलाओं को लक्षित कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करना

विभिन्न क्षेत्रों में उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं के आर्थिक अवसरों को व्यापक बनाने के लिए गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, प्रवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुँच में सुधार के प्रयास आवश्यक हैं, जिसमें गंतव्य क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक या आउटरीच कार्यक्रम स्थापित करना शामिल है। प्रवास से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए मातृ और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल करते हुए व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रवासी महिलाओं के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता, वकालत और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करने के लिए सामाजिक सहायता नेटवर्क और समुदाय-आधारित संगठनों को लॉन्च करना महत्वपूर्ण है। महिला समूहों के गठन को प्रोत्साहित करने से एकजुटता और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे प्रवासी समुदायों में महिलाओं की लचीलापन और एजेंसी बढ़ सकती है। प्रवास के अधिकारों और अवसरों के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना महिलाओं को सूचित प्रवास निर्णय लेने हेतु सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है।

उपलब्ध संसाधनों और सहायता सेवाओं के बारे में अग्रिम जानकारी प्रदान करने से प्रवास से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है। अंत में, जेंडर मुख्यधारा को प्रवास नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के सभी पहलुओं में एकीकृत किया जाना चाहिए, ताकि सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इन व्यापक नीति उपायों को अपनाकर, नीति निर्माता महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रवास की क्षमता का दोहन कर सकते हैं, जिससे प्रवासी भेजने और प्राप्त करने वाले समुदायों में व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रगति में योगदान मिल सके। महिलाओं के लिए प्रवास की बहुमुखी चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने वाले एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाकर, नीति निर्माता नूह जिले और उसके बाहर महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रवास की क्षमता का दोहन कर सकते हैं। महिला प्रवासियों को सशक्त बनाने से न केवल व्यक्तिगत महिलाओं को लाभ होता है, बल्कि व्यापक सामाजिक और आर्थिक विकास लक्ष्यों में भी योगदान मिलता है, जिससे प्रवासी भेजने और प्राप्त करने वाले समुदायों में समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलता है।

लेखक का योगदान:

प्रदीप कुमार मेहता: संकल्पना, रिपोर्ट संरचना, साहित्य की समीक्षा, उपकरण निर्माण, डेटा विश्लेषण और पेपर लेखन
सुस्मिता गुरु: साहित्य की समीक्षा, डेटा संग्रह अवलोकन, उपकरण निर्माण और अनुवाद और रिपोर्ट लेखन

संदर्भ

- Aghajanian, A. Alihoseini, J. & Thompson, V. (2014). 'Husband's Circular Migration and the Status of Women Left Behind in Lamerd District, Iran: A Pilot Study', *Asian Population Studies*, 10(1): 40-59.
- Bachan A. (2018). An Exploration of the Gender-Migration-Development Nexus: The Impact of Labor Migration on Women's Empowerment. *Consilience*, No. 20 (2018), pp. 1-22
- Bhatt W. (2009). The Gender Dimension of Migration in India: The Politics of Contemporary Space in Orissa and Rajasthan. *Development in Practice*. Vol 19 (1). Pp 87-93.
- Census of India. (2011). Retrieved on Jan 10, 2017 from www.census2011.co.in
- Christou, A., & Kofman, E. (2022). Gender and Migration: An Introduction. In A. Christou & E. Kofman (Eds.), *Gender and Migration: IMISCOE Short Reader* (pp. 112). Cham: Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-030-91971-9 1

- Czaika, M., & Reinprecht, C. (2022). Migration Drivers: Why Do People Migrate?. In: Scholten, P. (eds) Introduction to Migration Studies. IMISCOE Research Series. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92377-8_3
- Darebo T. D., M. Spigt, B. Teklewold, A. S. Badacho, N. Mayer, & M. Teklewold. (2024). The Sexual and Reproductive Healthcare Challenges When Dealing with Female Migrants and Refugees in Low and Middle-Income Countries. *BMC Public Health*, 24: 520. DOI: 10.1186/s12889-024-17916-0
- Drinkwater, S, Levine, P, Lotti, E, & Pearlman, J. (2003). 'The economic impact of migration: a survey'. School of Economics Discussion Papers (Paper 103). School of Economics, University of Surrey.
- Fleury, A. (2016). Understanding Women and Migration: A Literature Review.
- Haug, S. (2008). Migration Networks and Migration Decision-Making, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 34(4): 585-605.
- Hugo, G. (2000). Migration and Women Empowerment. In Women Empowerment and Demographic Process: Moving Beyond Cairo, ed. Harriet B. Presser and Gita Sen, 287-317. Oxford, U.K.: Oxford University Press
- Hussain, S. Siddiqui, B. N, & Hassan, M. Z. Y. (2004). A Sociological Study of Factors Responsible for Migration: A Case Study of Faisalabad City (Pakistan), *International Journal of Agriculture and Biology*, 32, 26-7
- IOM. (2024). Gender Equality. International Organization for Migration (IOM). Retrieved on 09 May 2024. <https://www.iom.int/gender-equality>
- Kaur, Ravinder. (2006). Migrating for Work: Rewriting Gender Relations. in Sadhana, Arya and Anupama Roy (ed.) Poverty, Gender and Migration. New Delhi: Sage Publications.
- Krieger, M., & Salikutluk, Z. (2023). Migration and Dynamics in Men's and Women's Domestic Work. *Journal of Family Issues*, 44(4), 954- 976. <https://doi.org/10.1177/0192513X211055117>
- Mahapatro, S. (2010). Patterns and Determinants of Female Migration in India: Insights from Census. Bangalore: ISEC Working Paper 246.
- Mahapatro, S. (2015). Gender and Intra-household Migration Decision in India: An Empirical Analysis. *Review of Social Studies (RoSS)*, 2 (2).
- Mazumdar, I. Neetha, N. & Agnihotri, I. (2013). Migration and Gender in India. *Economic & Political Weekly*, 48(10), 54-64.
- Mehta P.K. (2015). Identifying Backwardness of Mewat Region in Haryana: A Block-Level Analysis. NITI Aayog. Accessed on 25 January 2023 https://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/Identifying%20Backwardness%20of%20Mewat%20Region%20in%20Haryana-%20A%20Block%20Level%20Analysis_final_0.pdf
- Mehta P.K. (2020). Adaptive Strategies to Climate Change and Food Security: A Case Study from the Semi-arid Region of India. In Climate Change Adaptation and Sustainable Livelihoods. Eds. Gavali R.S., Reddy K., Kakumanu V., Babu S. & Mishra S.K. NIRDPR Publications. ISBN: 978-81-944719-6-7, Hyderabad, India. 40-54.
- Meshram A. R., M. B Tullah, S. Patil, R. J. Deka P. P. Gupta, & F. M. Jan. (2024). Examining The Role Of Gender in the Social Dynamics of Migration. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(2), 426-432

- Ministry of Statistics and Program Implementation. (2022). Migration in India 2021. Accessed on 09 May 2024 from https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/Migration%20in%20India%20RL16082023.pdf
- Neil, T. Fleury, A. & Foresti, M. (2016). Women on the Move: Migration, Gender Equality and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Briefing Papers July 2016.
- Odera, J.A., & Mulusa, J. (2020). SDGs, Gender Equality and Women's Empowerment: What Prospects for Delivery?. In: Kaltenborn, M., Krajewski, M., Kuhn, H. (eds) Sustainable Development Goals and Human Rights. Interdisciplinary Studies in Human Rights, Vol 5. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30469-0_6
- Sahu, S. (2015). Gender, Sexuality, and HIV/AIDS: Exploring Politics of Women's Health in India. Sage Publications. New Delhi. India.
- Sahu Skylab & Mehta P.K. (2022). Women's Body Bonded in Labour and Violence. Paper Accepted for Publication in *Indian Journal of Human Development*, 16(2), <https://doi.org/10.1177/09737030221123180>
- Singh Nishikant, Keshri Kunal & Bhagat R.B. (2016). Gender Dimension of Migration in Urban India. In in S. Irudaya Rajan (Ed), India Migration Report 2015: Gender and Migration (ed.) Rutledge, New Delhi, pp. 176-190
- Sinha B., S Jha & N. S. Negi. (2012). Migration and Empowerment: The Experience of Women in Households in India Where Migration of a Husband has Occurred. *Journal of Gender Studies*, 21(1), 61-76 DOI: 10.1080/09589236.2012.639551
- Srivastava, R. & Sasikumar, S.K. (2003). An Overview of Migration in India, Its Impact and Key Issues. Migration Development Pro-Poor Policy Choices in Asia. Department for International Development (DFID), U.K.
- Sufian F., M. F. Alvi, N. N. Ratna, C. Ringler, & Z. A. Choudhury. (2023). Development and Validation of Women's Empowerment in Migration Index: An Analysis of Bangladeshi Returnee Migrants. IFPRI Discussion Paper 02223, December 2023.
- Supriyo De. (2019). Internal Migration in India Grows, But Inter-State Movements Remain Low. December 18, 2019. Accessed on 25 January 2023 <https://blogs.worldbank.org/peoplemove/internal-migration-india-grows-inter-state-movements-remain-low>
- UNFPA. (2024). Women Empowerment. United Nations Population Fund (UNFPA). Retrieved on 10 May 2024. <https://www.unfpa.org/resources/issue-7-women-empowerment>
- Wickramage K., Vearey, J., Zwi, A.B., Courtland Robinson & Michael Knipper. (2018). Migration and Health: A Global Public Health Research Priority. *BMC Public Health*, 18, 987. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5932-5>
- Williams, N. (2009). Education, Gender and Migration in the Context of Social Change. *Social Science Research*, 38(4): 883–896.
- Zanker, J.H. (2010). Modest Expectations Causes and Effects of Migration on Migrant Households in Source Countries'. Dissertation at the Maastricht University.

महाराष्ट्र के मंचर में राजनीतिक भागीदारी और सामुदायिक लामबंदी में एसएचजी की भूमिका: एक बहुआयामी दृष्टिकोण

शुचि बेनारा मिश्रा*, दक्षिता श्रीनिवासन**, ईशान घोष**, माही बंब**, महिमा मेनन**,
प्रिया जोसेफ** और बोइरी गायत्री वर्मा**

सार

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) भारतीय महिलाओं के सशक्तीकरण में सफल रहे हैं। अतीत में, एसएचजी और राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी से उनके जुड़ाव पर शोध किए गए हैं। हालाँकि, महाराष्ट्र के एसएचजी परिदृश्य, साथ ही उसी भौगोलिक क्षेत्र में एसएचजी सदस्यता के व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर प्रभाव पर किए गए अध्ययनों की कमी है। इसके अलावा, अधिकांश अध्ययनों ने राजनीतिक भागीदारी के आयाम पर ध्यान केंद्रित किया है। यह शोध महाराष्ट्र के जनगणना शहर मंचर में राजनीतिक भागीदारी से संबंधित चर की एक व्यापक सूची पर सार्थक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण और फोकस समूह चर्चाओं का उपयोग करता है। गैर-संभाव्यता नमूने का उपयोग करते हुए, राजनीतिक भागीदारी और सामुदायिक लामबंदी पर एसएचजी के प्रभाव को समझने के लिए नियंत्रण और उपचार समूहों से प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण और माप किया गया। परिणाम बताते हैं कि एसएचजी सदस्यता शिकायत निवारण और चुनावी निर्णयों जैसे आयामों में अत्यधिक प्रभावशाली है। इसके अलावा, एसएचजी के संचालन का पैमाना समुदाय-स्तर पर बदलाव लाने की उसकी क्षमता के साथ मेल खाता है। स्वयं सहायता समूह भी अपने कार्यबल और संसाधनों का लाभ उठाकर सामाजिक पहलों के साथ पीआरआई की सहायता करने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित हैं, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया है।

कीवर्ड: राजनीतिक भागीदारी, स्वयं सहायता समूह, महाराष्ट्र, सामुदायिक लामबंदी, कोविड-19

*सहायक प्रोफेसर और **छात्र, सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड यूनिवर्सिटी) पुणे, महाराष्ट्र; ORCID ID- 0000-0002-2889-5825 ईमेल: shuchi.misra@sse.ac.in, dakshita.srinivasan.2020@sse.ac.in, eshaan.ghosh.2020@sse.ac.in, maahi.bumb.2020@sse.ac.in, boyiri.varma.2020@sse.ac.in, priya.joseph.2020@sse.ac.in, boyiri.varma.2020@sse.ac.in

परिचय और पृष्ठभूमि

भारत का स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे सफल नेटवर्क है। एसएचजी मॉडल तब काम करता है जब छोटे, आर्थिक रूप से समरूप व्यक्ति अपने, अपने परिवार और अपने समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दिशा में काम करते हैं। लगातार शोध से पता चला है कि एसएचजी में सदस्यता महिलाओं को उनके श्रम, आजीविका और निर्णयों पर अधिक नियंत्रण देती है। वे परिवार नियोजन के उपाय अपना सकती हैं और उन्हें अधिक स्वतंत्रता और सामाजिक गतिशीलता मिलती है (राव और गलाब, 2003)। एसएचजी ग्रामीण महिलाओं के एक बड़े प्रतिशत को देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा जाति और वर्ग की बाधाओं को दूर करने की अनुमति भी देते हैं (चटर्जी, 2016)। पूर्वी और मध्य भारतीय राज्यों में पिछले शोध से पता चलता है कि एसएचजी सदस्यों द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट देने और अन्य ग्रामीण महिलाओं की तुलना में अधिक सार्वजनिक पात्रता योजनाओं का लाभ उठाने की पहल करने की अधिक संभावना है (कुमार एट अल., 2019)। यह दर्शाता है कि कैसे एसएचजी में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से निर्णय लेने और आत्म-सशक्तिकरण को बढ़ाया जाता है।

भारत में राजनीति और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी का एक लंबा इतिहास रहा है। बीसवीं सदी के दौरान, भारतीय महिलाओं ने स्वदेशी आंदोलन जैसे राष्ट्रवादी आंदोलनों में पूरे दिल से भाग लिया, स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक पूंजी का योगदान दिया और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहीं (चारी, 2012)। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और राजस्थान पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि महिला आरक्षण से स्थानीय नीतियों में महिलाओं की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने की अनुमति मिलती है (बीमन एट अल., 2009) और ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाती है (चट्टोपाध्याय और डुफ्लो, 2004)। बीस भारतीय राज्यों ने सभी पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण को अपनाया है। तालिका 1 स्थानीय शासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। हाइलाइट किए गए राज्यों में स्थानीय सरकारों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण नीति नहीं है।

2021 में, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट में भाग लेने वाले 156 देशों में भारत 140वें स्थान पर रहा - जो पिछली लैंगिक अंतर रिपोर्ट के बाद से 28 पायदान नीचे है। भारतीय महिलाओं को

राजनीतिक सशक्तिकरण में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें जेंडर समानता स्कोर सिर्फ 0.276 रहा (ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, 2021)। ग्रामीण महिलाओं के मामले में, राजनीतिक सशक्तिकरण और समावेशन केवल सभी को संसाधन, क्षमताएँ और पद हस्तांतरित करके ही हो सकता है। पंचायत चुनावों के लिए एक अंतर यह है कि महिलाओं ने मतदान में पुरुषों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है ("हिमाचल प्रदेश: पंचायत चुनावों में 80% मतदान, महिलाओं ने बढ़त बनाई," 2021)।

हाल के वर्षों में, महिला संगठनों की भूमिका और प्रभाव में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। इन समूहों ने अपने क्षितिज को व्यापक बनाया है, जमीनी स्तर के राजनीतिक मामलों में अधिक गहराई से शामिल हुए हैं और घरेलू निर्णय लेने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत में, एसएचजी एक ऐसे बिंदु पर विकसित हुए हैं जहाँ वे न केवल व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन करते हैं बल्कि सामुदायिक शासन में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और सरकारी लाभों और कार्यक्रमों की गहरी समझ रखते हैं। महिलाओं की स्वायत्तता पर एसएचजी में भागीदारी के प्रभावों की जांच करने वाले हालिया शोध, साथ ही साथ सामाजिक नेटवर्क को संगठित करने और बनाने की उनकी क्षमता से संकेत मिलता है कि एसएचजी में भागीदारी का उनकी आजीविका और आय के स्तर पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा है (देशपांडे और खन्ना, 2021)। बोफ एट अल. (2021) ने पहचाना कि एसएचजी में भागीदारी के माध्यम से विकसित सामाजिक पूंजी ग्रामीण उत्तर प्रदेश में लक्षित कृषि विकास के लिए तेजी से आधार बना रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और गांधी महिला विकास परियोजना जैसी सरकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बोफ एट अल. (2021) ने विश्लेषण किया कि कैसे एसएचजी में महिलाएं सामूहिक कार्रवाई की पहल में अधिक जागरूक और सक्रिय हो गई हैं, जिससे उनके उद्यमशीलता के झुकाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उपलब्ध सरकारी योजनाओं को समझने के लिए एक निश्चित स्तर की आत्म-जागरूकता और जिज्ञासा विकसित करने के बाद, एसएचजी सदस्य गैर-एसएचजी सदस्यों की तुलना में स्थानीय शासन पहलों में भाग लेने में अधिक रुचि दिखाते हैं (कुमार एट अल., 2021)।

एसएचजी की सदस्यता प्राप्त करने के बाद महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण बहुआयामी हो जाता है। नतीजतन, एसएचजी की सदस्यता महिलाओं की राजनीतिक

तालिका 1

पीआरआई में महिला प्रतिनिधित्व, 2020

राज्य	पंचायत राज संस्था के प्रतिनिधि	निर्वाचित महिला प्रतिनिधि	%
आंध्र प्रदेश	1,56,050	78,025	50.0
अरुणाचल प्रदेश	9,383	3,658	39.0
असम	26,754	14,609	54.6
बिहार	1,36,573	71,046	52.0
छत्तीसगढ़	1,70,465	93,392	54.8
गोवा	1,555	571	36.7
गुजरात	1,44,080	71,988	50.0
हरयाणा	70,035	29,499	42.1
हिमाचल प्रदेश	28,723	14,398	50.1
झारखंड	59,638	30,757	51.6
कर्नाटक	1,01,954	51,030	50.1
केरल	18,372	9,630	52.4
मध्य प्रदेश	3,92,981	1,96,490	50.0
महाराष्ट्र	2,40,635	1,28,677	53.5
मणिपुर	1,736	880	50.7
ओडिशा	1,07,487	56,627	52.7
पंजाब	1,00,312	41,922	41.8
राजस्थान	1,26,271	64,802	51.3
सिक्किम	1153	580	50.3
तमिलनाडु	1,06,450	56,407	53.0
तेलंगाना	1,03,468	52,096	50.3
त्रिपुरा	6,646	3,006	45.2
उत्तर प्रदेश	9,13,417	3,04,538	33.3
उत्तराखंड	62,796	35,177	56.0
पश्चिम बंगाल	59,229	30,458	51.4

भागीदारी और निर्णय लेने वाली संस्थाओं तक पहुँचने की क्षमता को प्रभावित करती है या नहीं, इसका अध्ययन करके मौजूदा कार्य को समृद्ध करना उचित हो जाता है। इस पृष्ठभूमि में, इस अध्ययन का उद्देश्य (ए) यह समझना है कि क्या एसएचजी की भागीदारी मंचर में ग्रामीण महिलाओं को अधिक राजनीतिक भागीदारी और जागरूकता की ओर ले जाती है, (बी) यह समझना है कि क्या मंचर में एसएचजी की सामुदायिक लामबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका है और विकास के लिए सामूहिक कार्रवाई का उपयोग करते हैं और क्या वे कोविड-19 महामारी के दौरान संसाधन जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे, और (सी) सामुदायिक विकास में उनके सामने आने वाले ज्ञान और जनशक्ति अंतर को पाटने के लिए एसएचजी

द्वारा स्थानीय सरकारों के साथ साझेदारी करने की संभावना की जाँच करना।

साहित्य समीक्षा

भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में एसएचजी की अभूतपूर्व वृद्धि निस्संदेह प्रशंसनीय है। पिछले कुछ वर्षों में किए गए शोध से पता चलता है कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए एसएचजी उत्प्रेरक हैं, जो ग्रामीण महिलाओं द्वारा व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर दिखाए गए विकास को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न मापदंडों को अपनाते हैं (ब्रॉडी एट अल., 2017)। एसएचजी में जेंडर समीकरण का एक पक्ष भी शामिल

हैं, जिसका जेंडर भेदभाव और घरेलू हिंसा पर सीमित प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए समस्याएँ हैं। कुमार एट अल. (2019) के अनुसार, गैर-सदस्यों की तुलना में एसएचजी के सदस्य राजनीति में अधिक संलग्न होते हैं और सार्वजनिक अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। सामाजिक और राजनीतिक समूहों से जुड़ने से कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ती है और निवारण की मांग करने की क्षमता बढ़ती है (देसाई और जोशी, 2013)। जब कोई महिला अधिक व्यापक नेटवर्क (जैसे एसएचजी द्वारा प्रदान किया गया ढांचा) का हिस्सा होती है, तो उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के स्तर में भारी वृद्धि होती है। यह उन्हें जेंडर असमानताओं के खिलाफ सामूहिक रूप से कार्य करने और अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ मिलकर निवारण तंत्र अपनाने के लिए प्रेरित करता है (प्रिलमैन, 2020)। चूँकि वे अपने गाँवों में सार्वजनिक भलाई के प्रावधान में अधिक शामिल हैं और सार्वजनिक अधिकार कार्यक्रमों में नामांकित हैं, इसलिए उनके मतदान करने और ग्राम पंचायत की बैठकों में भाग लेने की संभावना भी अधिक है, जो संसाधन आबंटन का निर्णय लेती हैं (अग्रवाल एट अल., 2021)।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में राजनीतिक भागीदारी और रुचि को कुल महिला सशक्तिकरण स्कोर से सीधे जोड़ा जा सकता है। कुमार एट अल. (2021) ने पाया कि सक्रिय एसएचजी वाले क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के सशक्तिकरण स्कोर के बीच का अंतर काफी कम हो गया है। यह भी देखा गया कि एसएचजी भागीदारी का घरेलू हिंसा के प्रति दृष्टिकोण पर नगण्य प्रभाव पड़ा - जो उनके घरों में महिलाओं के यथार्थवादी सशक्तिकरण पर एसएचजी भागीदारी के समग्र निहितार्थों पर सवाल उठाता है। हालाँकि, ग्रामीण महिलाओं की विभिन्न विषयों पर अपने विचारों पर चर्चा करने के लिए नियमित अंतराल पर स्पष्ट रूप से बोलने और मिलने की क्षमता, और सामाजिक पूंजी जुटाने का एक चैनल होना समग्र सशक्तिकरण के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन के रूप में कार्य कर सकता है (देशपांडे और खन्ना, 2021)।

एसएचजी सदस्यों की अपनी चिंताओं को उचित अधिकारियों तक पहुँचाने की प्रवृत्ति सामूहिक कार्रवाई की व्यापक छत्रछाया में आती है। शहरों में एसएचजी की मौजूदगी बेहतर मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करती है और संस्थागत प्रसव की संभावना को बढ़ाती है; ऐसे परिणाम प्राप्त करने के लिए गांव के भीतर व्यक्तिगत स्तर की जागरूकता और संस्थागत स्वास्थ्य तंत्र दोनों को साथ-साथ चलने की आवश्यकता है (साहा एट अल., 2013)। प्रिलमैन

(2021) पहचानते हैं कि महिलाएँ अक्सर राजनीतिक स्थानों में सबसे कमजोर हितधारक होती हैं, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व लगातार कम होता रहता है। एसएचजी की सशक्त प्रकृति को पूरे समुदायों के उत्थान के रूप में देखा जा सकता है और इसने शराबखोरी, घरेलू हिंसा और यहाँ तक कि बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सेवा जैसी सरकारी आपूर्ति सेवाओं की माँग के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा दिया है (डुलहंटी, 2020)। महिलाओं ने इन गतिविधियों को करने में अपनी सामूहिक शक्ति के महत्व पर जोर दिया और अन्याय का सामना करने के लिए उन्होंने जो एकजुटता बनाई थी, उसे उन्होंने पहले संबोधित नहीं किया था (कैसिनी एट अल., 2017)।

एसएचजी मौजूदा अशक्तता के स्वरूप और सशक्तिकरण के लिए उपलब्ध मार्गों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायता करते हैं। अपनी ताकत और कमजोरियों, अपने परिवेश में व्यक्तिगत और संस्थागत भ्रांतियों और आंतरिक सशक्तिकरण प्राप्त करने के लिए संघीय प्रणाली द्वारा प्रदान किए जाने वाले सहायता तंत्रों को पहचानना अनिवार्य है (माथुर और अग्रवाल, 2017)। यह भी देखा गया है कि पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) और एसएचजी के बीच अभिसरण या साझेदारी गांव समुदाय के समग्र विकास के लिए फायदेमंद साबित होगी क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है - सशक्तिकरण। अक्सर, पीआरआई कमजोर और आत्म-प्रशंसा करने वाली संस्थाएं होती हैं जिन्हें शक्तिशाली नेतृत्व और जवाबदेही की आवश्यकता होती है। श्रीरामुलु और हुसेनखान (2008) इस घटती भागीदारी के पीछे के इतिहास और कानूनी व्यवस्था में महिलाओं की अधिक भागीदारी वाले गाँवों की केंद्रीय विशेषताओं की जांच करते हैं। कई अध्ययन एसएचजी को पीआरआई के साथ मिलाने के लाभों पर गहराई से विचार करते हैं। पीआरआई के साथ जुड़ने से महिलाओं को सत्ता हासिल करने और अपने समुदाय के लिए आवाज़ उठाने के अवसर और रास्ते मिलते हैं (माजिद एट अल., एन.डी.)। शक्ति का दोहन करके, महिलाओं के सामूहिक संगठनों का नीचे से ऊपर तक का दृष्टिकोण लंबे समय में समावेशी, लोकतांत्रिक ग्रामीण संस्थाओं को सामने ला सकता है। (तन्खा, 2021)।

यहां तक कि एक अनौपचारिक साझेदारी भी पीआरआई को अपने अधिकार क्षेत्र में विकास को गति देने की अनुमति दे सकती है (बंद्योपाध्याय एट अल., 2002)। महिला एसएचजी को समुदाय के विकास और उत्थान में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाकर, पुरुष-प्रधान पीआरआई यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी पहल में जेंडर संवेदनशीलता और महिलाओं के

मुद्दों के बारे में जागरूकता शामिल हो। यह अधिक महिलाओं को विकास में सक्रिय योगदानकर्ता बनने में सक्षम बनाता है, न कि केवल लाभार्थी (सलगांवकर और सालगांवकर, 2009)। इसलिए, एसएचजी ग्रामीण महिलाओं को अधिकार के सही चैनलों की ओर पुनर्निर्देशित करके सार्थक बदलाव ला सकते हैं। महिलाओं को बोलने के लिए ऐसे सामुदायिक समूहों से सामूहिक ताकत मिलती है। जब वंचितों को शक्ति मिलती है तभी आंतरिक परिवर्तन प्रभावित हो सकता है (माथुर और अग्रवाल, 2017)।

2020 की शुरुआत में लगाए गए कोविड-19 लॉकडाउन ने ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया दस भारतीय राज्यों में टेलीफोन पर किए गए सर्वेक्षणों के आंकड़ों से पता चलता है कि महामारी ने कृषि वाणिज्य और खेती को गहराई से प्रभावित किया है (मोदक एट अल., 2020)। इस समय, देश भर में एसएचजी चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन और सामुदायिक रसोई चलाने जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं। एसएचजी ने एकल आय वाले परिवारों में आजीविका को बनाए रखने के अभिनव तरीके भी खोजे हैं। असम में, गमूसा कपड़े (जिसका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है) का उपयोग बाजार में कम मांग के कारण फेस मास्क बनाने के लिए किया गया था (देवी, 2021)।

मौजूदा साहित्य में इस बात पर विस्तार से चर्चा की गई है कि एसएचजी किस तरह महिलाओं के बारे में राजनीतिक जागरूकता को बेहतर बनाते हैं, और प्रत्येक समूह अपने तरीके से राजनीतिक जागरूकता को परिभाषित करता है। हमारा उद्देश्य अपने प्राथमिक शोध और राजनीतिक जागरूकता की अधिक व्यापक परिभाषा के साथ अधिक अद्यतित जानकारी प्रदान करके वर्तमान साहित्य को बढ़ाना है।

डेटा संग्रह और कार्यप्रणाली

इस अध्ययन के लिए प्राथमिक डेटा संग्रह विधियों का उपयोग किया गया था। गैर-संभाव्यता नमूने के माध्यम से, विभिन्न आयु समूहों की महिलाओं को हमारे उत्तरदाताओं के रूप में चुना गया था। एसएचजी सदस्यों और गैर- एसएचजी महिलाओं के तुलनात्मक विश्लेषण की सुविधा के लिए, प्रत्येक श्रेणी में महिलाओं की पहचान करने के लिए उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण किया गया था। 88 उत्तरदाताओं से डेटा एकत्र किया गया था, जिसमें 43 एसएचजी सदस्य और 45 गैर-

एसएचजी सदस्य शामिल थे। हमारे नमूने में उत्तरदाताओं की संरचना को समझने के लिए मात्रात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें प्रश्नावली का उद्देश्य वर्णनात्मक आँकड़े इकट्ठा करना था। उत्तरदाताओं की मान्यताओं को समझने के लिए इनके क) स्थानीय सरकार और भविष्य की क्षमता के साथ उनका जुड़ाव, और ख) अपने एसएचजी या व्यक्तिगत रूप से सामाजिक परिवर्तन लाने की उनकी क्षमता प्रति गुणात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया गया था।

क) राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी

इस उद्देश्य के लिए, हमारे सर्वेक्षण ने दो समूहों को लक्षित किया: नियंत्रण समूह जिसमें गैर-एसएचजी सदस्य शामिल थे और उपचार समूह जिसमें एसएचजी सदस्य शामिल थे। राजनीतिक सशक्तीकरण, भागीदारी और सामूहिक कार्यवाई में संलग्नता को द्विभाजक प्रश्नों के साथ नाममात्र पैमाने का उपयोग करके मापा जा सकता है, जिसमें सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को 1 और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को 0 के रूप में कोडित किया जाता है। अध्ययन का यह मात्रात्मक हिस्सा दोनों शोध समूहों के लिए वर्णनात्मक आँकड़े देगा। चित्र 1 व्यक्तिगत राजनीतिक भागीदारी को मापने वाले सर्वेक्षण के व्यापक विषयगत आयामों को रेखांकित करता है।

ख) राजनीतिक निर्णय


इस आयाम के तहत, उत्तरदाताओं की राजनीतिक निर्णय लेने में रुचि और जागरूकता को मापा गया। राजनीतिक निर्णय लेना लंबे समय से महिला सशक्तीकरण में गहराई से जाने के लिए एक प्रासंगिक विषय रहा है, और इसे समझने के लिए प्रासंगिक चर चुने गए (परिणाम चर की परिभाषाएँ अनुलग्नक तालिका 1 में दी गई हैं)।

ग) चुनाव-संबंधी गतिविधियाँ

इस आयाम की सीमा को मापने के लिए, पंचायत चुनावों में मतदान, राजनीतिक अभियानों में भागीदारी और चुनाव-संबंधी निर्णय लेते समय स्वायत्तता के स्तर से संबंधित प्रश्न हमारे उत्तरदाताओं के सामने रखे गए (परिणाम चर की परिभाषा अनुलग्नक तालिका 2 में दी गई हैं)।

चित्र 1

अध्ययन के आयाम



घ) ग्राम सभा में उपस्थिति और भागीदारी

डीनिंगर और लियू (2013) और अन्य द्वारा किए गए अध्ययनों में पाया गया कि एसएचजी से जुड़ी महिलाएँ ग्राम सभाओं में अधिक भागीदारी करती हैं। हमने यह जाँचने के लिए कि क्या यह महाराष्ट्र के संदर्भ में सच है, निम्नलिखित आयाम को शामिल किया। उत्तरदाताओं से ग्राम सभा में उनकी भागीदारी को मापने के लिए क्लोज-एंडेड प्रश्न पूछे गए (परिणाम चर की परिभाषा अनुलग्नक तालिका 3 में दी गई है)।

ड.) महिलाओं के लिए आरक्षण और नीतियों के बारे में जागरूकता

अपने अधिकारों और सरकारी नीतियों के बारे में जागरूकता महिला सशक्तिकरण की ओर ले जाती है। (पाणिग्रही और भुयान, 2006) इसलिए, यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या एसएचजी गाँवों में महिलाओं के जागरूकता स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं (परिणाम चर की परिभाषा अनुलग्नक तालिका 4 में दी गई है)।

च) शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता

अंत में, शिकायत निवारण तंत्र के बारे में महिलाओं की जागरूकता पर डेटा एकत्र किया गया और इसी तरह यह समझने के लिए कोडित किया गया कि क्या एसएचजी का सदस्य होने से महिलाओं में गतिशीलता और भागीदारी बढ़ती है (परिणाम चर की परिभाषा अनुलग्नक तालिका 5 में दी गई है)।

छ) सामुदायिक संग्रहण

इस अध्ययन के लिए, एसएचजी सदस्यों के अनुभवों को शामिल करते हुए, विभिन्न केंद्र बिंदुओं के माध्यम से राजनीतिक सशक्तिकरण और इसके घटकों का आकलन करने के लिए गैर-संभाव्यता नमूना डिजाइन का उपयोग करके तीन अर्ध-संरचित एफजीडी किए गए थे। यह दृष्टिकोण शोधकर्ताओं को ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी और सामूहिक

कार्रवाई के अनुभवों के बारे में गुणात्मक डेटा प्राप्त करने में मदद करता है, साथ ही इससे जुड़ी चुनौतियों और प्रासंगिक कारकों की पहचान भी करता है। एफजीडी को शोध उद्देश्यों के आसपास डिजाइन किया गया था और महाराष्ट्र के मंचर में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए सुविधा की भाषा (मराठी और हिंदी) में किया गया था।

एसएचजी में अलग-अलग हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं के साथ दो एफजीडी आयोजित किए गए। इनमें नेता और एसएचजी सदस्य दोनों शामिल थे। तीसरा एसएचजी पूरी तरह से उन महिलाओं से बना था जिन्होंने नेतृत्व की भूमिकाएँ निभाई हैं। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के संदर्भ में, पंचायती राज संस्थाओं के साथ सहयोग और सामुदायिक लामबंदी के संबंध में उनसे सवाल पूछे गए। एफजीडी 30-45 मिनट तक चले और प्रत्येक सत्र में विभिन्न आयु समूहों और जातियों के 5-7 उत्तरदाता शामिल थे। शोध उद्देश्यों के लिए, फोकस समूह चर्चाओं को तीन कोडिंग चक्रों के अधीन किया गया और प्राप्त परिणामों के लिए गुणात्मक औचित्य प्रदान करने के लिए एक कथा संलग्न की गई।

अध्ययन क्षेत्र: मंचर

महाराष्ट्र के पुणे जिले के अम्बेगांव तालुका में जनगणना शहर मंचर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार, शहर की आबादी 18,876 निवासियों की है। पुरुष जनसंख्या 9643 है, जबकि महिला जनसंख्या 9223 है। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे कुल जनसंख्या का 12.11 प्रतिशत हैं। महिला जेंडर अनुपात 957 है, और बाल जेंडर अनुपात 941 है। साक्षरता दर 89.66 प्रतिशत (पुरुष = 93.27 प्रतिशत, महिला = 85.91 प्रतिशत) है। अनुसूचित जनजाति (एसटी) जनसंख्या का 6.27 प्रतिशत है, जबकि अनुसूचित जाति (एससी) 5.35 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या में से 7537

लोग किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। इसकी जनसांख्यिकी बाकी ग्रामीण महाराष्ट्र (जाति, धर्म और आयु के संदर्भ में) के समान है; इसलिए, परिणाम पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, मुख्य रूप से कृषि प्रधान होने के कारण, मंचर ग्रामीण भारत के लिए आदर्श है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय का प्राथमिक स्रोत है, और इसलिए, मंचर में महिलाओं की आजीविका ग्रामीण भारत की महिलाओं के समान है।

उत्तरदाताओं का सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल

नियंत्रण और उपचार दोनों समूहों की औसत आयु 30-40 वर्ष के बीच थी। इसके अतिरिक्त, अधिकांश उत्तरदाताओं ने 10वीं कक्षा से पहले अपनी शिक्षा रोक दी थी, केवल 10 प्रतिशत एसएचजी उत्तरदाताओं और 5 प्रतिशत गैर-एसएचजी उत्तरदाताओं ने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। उत्तरदाताओं की जाति पहचान में महत्वपूर्ण भिन्नता थी, 85 प्रतिशत एसएचजी उत्तरदाता और 43 प्रतिशत गैर-एसएचजी उत्तरदाता सामान्य श्रेणी से संबंधित थे। गैर-एसएचजी उत्तरदाताओं में से तैंतीस प्रतिशत एससी श्रेणी के थे। 83 प्रतिशत एसएचजी उत्तरदाता और 75 प्रतिशत गैर-एसएचजी उत्तरदाता विवाहित थे। दोनों श्रेणियों के अधिकांश उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 30,000 रुपये से 60,000 रुपये के बीच थी। सभी एसएचजी उत्तरदाताओं के पास अपने बैंक खाते थे, जबकि केवल 40 प्रतिशत गैर-एसएचजी सदस्यों के पास बैंक खाते थे। सभी

एसएचजी सदस्य घरेलू निर्णय लेने में शामिल थे, जबकि केवल 60 प्रतिशत गैर-एसएचजी उत्तरदाता इसमें शामिल थे।


डेटा विश्लेषण

क) चुनाव-संबंधी गतिविधियाँ

एसएचजी सदस्यता चुनावी भागीदारी को महत्वपूर्ण रूप से प्रोत्साहित करती है, और इसकी पुष्टि हमारे डेटा से की जा सकती है, पिछले पंचायत चुनावों में मतदान करने वाली एसएचजी महिलाओं का अनुपात गैर-एसएचजी महिलाओं की तुलना में 27.58 प्रतिशत अधिक था। जिन 75 प्रतिशत आबादी ने वोट नहीं दिया, उनके पास व्यक्तिगत आय का स्रोत भी नहीं था। परिवार के सदस्यों या तीसरे पक्ष ने 41 प्रतिशत गैर-एसएचजी महिलाओं और मात्र 5 प्रतिशत एसएचजी महिलाओं के वोटों को प्रभावित किया। ये अवलोकन दिखाते हैं कि राजनीतिक और चुनावी विकल्प बनाने में एसएचजी सदस्यता कितनी प्रभावशाली हो सकती है। नमूने में 100 प्रतिशत एसएचजी महिलाओं की तुलना में केवल 53 प्रतिशत गैर-एसएचजी महिलाओं को ही अपने सरपंच का नाम पता था। स्थानीय चुनावों में भाग लेने के लिए एसएचजी महिलाओं की भागीदारी 25 प्रतिशत अधिक थी तथा चुनाव लड़ने के लिए 15 प्रतिशत अधिक विचार किया गया।

चित्र 2

चुनाव-संबंधी गतिविधियाँ



नमूना आबादी में, 81.25 प्रतिशत एसएचजी महिलाएँ अपने सामाजिक दायरे में राजनीति पर चर्चा करने की अधिक संभावना रखती हैं, जिससे उनके आसपास अधिक शिक्षित वातावरण बनता है। एक उप-समूह के तहत बाइनरी प्रतिक्रियाओं को एनकोड करके, हमें कुल 6 चरों के लिए एक पैमाना मिलता है, जिसमें से 6 चुनाव-संबंधी गतिविधियों में सबसे अधिक सशक्त व्यक्ति हैं। तीन से ऊपर के स्कोर वाले लोगों को इस क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र और नीचे के स्कोर वाले लोगों को तुलनात्मक रूप से आश्रित के रूप में लेबल करके दो नमूनों का मूल्यांकन करने पर, हम पाते हैं कि गैर-एसएचजी महिलाओं का अनुपात जो अपने स्वयं के चुनावी विकल्प बनाने में असमर्थ हैं, एसएचजी महिलाओं की तुलना में दोगुना है। एसएचजी बैठकों में पूर्ण स्कोर के साथ-साथ नियमित या बहुत नियमित उपस्थिति शामिल होती है।


घ) ग्राम सभा में उपस्थिति और भागीदारी

हम ग्राम सभा की बैठकों के दौरान निर्णय लेने में प्रत्येक समूह के शामिल होने की कितनी संभावना है, इसका आकलन करके राजनीतिक भागीदारी की जांच करते हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने की संभावना 172.72

प्रतिशत अधिक थी। गैर-एसएचजी महिलाएं इस बात से काफी हद तक बेपरवाह थीं कि ग्राम सभा कैसे आयोजित की जाती है और उनमें भाग लेने की उनकी प्रेरणा भी कम थी। गैर-एसएचजी महिलाओं में से आधी को इन बैठकों में भाग लेने के लिए पहले अपने परिवारों की अनुमति की आवश्यकता होती है, जो उनकी भागीदारी को प्रभावित कर सकता है या ग्रामीण परिवारों में अनुचित शक्ति संतुलन को दिखा सकता है। दूसरी ओर, केवल 3 प्रतिशत एसएचजी महिलाओं को सभा में भाग लेने के लिए अपने परिवारों की अनुमति की आवश्यकता होती है, जो उनके समकक्षों की तुलना में उनके परिवारों में बहुत अधिक तुलनात्मक स्वायत्तता को दर्शाता है। ग्राम सभाओं में भाग लेने वाली 28 प्रतिशत गैर-एसएचजी महिलाओं में से केवल 18.18 प्रतिशत ने ग्राम सभा में बात की, जबकि 86.67 प्रतिशत एसएचजी महिलाओं ने अपनी राय व्यक्त की। हमने ग्राम सभा में उपस्थिति और भागीदारी के लिए 0 से 7 तक के स्कोर के साथ एक पैमाना बनाया है। चार से कम स्कोर को खराब भागीदारी और उपस्थिति के रूप में वर्गीकृत करके, हम देखते हैं कि 80 प्रतिशत गैर-एसएचजी महिलाओं की भागीदारी और उपस्थिति खराब है, जबकि एसएचजी महिलाओं में यह प्रतिशत 15 प्रतिशत है।

चित्र 3

ग्राम सभा में उपस्थिति और भागीदारी



ग) शिकायत निवारण

शिकायत निवारण का ज्ञान और समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले आम मुद्दों को संबोधित करने की रणनीतियाँ इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। एसएचजी की 90 प्रतिशत महिलाएँ स्वच्छता, बिजली, बुनियादी ढाँचे आदि जैसी सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित शिकायतों को दर्ज करना और समस्याओं को


हल करना जानती हैं, जबकि गैर-एसएचजी महिलाओं में यह प्रतिशत 55 है। दिलचस्प बात यह है कि सर्वेक्षण में पाया गया कि एसएचजी की उन महिलाओं का अनुपात जो मानती हैं कि अगर कोई महिला शिकायत करती है तो उसे अनदेखा किया जा सकता है, गैर-एसएचजी महिलाओं की तुलना में 37 प्रतिशत कम है। एसएचजी महिलाओं को उनके समुदायों में अच्छी तरह से सम्मान दिया जाता है और उनके पास महत्वपूर्ण

सौदेबाजी की शक्ति होती है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि उनकी माँगों को तदनुसार पूरा किया जाए, और इसलिए, यह डेटा शिकायतों के निपटारे के सफल इतिहास का परिणाम हो सकता है। एसएचजी

महिलाओं का अनुपात जो सोचती हैं कि पंचायत उनकी समस्याओं का समाधान करेगी, वही विश्वास रखने वाली गैर-एसएचजी महिलाओं की तुलना में 38 प्रतिशत अधिक है।

चित्र 4

शिकायत निवारण




घ) राजनीतिक निर्णय

स्वयं सहायता समूहों में शामिल महिलाएँ राजनीति में अधिक रुचि लेती हैं। हमने यह भी पाया कि राजनीति में रुचि रखने वाली एसएचजी महिलाओं का अनुपात गैर- एसएचजी महिलाओं की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक है। दोनों नमूना समूहों का मानना है कि

राजनीति में अधिक महिलाओं के होने से क्षेत्र को विकास और वृद्धि के मामले में लाभ होगा, एसएचजी महिलाओं की संख्या गैर- एसएचजी महिलाओं की तुलना में थोड़ी अधिक है। दोनों नमूना समूहों का मानना है कि उनकी राय मायने रखती है, एसएचजी महिलाओं को गैर- एसएचजी महिलाओं की तुलना में थोड़ी बढ़त (20.68 प्रतिशत) प्राप्त है।

चित्र 5

राजनीतिक निर्णय




ई) योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता

एसएचजी महिलाएँ सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में समुदाय के नेताओं या एसएचजी से जानकारी प्राप्त करती हैं, और परिवार एवं दोस्तों जैसे अनौपचारिक स्रोतों पर कम निर्भर होती हैं। हमारे नियंत्रण समूह के लगभग आधे लोगों ने इन योजनाओं और नीतियों के बारे में अपनी जानकारी इन अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त की, जिनमें से अधिकांश

परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों पर निर्भर थे। गैर-एसएचजी महिलाओं में से पच्चीस प्रतिशत को मनरेगा योजना के बारे में पता था, जबकि एसएचजी महिलाओं में से 55 प्रतिशत को पता था। अध्ययन की गई मनरेगा और आरक्षण नीति दोनों को दशकों पहले लागू किया गया था और इस समय तक उन्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए था।

चित्र 6

योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता



चर्चा

मंचर में एसएचजी में महिलाओं के साथ बातचीत करने से जो बुनियादी समझ मिली, वह यह थी कि वे कितनी अनुभवी और जानकार हैं। चूंकि मौली एसएचजी महिलाओं के लिए साझा हितों का एक लंबे समय से सामूहिक समूह रहा है, इसलिए इसकी पहुंच अपने सदस्यों की वित्तीय साक्षरता या राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने तक सीमित नहीं है। मौली एसएचजी ने संसाधनों को जुटाकर और विभिन्न मुद्दों और सामाजिक सहायता योजनाओं के बारे में समुदाय के ज्ञान को बढ़ाकर मंचर में सभी के लिए अधिक न्यायसंगत वातावरण बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। एसएचजी में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का विश्लेषण करने के लिए इस पेपर में इस्तेमाल किया गया तीन-आयामी दृष्टिकोण स्थानीय सरकारी संस्थानों के साथ सहयोग करने में उनके सशक्तिकरण और रुचि के स्तर को समझने में सर्वोपरि था। मौली एसएचजी की महिलाएँ भी विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित और निपुण हैं और अक्सर सामाजिक सहायता-उन्मुख परियोजनाओं में

स्वयंसेवा करती हैं। कोविड-19 जैसे संकट के समय में यह बड़ी हुई स्टाफिंग प्रासंगिक हो गई, जहाँ बड़े पैमाने पर सामुदायिक लामबंदी अभियान आयोजित किए जाने थे।

मंचर में, मुफ्त भोजन, मास्क और अन्य आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के ये अभियान मुख्य रूप से एसएचजी द्वारा आयोजित किए गए थे। पीएम उज्ज्वला गैस योजना के तहत पूरे गांव में गैस कनेक्शन लगाने के लिए सरकार और मौली एसएचजी के बीच सहयोग भी हुआ। मंचर में कई महिलाएँ कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। अपनी कमाई की क्षमता और एसएचजी द्वारा प्रदान किए गए सशक्तिकरण के बढ़ते स्तर के कारण वे घरेलू मामलों में अपनी बात रखती हैं। चूंकि मौली एसएचजी में महिलाओं में आत्मविश्वास की प्रवृत्ति बढ़ी है, इसलिए उनके राजनीतिक बैठकों में भाग लेने या यहाँ तक कि चुनावों में खड़े होने की संभावना के बारे में अटकलें लगाई जा सकती हैं। एसएचजी नेता अक्सर स्थानीय सरकारी संस्थानों और आम लोगों के बीच संचार के माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए राजनीतिक हित के मामलों में खुद को

शामिल करती हैं। एसएचजी सदस्यों द्वारा प्रदर्शित इस सक्रियता का श्रेय मौली एसएचजी द्वारा अपने सदस्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने पर दिए जाने वाले सहज ध्यान को दिया जा सकता है। चूंकि सदस्य विभिन्न सहायता योजनाओं, वित्तीय साक्षरता के पहलुओं और यहां तक कि व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए एसएचजी सदस्य सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित हैं, ताकि अधिक टिकाऊ ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक ढांचे का निर्माण किया जा सके।

एसएचजी के सभी सदस्यों द्वारा साझा की गई एक मुख्य भावना पैसे बचाने की उनकी क्षमता नई थी। प्रतिभागियों में से एक ने व्यक्त किया कि पैसे बचाना और अपने आस-पास की अन्य महिलाओं को भी पैसे बचाते देखना उसके लिए कितना संतुष्टिदायक था; इससे उसे उपलब्धि का अहसास हुआ। इसके अलावा, प्रतिभागियों द्वारा दावा किया गया कि गांव के भीतर एक एसएचजी के अस्तित्व ने महिला किसानों के लिए नए दरवाजे खोले हैं। कृषि में लगी महिलाओं को एसएचजी से स्वतंत्र रूप से संपर्क करने की स्वतंत्रता है, और प्रक्रिया थोड़ी जटिल होने के बावजूद, सदस्यों का दावा है कि इससे निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। किसान ऋण (महिलाओं के लिए साल भर उपलब्ध) और एक विशिष्ट प्रकार के बीज, पशुधन, पानी, उपकरण, बुनियादी स्तर की मशीनें (जैसे ट्रैक्टर) आदि प्राप्त करने जैसे उपकारों के लिए एसएचजी से संपर्क कर सकते हैं। प्रतिभागियों ने समाज में महिलाओं की आवाज़ को सुनने की आवश्यकता की पुष्टि करने में अत्यधिक सक्रियता दिखाई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के लिए ग्राम सभा में भाग लेना कितना महत्वपूर्ण है और इसने मंचर की महिलाओं को गांव के मामलों और दुनिया में वे जो बदलाव देखना चाहती हैं, उन पर चर्चा करने का अवसर दिया है। प्रतिभागियों ने ग्राम पंचायत के भीतर 'शिकायत समिति' की बहुत सराहना की, जिसने उन्हें अपनी समस्याओं को अलग-अलग करके स्थानीय सरकार के विभिन्न सदस्यों के सामने पेश करने का मौका दिया। वे इस समिति से संपर्क करने में स्वतंत्र महसूस करती थीं, जिससे पता चलता है कि इन महिलाओं ने इतने कम समय में कितना आत्मविश्वास

लेखक का योगदान:

शुचि बेनारा मिश्रा: योजना बनाना, मार्गदर्शन करना, सलाह देना, ड्राफ्ट को अंतिम रूप देना, पेपर को संपादित करना और संशोधित करना।

अन्य: डेटा संग्रह, ड्राफ्ट लेखन और पेपर को प्रारूपित करना।

हासिल किया है, और वे मजबूत और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्तियों के रूप में उभरी हैं। इसके अलावा, एसएचजी सदस्यों के अनुसार, पानी की कमी और बिजली कटौती जैसी समस्याओं के लिए सही समय पर मदद मिली, जो दर्शाता है कि कुशल स्थानीय सरकारों के साथ ग्रामीण क्षेत्र कितनी प्रगति कर सकते हैं।

निष्कर्ष

एसएचजी नेता के ज्ञान और एसएचजी सदस्य के ज्ञान में एक अंतर्निहित अंतर होता है। एसएचजी नेताओं में जनता को संगठित करने और सरकार के नेतृत्व वाली पहलों में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में काम करने की अधिक प्रवृत्ति होती है। एसएचजी नेताओं से जुड़े तीसरे फोकस समूह चर्चा के दौरान, यह पाया गया कि गैर-सरकारी संगठनों और उनके ऋण देने की प्रवृत्ति के प्रति बड़े एसएचजी में असंतोष का एक महत्वपूर्ण स्तर है। चर्चा का एक बड़ा हिस्सा एसएचजी नेताओं द्वारा विशिष्ट मुद्दों और शिकायतों को संबोधित करने की ओर झुका, जिसमें बाहरी पक्ष किस तरह से ऋण देते हैं और ऋण प्राप्त करने से पहले लोगों के पास होने वाली सामान्य ऋण योग्यताओं को स्पष्ट रूप से अनदेखा करने के बाद अपना भुगतान वापस लेते हैं। चूंकि यह शोध प्रश्न के प्रत्यक्ष दायरे में नहीं आता है, इसलिए इसे आगे के विश्लेषण के लिए उपेक्षित किया जाएगा।

मुक्ताई एसएचजी में महिलाओं का एक प्रमुख पहलू महिला उद्यमियों को विकसित करने की ओर उनका झुकाव था। कोविड-19 के आगमन पर, भले ही मंचर वायरस से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ था, फिर भी बहुत सी महिलाएँ आर्थिक रूप से ऐसा करने में सक्षम थीं और उन्होंने मास्क और कोविड-19 से जुड़ी अन्य ज़रूरतों को बेचना शुरू कर दिया। अक्सर एसएचजी उन महिलाओं को बहुत ज्यादा नैतिक और वित्तीय सहायता देते थे जो अपना व्यवसाय शुरू करने में रुचि रखती थीं। अक्सर, जब किसी नई वित्तीय सहायता योजना को संस्थागत रूप से निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों तक पहुंचाने के लिए अनिवार्य किया जाता है, तो नैतिक जोखिम की समस्या के कारण लोगों द्वारा उनका दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।

संदर्भ

- Aggarwal, S., Rameshwar, R., & Pahuja, A. (2021, January). Impact of SHGs on social, economic and political women empowerment: a case study of Ghaziabad District, India. *World Review of Entrepreneurship Management and Sustainable Development*, 17(2/3), 276-290.
- Bandhyopadhyay, D., Yugandhar, B., & Mukherjee, A. (2002). Convergence of Programmes by Empowering SHGs and PRIs. *Economic and Political Weekly*, 37(26), 2556-2561.
- Beaman, L., Chattopadhyay, R., Duflo, E., Pande, R., & Topalova, P. (2009, November). Powerful Women: Does Exposure Reduce Bias? *The Quarterly Journal of Economics*, 124(4), 1497-1540.
- Bhowmick, S. (2020, July 31). COVID-19 and Women's Self-Help Groups. ORF. Retrieved February 22, 2022, from <https://www.orfonline.org/research/covid19-and-womens-self-help-groups/>
- Boef, W. S., Singh, S., Trivedi, P., Kumar, S., Yadavendra, J. P., Yadav, K. S., Isaacs, K. (2021). Unleashing the Social Capital of Self-Help Groups for Strengthening Seed Systems in Uttar Pradesh, India (Vol. 29). Netherlands: Global Food Security.
- Brody, C., Hoop, T. D., Vojtkova, M., Warnock, R., Dunbar, M., Murthy, P., & Dworkin, S. L. (2017). Can Self-Help Group Programs Improve Women's Empowerment? A Systematic Review. *Journal of Development Effectiveness*, 9(1), 15. <https://doi.org/10.1080/19439342.2016.1206607>
- Casini, P., Vandewalle, L., & Wahhaj, Z. (2017). Public Good Provision in Indian Rural Areas: The Returns to Collective Action by Microfinance Groups. *The World Bank Economic Review*, 31(1), 97-128. <https://doi.org/10.1093/wber/lhv041>
- Chary, M. (2012). Women and Political Participation in India: A Historical Perspective. *The Indian Journal of Political Science*, 73(1), 119-132. <https://www.jstor.org/stable/41856567>
- Chatterjee, S. (2016). Power to Dalits through Self-help Groups. *Economic and Political Weekly*, 51(41)
- Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as Policymakers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India. *Econometrica*, 72(5), 1409-1443. <https://economics.mit.edu/files/792>
- Desai, R. M., & Joshi, S. (2013). Collective Action and Community Development: Evidence from Self-Help Groups in Rural India. *The World Bank Economic Review*, 28(3), 492 – 524. <https://doi.org/10.1093/wber/lht024>
- Deshpande, A., & Khanna, S. (2021). Can Weak Ties Create Social Capital? Evidence from Self-Help Groups in Rural India (Vol. 146). India: World Development.
- Devi, S. (2021). Impact of COVID-19 Pandemic on the Self-Help Groups. *Sambodhi Journal*, 46(2), 135-138.
- Dulhunty, A. (2020, July 10). Gendered Isolation, Idealised Communities and the Role of Collective Power in West Bengal Self-Help Groups. *Gender, Place & Culture*, 28(5), 725-746. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2020.1754167>
- Global Gender Gap Report 2021. (2021, March 2). weforum.org. Retrieved February 22, 2022, from https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
- Himachal Pradesh: 80 Per Cent Voter Turnout in Panchayat Polls, Women Take Lead. (2021, January 22). *The Indian Express*. <https://indianexpress.com/article/india/himachal-pradesh-80-voter-turnout-in-panchayat-polls-women-take-lead-7157741/>

- Joshi, S., & Desai, R. (2013, September 7). Collective Action and Community Development: Evidence from Women's Self-Help Groups in Rural India. *The World Bank Economic Review*, 28(3), 492-524. <https://academic.oup.com/wber/article-abstract/28/3/492/1678377>
- Kumar, N., Raghunathan, K., Arrieta, A., Jilani, A., Chakrabarti, S., Menon, P., & Quisumbing, A. R. (2019, February). Social Networks, Mobility, and Political Participation: The Potential for Women's Self-Help Groups to Improve Access and Use of Public Entitlement Schemes in India. *World Development*, 114, 28-41. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.09.023>
- Kumar, N., Raghunathan, K., Arrieta, A., Jilani, A., & Pandey, S. (2021). The Power of the Collective Empowers Women: Evidence from Self-Help Groups in India (Vol. 146). India: World Development.
- Majid, E., Nath, S., & Unnayan, S. (n.d.). Convergence of Women Self-Help Groups and Gram Panchayat. Synergistic Effect of Women Participation in SHG and PRI - An Interface of Achieving Women Empowerment in Rural India. National Institute of Rural Development. http://nirdpr.org.in/nird_docs/casestudies/shramjivi/shramjivi4.pdf
- Mathur, P., & Agarwal, P. (2017). Self-Help Groups: A Seed for Intrinsic Empowerment of Indian Rural Women. *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal*, 36(2), 182-196. <https://doi.org/10.1108/EDI-05-2016-0039>
- Modak, S., Baksi, S., & Johnson, D. (2020). Impact of Covid-19 on Indian Villages. Review of Agrarian Studies. Retrieved February 22, 2022, from <http://ras.org.in/d1f1c91f41c51238d19a505303ce14eb>
- Prillaman, S. A. (2020, September). The Power of Women's Collective Action. EDI COVID-19 ESSAY SERIES, 0(0). www.edi.opml.co.uk
- Prillaman, S. A. (2023). Strength in Numbers: How Women's Groups Close India's Political Gender Gap. *American Journal of Political Science*, 67(2), 390-410. <https://doi.org/10.1111/ajps.12651>
- Raabe, K., Sekhar, M., & Birner, R. (2009). The Effects of Political Reservations for Women on Local Governance and Rural Service Provision. Retrieved February 20, 2022, from <https://ebrary.ifpri.org/utills/getfile/collection/p15738coll2/id/30034/filename/30035.pdf>
- Rao, C., & Galab, S. (2003). Women's Self-Help Groups, Poverty Alleviation and Empowerment. *Economic and Political Weekly*, 38(12), 1274-1283.
- Reddy, K., & Reddy, C. S. (2012). Self Help Groups in India: A Study on Quality and Sustainability. apmas.org. Retrieved February 22, 2022, from <http://www.apmas.org/pdf/research-advocacy/study-papers/201212-Self-Help-Groups-in-India-A-Study-on-Quality-and-Sustainability.pdf>
- Saha, S., Annear, P. L., & Pathak, S. (2013). The Effect of Self-Help Groups on Access to Maternal Health Services: Evidence from Rural India. *International Journal for Equity in Health*, 12(36). <https://doi.org/10.1186/1475-9276-12-36>
- Salgaonkar, P., & Salgaonkar, S. (2009). Panchayats and Women Self Help Groups: Understanding the Symbiosis. *The Indian Journal of Political Science*, 70(2), 481-494.
- Sreeramulu, G., & Hushen Khan, P. (2008, July). Political Empowerment of Women through Self Help Groups (SHGs): A Study in Andhra Pradesh. *The Indian Journal of Political Science*, 69(3), 609-617.
- Swain, R., & Varghese, A. (2011). Reassessing the Impact of SHG Participation with Non-experimental Approaches. *Economic and Political Weekly*, 46(11), 50-57.
- Tankha, R. (2021, May 8). Women's Leadership in COVID-19 Response: Self-help Groups of the National Rural Livelihoods Mission Show the Way. *Economic and Political Weekly*, 56(19), 1-11.

परिशिष्ट

तालिका 1

परिणाम चर की परिभाषा

चर	परिभाषा
उत्तरदाता राजनीति के बारे में जानने में रुचि रखता है	1 यदि उत्तरदाता राजनीति के बारे में जानने में रुचि रखता है
उत्तरदाता स्थानीय चुनावों में भाग ले चुका है	1 यदि उत्तरदाता स्थानीय चुनावों में भाग ले चुका है
उत्तरदाता ने चुनाव लड़ने पर विचार किया है	1 यदि उत्तरदाता ने चुनावों में भाग लेने पर विचार किया है
उत्तरदाता को लगता है कि राजनीति में अधिक महिलाओं के आने से उनके गांव का विकास होगा	1 यदि उत्तरदाता को लगता है कि राजनीति में अधिक महिलाओं के आने से उनके गांव का विकास होगा
उत्तरदाता को लगता है कि उनके वोट/राय से उनके गांव में होने वाले चुनावों में फर्क पड़ता है	1 यदि उत्तरदाता को लगता है कि उनके वोट/राय से उनके गांव में चुनावों के परिणाम पर फर्क पड़ता है

तालिका 2

परिणाम चर की परिभाषा

चर	परिभाषा
उत्तरदाता ने पिछले पंचायत चुनाव में मतदान किया था	1 यदि उत्तरदाता ने पिछले चुनाव में मतदान किया हो
उत्तरदाता को किसी ने किसी खास उम्मीदवार को वोट देने के लिए मजबूर किया था	1 यदि उत्तरदाता को किसी ने किसी विशिष्ट उम्मीदवार को वोट देने के लिए मजबूर किया हो
उत्तरदाता को अपने सरपंच (ग्राम प्रधान) का नाम पता है	1 यदि उत्तरदाता अपने सरपंच का नाम जानता हो
उत्तरदाता ने अपने सामाजिक दायरे में राजनीति पर चर्चा की है	1 यदि उत्तरदाता ने अपने सामाजिक दायरे में राजनीति पर चर्चा की हो

तालिका 3

परिणाम चर की परिभाषा

चर	परिभाषा
प्रतिवादी ने पहले भी ग्राम सभा की बैठकों में भाग लिया है	1 यदि उत्तरदाता ने ग्राम सभा की बैठकों में भाग लिया है
प्रतिवादी नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेता है	1 यदि उत्तरदाता नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेता है
प्रतिवादी का मानना है कि ग्राम पंचायत में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है	1 यदि उत्तरदाता का मानना है कि ग्राम पंचायत में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है
प्रतिवादी को ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए परिवार से अनुमति लेनी पड़ती है	1 यदि उत्तरदाता को ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए परिवार से अनुमति की आवश्यकता है
प्रतिवादी ने ग्राम सभा की बैठक में बात की है	1 यदि उत्तरदाता ने ग्राम सभा की बैठक में बात की है

तालिका 4

परिणाम चर की परिभाषा

चर	परिभाषा
वह संस्था जो प्रतिवादी को सरकारी योजनाओं के बारे में सूचित करती है	1 यदि मित्र, 2 यदि परिवार, 3 यदि समुदाय, 4 यदि एसएचजी, 5 यदि स्वयं
उत्तरदाता को मनरेगा के बारे में जानकारी है	1 यदि उत्तरदाता मनरेगा के बारे में जानता है
उत्तरदाता को महिलाओं के लिए आरक्षण कानून के बारे में जानकारी है	1 यदि उत्तरदाता आरक्षण के बारे में जानता है

तालिका 5

परिणाम चर की परिभाषा

चर	परिभाषा
प्रतिवादी को पता है कि पानी की कमी/बिजली की कटौती/सड़क संबंधी समस्याओं से संबंधित शिकायत के मामले में किससे संपर्क करना है।	1 यदि प्रतिवादी को पता है कि शिकायत के मामले में किससे संपर्क करना है
प्रतिवादी को लगता है कि अधिकारी कुछ समस्याओं का समुचित समाधान नहीं करते क्योंकि महिलाएँ उनकी शिकायत करती हैं।	1 यदि प्रतिवादी को लगता है कि अधिकारी कुछ समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं करते हैं क्योंकि वे महिलाओं द्वारा रिपोर्ट की जा रही हैं
प्रतिवादी को लगता है कि ग्राम पंचायत उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक कार्रवाई करेगी।	1 यदि प्रतिवादी को लगता है कि ग्राम पंचायत उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक कार्रवाई करेगी

तालिका 6

चर की सूची

वोट	क्या आपने पिछले पंचायत चुनाव में वोट दिया था?
वोटडेक	अगर हाँ, तो क्या आपका वोट किसी और ने तय किया था?
एसएआरपी	क्या आप अपने सरपंच का नाम जानते हैं?
कॉन्टेल	क्या आपने कभी चुनाव लड़ा है?
कॉनेल	क्या आपने कभी चुनाव लड़ने के बारे में सोचा है?
पीओएलएफआर	क्या आप अपने दोस्तों के साथ राजनीति पर चर्चा करते हैं?
ग्राम	क्या आप ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेते हैं?
ग्रामरूप	क्या आपको ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुमति की आवश्यकता है?
ईएलसीवाई	क्या आपको लगता है कि आपकी ग्राम पंचायत में पर्याप्त महिलाएँ हैं?
ग्राम्सपी	क्या आपने कभी अपनी ग्राम पंचायत में भाषण दिया है?
ईएलसीवाई	क्या आप जानते हैं कि यदि आपके घर में बिजली न हो तो किसके पास जाएं?
वोमकॉम	क्या आपको लगता है कि कुछ मुद्दों को इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि महिलाएँ उन्हें उठाती हैं?
पीएनपीआरबी	क्या आपको लगता है कि आपकी पंचायत आपकी समस्याओं का समाधान करेगी?
ईएनटीपीओएल	क्या आप राजनीति के प्रति उत्साही हैं?
वोमदेव	क्या आपको लगता है कि महिलाओं के राजनीति में आने से आपका गाँव विकसित होगा?
ओपीम्याट	क्या आपको लगता है कि आपकी राय मायने रखती है?
जीओवीएससीएच	सरकारी योजनाओं के बारे में आपको कौन जानकारी देता है?
एमएनआरजी	क्या आप मनरेगा योजना के बारे में जानते हैं?
वोम्रेस	क्या आप स्थानीय सरकार में महिला आरक्षण कानून के बारे में जानते हैं?

ग्रामीण महिला कर्मचारियों का नौकरी-परिवार संतुलन: बैंगलोर ग्रामीण जिले से एक अंतर्दृष्टि अध्ययन

के. त्रिवेणी कुमारी*

सार

वर्तमान गतिशील संगठनात्मक वातावरण ने महिला कर्मचारियों के लिए कई चुनौतियाँ पेश की हैं, जिसमें उनके पेशेवर और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाए रखना विशेष रूप से प्रमुख चिंता का विषय बन गया है। यह अध्ययन बैंगलोर ग्रामीण जिले में महिला कर्मचारियों के नौकरी-परिवार संतुलन को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्धारकों की जाँच करता है। अध्ययन में विभिन्न सेवा और विनिर्माण उद्योगों में काम करने वाली 360 महिला कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया गया। डेटा को एक संरचित प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किया गया था और एसपीएसएस 21.0 के साथ कारक विश्लेषण, सहसंबंध और बहु प्रतिगमन तकनीकों का उपयोग करके विश्लेषण किया गया था। निष्कर्ष बताते हैं कि जनसांख्यिकी, तनाव, घर पर पारस्परिक संबंध, नौकरी की विशेषताएँ, भावनात्मक कल्याण और कार्य परिस्थितियाँ सहित कई कारक नौकरी-परिवार संतुलन को महत्वपूर्ण और दृढ़ता से प्रभावित करते हैं। बेहतर नौकरी-परिवार संतुलन संगठनात्मक उत्पादकता, नौकरी की संतुष्टि और कर्मचारी जुड़ाव को बढ़ाता है जबकि अनुपस्थिति और कमी को कम करता है।

कीवर्ड: कारक, महिला कर्मचारी, घर, सेवा क्षेत्र, बैंगलोर/बेंगलुरु ग्रामीण, नौकरी, नौकरी-परिवार संतुलन (जेएचबी)।

*प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ बिज़नेस, दिल्ली-110034; ईमेल : kumarithriveni11@gmail.com


परिचय

भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में दुनिया में पाँचवीं सबसे बड़ी है। वैश्विक स्तर पर कई शहर बसाए गए हैं। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर को 'बेंगलुरु' भी कहा जाता है, जिसे विश्व विकसित क्षेत्रों (सांख्यिकीय स्रोत, 2021) में विकसित शहरों में से 84वाँ स्थान दिया गया है। यह शहर गार्डन सिटी, सिलिकॉन सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी और आईटी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर जो कि 1.32 करोड़ लोगों के लिए निवास स्थान है, अच्छी तरह से

विकसित एक महानगर है (सांख्यिकीय समीक्षा, 2023) जिसमें ग्रामीण और शहरी जिले शामिल हैं। हालाँकि इस क्षेत्र में कई औद्योगिक इकाइयाँ हैं, लेकिन ग्रामीण बेंगलोर में काम करने वाली महिला कर्मचारियों पर कुछ अच्छी तरह से स्थापित अध्ययन किए गए थे। इसलिए, उन कारकों को समझना महत्वपूर्ण है जो वर्तमान में ग्रामीण बेंगलोर में महिला कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं।

चित्र 1

बेंगलुरु ग्रामीण का मानचित्र (गूगल राजनीतिक मानचित्र से निकाला गया)



स्रोत: (गूगल पॉलिटिकल मैप्स से लिया गया)

वर्तमान अध्ययन बेंगलोर ग्रामीण जिले में किया गया है। यह एक अत्यधिक विकसित क्षेत्र है जिसमें विनिर्माण और सेवा व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला है। अपने विकसित उद्योगों के परिणामस्वरूप बेंगलुरु के ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक और तकनीकी रूप से अधिक उन्नत होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, उद्योग बढ़ रहे हैं, और इन उद्योगों में कामकाजी महिलाएँ स्वाभाविक रूप से अधिक प्रचलित हो रही हैं।

इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों में अधिक कार्यबल की आवश्यकता होती है (डाल्टा और अग्रवाल, 2017)। शिल्पा (2023) की रिपोर्ट है कि लगभग 3.6 मिलियन महिला कर्मचारी कार्यबल का 33.33 प्रतिशत हिस्सा हैं। भारत में कामकाजी महिलाओं का अनुपात लगातार बढ़

रहा है, और वे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही हैं। इस परिवर्तन के साथ, यह पहचाना गया है कि महिला कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से और संगठनों में प्रभावित करने वाले कारकों को समझने और उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है (श्रीवेणी, 2022)।


भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से विविध देशों में काम करना और व्यक्तियों और संगठनों के निर्धारक प्रभावों को बनाए रखना महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, जिसका असर वे कैसे उनके निजी और पेशेवर जीवन को संतुलित करती हैं पर पड़ता है (गुप्ता और सरन, 2013)। ऐसे में, व्यवसायों के लिए महिला कर्मचारियों को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए, असामान्य कार्य अनुप्रयोगों का

ज्ञान आवश्यक है (अंबरदार और सिंह, 2017)। इन परिस्थितियों के मद्देनजर बेंगलुरु ग्रामीण जिले के जॉब/होम बैलेंस (जेएचबी) को प्रभावित करने वाले चरों पर अध्ययन पूरा हो गया है। जेएचबी को मौजूदा स्थिति में अधिक विरोधाभासी माना जाता है और इसे पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस विषय ने उनकी नौकरी की माँगों और घर पर उनकी ज़रूरतों के

बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाई है (श्रीवेणी और देवी, 2021)। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि महिला कर्मचारियों के लिए जॉब-होम बैलेंस को समझना सबसे महत्वपूर्ण और जटिल विचारों में से एक रहा है (श्रीवेणी और देवी, 2021)।

चित्र 2


बेंगलोर में कार्यरत ग्रामीण महिलाओं के बीच औद्योगिक वितरण 2020-21



स्रोत: द हिंदू

चित्र 3

ग्रामीण और शहरी बेंगलोर में महिलाओं की कार्य भागीदारी के रुझान



स्रोत: द हिंदू

नौकरी-घर संतुलन (ईसा और इंद्रायती, 2023) और जेएचबी को प्रभावित करने वाले कारकों पर बड़ी संख्या में उच्च योग्य शोधकर्ताओं (श्रीवेनी और देवी, 2014) द्वारा समवर्ती रूप से शोध किया जा रहा है। इसी तरह, काम की परिस्थितियों (डब्ल्यूसी), भावनात्मक कल्याण (ईडब्ल्यू), परिवार में रिश्ते (आरएच), एसटी (तनाव), डीसी (जनसांख्यिकी), और सीजे (नौकरी की विशेषताएँ) जैसे अधिक अनिश्चित चर पर कम ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के रोजगार ने पहचान की एक मजबूत भावना विकसित की है (निकोरे, 2019)। आधुनिक कार्यस्थल में, महिलाएँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, संकाय/शिक्षण, चिकित्सा, नर्सिंग, कॉर्पोरेट प्रशिक्षु आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में करियर चुनती हैं। वे अपने द्वारा अपनाए जाने वाले करियर के बारे में काफी चयनात्मक होती हैं (निकोरे, 2019)। इसके प्रकाश में, वर्तमान अध्ययन बेंगलूर ग्रामीण जिले में महिला कर्मचारियों के नौकरी-परिवार संतुलन को प्रभावित करने वाले कारकों/तत्वों की पहचान करके महत्व प्राप्त करता है।

अध्ययन में बेंगलूरु ग्रामीण जिले में कार्यरत महिला कर्मचारियों के नौकरी-परिवार संतुलन को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच की गई है, जैसे बैंकिंग, आईटी, बीमा, चिकित्सा, बीपीओ और शिक्षा क्षेत्र। जेएचबी के संबंध में इन तत्वों की जांच करने के बाद, जेएचबी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले चर निर्धारित किए गए। जांच में इस्तेमाल की गई सांख्यिकीय तकनीकें मल्टीपल रिग्रेशन, सहसंबंध और कारक विश्लेषण थीं।

साहित्य समीक्षा

महिलाओं के काम के बारे में कर्मचारियों के विचार, दृष्टिकोण और धारणाएँ विभिन्न फर्मों में अलग-अलग होती हैं। उनके काम की विशेषताओं, प्रदर्शन और समर्पण के बारे में, वे संतुष्ट और असंतुष्ट दोनों हैं (ली, 2013; वॉंग एट अल., 2017)। फिर भी, तकनीकी प्रगति, जनसांख्यिकी और कार्य पद्धतियों के परिणामस्वरूप, जोहान्सबर्ग (श्रीवेनी और रामा, 2012) में महिला कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले प्रासंगिक परिवर्तनों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जैसे कि कार्य वातावरण, कैरियर में उन्नति, पारिवारिक संरचना, आदि। नतीजतन, काम की परिस्थितियों (डब्ल्यूसी), भावनात्मक कल्याण (ईडब्ल्यू), घर पर रिश्ते

(आरएच), एसटी (तनाव), डीसी (जनसांख्यिकी), और सीजे (नौकरी की विशेषताएँ) जैसे तत्वों से नौकरी-परिवार का संतुलन प्रभावित हो रहा है, और इन घटकों का स्तर जेएचबी के संबंध में बढ़ रहा है और घट रहा है। नतीजतन, इन चरों की गहन जांच यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि वे महिला जेएचबी से कैसे संबंधित हैं।

जेएचबी और जनसांख्यिकी

बेहतर नौकरी-परिवार संतुलन और जनसांख्यिकी (श्रीवेनी और रामा, 2012; कुशल और परमार, 2019) को समझने के लिए जेंडर, वेतन, वैवाहिक स्थिति, आयु, अनुभव और परिवार के प्रकार पर कई समीक्षाएँ की गई हैं। एचसीटी (मानव पूंजी सिद्धांत) के अनुसार, कॉर्पोरेट्स का मानना है कि जेएचबी के लिए शादी की स्थिति विकल्प है। जो माता-पिता कार्यरत हैं वे आमतौर पर एक अनुकूल कार्य वातावरण की तलाश करते हैं। कुछ कामकाजी माता-पिता लचीले कामकाजी घंटों की आसानी के साथ बाजार मूल्य से कम वेतन पर काम करने के लिए समझौता करते हैं क्योंकि यह घर और नौकरी में उनकी भूमिका के साथ कोई शब्दजाल नहीं बनाता है (मैक. गिन, 2015)। उम्र का होना भी जेएचबी (एम्सली और हंट, 2009) को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी वस्तु है। श्रीवेनी और देवी (2021) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, जनसांख्यिकी में उम्र एक प्राथमिक चर है जो जेएचबी के स्तर को बढ़ाने या घटाने के लिए निर्भाई जाने वाली भूमिकाओं को चुनौती देगा। वेतन एक और महत्वपूर्ण मद/चर है जो स्वाभाविक रूप से जेएचबी को प्रभावित करता है (वेई एट अल., 2009)। चूंकि वेतन संरचना में भिन्नता है, इसलिए जेएचबी के स्तर में भी अंतर है, क्योंकि महिला कर्मचारी अपने जनसांख्यिकीय समूहों में अलग तरह से सोचती हैं (डैश एट अल., 2012)।

अनुभव के संबंध में, यह विश्लेषण किया गया है कि कैरियर परिचय और कैरियर प्रगति तथा विकास के बीच अंतर होगा। कुछ अविवाहित कामकाजी महिलाएं लंबे समय तक काम करना पसंद करेंगी। हालांकि, बच्चों वाले विवाहित कर्मचारी कम काम के घंटे पसंद करेंगे, हालांकि उनके पास अपने घर और काम की भूमिकाओं को संतुलित करने का व्यापक अनुभव है। इसके अलावा, कुंवारे लोगों के लिए, नौकरी-परिवार का संतुलन एक नियंत्रणीय इकाई है क्योंकि

उनका मानना है कि विस्तारित कार्य घंटों के साथ कैरियर की सफलता संभव है।

हालांकि, अनुभवी कर्मचारियों (महिलाओं) के लिए यह मामला नहीं है, जो तुलनात्मक रूप से उच्च स्तर का जेएचबी चाहते हैं (स्टर्गस एंड गेस्ट, 2004)।

इसके अलावा, नौकरी-घर का संतुलन संयुक्त और एकल परिवार के प्रकारों के साथ भिन्न होता है। सामान्य तौर पर, संयुक्त परिवारों में रहने वाले कर्मचारियों के पास एकल परिवारों की तुलना में जेएचबी का उच्च स्तर होता है (ब्रूमेलहुडस एंड लिपर, 2010)। लेकिन कभी-कभी, एक संयुक्त परिवार में, महिलाओं को बुजुर्ग माता-पिता, ससुराल वालों और बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, जिससे जेएचबी कम हो सकता है। इस प्रकार, यह निर्धारित किया जाता है कि भले ही उनकी उन्नति के कारण कार्य की प्रकृति में अंतर हो, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियों में कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए, इन उचित परिस्थितियों के साथ, यह अनुमान लगाया गया है कि जनसांख्यिकी महिला कर्मचारियों के जेएचबी को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।

एच1: ग्रामीण बेंगलूर में कार्यरत महिला कर्मचारियों के नौकरी-घर के संतुलन पर जनसांख्यिकी का एक निर्धारक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

जेएचबी और तनाव

तनाव एक प्रचलित कारक है जो आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया में महिला कर्मचारियों के नौकरी-परिवार के संतुलन को प्रभावित करता है (यादव और यादव, 2014)। तनाव एक ऐसा मुद्दा है जिससे कई कॉर्पोरेट महिलाएँ आम तौर पर जूझती हैं, और यह एक ऐसा पहलू है जिसे नियंत्रित करने या संतुलन में रखने की ज़रूरत है (यादव और यादव, 2014)। चूँकि उनके लिए उन भूमिकाओं को संतुलित करना मुश्किल हो सकता है जो उनके करियर में आगे बढ़ने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती हैं, इसलिए महिला कर्मचारी आमतौर पर काम और घर पर अपनी भूमिकाओं से तनाव दूर रखती हैं। ऐसा ही एक कारण ट्रैफिक में देरी है, जहाँ ज़्यादातर कामकाजी महिलाएँ घर या दफ़्तर पहुँचने पर तनाव से गुज़रती हैं। वास्तव में, बेंगलूर ग्रामीण ज़िले के इलाके एक विकासशील चरण में हैं जहाँ कर्मचारियों के लिए यात्रा के समय को कम करने के लिए मेट्रो ट्रेन जैसी सेवाएँ अभी शुरू नहीं की गई हैं। उन्हें अपनी दोहरी भूमिकाओं को संतुलित करना पड़ता है, जो काम

पर तनाव पैदा कर सकता है (एश्वर्या और रामासुंदरम, 2012)। नतीजतन, वे थक जाती हैं, खराब प्रदर्शन करती हैं, कम समर्पित होती हैं, और काम छोड़ने की अधिक संभावना होती है (श्रीवेनी, 2021)। इन कारणों से, उचित नौकरी-परिवार संतुलन बनाए रखने के लिए, वे घर से काम करने या लचीले काम के घंटे की तलाश करते हैं (कुमारी, 2022)। इसलिए, यह अनुमान लगाया गया है कि तनाव और जेएचबी के बीच एक प्रतिकूल (नकारात्मक) संबंध है।

एच2: ग्रामीण बेंगलूर में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के नौकरी-घर के संतुलन पर तनाव का एक निर्णायक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

जेएचबी और घर पर रिश्ते

घर पर रिश्ते महिला कर्मचारियों के लिए नौकरी-घर के संतुलन को संतुलित करने के लिए सबसे उपयोगी और सहायक चर में से एक है (श्रीवेनी, 2022), जो पारिवारिक रिश्तों और समर्थन से जुड़ा हुआ है (ब्रू और पीयर्स, 2004)। यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि स्वस्थ रिश्ते घर और काम पर अच्छी तरह से संतुलित भूमिकाओं के अनुरूप होते हैं। अच्छा जेएचबी अपने जीवनसाथी, बच्चों, ससुराल वालों, माता-पिता, सहकर्मियों और दोस्तों के साथ सकारात्मक संबंध रखने से आता है (गीर्टिज एट अल., 2006)। सामान्य तौर पर, महिला कर्मचारी घर पर रिश्तों के बिना अपने जेएचबी को प्रबंधित करने के लिए संघर्ष करती हैं (बैगर और ली, 2014)। रोकसेन एट अल. (2007) के अनुसार, जेएचबी स्वस्थ पारिवारिक रिश्तों के बिना मौजूद नहीं हो सकता है, और जैसा कि प्रथागत है, अस्वस्थ रिश्तों से जेएचबी कमज़ोर हो जाएगा (जूली और डायने, 2009)। कुछ समीक्षाओं के अनुसार, घरेलू रिश्ते आसानी से जेएचबी की चुनौतियों को नियंत्रित कर सकते हैं और सीधे तौर पर इसकी मदद करेंगे (तवासोली और सुने, 2018)। ओलुडायो और ओमोनियो (2020) के अनुसार, रिश्तों और जेएचबी के बीच लाभकारी संबंध हैं।

एच3: ग्रामीण बेंगलूर में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के घर-नौकरी के संतुलन पर घर के रिश्तों का निर्णायक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

जेएचबी और नौकरी की विशेषताएँ

नौकरी की विशेषताएँ नौकरी-घर के संतुलन को प्रभावित करने वाली मुख्य चीजों में से एक हैं।

भुगतान/ वेतन, ब्रेक के साथ/बिना काम के घंटों की संख्या, कार्यभार, कार्यस्थल का माहौल, काम करने की प्रक्रियाएँ और काम की अनिश्चितता सभी नौकरी की विशेषताओं में शामिल हैं (निज़ाम और खान, 2018)। यदि नौकरी की गुणवत्ता जेएचबी को प्रभावित करती है, तो कर्मचारी अपने करियर की उन्नति और रोजगार की खोज को बढ़ावा देंगे (तांग और चांग, 2010)। इसके अतिरिक्त, काम की अनिश्चितता एक महत्वपूर्ण घटक है जो उनके रोजगार और घर के बीच संतुलन बनाए रखेगा (श्रीवेनी, 2022)। आईटी, बीपीओ और मेडिकल जैसे कुछ क्षेत्र काम के घंटों से ब्रेक के समय को खत्म कर देते हैं। लंबे समय तक काम करने के कारण यह जेएचबी को प्रभावित कर सकता है। अवास्तविक समय सीमा, विशेष रूप से आईटी और चिकित्सा क्षेत्रों में, कर्मचारियों को उनके नियोजित घंटों से अधिक काम करने के लिए मजबूर कर सकती है, जो जेएचबी में बाधा डालती है (श्रीवेनी, 2020)। जेएचबी को दर्शाने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक कार्य वातावरण है, जो कभी-कभी वेतन संरचना को भी दर्शा सकता है (चावला एट अल., 2017)। इसलिए, यह अनुमान लगाया गया है कि नौकरी की विशेषताएँ जेएचबी को प्रभावित करेंगी।

एच4: नौकरी की विशेषताओं का ग्रामीण बेंगलूर में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के नौकरी-घर के संतुलन पर एक निर्णायक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

जेएचबी और भावनात्मक कल्याण

भावनात्मक कल्याण बताता है कि लोग जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कुछ चीजों का अनुभव करने के बाद अपने जीवन को कैसे देखता है (प्रधान और हाटी, 2019)। भावनात्मक कल्याण के बिना कर्मचारी घर पर अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकते (रंजीता, 2021)। यह कर्मचारी की उत्पादकता और कार्य संतुष्टि में सुधार करता है, तनाव को कम करता है और बेहतर स्वास्थ्य में जेएचबी के अनुपात को बढ़ाता है (जूना एट अल., 2022)। कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि सकारात्मक भावनात्मक कल्याण नौकरी-घर के संतुलन को संतुलित करेगा (भारती एट अल., 2015)। संगठन आम तौर पर योग, ध्यान और जिम जैसे अच्छी तरह से गोल कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक जेएचबी की

पेशकश करके भावनात्मक कल्याण में सहायता करते हैं (जूना एट अल., 2022)।

इसके अलावा, यह पहचाना गया है कि जो संगठन बेहतर भावनात्मक कल्याण प्रदान नहीं करते हैं, उनके कर्मचारी तनाव, अवसाद, घबराहट और नौकरी छोड़ने के इरादे जैसे मनोवैज्ञानिक मुद्दों, उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा, मस्तिष्क का दौरा, रक्त के थक्के आदि जैसी शारीरिक समस्याओं से पीड़ित हैं (जूना एट अल., 2022)। इसके अलावा, यह देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को चिंता और अवसाद जैसी अधिक भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी भूमिकाओं को संतुलित करना होता है (जैनुद्दीन एट अल., 2022; विल्किंसन, 2013)। इसलिए, जेएचबी और भावनात्मक कल्याण के बीच के लिंक के बारे में जानने की जरूरत है।

एच5: भावनात्मक कल्याण का ग्रामीण बेंगलूर में कार्यरत महिला कर्मचारियों के नौकरी-घर के संतुलन पर एक निर्धारक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

जेएचबी और कार्य परिस्थितियाँ

महिलाओं के लिए नौकरी-घर के संतुलन को बनाए रखने के लिए कार्य परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण हैं (मैथ्यू और पंचनाथम, (2017)। कोपनित्सानौ एट अल. (2017) के अनुसार, डब्ल्यूसी में विशेष रूप से व्यावसायिक संबंध, सहकर्मी और अधीनस्थ सहायता और समर्थन, नौकरी की स्वायत्तता, करियर में उन्नति, काम और कार्यभार में संतुलन, गुणवत्ता सीखने और विकास गतिविधियों, ग्रीन एचआरएम नीतियों को अपनाना आदि शामिल हैं। हिनो (2012) के अनुसार, भारत में कार्य परिस्थितियों की कमी है, विशेषकर महिला श्रमिकों के लिए, जो उनके कार्य क्षेत्र पर निर्भर करती हैं। राजाध्यक्ष (2012) के अनुसार, सामाजिक दबाव, कार्य-परिवार संघर्ष (डब्ल्यूएफसी) और कार्य-जीवन संतुलन (डब्ल्यूएफबी) भारत में कार्यस्थलों की तनावपूर्ण प्रकृति में योगदान करते हैं। महिला कर्मचारियों की जेएचबी, यदि कॉर्पोरेट क्षेत्र में महिलाओं को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया जाए तो इससे विशेष रूप से सेवा उद्योग में कार्यरत महिलाओं को लाभ होगा (कोपनिटानौ एट अल., 2017)। इसी तरह, खराब कार्य परिस्थितियों से जेएचबी में गिरावट आएगी और काम से संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी।

एच6: ग्रामीण बंगलोर में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के नौकरी-घर के संतुलन पर काम की परिस्थितियों का एक निर्णायक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कार्यप्रणाली

बंगलोर ग्रामीण जिले में काम करने वाली महिलाएँ लगभग 1,43,000 हैं (अपराजिता रे, 2013), जिनमें से केवल 8% (11,440) अध्ययन में चुने गए सेवा क्षेत्रों में काम करती हैं और 32% (3660) अध्ययन में चुने गए क्षेत्रों में काम करती हैं (आईडब्ल्यूडब्ल्यूएजीई, 2023)। इनमें से, 10% (360) नमूनों को अध्ययन के लिए चुना गया था। साथ ही, यह भी देखा गया है कि केवल एक-तिहाई महिला आबादी बंगलुरु में काम करने जाती है (अपराजिता रे, 2017)। वर्तमान में, महिलाएँ शिक्षण, आईटी क्षेत्र, नर्सिंग, प्रबंधन प्रशिक्षण आदि में करियर चुन रही हैं (निकोरे, 2019)। वर्तमान अध्ययन में, केवल महिला कार्यरत कर्मचारियों पर विचार किया गया है। अध्ययन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बंगलुरु ग्रामीण जिले में बैंकिंग, बीपीओ, शिक्षा, आईटी, बीमा और चिकित्सा संगठनों जैसे विभिन्न सेवा क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं पर सुविधा नमूनाकरण पद्धति लागू की गई थी। डेटा संग्रह के लिए एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई थी, और अध्ययन को समझाने के लिए वर्णनात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया था।

डेटा एकत्र करना

वर्तमान अध्ययन ने शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, बीपीओ, आईटी, अस्पतालों और विनिर्माण क्षेत्रों में 360 महिला कर्मचारियों से डेटा एकत्र किया। अध्ययन की चयनित इकाइयों और क्षेत्रों में कुल 488 प्रश्नावली दी गईं। इनमें से 372 प्राप्त हुईं और 12 को डेटा अपूर्णता और त्रुटियों के कारण नहीं माना गया। प्राप्त प्रश्नावली में से 27.3% शिक्षा क्षेत्र से, 28.4% अस्पतालों से, 15.6% बैंकिंग से, 11.8% आईटी से, 9.6% बीमा से और 7.3% बीपीओ और अन्य विनिर्माण उद्योगों से हैं। यह डेटा डॉक्टर, नर्स, प्रोफेसर, शिक्षक, बैंक प्रबंधक, कैशियर, खाता अधिकारी, संयुक्त अधिकारी, जोखिम सलाहकार, जोखिम प्रबंधक, पीआरओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टीम लीडर, परिचालन प्रबंधक और वित्तीय प्रबंधक के रूप में

कार्यरत उच्च और मध्यम स्तर की महिला कर्मचारियों से एकत्र किया गया था।

नमूने की विशेषताएँ

अध्ययन में लिखे गए पदों में आयु, अनुभव, आय, घर के प्रकार, घर पर सहकर्मियों की संख्या और निवास की स्थिति शामिल है। उत्तरदाता में, यह देखा गया कि 56.7 प्रतिशत 23-30 वर्ष की आयु के बीच थे, 36.1 प्रतिशत 30-40 वर्ष की आयु के बीच थे, 7.2 प्रतिशत 40 वर्ष से अधिक आयु के थे। अनुभव के संबंध में, 51.2 प्रतिशत के करीब पांच साल का अनुभव था, 24.4 प्रतिशत के करीब कर्मचारियों का अनुभव 5 से 10 साल का अनुभव था, 20 प्रतिशत के करीब 10 से 20 साल का अनुभव था, और 4.4 प्रतिशत के करीब 20 से 30 साल का अनुभव था। आय के संबंध में, बहुसंख्यक (55.6 प्रतिशत) 1-3 लाख रुपये के बीच कमा रहे थे, और 6.1 प्रतिशत 7 लाख रुपये से अधिक कमा रहे थे। वैवाहिक स्थिति के संदर्भ में, 71.1 प्रतिशत कर्मचारी विवाहित थे, और शेष 28.3 प्रतिशत अविवाहित थे। आश्रितों की संख्या के संदर्भ में, 25 प्रतिशत के कोई आश्रित नहीं थे, 60.6 प्रतिशत के 1 से 3 आश्रित थे, 13.2 प्रतिशत के तीन से छह आश्रित थे, और 1.2 प्रतिशत के छह से अधिक आश्रित थे।

मापन

इस अध्ययन में छह स्वतंत्र चरों का रिकार्ड किया गया - कार्य परिस्थितियाँ (डब्ल्यूसी), भावनात्मक कल्याण (ईडब्ल्यू), घर पर रिश्ते (आरएच), एसटी (तनाव), डीसी (जनसांख्यिकी), और सीजे (नौकरी की विशेषताएँ) - और एक आश्रित चर, चर को मापने के लिए नौकरी-घर संतुलन (जेएचबी)। लिकर्ट फाइव-पॉइंट स्केजेंडर तकनीक को लागू करते हुए, प्रत्येक वर्ण को एसए (पूरी तरह से सहमत) के रूप में 5 से लेकर एसडीए (पूरी तरह से असहमत) के रूप में 1 का उपयोग करके मापा गया।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय तकनीकें

अध्ययन के लिए प्रयुक्त सांख्यिकीय उपकरण थे - वर्णनात्मक सांख्यिकी, कारक विश्लेषण (परिकल्पना 1 से 6), सहसंबंध (परिकल्पना 1 से 6) तथा बहु प्रतिगमन तकनीक (परिकल्पना 1 से 6)।

क्र.सं.	मर्दे	लेखक का नाम	चर को मापने के लिए उपयोग की गई वस्तुओं की संख्या	नमूना आइटम
1	डीसी	अध्ययन में प्रत्येक चर के श्रेणीबद्ध विभाजन का उपयोग किया गया	जेंडर, भुगतान, वैवाहिक स्थिति, आयु, अनुभव और घर की स्थिति	जेंडर: पुरुष- 1 महिला-2
2	एसटी	कार्लसन, एट अल. (2000)	3	मेरी कंपनी तनाव कम करने के लिए आवश्यक तनाव प्रबंधन तकनीकों के साथ कर्मचारियों का समर्थन करती है।
3	आरएच	कार्लसन, एट अल. (2000)	2	मैं घर पर एक स्वस्थ संबंध बनाए रखना चाहता हूँ।
4	सीजे	कार्लसन, एट अल. (2000)	2	मैं अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट हूँ।
5	ईडब्ल्यू	अलन एट अल. (2001)	2	मेरी कंपनी मेरे जीवन को संतुलित करने के लिए भावनात्मक कल्याण कार्यक्रम प्रदान करती है।
6	डब्ल्यूसी	स्पेक्टर (1985)	2	मैं कंपनी द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं से संतुष्ट हूँ।
7	जेएचबी	कार्लसन, एट अल. (2009)	8	मैं अपने घर और नौकरी के बीच संतुलन बना सकता हूँ।

अध्ययन के परिणाम/विश्लेषण विश्वसनीयता

क्र.सं.	आइटम	क्रोनबाक अल्फा	विश्वसनीयता
1	डीसी	0.911	बहुत बढ़िया
2	एसटी	0.785	अच्छा
3	आरएच	0.712	अच्छा
4	सीजे	0.689	औसत
5	ईडब्ल्यू	0.722	अच्छा
6	डब्ल्यूसी	0.747	अच्छा
7	जेएचबी	0.883	बहुत अच्छा

कारक विश्लेषण

तालिका 1 में दिए गए नमूने की पर्याप्तता का केएमओ माप 0.880 है, जो अत्यधिक प्रासंगिक है, और

ची-स्क्वायर मान महत्वपूर्ण और सकारात्मक है। इसलिए, नौकरी-घर संतुलन के कारकों की जांच के लिए परिणाम उपयुक्त है।

तालिका 1

केएमओ और बार्टलेट परीक्षण

नमूने की पर्याप्तता		.880
		3552.451
बार्टलेट का गोलाकारता परीक्षण	डीओएफ	136
	महत्व (पी-वैल्यू)	.000

तालिका 2

फैक्टर लोडिंग

क्र.सं.	निर्माण	मद	लोडिंग	आइजेनवैल्यू	भिन्नता का %	अर्थ	एसडी
1.	डीसी	डीसी 1	.933	5.33	31.373	4.71	0.489
		डीसी 2	.957			4.69	0.496
		डीसी 3	.925			4.68	0.530
		डीसी 4	.855			4.66	0.546
		डीसी 5	.985			4.71	0.472
		डीसी 6	.952			4.69	0.494
2.	एसटी	एसटी 1	.715	1.588	9.340	4.19	0.619
		एसटी 2	.637			4.32	0.880
		एसटी 3	.748			3.93	0.868
3.	आरएच	आरएच 1	.618	1.369	8.055	4.79	0.484
		आरएच 2	.833			4.79	0.411
4.	सीजे	सीजे 1	.683	1.173	6.897	3.84	1.010
		सीजे 2	.586			2.33	1.045
5.	ईडब्ल्यू	ईडब्ल्यू 1	.702	1.152	6.777	3.46	1.168
		ईडब्ल्यू 2	.668			4.96	0.187
6.	डब्ल्यूसी	डब्ल्यूसी 1	.687	1.045	6.146	3.80	0.582
		डब्ल्यूसी 2	.581			4.68	0.519

कारक विश्लेषण के अधीन डेटा ने कुल विचरण के 68.588 प्रतिशत को स्पष्ट करने वाले छह कारक लाए (तालिका 2)। निकाले गए सांप्रदायिकता 0.581 और 0.985 के बीच थे। कारकों को परिभाषित करने के लिए 0.500 से अधिक के कारक लोडिंग पर विचार किया गया। कारक नाम, संबंधित कारकों पर लोड किए गए चर और कारकों के आइजेनवैल्यू तालिका 2 में शामिल हैं। निकाले गए छह कारक जनसांख्यिकी, तनाव, घर पर संबंध, नौकरी की विशेषताएं, भावनात्मक कल्याण और कार्य परिस्थितियां थीं। तालिका 2 में प्रत्येक आइटम का औसत (माध्य) और एसडी (मानक विचलन) शामिल है।

प्रतिगमन आउटपुट

तालिका 3

मॉडल सार

मॉडल	आर	आर स्वेयर	समायोजित आर स्वेयर	आकलन मानक त्रुटि	की साइन.एफ परिवर्तन	डर्बिन वॉटसन
1	.710ए	.644	.622	1.085	0.001	1.807

भविष्यवक्ता: (स्थिर), डीसी, एसटी, आरएच, सीजे, ईडब्ल्यू और डब्ल्यूसी।

कारक विश्लेषण में प्रकट विभिन्न कारकों के आश्रित चर नौकरी-परिवार संतुलन के साथ संबंधों का पता लगाने के लिए बहु प्रतिगमन विश्लेषण लागू किया जाता है। तालिका 3 प्रतिगमन का मॉडल सारांश देती है। तालिका 3 में आश्रित चर (नौकरी-घर संतुलन) सांख्यिकीय रूप से फिट है क्योंकि आर² 0.644 है। इसका मतलब है कि चयनित उत्तरदाताओं का जेएचबी तालिका 4 में स्वतंत्र चर योगदान के 64.4% पर भिन्न था। एनोवा 5% स्तर पर महत्व दर्शाता है। डर्बिन-वाटसन मान 1.807 है; यह 0-2 के बीच है, जो चरों के बीच सकारात्मक सहसंबंध दर्शाता है।

तालिका 4

एनोवा

	मॉडल	वर्गों का योग	डीएफ	माध्य वर्ग.	एफ	सिग.
1	प्रतिगमन	19.182	6	3.197	3.739	.001 ^a
	अवशिष्ट	301.815	353	.855		
	कुल	320.997	359			

क. भविष्यवक्ता: (स्थिर), डीसी, एसटी, आरएच, सीजे, ईडब्ल्यू और डब्ल्यूसी

ख. आश्रित चर: जेएचबी

तालिका 5 में जेएचबी और डीसी, एसटी, आरएच, सीजे, ईडब्ल्यू और डब्ल्यूसी जैसे कारकों के बीच सहसंबंध दिखाया गया है। परिणाम जेएचबी डीसी और सीजे के बीच नकारात्मक संबंध दर्शाता है। जेएचबी और एसटी, आरएच, ईडब्ल्यू और डब्ल्यूसी के बीच सकारात्मक संबंध भी है।

तालिका 5

सहसंबंध

	जेएचबी	डीसी	एसटी	पीआर	पीडब्लू	एनडब्लू	डब्ल्यूई
जेएचबी							
डीसी							
एसटी							
पीयर्सन सहसंबंध							
आरएच							
ईडब्ल्यू							
सीजे							
डब्ल्यूसी							

तालिका 6

गुणांक

मॉडल		अमानकीकृत		मानकीकृत	टी	सिग.	टिप्पणी
		गुणांक		गुणांक			
		बी	मानक त्रुटी	बेटा			
1	(स्थिर)	.780	1.122		.695	.008	
	डीसी	-.077	.104	-.038	-.733	.004	समर्थित
	एसटी	-.083	.116	-.037	-.712	.027	समर्थित
	आरएच	.553	.140	.205	3.958	.000	समर्थित
	ईडब्ल्यू	.219	.089	.128	2.464	.014	समर्थित
	सीजे	.004	.071	.003	.051	.059	समर्थित
	डब्ल्यूसी	.106	.125	.044	.850	.036	समर्थित

तालिका 6 में डीसी, एसटी, आरएच, सीजे, ईडब्ल्यू और डब्ल्यूसी के साथ जेएचबी के गुणांक को निर्दिष्ट किया गया है। तालिका 6 से यह ध्यान देने योग्य है कि अध्ययन में प्रत्येक घटक 5% महत्व के स्तर पर परिणामी है।

परिकल्पना 1 के अनुसार, बेंगलुरु ग्रामीण जिले में कामकाजी महिला कर्मचारियों की जेएचबी पर जनसांख्यिकी का एक निर्धारक नकारात्मक प्रभाव है। यह कथन स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि यह देखा गया है कि मूल्य तालिका 6 में नकारात्मक रूप से संबंधित और महत्वपूर्ण पाया गया है (बी = -.077, पी <0.01)। इसका मतलब है कि नौकरी-परिवार का संतुलन मुख्य रूप से जनसांख्यिकीय चर, विशेष रूप से महिला कर्मचारियों से प्रभावित होता है।

परिकल्पना 2 में कहा गया है कि कामकाजी महिला कर्मचारियों पर नौकरी-घर के संतुलन पर तनाव का एक निर्धारक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो तालिका 6 में प्राप्त मूल्यों के आधार पर भी पुष्ट पाया जाता है (बी = 0.833, पी <0.05)। यह परिणाम यह समझाएगा कि तनाव जितना अधिक होगा, जेएचबी उतना ही कम होगा।

परिकल्पना 3 के अनुसार, घर पर रिश्तों का कामकाजी महिला कर्मचारियों के नौकरी-घर संतुलन पर एक निर्धारक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह तालिका 6 में देखा गया है कि $b=.553$ और $p<0.001$ के रूप

में दिए गए मानों में रिश्तों और नौकरी-घर संतुलन के बीच सकारात्मक और महत्वपूर्ण संबंध है। इसलिए, हम कह सकते हैं कि H3 स्वीकार्य है। इसके द्वारा, हम कह सकते हैं कि यदि संबंध अच्छे हैं, तो जेएचबी संतुलित है।

परिकल्पना 4 में कहा गया है कि नौकरी की विशेषताओं का कामकाजी महिला कर्मचारियों के नौकरी-घर संतुलन पर एक निर्धारक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसे तालिका 6 में दिए गए आउटपुट मूल्यों के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है, जो कि $p<0.05$ और $b=.071$ पर महत्वपूर्ण है। इसलिए, हम लगातार कह सकते हैं कि यदि विशेषताओं को अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है, तो जेएचबी भी अच्छा है।

परिकल्पना 5 में कहा गया है कि भावनात्मक कल्याण का कामकाजी महिला कर्मचारियों के नौकरी-घर संतुलन पर एक निर्धारक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तालिका 6 में दिए गए मानों के आधार पर, यह पहचाना गया है कि भावनात्मक कल्याण और जेएचबी के बीच एक सकारात्मक संबंध (बी = .219) है और यह पी <0.01 पर भी महत्वपूर्ण है। इसलिए, एच5 अध्ययन के परिणामों के लिए अनुकूल है।

परिकल्पना 6 ने कामकाजी महिला कर्मचारियों पर नौकरी-घर संतुलन पर काम की परिस्थितियों का एक निर्धारक सकारात्मक प्रभाव निर्दिष्ट किया। इसे

स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि यह पाया गया है कि तालिका 6 में एक सकारात्मक मूल्य ($b=.106$) है जिसका महत्व मूल्य $p<0.05$ पर है। इसके साथ, हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि अनुकूल कार्य परिस्थितियाँ मौजूद होने पर जेएचबी को उच्च-स्तरीय या अच्छा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है

चर्चा

वर्तमान अध्ययन, 'ग्रामीण महिला कर्मचारियों का नौकरी-घर संतुलन: बेंगलूर ग्रामीण जिले से एक अंतर्दृष्टि अध्ययन', बेंगलूर ग्रामीण जिले में विभिन्न क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के जेएचबी को समझने के लिए आयोजित किया गया था। अध्ययन ने जेएचबी को प्रभावित करने वाले निर्धारकों की जांच की। हालाँकि कुछ अध्ययन इस अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन ग्रामीण महिलाओं के जेएचबी पर शोध सीमित है, जिसे इस अध्ययन में शामिल किया गया है। निकोरे (2019) ने निर्दिष्ट किया कि लगभग 58% महिलाएँ काम और अपने परिवार में अपनी भूमिकाओं को संतुलित करने के लिए आईटी, बैंकिंग, शिक्षा, बीमा आदि जैसे क्षेत्रों में करियर चुनती हैं। सामान्य तौर पर, कई महिलाएँ कार्य भूमिकाओं के शब्दजाल से बचने के लिए लचीले कामकाजी घंटे या घर से काम करने के विकल्प चुनना पसंद करती हैं (ली, 2000)। कॉर्पोरेट क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के करियर को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए, जेएचबी (श्रीवेनी, 2021) को समझना अनिवार्य है। कम जेएचबी स्तर वाली महिलाओं के नौकरी छोड़ने की संभावना अधिक होती है। इसलिए, जेएचबी को समझना और यह समझना आवश्यक है कि यह महिला कर्मचारियों को कैसे प्रभावित करता है ताकि इसके नतीजों से बचा जा सके। फिर भी, निम्नलिखित चर्चा बिंदु अध्ययन के परिणाम और निष्कर्षों को समझने में हमारी सहायता करेंगे।

नौकरी-घर के संतुलन को प्रभावित करने वाले मुख्य शोध चर में से एक जनसांख्यिकी है। जेएचबी आयु, अनुभव, जेंडर, भुगतान, वैवाहिक स्थिति और घर की स्थिति (मैथ्यू और पंचनाथम, 2009; श्रीवेनी, 2020) जैसे चरों से प्रभावित होगा। अध्ययन के विश्लेषण से यह भी पता चला कि परिकल्पना (H1) स्वीकार की जाती है। कर्मचारियों, विशेषकर महिलाओं में धारणा यह है कि जनसांख्यिकी संगठन के प्रकार और उसके संगठनात्मक ढांचे से जुड़ी होती है।

बेंगलूर ग्रामीण जिले के विशिष्ट उद्योगों में, तनाव महिला कर्मचारियों के लिए नौकरी-घर के संतुलन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। आनुपातिक परिकल्पना (H2) को अपनाया गया है, क्योंकि अध्ययन

के परिणामों ने तनाव और जेएचबी के बीच लगातार नकारात्मक संबंध प्रदर्शित किया है। जब पारिवारिक परिस्थितियों और काम की तुलना की जाती है, तो महिलाएं आमतौर पर केवल अपने परिवार के बारे में अधिक संवेदनशील और भावुक होती हैं महिला कर्मचारियों को तनाव कम करने की पहल करने वाली कंपनियाँ निस्संदेह उनके जेएचबी को बढ़ाने में उनकी सहायता करेंगी (श्रीवेनी, 2021)। वे संगठनात्मक सहायता और तनाव से निपटने की तकनीकों का उपयोग करके तनाव और जेएचबी को संभाल सकती हैं (अमेज्यू और ओनिशी, 2015)।

घर पर रिश्ते जांच का एक और महत्वपूर्ण घटक है। कर्मचारियों, विशेष रूप से महिलाओं, का अपने परिवारों के साथ सकारात्मक संबंध होना चाहिए। इससे उनके करियर, तनावपूर्ण भूमिकाओं और दायित्वों के साथ-साथ नौकरी-घर के संतुलन को भी लाभ होगा (ओलुडेयो और ओमोनियो, 2020)। जिन महिलाओं ने घर पर काम और मनोरंजन दोनों के लिए घंटे तय किए हैं, वे घर पर रिश्तों द्वारा प्रस्तुत कठिनाइयों का प्रबंधन कर सकती हैं। इसलिए पड़ोसियों, सहकर्मियों, दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सकारात्मक, स्वस्थ संबंध बनाना आवश्यक है। अध्ययन के निष्कर्ष यह प्रदर्शित करके परिकल्पना 3 का समर्थन करते हैं कि घर पर रिश्तों और जेएचबी का एक बड़ा संबंध है।

इसी तरह, नौकरी की विशेषताएँ नौकरी-घर के संतुलन को प्रभावित करती हैं, जो अध्ययन का एक और महत्वपूर्ण तत्व है। नौकरी की विशेषताओं और जेएचबी के बीच सकारात्मक संबंध आवश्यक हैं। महिला कर्मचारियों को तनाव का अनुभव हो सकता है यदि उनके पास अधिक कार्यभार, लंबे कार्यदिवस और अधिक मांग वाले कार्य हों। वे घर पर अपनी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने के लिए संघर्ष कर सकती हैं। विशेष रूप से कामकाजी माताओं को अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए पर्याप्त समय देना मुश्किल लगता है (वुड और न्यूटन, 2006)। इसलिए, कर्मचारियों को काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए सहायक नौकरी विशेषताओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, परिकल्पना 4 का अनुमान लगाकर, परिणामों के विश्लेषण से यह निर्धारित होता है कि नौकरी विशेषताओं और जेएचबी के बीच सकारात्मक संबंध है।

ऐश्वर्या और रामसुंदरम (2012) के अनुसार, भावनात्मक कल्याण को भी नौकरी-घर संतुलन के प्राथमिक कारणों में से एक माना जाता है। कर्मचारियों को अपने काम के बारे में अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। काम से संबंधित

तनावों के कारण जो जेएचबी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, कर्मचारी अक्सर मनोवैज्ञानिक थकावट, अवसाद, व्याकुलता और व्यवहार में बदलाव का अनुभव करते हैं। इसलिए, भावनात्मक कल्याण कर्मचारियों को मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। जेएचबी (भारती एट अल., 2015) और नौकरी के प्रदर्शन (जैन, 2022) को बढ़ाने के लिए, संगठन योग, ध्यान, व्यायाम, भावनात्मक संतुलन कक्षाएं, व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम और पोषण आहार पर कार्यशालाओं की पेशकश करके व्यक्तियों की सहायता कर सकते हैं। तालिका 6 में डेटा दिखाता है कि भावनात्मक कल्याण और जेएचबी का सकारात्मक संबंध है, जो परिकल्पना 5 का समर्थन करता है।

बेहतर नौकरी-घर संतुलन के लिए, महिला कर्मचारी लगातार बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की तलाश कर रही हैं। कर्मचारी अपने दोस्तों और वरिष्ठों के सहयोग से अपने जेएचबी के स्तर को बढ़ा सकते हैं, अपनी अनुपस्थिति के दौरान काम को साझा करके, सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति, कर्मचारी जुड़ाव पहल और कौशल को अद्यतन करने वाली प्रशिक्षण गतिविधियों के माध्यम से (निहारिका और सुप्रिया, 2020; कोपनित्सानो, 2017)। चूंकि काम करने की स्थिति और जेएचबी का सकारात्मक संबंध है, इसलिए अध्ययन के परिणाम परिकल्पना 6 का भी समर्थन करते हैं। इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना संभव है कि इस लेख में चर्चा किए गए कारकों का निष्कर्ष और नतीजे के आधार पर जेएचबी पर प्रभाव पड़ता है।

अध्ययन की सीमाएँ

अध्ययन की प्राथमिक सीमाएँ नीचे सूचीबद्ध हैं। अध्ययन बैंगलोर ग्रामीण जिले तक सीमित था, और केवल कुछ सेवा उद्योगों को शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त, अध्ययन छह नौकरी-घर संतुलन विशेषताओं तक सीमित था, जबकि अतिरिक्त कारक, जैसे भते, जीवनसाथी का समर्थन, नौकरी की अस्पष्टता, आदि को ध्यान में नहीं रखा गया था। हालाँकि यह एक वैश्विक समस्या है, लेकिन नमूना महिला कर्मचारियों तक ही सीमित था।

व्यवहारिक निहितार्थ

भारत में कामकाजी महिलाओं का अनुपात काफी बढ़ गया है। नियमित भूमिकाओं के लिए महिलाओं को काम पर रखना कुछ ऐसा है जिसमें कई संगठन रुचि रखते हैं। नियोक्ता अब महिला कर्मचारियों को महत्वपूर्ण मानव संसाधन के रूप में देखते हैं। नतीजतन, सभी उद्योगों में महिला

कर्मचारियों की भागीदारी में वृद्धि हुई है और उनके करियर में उन्नति हुई है। हालाँकि, भारत में महिलाओं को अपने परिवार से ज्यादा अपने काम को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। यह सच है कि महिलाएँ बहुत से पदों पर पहुँचती हैं, फिर भी उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी उठानी पड़ती हैं। इस प्रकार, एक कामकाजी महिला को अपने घर और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसलिए, विभिन्न कॉर्पोरेट क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने की ज़रूरत है। आईटी, बीपीओ और आतिथ्य जैसे कुछ उद्योगों के लिए, वफ़ादारी को बढ़ावा देने और पारिवारिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बेहतर कार्यस्थल संस्कृति आवश्यक है (श्रीवेनी, 2022)। वर्क फ्रॉम होम (डब्ल्यूएफएच) एक नया वैचारिक ढाँचा है जो आईटी, बीपीओ और शिक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों में उच्च स्तर की नौकरी-घर संतुलन रखने पर ध्यान केंद्रित करता है (बिक एट अल., 2023)। कर्मचारियों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, बैंकिंग, बीमा और चिकित्सा जैसे अन्य अध्ययन उद्योग कार्य/परिवार प्रबंधन (डब्ल्यूएफएच) पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं (चैंबेल एट अल., 2022)। मध्यम आयु वर्ग के नियोक्ता जिनके बच्चे हैं या जो विवाहित हैं, उन्हें इस दृष्टिकोण से विशेष रूप से लाभ होगा क्योंकि यह उन्हें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम करेगा (कैथलीन, 2008)।

सैद्धांतिक निहितार्थ:

इसके अलावा, सेवा उद्योगों को महिला कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए और अध्ययन को प्रभावित करने वाले कारकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच, कर्मचारियों और कंपनी के बीच, और कर्मचारियों एवं एक दूसरे के बीच के रिश्ते भी इन चरों को प्रभावित करते हैं। एक संगठन को विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए एक अच्छा और न्यायसंगत कार्य वातावरण स्थापित या सुधार करना चाहिए। महिलाओं को अपनी भूमिका आवश्यकताओं का समर्थन करने और अपने नौकरी-घर के संतुलन को मजबूत करने के लिए घर पर भी स्वस्थ संबंध बनाए रखना चाहिए। कभी-कभी, महिलाओं को अपने तनाव को प्रबंधित करने और अपने परिवार की मांगों को पूरा करने में मदद करने के लिए अपने अधीनस्थों से समर्थन की आवश्यकता होती है। जेएचबी को प्रबंधित करने के लिए भावनात्मक कल्याण पहल की जानी चाहिए। इसके अलावा, महिला कर्मचारी आवश्यकतानुसार कार्य शेड्यूल, छुट्टी का समय और वास्तविक जिम्मेदारियाँ सौंप सकती हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर, अलग-अलग संगठनात्मक स्तरों पर काम करने वाली महिलाएँ आमतौर पर अपने संबंधित व्यवसायों और परिवार को अलग-अलग नज़रिए से देखती हैं। नतीजतन, अपने कार्यबल को बेहतर बनाने के लिए, फर्मों को कॉर्पोरेट नौकरियों में महिलाओं के अनुपात को समझने और उन्हें सहायता

प्रदान करने की आवश्यकता है (ओल्सेन और मेहता, 2006)। संगठनों को सहायता पहलों के परे भी सोचना शुरू करना चाहिए और ऐसे कानून बनाने पर जोर देना चाहिए जो महिलाओं को दीर्घकालिक रोजगार बनाए रखने में मदद करे और एक स्वस्थ नौकरी-परिवार संतुलन की गारंटी दे।

संदर्भ

- Aiswaraya, B., & Ramasundaram, G. (2012). The Function of Work-Family Conflicts as a Mediator between Work Exhaustion and Job Stress. *The IAMS Journal of Business Spectrum*, 5(1), 52-68.
- Alan, L. S., Yuan, T., & Grace, H. S. (2001). Work-Family Balance and Job Satisfaction: The Impact of Family-Friendly Policies and Attitudes of Federal Government Employees. *Public Administration Review*, 61(4), 452-467.
- Amazue, L. O., & Onyishi, I. E. (2015). Stress Coping Strategies Perceived Organisational Support and Marital Status as Predictors of Work-Family Balance among Nigerian bank Employees. *Social Indicators Research*, 26(3), 1-13.
- Ambardar, A., & Singh, A. (2017). Quality of Work-Life Practices in the Indian Hotel Industry. *International Journal of Hospitality and Tourism Systems*, 10(1), 22-33.
- Aparajita Ray. (2013). '75% of Bangalore's Women don't go Out to Work', Times of India, 25 May, <https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/75-of-bangalores-women-dont-go-out-to-work/articleshow/20254699.cms>
- Aparajita Ray. (2017). 'Women are Only One-Third of Labour Force in Karnataka', 8 March, <https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/women-are-only-one-third-of-labour-force-in-karnataka/articleshow/57527780.cms>
- Bagger, J. & Li, A. (2014). How Does Supervisory Family Support Influence Employees' Attitudes and Behaviors? A social exchange perspective. *Journal of Management*, 40(4), 1123-50.
- Bharathi, V., Mala, & Bhattacharya, S. (2015). Work-Family Balance of Women Employees in the Information Technology Industry. *Asian Journal of Management Research*, 5(3), 323-343.
- Bick, A. C., Blandin, A., Mertens, K. (2023). Work from Home before and after the COVID-19 Outbreak. *American Economic Journal: Macro Economics*, 15(4), 1-39.
- Brough, P., & Pears, J. (2004). Evaluating the Influence of the Type of Social Support on Job Satisfaction and Work-Related Psychological Well-being. *International Journal of Organisation Behaviour*, 8(2), 472-485.
- Brummelhuis, L.L., & Lipper, T.V. (2010). Effective Work-Life Balance Support for Various Household Structures. *Human Resource Management*, 49(2), 173-193. <https://doi://10.1002/hrm.20340>.
- Carlson, D. S., Grzywacz, J.G., & Zivnuska, S. (2009). Is Work-Family Balance more than Conflict and enrichment? *Human Relations*, 62(10), 1459-1486. <https://doi.org/10.1177/0618726709336500>.
- Carlson, D. S., Michele, K. K., & Williams, L. J. (2000). Construction and Initial Validation of a Multidimensional Measure of Work-Family Conflict. *Journal of Vocational Behaviour*, 56, 249-276.

- Chambel, M.J., Castanheira, F. & Santos, A. (2022). Teleworking in Times of COVID-19: The Role of Family Supportive Supervisor Behaviors in Workers' Work-Family Management, Exhaustion, and Work Engagement. *The International Journal of Human Resource Management*, 34(15), 2924-2959. <https://doi.org/10.1080/09585192.2022.2063064>
- Chawla, D., Dokadia, A., & Rai, S. (2017). Multigenerational Differences in Career Preferences, Reward Preferences, and Work Engagement among Indian Employees. *Global Business Review*, 18(1), 181-197. <https://doi.org/10.1177/0972150916666964>.
- Copanitsanou, P., Fotos, N. & Brokalaki, H. (2017). Effects of Work Environment on patient and nurse outcomes. *British Journal of Nursing*, 26(3), 172-176. <https://doi:10.12968/bjon.201.26.3.172>.
- Dash, M., Anand, V., & Gangadharan, A. (2012). Perceptions of Work-Family Balance among IT Professionals. *IUP J. Organizational Behavior*, 11(1), 51-65.
- Emslie, C., & Hunt, K. (2009). Live to work' or 'work to live? A qualitative study of gender and work-family balance among men and women in mid-family. *Gender, Work and Organisation*, 16(1), 151.
- Geertje, V., Tineke, D. M., & Willemsen, K. S. (2006). Reducing Work-Family Conflict through Different Sources of Social Support. *Journal of Vocational Behaviour*, 69(3), 462-476.
- Gupta, V., & Saran, A. (2013). Making of the Trendsetter Generation of Women Leaders in India: Dimensionalising the Impact of Economic Liberalisation. *IUP Journal of Business Strategy*, 10(2), 7-21.
- Hinno, S. (2012). The Professional Practice Environment Hospital Nurses' Perspectives in Three European Countries. University of Eastern Finland, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing Science. Publications of the University of Eastern Finland: Dissertation in Health Sciences 107. (PhD thesis) [https://tinyurl.com/jre2jcg\(assessed2january2017\)](https://tinyurl.com/jre2jcg(assessed2january2017))
- Isa, M., & Indrayati, N. (2023). The Role of Work-Life Balance as Medication of the Effect of Work-Family Conflict on Employee Performance. *South Asian Journal of Human Resource Management*, 21(10), a1910. <https://doi.org/10.4102/sajhrm.v21i10.1910>.
- IWWAGE. (2023). Women's Workforce Participation In India: Statewise Trends, https://iwwage.org/wp-content/uploads/2023/03/Karnataka_Factsheet.pdf
- Jaenudin, J., Komariah, A., Chupradit, S., Kurniacy, A.D., Chupradit, W.P., Singh, K., Ahmed, A.A., Mustafa, Y.F., & Alkhayyat, A. (2022). Study of the Role of Mindfulness Intervention Based on Stress Reduction in Psychological Distress and Self-Efficacy among the Health Industry Staff during the COVID-19 Pandemic. *International Journal of Work Organization and Emotion*, 13(2), 172-185.
- Jain.S. (2022). Well-Being and Work Productivity of Indian Educators during Imposed Online Teaching in Higher Education Institutions. *International Journal of Work Organisation and Emotion*, 13(1), 57-82. <https://doi.org/10.1504/IJWOE.2022.121981>
- Julie, A. W., & Diane, M. H. (2009). Flexible Working, Professional Success, and Being Female: Are They Incompatible? *Review of European Studies*, 1(2), 39-53.
- Juna, M.A., Anshari, M., Ahmad, N., & Hamdan, M. (2022). Working from Home, COVID-19 and Multidimensional Model of Well-Being Theory. *International Journal of Work Organisation and Emotion*, 13(3), 230-259.
- Kathleen, K., Janet, A. D., & Agatha, M. G. (2008). The Interplay of Concepts, Data, and Methods in the Development of the Family Management Style Framework. *Journal of Nursing*, 14(4), 412-428. PMID:19139156

- Kumari, T.K. (2022). Work/Family Conflict and Career Advancement: Demographic Differences as Moderators among IT Employees. *Prabandhan: Indian Journal of Management*, 15(9), 25-39.
- Kushal, P., Parmar, J.S. (2019). Work-Life Balance and Its Relation to Demographic Factors: A Study on Police Personnel of Himachal Pradesh. *Journal of Strategic Human Resource Management*, 8(1), 1-12.
- Lee, C. (2013). Gap Analysis: Comparison of Job-Related Attributes between Importance and Satisfaction. *International Journal of Hospitality and Tourism Systems*, 6(1), 1-12.
- Lee, P. C. B. (2000). Turnover of Information Technology Professionals: A Contextual Model. *Accounting Management and Information Technologies*, 10(2), 101–124. [https://doi:10.1016/S0959-8022\(99\)00016-8](https://doi:10.1016/S0959-8022(99)00016-8)
- Mathew, R. V., & Panchanatham, N. (2009). Work-Family Balance Issues among the Women Entrepreneurs in South India. *Emerging Entrepreneurial Strategies for Self Development and Skill Development*, 22, 46-57.
- McGinn, K. (2015). Having a Working Mother is Good for You. HBS Press Release. Boston, MA.
- Niharika, D., & Supriya, M. V. (2010). Gender Differences in Perception of Work-Family Balance. *Management*, 5(4), 331-342.
- Nikore, M. (2019, October 14). Where are India's Working Women? The Times of India. <https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/irrational-economics/where-are-india-working-women/>.
- Nizam, I., & Khan, C. (2018). The Determinants of Work-Family Balance in the Event Industry of Malaysia. *International Journal of Management, Accounting, and Economics*, 5(3), 141-168.
- Olsen, W. & Mehta, S. (2006), Female Labor Participation in Rural and Urban India: Does Housewives' Work Count?, *Radical Statistics* 93, available at: www.radstats.org.uk/no093/OlsenMehta93.pdf .
- Oludayo, A.O., Omonijo, D.O. (2020). Work-Life Balance: The Relevance of Social Support. *Academy of Strategic Management Journal*, 19(3), 1-10.
- Pradhan, R.K., & Hati, L. (2019). The Measurement of Employee Well-Being: Development and Validation of a Scale. *Global Business Review*, 1-23, <https://doi:10.1177/0972150919859101>.
- Rajadhyaksha, V. (2012). Work-Life Balance in South East Asia: The Indian Experience. *South Asian Journal of Global Business Research*, 1(1), 108-127. <https://doi:10.1108/20454451211207615>.
- Ranjitha, R. (2021). Measuring the Mental Well-Being of e-Workers and Its Impact on e-Work Life Balance during COVID-19 Pandemic. *Psychological and Education Journal*, 58(4), 718-728.
- Roxanne, A. D., Andrew, L. P., & Allison, N. P. (2007). Walking the Maternal Tightrope. *New England Journal of Public Policy*, 22(1/2), 195-206.
- Shilpa, (2023, August 22). Management's Focus on Diversity, Equity, and Inclusion Helps Raise the Number of Women at Work. Times of India, pg.1.
- Spector, P. E. (1985). Measurement of Human Service Staff Satisfaction: Development of the Job Satisfaction Survey. *American Journal of Community Psychology*, 13(6), 693-713.
- Sturges, J. & Guest, D. (2004). Working to Live or Living to Work? Work/Life Balance Early in the Career. *Human Resource Management Journal*, 14(4), 5-20. <https://doi.101111/j.1748-8583.2004.tb00130.x>.

- Tang, T. Y., & Chang, C. H. (2010). Impact of Domain Ambiguity and Domain Conflict on Employee Creativity. *African Journal of Business Management*, 4(6), 869–881.
- Tavassoli, T., & Sune, A. (2018). A National Study on the Antecedents and Outcomes of Work-Life Balance in Iranian People. *International Journal of Social Sciences*, 3(3), 1616-1636.
- Thriveni, K. K. & V. R. Devi. (2014). A Study on Factors Affecting the Work-Life Balance of Women Employees at Bangalore. *JIMS 8M*, 19(4), 3-11. DOI: 10.17010/pijom/2020/v13i1/149946
- Thriveni, K. K. & V. R. Devi. (2021). Impact of Work-Family Conflict on Career Development of Knowledge Workers in Indian IT Sector: Examining Moderating Effect of Age. *International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP)*. 12(3). 37-58. <https://doi:10.4018/IJHCITP.2021070103>
- Thriveni, K. K. (2020). Effect of Professional Attributes on Professional-Life Conflict: Gender as a Moderator in the Indian IT Industry. *Prabandhan: Indian Journal of Management*. 13(1). 33-44. DOI: 10.17010/pijom/2020/v13i1/149946
- Thriveni, K. K. (2021). Effect of Career Determinants on Employee Engagement in Indian IT Sector: Gender as Moderator. *International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP)*, 12(4), 13-30. DOI: 10.4018/IJHCITP.2021100102
- Thriveni, K. K. (2022). Adverse Effect of Work Role Stress on Family Role Conflict among Married IT Professionals In India. *International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals*, 13(1), 1-15. DOI: 10.4018/IJHCITP.299065
- Thriveni, K.K., & Rama, D.V. (2012). Impact of Demographic Variables on Work-Life Balance of Women Employees with Special Reference to Bangalore City. *International Journal of Advances in Management and Economics*, 1(6), 226-229.
- Trinkoff, A.M., Johantgen, M., Stors, C.L., Gurses, A.P., Liang, & Y. Hank. (2011). Nurses' Work Schedules Characteristics, Nurse Staffing, and Patient Mortality, *Nurs Res*, 60(1), 1-8. <https://dx.doi.org/10.1097/NNR.0b013e3181ff15d>.
- Wei, F., Ying, F., & Liangliang, W. (2009). The Stressors in Professional Women's Work-Family Conflict: A Chinese Study. *Canadian Social Science*, 5(3), 62-67.
- Wilkinson (2013). Work-Life Balance and Psychological Well-being in Men and Women. Dissertation Submitted to Auburn University, August 2013, Pg.6.
- Wong, P.W., Bandar, N.F.A, & Saili, J. (2017). Workplace Factors and Work-Life Balance among Employees in Selected Service Sectors, *International Journal of Business and Society*, 18(S4), 677-684.
- Wood, G. J., & Newton, J. (2006). Childlessness and Women Managers: 'Choice', Context and Discourses. *Gender, Work and Organisation*, 13(4), 338- 358.
- Yadav, R.K., & Yadav, S.S., (2014). Impact of Work-Life Balance and Stress Management on Job Satisfaction among the Working Women in Public Sector Banks. *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, 5, 63-70

पुस्तक समीक्षाएँ

चीन का ग्रामीण विकास मार्ग, ज़ियाओशान झांग, झोउ ली, एट अल., स्प्रिंगर नेचर सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड और सोशल साइंसेज एकेडमिक प्रेस, 2018, आईएसबीएन आईएसबीएन: 978-981-13-5452-6, आईएसबीएन 978-981-10-5646-8 (ईबुक) 245 पृष्ठ, अंग्रेजी में; हार्ड कवर आईएनआर 9,576

यह पुस्तक मूल रूप से 2013 में इकोनॉमिक मैनेजमेंट प्रेस द्वारा 'चीनी विशेषताओं के साथ समाजवादी आर्थिक विकास मार्ग' श्रृंखला के भाग के रूप में चीनी भाषा में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1982 में सुधारों के बाद चीन में अपनाई गई नीतियों और पहलों पर केंद्रित अनुभवजन्य अध्ययन शामिल हैं। सोशल साइंसेज एकेडमिक प्रेस ने 'चीन के ग्रामीण विकास मार्ग' को अंग्रेजी में प्रकाशित किया, जिससे यह चीन के ग्रामीण विकास प्रयोगों और अनुभवों में रुचि रखने वाले विदेशी पाठकों के व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो गया। यह प्रकाशन ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों पर वैश्विक चर्चा में एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण योगदान है, जो अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को चीन के ग्रामीण विकास पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। पुस्तक को सोलह अध्यायों में संरचित किया गया है, जो चीन में ग्रामीण विकास के विशिष्ट पहलुओं की जांच करते हैं। प्रत्येक अध्याय की विषय-वस्तु चीन में सुधार-पूर्व और सुधार-पश्चात अवधि में सरकार द्वारा किए गए नीतिगत हस्तक्षेपों और ग्रामीण विकास पहलों तथा क्षेत्रीय सुधारों की प्रगति का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। इन सोलह अध्यायों में प्रमुख ग्रामीण विकास क्षेत्रों जैसे कृषि प्रबंधन, ग्रामीण भूमि प्रणाली, ग्रामीण श्रम, ग्रामीण सहकारी आर्थिक संगठनों और टाउनशिप और ग्राम उद्यमों (टीवीई) के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक विकास, ग्रामीण वित्तीय प्रशासन, ग्रामीण शासन प्रणाली, ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास, ग्रामीण प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण, और ग्रामीण सुरक्षा प्रणाली पर मुख्य रूप से चर्चा की गई है।

पहला अध्याय, 'चीन में ग्रामीण विकास: समीक्षा और चिंतन', तीन दशकों में चीन में ग्रामीण विकास की प्रगति और उपलब्धियों पर चर्चा करता है तथा वर्तमान में इन मुद्दों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है। इस

अध्याय में ग्रामीण समाजवादी बाजार प्रणाली के गठन तथा 1956 से 21वीं सदी के दूसरे दशक के मध्य तक समाजवाद के प्राथमिक चरण में ग्रामीण शासन संरचना में किए गए सुधारों और विकास पर विस्तार से चर्चा की गई है। चीन में अर्थव्यवस्था और राजनीति के दो क्षेत्रों में सुधारों की प्रक्रिया को समझाते हुए लेखकों ने चीन में ग्रामीण विकास सुधारों की स्थिति का वर्णन किया। उन्होंने चीन में ग्रामीण विकास में भविष्य के विकास रुझानों की संभावनाओं को रेखांकित किया।

दूसरा अध्याय, 'कृषि के लिए राष्ट्रीय प्रबंधन और बुनियादी संचालन का विकास', तीन दशकों में चीन में कृषि विकास सुधारों के विकास पर चर्चा करता है, जिसमें 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भूमि प्रबंधन कानून', ग्रामीण भूमि अनुबंध और संचालन प्रणाली और चीन में कृषि विकास में ग्रामीण लोगों के समुदायों की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस अध्याय में, लेखक देश में कृषि के प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीतियों को मजबूत करने के लिए कृषि विकास में सुधारों को गहरा करने का सुझाव देता है, जैसे उत्पादन और बाजारों के प्रभावी एकीकरण को बढ़ावा देना और ग्रामीण सामूहिक अर्थव्यवस्था के प्रभावी रूपों की खोज करना।

तीसरा अध्याय, 'कृषि उत्पादों और उत्पादन के कारकों के लिए संचलन प्रणाली का विकास' सुधारों से पहले, बाज़ारीकरण अवधि के दौरान और 21वीं सदी में कृषि विकास नीतियों पर केंद्रित है, जिन पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस अध्याय में मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के साधनों और कृषि उत्पादों के वितरण के लिए संचलन प्रणाली से संबंधित विभिन्न नीतियों पर चर्चा की गई है।

चौथे अध्याय, 'टाउनशिप और ग्राम उद्यमों का विकास और स्वामित्व प्रणाली का परिवर्तन' में, लेखक ने चीन में टीवीई की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और चीन में ग्रामीण लोगों के आर्थिक विकास को बदलने में उनके योगदान पर चर्चा की है। चीन में टीवीई की स्थापना जमीनी स्तर की सरकारों, उद्यमियों और ग्रामीण आबादी द्वारा सामूहिक रूप से की गई थी और ये मुख्य रूप से कृषि उत्पादन से अलग उत्पादन

विधियों का उपयोग करके औद्योगिक गतिविधियों में लगे हुए थे। चीन में टीवीई के उदय ने पारंपरिक कृषि और शहरी औद्योगिक क्षेत्रों के बीच बाजार संबंधों को जन्म दिया।

पांचवां अध्याय, 'ग्रामीण सहकारी आर्थिक संगठन: विकास और नवाचार', चीन में ग्रामीण सहकारी आर्थिक संगठनों के प्राथमिक स्वरूपों और कृषि के लिए सामाजिक सेवाओं में सुधार, कृषि उत्पादन के लिए पूर्ण-प्रक्रिया सेवाएं प्रदान करने, पौधों की बीमारियों और कीटों को रोकने और नियंत्रित करने, नई किस्मों और रोपण प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ाने में इन संगठनों की भूमिका पर चर्चा करता है। कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण और औद्योगिक कृषि कार्यों में भागीदारी को बढ़ावा देने वाले ग्रामीण सहकारी संगठनों के प्रभाव से कृषि में विशेषज्ञता बढ़ती है और ग्रामीण समुदायों की आय में वृद्धि होती है।

छठा अध्याय, 'ग्रामीण श्रम बाजार का विकास', चीन में ग्रामीण श्रम बाजार के रोजगार और शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी के श्रम प्रवास पर नियंत्रण को तेज करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का अवलोकन प्रदान करता है, जो शहरी रोजगार पर दबाव डालता है। घरेलू पंजीकरण प्रबंधन प्रणाली, चीन का एक अनूठा दृष्टिकोण, न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के सरल पंजीकरण के लिए एक प्रणाली है, बल्कि शहरी और ग्रामीण श्रम बाजारों की व्यापक योजना और ग्रामीण प्रवासी मजदूरों के लिए एक मजबूत शहरी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

सातवां अध्याय, 'ग्रामीण भूमि प्रणाली का विकास', चीन में ग्रामीण भूमि प्रणाली के विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। चीन में ग्रामीण भूमि प्रणाली की शुरुआत घरेलू अनुबंध जिम्मेदारी प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ हुई थी। चीन के भूमि प्रबंधन कानून के तहत, ग्रामीण भूमि प्रणाली में कानून द्वारा शासन ने भूमि अनुबंध प्रणाली का मानकीकरण प्रदान किया, अनुबंधित भूमि पर ग्रामीण आबादी के अधिकारों को अधिक स्थिर, दीर्घकालिक और अधिक उदार बनाया, और अनुबंधित भूमि को संचालित करने के अधिकारों को अधिक पूर्ण बनाया। चीन में ग्रामीण भूमि प्रणाली के विकास में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि

यह है कि ग्रामीण लोगों ने भूमि अनुबंध और संचालन के अधिकार प्राप्त किए हैं।

आठवां अध्याय, 'ग्रामीण वित्तीय प्रणाली में सुधार और विकास', चीन में ग्रामीण वित्तीय प्रणाली में सुधार और विकास की समझ प्रदान करता है। चीन में ग्रामीण वित्तीय प्रणाली में सुधार और विकास मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में हुए हैं, यानी ग्रामीण वित्तीय संस्थानों की मौजूदा संरचनाओं में सुधार और ग्रामीण चीन में विकास-केंद्रित विकास के लिए नए ग्रामीण वित्तीय संस्थानों का निर्माण और विस्तार। इस अध्याय में ग्रामीण आबादी के आर्थिक विकास में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका, जैसे कि चीन का कृषि विकास बैंक (एडीबीसी), माइक्रोफाइनेंस कंपनियां, शहर और गांव के बैंक, पूंजी पारस्परिक सहायता समितियां और ग्रामीण निजी वित्तीय संस्थाएं, की भी चर्चा की गई।

नौवां अध्याय, 'ग्रामीण राजकोषीय प्रशासन और कराधान का विकास', कृषि कर नीतियों और टीवीई के लिए कराधान ढांचे के बारे में जानकारी प्रदान करता है। लेखक बताते हैं कि चीनी सरकार ने कराधान प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार लागू किए, टीवीई के लिए कृषि कर और अधिमान्य कर नीतियों को समाप्त कर दिया ताकि टीवीई, विशेष रूप से ग्रामीण सामूहिक उद्यमों के विकास का समर्थन किया जा सके। अधिमान्य कर नीतियों के अंतर्गत, सुधारों के बाद टीवीई में तेजी से वृद्धि हुई, क्योंकि कर की दरें नाममात्र कर दरों से बहुत कम थीं और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) की तुलना में भी कम थीं।

दसवां अध्याय, 'चीन की कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एएसटी) प्रणाली का विकास' में ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए चीन की एएसटी प्रणाली के अनुभवों और नवाचारों पर चर्चा की गई है। चीन में कृषि अनुसंधान निकायों ने आरंभ में संकर चावल में बीज क्रांति में बहुत योगदान दिया है, कृषि मशीनरी और उपकरणों के उपयोग को बढ़ाया है, और कृषि नेटवर्क के लिए स्थानीय तकनीकी कर्मियों को बढ़ावा देने और ग्रामीण आबादी के बीच कृषि ज्ञान बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। एएसटी प्रणाली ने देश में कृषि प्रौद्योगिकी प्रसार प्रणाली को विकसित करने और विविध प्रसार प्रणाली बनाने में भी मदद की।

लेखक ने ग्यारहवें अध्याय 'ग्रामीण कस्बों और गांवों का निर्माण और विकास' में बुनियादी ग्रामीण राजनीतिक और प्रशासनिक प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में विकास पर चर्चा की है। शहर और गांव के विकास मॉडल में बदलावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है, और इस अध्याय में इन मॉडलों का मूल्यांकन किया गया है। शहर और गांव के विकास मॉडल बनने से पहले, स्थानीय सरकारों के पास सीमित वित्तीय शक्तियाँ थीं, जिसके परिणामस्वरूप शहर और गांव के विकास गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए संसाधनों की कमी थी। सुधारों के तहत, टाउनशिप और शहरों को स्थापित करना समाप्त कर दिया गया, और शहरों के विलय ने उन्हें पड़ोस के कार्यालयों में बदल दिया, केंद्रित जीवन, रोजगार और सेवाएँ और एक स्वायत्त शहर और गांव विकास प्रबंधन प्रणाली के साथ शहरी मॉडल के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में समुदायों का निर्माण किया गया।

बारहवाँ अध्याय, 'चीन में ग्रामीण शासन: समीक्षा और दृष्टिकोण', ग्रामीण शासन संरचना और ग्रामीण शासन प्रणाली में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में, ग्रामीण शासन तंत्रों पर मुख्य रूप से चार क्षेत्रों में चर्चा की गई है, अर्थात्, लोकतांत्रिक चुनावों सहित आधिकारिक ग्रामीण शासन अंगों के उत्पादन के तरीके; आधिकारिक ग्रामीण शासन अंगों, अन्य अर्ध-सरकारी अंगों और निजी निकायों के बीच संबंध; ग्रामीण शासन में राजकोषीय संबंध, जिसमें राजकोषीय आय के लिए वित्तपोषण के तरीके और राजकोषीय व्यय के उपयोग के लिए बुनियादी नियम शामिल हैं; और ग्रामीण शासन अंगों में आवश्यक कार्य और विभागीय श्रम विभाजन। घरेलू पंजीकरण प्रणाली ने चीन की आबादी को शहरी और ग्रामीण वर्गों में विभाजित कर दिया और ग्रामीण आबादी की शहरों में स्वतंत्र रूप से रहने और काम करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। 1980 के दशक के दौरान सुधारों के हिस्से के रूप में, कई कानून पारित किए गए, जिन्होंने गांवों के लिए ग्राम समितियों और स्वशासन के आयोजन के लिए ठोस प्रावधान किए। 1998 में, सरकार ने ग्राम स्वशासन को व्यापक रूप से बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा, इसे चीन के क्रॉस-सदी ग्रामीण विकास के एक आवश्यक उद्देश्य के रूप में स्थापित किया, जिसने चीन में ग्राम स्वशासन के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान की। चीन के विकसित पूर्वी क्षेत्रों में

ग्रामीण आबादी की ग्रामीण लोकतंत्र के लिए मजबूत मांग थी और उन्होंने सरकार के उच्च स्तरों पर नेताओं के लोकतांत्रिक चुनाव के संबंध में मजबूत राजनीतिक विचार व्यक्त किए, विशेष रूप से कस्बों और टाउनशिपों में। अधिकांश पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण आबादी में लोकतंत्र की कोई मजबूत मांग नहीं है, क्योंकि उनके समाज और अर्थव्यवस्था की प्रकृति बंद है। ग्रामीण समाज में नव-उभरे धनी वर्ग और प्रमुख परिवार देश के ग्रामीण लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं।

तेरहवें अध्याय, 'ग्रामीण सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का विकास' में सुधार से पहले और बाद की ग्रामीण सुरक्षा प्रणालियों का विश्लेषण किया गया है। सुधारों से पहले, चीन की ग्रामीण सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तीन प्राथमिक रूप थे। पहला ग्रामीण उत्पादन और वितरण प्रणालियों के भीतर सामाजिक सुरक्षा तंत्र था। दूसरा "पांच गारंटी सहायता प्रणाली (भोजन, कपड़े, आवास, स्वास्थ्य सेवा और अंतिम संस्कार प्रदान करने के साधन)" और समुदायों में स्थापित "सहकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली"। तीसरा आपदा राहत प्रणाली जिसका मार्गदर्शन और भुगतान सरकार द्वारा किया जाता था। सुधारों के बाद, सामूहिक संचालन की उत्पादन और वितरण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, श्रम और समान वितरण को एकीकृत किया गया और घरेलू अनुबंध जिम्मेदारी प्रणाली को लागू किया गया। इस प्रणालीगत सुधार ने कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी की उत्पादन से सीधे जीवित रहने और सुरक्षा प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाया। 1992 में, चीन की सरकार ने एक ग्रामीण पेंशन प्रणाली विकसित की जिसके तहत ग्रामीण आबादी को स्वतंत्र रूप से भाग लेने की अनुमति दी गई और 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन भुगतान प्राप्त होगा। इस प्रणाली को मुख्य रूप से व्यक्तिगत भुगतानों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, जिसमें गांव के सामूहिक योगदान का एक हिस्सा होता है और सभी व्यक्तिगत और सामूहिक भुगतान व्यक्तिगत खातों में जाते हैं। 2009 में, चीनी सरकार ने पायलट आधार पर नई सामाजिक पेंशन बीमा (एनएसपी) शुरू की, जिसे 2012 तक देश के सभी क्षेत्रों में विस्तारित किया गया। पुरानी और नई पेंशन प्रणालियों के बीच मुख्य अंतर वित्तपोषण संरचना है। नई प्रणाली को व्यक्तिगत भुगतान, सामूहिक सब्सिडी और स्थानीय सरकारों से वित्तपोषण के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

सरकार ने देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत ग्रामीण न्यूनतम जीवन स्तर गारंटी प्रणाली और ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली भी स्थापित की।

चौदहवाँ अध्याय, 'ग्रामीण चीन में गरीबी उन्मूलन', सुधारों से पहले और बाद में ग्रामीण चीन में गरीबी उन्मूलन पहलों के विकास को दर्शाता है। सुधारों से पहले किए गए प्राथमिक उपायों में ग्रामीण आबादी के प्राकृतिक संसाधनों (भूमि) पर कब्जा करने और उसका उपयोग करने के अधिकार को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे में सुधार करना, विशेष रूप से ग्रामीण सिंचाई कार्यों और परिवहन सुविधाओं में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की स्थिति में सुधार करना और एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना शामिल है। इन प्रयासों से कुछ उपलब्धियाँ तो मिलीं, लेकिन गरीबी उन्मूलन के ऐसे तरीकों को लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखना मुश्किल था। सुधार के बाद के दौर में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन प्रणालियों और प्रक्रियाओं में कुछ बदलाव किए गए। पहली पहल 1978 से 1985 तक घरेलू अनुबंध जिम्मेदारी प्रणाली पर केंद्रित बुनियादी ग्रामीण आर्थिक प्रणाली में सुधार की गई थी। 1994 में, "आठ-सात गरीबी उन्मूलन योजना" की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य 2000 तक शेष 80 मिलियन ग्रामीण गरीबों ("आठ") के लिए सात वर्षों ("सात") में कपड़े और भोजन की समस्याओं को हल करना था। यह चीन के इतिहास में पहली योजना थी, जिसका लक्ष्य सीधे तौर पर ग्रामीण चीन में गरीबी उन्मूलन को लक्षित करना था। 2001 के बाद, चीन की सरकार ने गरीबी उन्मूलन के तीन आवश्यक उपाय शुरू किए: पूरे गांव की उन्नति, गरीब क्षेत्रों में श्रमिकों का स्थानांतरण और प्रशिक्षण, और औद्योगीकरण। स्वैच्छिक जनसंख्या आंदोलनों, वैज्ञानिक और तकनीकी गरीबी उन्मूलन और सामाजिक गरीबी उन्मूलन की तीन पिछली रणनीतियों के अलावा, ये तीन उपाय 21वीं सदी में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन विकास के लिए बुनियादी ढांचा बन गए। 2007 के बाद, सरकार ने देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा में ट्यूशन छूट के लिए ग्रामीण न्यूनतम जीवन स्तर गारंटी प्रणाली और नीति की स्थापना की। इसके बाद, पूरे देश को कवर करते हुए नई ग्रामीण सहकारी स्वास्थ्य सेवा और नई ग्रामीण सामाजिक पेंशन बीमा प्रणाली स्थापित की गई। 2015 के अंत में, सरकार ने तत्कालीन गरीबी मानकों के अनुसार, एक सटीक गरीबी उन्मूलन

रणनीति के माध्यम से, 2020 तक देश में सभी को गरीबी से बाहर निकालने का संकल्प लिया, जो गरीब आबादी के सटीक लक्ष्यीकरण, गरीबी के कारणों का सटीक निदान और सटीक सहायता के उपयोग पर केंद्रित है।

पंद्रहवाँ अध्याय, 'ग्रामीण चीन में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण' में ग्रामीण चीन में अपनाई गई प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण रणनीतियों और नीतियों में हुए बदलावों पर चर्चा की गई है। ग्रामीण प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चीनी सरकार की रणनीति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रणनीति के तहत जल और भूमि संसाधनों के लिए गारंटी प्रदान करने, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पारिस्थितिक सुरक्षा गारंटी प्रदान करने और लोगों के कल्याण में सुधार के लिए पर्यावरण गुणवत्ता और सुरक्षा गारंटी प्रदान करने में निहित है। इस अध्याय में लेखक मुख्य रूप से कृषि योग्य भूमि, वन, प्राकृतिक चरागाह संसाधन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण तथा ग्रामीण औद्योगिक, कृषि और जीवन प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित करता है। कृषि उत्पादन प्रणालियों में आधुनिक इनपुट के उपयोग में वृद्धि और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गैर-बिंदु स्रोत प्रदूषण (एएनपीएसपी) में गंभीर वृद्धि हुई है। चीन में ग्रामीण जीवन के माहौल में सबसे प्रमुख मुद्दे ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता प्रबंधन हैं। ग्रामीण जीवन से उत्पन्न कचरे में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि, अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता अपर्याप्त बनी हुई है, और गांव समुदाय के पर्यावरण और स्वच्छता प्रबंधन तंत्र विकसित नहीं हुए हैं। कानून और नियमों के साथ विभिन्न संस्थानों और नीतियों का गठन किया गया, जिससे ग्रामीण पारिस्थितिक पर्यावरण में सुधार हुआ। हालांकि, रणनीतियों को लागू करने में विभागों के सहयोग की कमी के कारण ग्रामीण प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण विकास को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहलों के परिणामोन्मुख प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सहयोग, अंतर-विभागीय सहयोग, तथा गैर सरकारी संगठनों और समुदायों के बीच सहयोग सहित कार्रवाई स्तर पर सभी हितधारकों में सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता है।

सोलहवां अध्याय, 'चीन में ग्रामीण विकास का दृष्टिकोण', ग्रामीण चीन में 30 वर्षों के विकास का सारांश प्रस्तुत करता है, जो वृहद कृषि प्रबंधन प्रणालियों और बुनियादी खेती प्रणालियों, कृषि उत्पादों और उत्पादन सामग्री के संचलन, टाउनशिप और ग्राम उद्यमों (टीवीई) और टीवीई स्वामित्व संरचना के परिवर्तन के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, इसके अलावा ग्रामीण सहकारी समितियों का विकास और नवाचार, ग्रामीण श्रम बाजार, ग्रामीण वित्तीय प्रणाली का विकास और सुधार, ग्रामीण भूमि स्वामित्व प्रणाली, ग्रामीण राजकोषीय और कराधान प्रणाली, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली, ग्रामीण टाउनशिप और गांवों का निर्माण और विकास, ग्रामीण सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का विकास, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। इस अध्याय में, लेखकों ने सुझाव दिया कि ग्रामीण विकास नीतियों के उद्देश्यों में कृषि पद्धतियों और कृषि विकास में सुधार, ग्रामीण उद्योग समूहों के विकास के माध्यम से आजीविका संवर्धन गतिविधियां, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, लोकतंत्र में ग्रामीण लोगों

की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना और ग्रामीण शासन संरचनाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

यह पुस्तक चीन में ग्रामीण विकास रणनीतियों का गहन मूल्यांकन प्रदान करती है और अत्यधिक आकर्षक है। यह अपने पाठकों, विशेष रूप से ग्रामीण विकास पर केंद्रित शोधकर्ताओं, विद्वानों और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करती है, जिनका उद्देश्य चीन में लागू की गई ग्रामीण विकास नीतियों और रणनीतियों की सीमा को समझना है। लेखकों ने चीन में ग्रामीण विकास के विकास को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय पहलों पर विस्तार से चर्चा की है।

वेंकटमल्लू थाडबोइना

अनुसंधान अधिकारी

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

(एनआईआरडीपीआर),

हैदराबाद venkatamallu.nird@gov.in

चिकनकारी: मैनफ्रेडी पाओला द्वारा एक लखनवी परंपरा, नियोगी बुक्स, 2017, आईएसबीएन 978-938-52-8553-0, 252 पेज, हार्ड कवर आईएनआर 1,900

नृवंशविज्ञान यात्रा के माध्यम से खजाने का अनावरण

‘चिकनकारी: ए लखनवी ट्रेडिशन’ जो लखनऊ, भारत की चिकनकारी कढ़ाई की समय-सम्मानित कला की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए एक भव्य सम्मान है। यह पाओला मैनफ्रेडी द्वारा खोजी गई चिकनकारी की पहली पुस्तक है जिसमें उत्कृष्ट रंगाई के नमूनों, चरणों और प्रक्रिया का एक आकर्षक विवरण और दस्तावेजीकरण है। पेशे से, पाओला इटली में जन्मी और पत्नी-बढ़ी एक नृवंशविज्ञानी हैं। वह 30 वर्षों से भारत में हैं और एशियाई और भारतीय शिल्प जड़ों के बारे में बहुत उत्साही हैं और उन्होंने इन शिल्पों और उनके पुनरुद्धार के लिए एक उत्कृष्ट योगदान दिया है। पाओला ने लैला तैयबजी (दस्तकार की संस्थापक) के साथ अपने जुड़ाव के कारण भारतीय वस्त्रों के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है, क्योंकि उन्हें पूर्व द्वारा सेवा-लखनऊ, एक स्व-नियोजित महिला संघ, कारीगरों, विक्रेताओं, निर्माताओं, हैंड ब्लॉक निर्माताओं, प्रिंटर आदि के मामला अध्ययन करके चिकनकारी कढ़ाई का दस्तावेजीकरण करने के लिए कमीशन दिया गया था, जिसमें विभिन्न लेखकों के काम, कारीगरों, कला संग्रहालयों, व्यक्तिगत संग्रह और दीर्घाओं के विरासत के नमूनों के विस्तृत संग्रह का गहन शोध और विश्लेषण किया गया था। पाओला ने चिकनकारी कढ़ाई की उत्पत्ति और विकास का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो मुगलों द्वारा शिल्प को दिया गया संरक्षण था। उन्होंने इस पुस्तक को खूबसूरती से प्रलेखित किया है, जिसमें समय और सदियों के दौरान चिकनकारी को प्रभावित करने वाली विरासत और विभिन्न परिवर्तनों को शामिल किया गया है, जिसमें सभी संभावनाएं, शिल्प का विकास और उसका वर्तमान स्वरूप, लैला तैयबजी और अमिता वालिया जैसे लेखकों और कवियों के उद्धरण शामिल हैं। प्रत्येक अध्याय के बाद नोट्स पेज को सावधानीपूर्वक संलग्न करने से महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं जो पाठकों को बांधे रखते हैं।

कारिगरों के प्रति श्रद्धा

पाओला ने स्थानीय कारिगरों की मदद से यह किताब लिखी है और इस कला की खूबसूरती का वर्णन

करने तथा इसकी प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को दर्शाने के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग किया है। उन्होंने खत्री और अग्रवाल जैसी मुस्लिम महिलाओं के अलावा अन्य समुदायों के योगदान पर भी प्रकाश डाला है।

सिलाई विरासत - विश्लेषण, समृद्ध टेपेस्ट्री के संदर्भ में लचीलापन और सांस्कृतिक विरासत के लिए एक प्रश्न चिह्न

विविध स्रोतों के सावधानीपूर्वक एकीकरण के माध्यम से, पाओला इस शिल्प की विरासत पर प्रकाश डालती हैं। उन्होंने पुस्तक को खंडों में विभाजित किया है, जिसमें इतिहास, पहचान का प्रश्न, प्रक्रिया, कार्यप्रणाली, प्रकार और ऐतिहासिक चित्रकला, संग्रहालय संग्रह और नमूनों की तस्वीरों के माध्यम से विविधता शामिल है। चिकनकारी के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को परिभाषित करने के साथ-साथ जनसांख्यिकी, जेंडर और धर्म पर निष्पक्ष चिंतन से शुरू करते हुए, इस पुस्तक में ऐसे चित्रण हैं जो शिल्प के पुनरुत्थान में मदद करते हैं। उन्होंने जॉर्ज वाट, जसलीन धमीजा शीला पेन, क्लेयर विल्किंसन, विना सिंह, रुथ चक्रवर्ती और टेरेज़ा कुलडोवा जैसे प्रसिद्ध लेखकों के पहले के काम को स्वीकार करके इस शिल्प की उत्पत्ति के रहस्यमय धागे को जोड़ने की कोशिश की है, जो लेखन के प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करते हैं, और साहित्य की कमी को ढूंढते हैं।

इसके अलावा, पाओला ने चित्रों और संग्रहालय संग्रह की व्याख्या की है। इकलास खान, बीजापुर के सुल्तान मुहम्मद आदिल शाह आदि जैसे चित्रकारों द्वारा अभिलेखीय कला से रूपांकनों और छायाचित्रों को उभारा गया है। चित्रों में अंगरखा, अचकन और कुर्ते जैसी वेशभूषा के माध्यम से विवरण दिखाई देता है। इसमें नवासी लाल की एक प्रसिद्ध पेंटिंग शामिल है, जो एक नकली कलाकृति है जिसमें महिलाओं को अन्तः पुर में कालीन पर शतरंज खेलते हुए दिखाया गया है, उनकी पोशाक पर सफेद और सफेद काम किया गया है, जबकि बालचंद द्वारा ग्लोब पर अपने बच्चों के साथ शाहजहाँ की पोशाक में समकालीन दराज़ की सिलाई और छोटे फूल देखे जा सकते हैं। जयपुर के कला संग्रह से पिचवाई पेंटिंग, देवता की पृष्ठभूमि में चिकनकारी के साथ अलंकृत मलमल, आदि इस पुस्तक के अध्याय 2 के कुछ उदाहरण हैं।

उन्होंने टेराकोटा में देवी की तस्वीर से कुछ चित्र जोड़े हैं, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व - दूसरी शताब्दी ई.पू., साथ ही उसी अध्याय में कमलादेवी चट्टोपाध्याय के कथन को शामिल करके सहायक पाठ का हवाला दिया है। यह पुस्तक भारत में चिकनकारी के विकास के संबंध में इसकी पहचान पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है। उन्होंने इस रूढ़ि को भी तोड़ा है कि चिकनकारी केवल महिलाओं के परिधानों के लिए है, जबकि उन्होंने पुरुषों के परिधान और बच्चों के परिधानों के साथ-साथ उनके छायाचित्र पर भी प्रकाश डाला है, जिसके लिए उन्होंने कुर्ते, अंगरखा, चोगा, टोपी और बनियान जैसे व्यक्तिगत और संग्रहालय संग्रह की तस्वीरों का इस्तेमाल किया है।

समय-सम्मानित तकनीकों के माध्यम से धागों का वर्णन

लेखिका ने चिकनकारी के निर्माण, वितरण और विपणन प्रक्रिया का भी वर्णन किया है। उन्होंने वेशभूषा और सिलाई तकनीकों के लिए कुछ शब्दों को परिभाषित करने के लिए संस्कृत से रूपात्मकता का उपयोग किया है, जैसे कि टांकों के नाम। उन्होंने चिकनकारी कढ़ाई में इस्तेमाल की जाने वाली विधियों और कढ़ाई के काम के लिए कपड़े पर आधारित छपाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हाथ के ब्लॉक का भी उल्लेख किया। उन्होंने विवरण के साथ हैंड ब्लॉक के लिए बूटी, बूटा, बेल, कट बेल आदि जैसे स्थानीय नामों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी पुस्तक के कुछ हिस्सों को लकड़ी बनाने वालों, धोबी घाट, कढ़ाई वाले कपड़े की धुलाई प्रक्रिया और इसके फायदे और नुकसान को समर्पित किया।

कम वेतन संबंधी चिंता से अंतर्दृष्टि

लखनवी परंपरा के गुणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित पाओला के जनसांख्यिकीय अध्ययन में गली और मुहल्ला के छोटे गांवों में चिकनकारी के निशान मिले हैं। वह इन क्षेत्रों में कारीगरों की जीवन स्थितियों और निर्माताओं द्वारा दिए जाने वाले कम वेतन के बारे में चिंता जताती हैं। महिला कारीगर मुस्कुराते हुए कढ़ाई करती हैं और कभी भी कम वेतन के बारे में शिकायत नहीं करती हैं। हालांकि, काम के दौरान

कारिगरों से हुई बातचीत के अनुसार, वे मौजूदा बाजार के रुझान से वाकिफ हैं और काम की गुणवत्ता के हिसाब से पारिश्रमिक की मांग करते हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि पुरुष कारीगर दूसरे पेशों में क्यों चले गए।

शक्ति

सुई शिल्प की कलात्मकता को उच्च परिभाषा वाली तस्वीरों के संग्रह के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जो उस शिल्पकार को एक सराहनीय सम्मान है जिसने इस शिल्प को प्रसिद्ध बनाया और इसे पूर्वजों द्वारा जीवित रखा।

कमजोरी

यद्यपि यह पुस्तक नृवंशविज्ञान अध्ययन की सभी संभावनाओं को कवर करती है, लेकिन इसमें सांख्यिकीय आरेखों का अभाव है, जो अकादमिक उद्देश्यों के संदर्भ में अधिक विश्वसनीयता जोड़ सकते हैं। यदि यह पुस्तक हिंदी और उर्दू जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो यह कारीगर समुदाय के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण होगा, जो उनके शिल्प के लिए प्रशंसा की भावना को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष

शानदार दृश्यों और आकर्षक वर्णन के साथ, यह पुस्तक उन लोगों के लिए अवश्य पढ़ी जाने वाली पुस्तक है जो विरासत शिल्प और उसके इतिहास के बारे में उत्साही हैं। यह डिजाइनरों और शिल्प पुनरुत्थानवादियों के लिए एक उत्कृष्ट शोध उपकरण के रूप में भी काम करती है।

माधुरी सिंह

पीएचडी स्कॉलर

सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन
phdgrad.madhuri.singh@siu.edu.in